ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

नवंबर 2025
वर्ष : 07 | अंक : 11

dhyeyaias.com

ऐतिहासिक जीत!

भारत ने जीता पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप

» मुख्य विशेषताएं

पावर पैक्ड न्यूज | यूपीएससी प्री बेस्ड एमसीक्यूस | समाचार विश्लेषण

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

लक्ष्यभेद

Success is a Series of Small **Wins**

"The more we sweat in peace, the less we bleed in war"

UPSC-CSE

PRELIMS TEST SERIES 2026

09TH NOV 2025

9:30 to11:30 AM

Total Test: 32

LUCKNOW

ALIGANJ
9506256789

GOMTINAGAR
7570009003

पहला पन्ना

एक सही अभिक्षमता वाला सिविल सेवक ही वह सेवक है जिसकी देश अपेक्षा करता है। सही अभिक्षमता का अभिप्राय यह नहीं कि व्यक्ति के पास असीमित ज्ञान हो, बल्कि उसमें सही मात्रा का ज्ञान और उस ज्ञान का उचित निष्पादन करने की क्षमता हो।

बात जब यूपीएससी या पीसीएस परीक्षा की हो तो सार सिर्फ ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि उसकी सही अभिव्यक्ति और किसी भी स्थिति में उसका सही क्रियान्वयन है। यह यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी से लेकर देश के महत्त्वपूर्ण मुद्दे सँभालने तक, कुछ भी हो सकती है। यह यात्रा चुनौतीपूर्ण तो जरूर है परंतु सार्थक है।

परफेक्ट 7 पत्रिका कई आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में चयनित सिविल सेवकों की राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझ विकसित करने का अभिन्न अंग रही है। यह पत्रिका खुद भी, बदलते पाठ्यक्रम के साथ ही बदलावों और सुधारों के निरंतर उतार चढ़ाव से गुजरी है।

अब, यह पत्रिका आपके समक्ष मासिक स्वरूप में प्रस्तुत है, मैं आशा करता हूँ कि यह आपकी तैयारी की एक परफेक्ट साथी बनकर, सिविल सेवा परीक्षा की इस रोमांचक यात्रा में आपका निरंतर मार्गदर्शन करती रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ,

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

टीम परफेक्ट 7

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	आशुतोष मिश्र
उप-संपादक	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
आवरण सज्जा	:	सोनल तिवारी

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, हिन्दुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, दैनिक भाष्कर, जनसत्ता व अन्य

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com

ध्येयIAS
most trusted since 2003
परफेक्ट 7
मासिक समसामयिकी पत्रिका

इस अंक में ...

1. भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति 06-15

- ➢ आयुष्मान भारत: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त करने की चुनौती
- भारत अपराध रिपोर्ट 2023
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट
- पीएम सेतु योजना
- ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ (जीबीडी) रिपोर्ट
- भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े (2023) रिपोर्ट
- वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025

2. राजव्यवस्था एवं शासन 16-31

- ➢ डीपफेक विनियमन: एआई गवर्नेंस हेतु भारत की सक्रिय पहल
- ➢ नैतिकता, स्वायत्तता और अभिभावकता: भारत में सरोगेसी विवाद पर न्यायिक दृष्टिकोण
- व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights)
- जिला न्यायाधीश की नियुक्ति
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3)
- "आदर्श युवा ग्राम सभा" पहल
- प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ
- भारतीय न्यायालयों में लंबित निष्पादन याचिकाओं की चिंताजनक स्थिति
- भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश
- 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना
- एसआईआर 2.0

3. अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 32-54

- ➢ भारत-अफगानिस्तान संबंध: अफगान कूटनीति में भारत का व्यावहारिक यथार्थवाद
- ➢ वैश्विक शासन संकेतकों की पुनर्कल्पना: निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली की ओर भारत की पहल
- ➢ भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता: द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय
- गाज़ा शांति समझौता
- अफगानिस्तान विदेश मंत्री की भारत यात्रा
- भारत- रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूर्ण
- 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार
- ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच प्रथम वार्षिक रक्षा मंत्री संवाद
- मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा
- थाईलैंड–कंबोडिया युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर
- श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा
- सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली समाप्त की
- हिंद-प्रशांत के लिए जापान की नई रणनीतिक योजना
- 47वां आसियान शिखर सम्मेलन
- नई परमाणु-संचालित क्रूज़ मिसाइल बुरेवेस्टनिक

4. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 55-73

- ➢ हरित भारत की ओर: वैश्विक वन परिदृश्य में भारत का उभरता नेतृत्व
- लाल चंदन संरक्षण पहल
- 'गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड' रिपोर्ट
- टायफून बुआलोई
- भारत की राष्ट्रीय 'रेड लिस्ट'
- वन्यजीव सप्ताह 2025

- महासागरीय स्वेल लहरों के विरुद्ध श्रीलंका की सुरक्षात्मक भूमिका
- भारत की ब्लू इकॉनमी को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट
- नवीनतम आईयूसीएन रेड लिस्ट
- आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट
- भारत में हाथियों की जनसँख्या में कमी
- वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025
- स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट
- क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम वर्षा
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र
- चक्रवात मोंथा

5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 74-86

➢ **डिजिटल संप्रभुता की ओर: भारत का क्वांटम साइबर मिशन**
- नई साइफन-संचालित विलवणीकरण प्रणाली
- उच्च डाइएथिलीन ग्लाइकॉल स्तर वाले खांसी के सिरप
- 2025 का चिकित्सा (मेडिसिन) में नोबेल पुरस्कार
- 2025 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार
- 2025 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार
- रोटावायरस वैक्सीन पर अध्ययन
- चार उपग्रह सीएमएस-03
- ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर नया शोध

6. आर्थिकी 87-102

➢ **भारत की वैश्विक निर्यात वृद्धि: नीति सुधार और क्षेत्रीय विविधीकरण का विश्लेषण**
- आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया
- ट्रेड वॉच तिमाही रिपोर्ट जारी
- समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई पर रोडमैप
- भारत-ईएफ़टीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)
- रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
- प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)
- अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025
- लीप्स पहल 2025
- चीन ने भारत के खिलाफ डब्लूटीओ में शिकायत दर्ज कराई
- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की वरीयता पर जोर
- 'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) योजना

7. रक्षा और आंतरिक सुरक्षा 103-114

➢ **भारत का रक्षा रूपांतरण: आयात निर्भरता से स्वदेशी क्षमता तक**
- 'सक्षम' (SAKSHAM) अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड
- आईसीजीएस अक्षर
- आईएनएस एंड्रोथ
- विश्व वायु सेना रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा
- 210 माओवादी कैडरों का ऐतिहासिक सामूहिक आत्मसमर्पण
- ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना
- तेजस Mk1A और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर-40: रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता
- माहे-श्रेणी के एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट

पावर पैक्ड न्यूज 115-127

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 128-136

1 भारतीय समाज व कला एवं संस्कृति

आयुष्मान भारत: भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त करने की चुनौती

सन्दर्भ:

2018 में प्रारंभ आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) भारत की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना और गरीब व असुरक्षित परिवारों पर अस्पताल में भर्ती होने के आर्थिक बोझ को कम करना है। पिछले सात वर्षों में इसने भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे द्वितीयक और तृतीयक स्तर की चिकित्सा सुविधाएं अधिक सुलभ हुई हैं। हालांकि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट (2025) एक महत्वपूर्ण विरोधाभास को उजागर करती है — यद्यपि सूचीबद्ध अस्पतालों में सरकारी अस्पतालों की संख्या अधिक है, फिर भी निजी अस्पताल इस योजना के प्रमुख लाभार्थी बने हुए हैं। यह प्रवृत्ति भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में निजी क्षेत्र के निरंतर प्रभुत्व को दर्शाती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और वित्तपोषण पर प्रश्न उठाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- **निजी क्षेत्र का प्रभुत्व**
  - » AB-PMJAY के तहत सूचीबद्ध 31,005 अस्पतालों में से केवल 45% निजी हैं। फिर भी, ये अस्पताल कुल 52% अस्पताल में भर्ती मामलों अर्थात् 9.19 करोड़ से अधिक उपचार के लिए उत्तरदायी हैं और योजना के तहत कुल ₹1.29 लाख करोड़ के व्यय का 66% प्राप्त करते हैं।
  - » इसका अर्थ है कि यद्यपि सरकारी अस्पतालों की संख्या अधिक है, अधिकांश मरीज अब भी निजी संस्थानों को संभवतः बेहतर अवसंरचना, कम प्रतीक्षा समय और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल की धारणा के कारण को प्राथमिकता देते हैं।
- **उपचार प्रवृत्तियाँ**
  - » आयुष्मान भारत के अंतर्गत सबसे अधिक लिया जाने वाला उपचार हीमोडायलिसिस है, जो 2018 से अब तक किए गए सभी उपचारों का 14% है। इसके बाद बुखार (4%), जठरांत्रशोथ (3%) और पशु काटने (3%) जैसे सामान्य रोग आते हैं।
  - » 2024–25 में, योजना के अंतर्गत सर्वाधिक उपयोग किए गए तीन विशिष्ट क्षेत्र जनरल मेडिसिन, नेत्र विज्ञान (Ophthalmology) और जनरल सर्जरी रहे। हीमोडायलिसिस का उच्च अनुपात भारत में क्रोनिक किडनी रोग के बढ़ते बोझ और उपचार की बार-बार आवश्यकता को दर्शाता है। मरीजों को अक्सर सप्ताह में दो से तीन बार डायलिसिस की आवश्यकता होती है।
- **अंतर-राज्यीय रोगी गतिशीलता:**
  - » आयुष्मान भारत की एक प्रमुख विशेषता इसकी पोर्टेबिलिटी है, जो लाभार्थियों को उनके कार्ड के निर्गमन राज्य के अतिरिक्त किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में उपचार प्राप्त करने की अनुमति देती है।
  - » **प्रमुख इन-माइग्रेशन राज्य:**
    - ➢ चंडीगढ़ – सभी पोर्टेबिलिटी मामलों का 19%
    - ➢ उत्तर प्रदेश – 13%
    - ➢ गुजरात – 11%
    - ➢ उत्तराखंड और पंजाब – प्रत्येक 8%

» **प्रमुख आउट-माइग्रेशन राज्य:**
  - उत्तर प्रदेश – कुल बाहरी मामलों का 24%
  - मध्य प्रदेश – 17%
  - बिहार – 16%
  - पंजाब और हिमाचल प्रदेश – प्रत्येक 7%

- ये आँकड़े दर्शाते हैं कि पोर्टेबिलिटी से अविकसित क्षेत्रों के मरीज बेहतर सुसज्जित राज्यों में उपचार प्राप्त कर पा रहे हैं, विशेष रूप से वहाँ जहाँ निजी या तृतीयक देखभाल अस्पताल केंद्रित हैं।
- **डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी: आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट और एकीकरण**
  » रिपोर्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत हुई प्रगति पर भी प्रकाश डालती है, जिसका उद्देश्य एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना तैयार करना है।
    - 50 करोड़ स्वास्थ्य अभिलेख डिजिटल रूप से जोड़े गए हैं।
    - लगभग 60% भारतीयों के पास अब ABHA (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) नंबर है, जो एक 14 अंकों की आईडी, व्यक्तियों को अपने चिकित्सा डेटा को सुरक्षित रूप से संग्रहीत और साझा करने में सक्षम बनाती है।
    - अब तक 3.8 लाख स्वास्थ्य सुविधाएं (कुल का 38%) और 5.8 लाख स्वास्थ्य पेशेवर (26%) इस प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत हैं।

  » यह बढ़ता हुआ डिजिटल नेटवर्क डेटा साझा को सरल बनाएगा, जांचों की पुनरावृत्ति को कम करेगा और सार्वजनिक व निजी संस्थानों के बीच उपचार की निरंतरता में सुधार करेगा।

आयुष्मान भारत–PMJAY के बारे में:

- आयुष्मान भारत पहल को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) प्राप्त करने के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण के रूप में परिकल्पित किया गया था:
  » **आयुष्मान आरोग्य मंदिर (AAMs):**
    - 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य, जो निःशुल्क और व्यापक प्राथमिक देखभाल प्रदान करता है, जिसमें गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं और बुनियादी निदान शामिल हैं।

  » **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY):**
    - प्रत्येक परिवार के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, जो द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल उपचार को शामिल करता है।

  » 12 करोड़ परिवारों (लगभग 55 करोड़ लोगों) को कवर करता है, जो भारत की सबसे गरीब 40% आबादी को लक्षित करता है।
  » लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 और पूर्व RSBY सूचियों के माध्यम से की जाती है।
  » यह योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच लागत साझेदारी इस प्रकार है: 60:40 (अधिकांश राज्यों के लिए), 90:10 (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए) और 100% केंद्रीय वित्तपोषण विधानसभा रहित केंद्रशासित प्रदेशों के लिए।

- **अब तक की उपलब्धियाँ:**
  » 2018 से अब तक 9 करोड़ से अधिक उपचार, ₹1.29 लाख करोड़ मूल्य के, प्रदान किए गए।
  » 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 35 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए।
  » 49% कार्डधारक महिलाएं हैं जो लैंगिक समावेशन की दिशा में एक उल्लेखनीय प्रगति है।
  » आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में 21% की कमी है और स्वास्थ्य-संबंधी ऋणों में 8% की कमी आई है, जो यह दर्शाता है कि परिवारों पर वित्तीय दबाव कम हुआ है।
  » जिला अस्पतालों ने सकारात्मक वित्तीय लाभ दर्ज किए हैं, जिससे उनकी सेवा क्षमता में सुधार हुआ है।

- कुल मिलाकर, आयुष्मान भारत ने उन लाखों लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत किया है, जो पहले विनाशकारी स्वास्थ्य खर्चों का सामना करते थे।

चुनौतियाँ और संरचनात्मक अंतराल:

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में कमी:** भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय GDP का केवल 1.84% है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के 2.5% लक्ष्य से काफी कम है। इससे सरकारी अस्पतालों में अवसंरचना, मानव संसाधन और गुणवत्तापूर्ण देखभाल में निवेश सीमित हो जाता है।
- **अस्पताल केंद्रित संरचना:** AB-PMJAY मुख्यतः अस्पताल-

आधारित द्वितीयक और तृतीयक देखभाल पर केंद्रित है, जबकि प्राथमिक और बाह्य रोगी देखभाल जो अधिकांश आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च का कारण है, अभी भी शामिल नहीं है।

- **"मिसिंग मिडिल" की समस्या:** भारत की एक बड़ी आबादी न तो इतनी गरीब है कि सरकारी सब्सिडी पा सके, न इतनी संपन्न कि निजी बीमा ले सके — परिणामस्वरूप वे किसी भी वित्तीय सुरक्षा कवच से वंचित रह जाते हैं।
- **ग्रामीण–शहरी असंतुलन:** अधिकांश डॉक्टर और स्वास्थ्य पेशेवर शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर जनशक्ति की कमी है। यह कमी ग्रामीण मरीजों को बुनियादी सेवाओं के लिए भी लंबी दूरी तय करने को बाध्य करती है।
- **निजी क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भरता:** आयुष्मान भारत की दो-तिहाई निधि निजी अस्पतालों को जाने से यह योजना अनजाने में निजी क्षेत्र को और सशक्त कर रही है, बजाय सार्वजनिक क्षमता निर्माण के।
- **नियामक चुनौतियाँ:** निजी क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों, मूल्य विनियमन और जवाबदेही की एकरूपता की कमी के कारण अधिक शुल्क, असमान गुणवत्ता और नैतिक चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

आगे की राह:

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य वित्तपोषण में वृद्धि करना:** सरकारी व्यय को GDP के 2.5% तक बढ़ाया जाए और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तथा रोकथाम सेवाओं को सशक्त किया जाए।
- **बीमा कवरेज का विस्तार करना:** PM-JAY के लाभ "मिसिंग मिडिल" वर्ग तक बढ़ाए जाएं और बाह्य रोगी देखभाल, जांच तथा दवाइयों को बीमा कवरेज के तहत शामिल किया जाए।
- **स्वास्थ्य कार्यबल का निर्माण और संरक्षण करना:** अविकसित क्षेत्रों में चिकित्सा और नर्सिंग संस्थान बढ़ाए जाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों को प्रोत्साहन दिया जाए, और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा पैरामेडिकल प्रशिक्षण में निवेश बढ़ाया जाए।
- **तकनीक का प्रभावी उपयोग करना:** टेलीमेडिसिन और ABHA-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत कर दूरस्थ विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराएं और डेटा-आधारित स्वास्थ्य योजना को सुदृढ़ करें।
- **नियमन और शासन को सशक्त करें:** क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 2010 को सख्ती से लागू करें ताकि निजी अस्पतालों में गुणवत्ता, मानकीकृत उपचार और पारदर्शी मूल्य सुनिश्चित हो सकें। मजबूत स्वास्थ्य डेटा प्रणाली विकसित की जाए ताकि निगरानी, मूल्यांकन और जवाबदेही में सुधार हो सके।

निष्कर्ष:

आयुष्मान भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक परिवर्तनकारी नीति कदम के रूप में उभरा है, जिसने लाखों लोगों को आर्थिक संकट से बचाया है और अस्पताल देखभाल की पहुंच को विस्तारित किया है। फिर भी, योजना में निजी अस्पतालों के बढ़ते प्रभुत्व से यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में विश्वास को पुनर्स्थापित करना अब अनिवार्य है। दीर्घकालिक स्थिरता के लिए भारत को सार्वजनिक अवसंरचना को सशक्त करना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को विनियमित करना और ग्रामीण–शहरी विभाजन को समाप्त करना होगा।

संक्षिप्त मुद्दे

भारत अपराध रिपोर्ट 2023

संदर्भ:

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) ने 30 सितंबर 2025 को "भारत में अपराध 2023" रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में पंजीकृत अपराधों में कुल मिलाकर 7.2% की वृद्धि हुई, जो 2022 की तुलना में अधिक है। इसमें साइबर अपराधों, आर्थिक अपराधों और समाज के कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराधों में विशेष बढ़ोतरी देखी गई, जबकि पारंपरिक हिंसक अपराधों में गिरावट दर्ज हुई।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **कुल अपराध आंकड़े:**
  - » **कुल मामले:** 2023 में कुल 62.4 लाख पंजीकृत अपराध दर्ज

किए गए, जबकि 2022 में यह संख्या 58.2 लाख थी। इसका मतलब है कि हर 5 सेकंड में एक अपराध होता है।

» **अपराध का स्वरूप बदलना:** रिपोर्ट में कहा गया है कि पारंपरिक हिंसक अपराधों की बजाय तकनीक-आधारित और शहरी अपराध बढ़ रहे हैं।

» **मेट्रो शहर:** 19 प्रमुख महानगरों में अपराध 2022 की तुलना में 10.6% बढ़े।

- **विशिष्ट अपराधों के रुझान:**

» **साइबर अपराध:** 2023 में साइबर अपराध के मामले 31.2% बढ़कर 86,420 हो गए।

➢ **मुख्य उद्देश्य:** सबसे ज्यादा मामले धोखाधड़ी (68.9%) के थे, इसके बाद यौन शोषण और फिरौती के मामले आए।

» **महिलाओं के खिलाफ अपराध:** महिलाओं के खिलाफ अपराध में मामूली 0.7% वृद्धि हुई, कुल 4,48,211 मामले दर्ज किए गए।

➢ **मुख्य अपराध:** सबसे अधिक मामले पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अपहरण और शिष्टाचार की भावना को भंग करने के इरादे से हमले थे। बलात्कार के 97.5% मामलों में अपराधी पीड़िता को जानता था।

» **बच्चों के खिलाफ अपराध:** कुल 1,77,335 मामले के साथ बच्चों के खिलाफ अपराध में 9.2% की वृद्धि हुई।

➢ **मुख्य कारण:** अपहरण और अगवा करना (45%) तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामले (38.2%) प्रमुख थे।

» **अनुसूचित जनजातियों (STs) के खिलाफ अपराध:** 28.8% की महत्वपूर्ण वृद्धि, कुल 12,960 मामले।

➢ **जातीय हिंसा:** इस वृद्धि का मुख्य कारण मणिपुर जैसे राज्यों में जातीय संघर्ष हैं।

» **अनुसूचित जातियों (SCs) के खिलाफ अपराध:** मामूली 0.4% की वृद्धि।

» **हत्या और अपहरण:** हत्या के मामले 2.8% घटे, लेकिन अपहरण करने के मामले 5.6% बढ़े।

» **आर्थिक अपराध:** 6% की वृद्धि, कुल 2,04,973 मामले।

➢ **मुख्य श्रेणियाँ:** अधिकतर मामले जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से संबंधित थे।

- **राज्य-विशेष आंकड़े:**

» **अपराध दर:** उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। हालाँकि, केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर सबसे ज़्यादा थी।

» **उच्च मात्रा वाले राज्य (साइबर अपराध):** कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक साइबर अपराध के मामले सामने आए।

» **महिलाओं के विरुद्ध अपराध के उच्च मामले वाले राज्य:** उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए।

» **बच्चों के विरुद्ध अपराध के उच्च मामले वाले राज्य:** मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में अधिकांश मामले सामने आए।

निष्कर्ष:

एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि भारत में पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है, ताकि बदलते अपराधों, विशेष रूप से डिजिटल अपराधों, से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। आंकड़े बढ़ती डिजिटल कमजोरियों और साइबर अपराधों के मामलों में

आने वाली चुनौतियों की ओर इशारा करते हैं, खासकर उन राज्यों में जहां अपराध की दर अधिक है और चार्जशीटिंग की दर कम है। नए आपराधिक संहिता को लागू करने के बाद, भविष्य की रिपोर्टें अपराधों को वर्गीकृत करने और उनका ट्रैक रखने के लिए नए ढांचे को दर्शाएंगी।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 1995 के कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर सामाजिक विकास के लिए आयोजित द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन से पहले "सामाजिक न्याय की स्थिति: एक प्रगति यात्रा" शीर्षक से रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **गरीबी में कमी:** अत्यंत गरीबी दर 1995 में 39% से घटकर 2025 में 10% हो गई है।
- **बाल श्रम:** 5–14 वर्ष की आयु के बच्चों में बाल श्रम की संख्या 1995 में 2.5 करोड़ से घटकर 2025 में 1.06 करोड़ हो गई है।
- **कार्यरत गरीबी:** कामकाजी लोगों में गरीबी का प्रतिशत 2000 में 28% से घटकर 2025 में 7% हो गया है।
- **सामाजिक सुरक्षा:** वैश्विक जनसंख्या का 50% से अधिक हिस्सा अब किसी न किसी रूप में सामाजिक संरक्षण के दायरे में है।

जारी असमानताएँ:

इन प्रगति के बावजूद महत्वपूर्ण असमानताएँ बनी हुई हैं:

- **धन वितरण:** वैश्विक आबादी का शीर्ष 1% हिस्सा 20% वैश्विक आय और 38% वैश्विक संपत्ति पर नियंत्रण रखता है।
- **लैंगिक वेतन अंतर:** महिलाएँ औसतन पुरुषों की तुलना में केवल 78% कमाती हैं; इस दर से इसे कम करने में 50–100 साल लग सकते हैं।
- **जन्म के आधार पर असमानता:** आय असमानता का 55% व्यक्ति के जन्मस्थान पर निर्भर है, जो वैश्विक स्तर पर स्थानिक भेदभाव को दर्शाता है।

उभरती वैश्विक चुनौतियाँ:

- दुनिया में तेजी से पर्यावरणीय, डिजिटल और जनसांख्यिकीय बदलाव हो रहे हैं, जो श्रम बाजारों और रोजगार के स्वरूप को बदल रहे हैं।
- जलवायु नीतियाँ और पर्यावरणीय परिवर्तन विशेष रूप से कार्बन-प्रधान क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं, खासकर जब उचित "न्यायसंगत संक्रमण" योजनाएँ उपलब्ध न हों।
- डिजिटल बदलाव से तकनीक और गुणवत्तापूर्ण रोजगार तक पहुंच में असमानताएँ बढ़ सकती हैं।
- जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जैसे वृद्ध होती आबादी और कुछ क्षेत्रों में युवा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली और श्रम बाजारों पर अतिरिक्त दबाव डाल रहे हैं।

भारत की प्रगति और चुनौतियाँ:

- भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है:
  - » **गरीबी उन्मूलन:** भारत में बहुआयामी गरीबी 2013–14 में 29% से घटकर 2022–23 में 11% रह गई है।
  - » **शिक्षा:** 2024 तक माध्यमिक विद्यालय पूर्णता दर 79% तक पहुँच गई है, जबकि महिला साक्षरता दर 77% दर्ज की गई है।
- हालाँकि, देश में कुछ गंभीर चुनौतियाँ अब भी बनी हुई हैं:
  - » **लैंगिक असमानता:** पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर अभी भी व्यापक है, साथ ही लैंगिक हिंसा भी एक प्रमुख सामाजिक चिंता बनी हुई है।
  - » **जाति आधारित भेदभाव:** विभिन्न जाति समूहों के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों में असमानताएँ बनी हुई हैं।
  - » **डिजिटल विभाजन:** डिजिटल तकनीकों तक समान पहुँच का अभाव है, जिससे वंचित समुदायों को डिजिटल समावेशन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सिफ़ारिशें:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) सामाजिक न्याय के प्रति एक नया और निर्णायक संकल्प लेने का आह्वान करता है। यह समावेशी नीति निर्माण की आवश्यकता पर जोर देता है, जिसमें वित्त, उद्योग, जलवायु और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को शामिल किया जाए।
- सामाजिक अनुबंध को मजबूत करना, कौशल प्रशिक्षण में निवेश करना, उचित वेतन निर्धारण और ठोस सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकसित करना महत्वपूर्ण हैं।
- वैश्विक सहयोग अनिवार्य है ताकि अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना किया जा सके और आर्थिक लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके, जिससे मजबूत और समावेशी समाज का निर्माण हो।

निष्कर्ष:

यह रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि नीति निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में सामाजिक न्याय को केंद्र में रखना आवश्यक है, जिससे समान, न्यायसंगत और समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। यद्यपि वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है, फिर भी रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि स्थायी सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए असमानताओं को दूर करने और समान अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

पीएम सेतु योजना

संदर्भ:

हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम सेतु योजना की शुरूआत की है, जिसका उद्देश्य इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स (ITIs) को आधुनिक बनाना, उद्योग की जरूरतों के अनुरूप ढालना और युवाओं के लिए रोजगार योग्य बनाना है।

पृष्ठभूमि और आवश्यकता:

- भारत के कई मौजूदा ITIs में पुरानी संरचना, सीमित उद्योग संबंध और ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो वर्तमान बाजार की मांगों के अनुरूप नहीं हैं।
- तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ाई और उद्योगों की अपेक्षाओं के बीच अंतर होने के कारण स्नातक अक्सर बेरोजगार या कम रोजगार योग्य रहते हैं।
- भारत की बड़ी युवा आबादी को उपयुक्त और उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रदान करना आर्थिक विकास और बेरोजगारी कम करने के लिए आवश्यक है।
- इस योजना का उद्देश्य ITI प्रणाली को आधुनिक बनाना और शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं तक बेहतर और सुलभ प्रशिक्षण पहुंचाना है।

मुख्य विशेषताएँ और संरचना:

- **बजट और पैमाना:** पीएम सेतु योजना के लिए लगभग ₹60,000 करोड़ का निवेश किया गया है।
- **ITI की संख्या:** इस योजना के तहत पूरे भारत में 1,000 सरकारी ITIs को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हब और स्पोक मॉडल के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- **हब और स्पोक मॉडल:**
  - 1,000 आईटीआई में से 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई होंगे।
  - औसतन, प्रत्येक हब लगभग 4 स्पोक आईटीआई से जुड़कर क्लस्टर का निर्माण करेगा।
  - हब ITIs में उन्नत बुनियादी ढांचा उपलब्ध होगा, जिसमें आधुनिक ट्रेड, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, नवाचार और इन्क्यूबेशन केंद्र, उत्पादन इकाइयां और प्लेसमेंट सहायता शामिल हैं।
  - स्पोक आईटीआई मुख्य रूप से दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण की पहुँच और अवसर बढ़ाएंगे।
- **उद्योग प्रबंधित मॉडल:**
  - योजना का उद्देश्य यह है कि आईटीआई सरकारी स्वामित्व में रहें, लेकिन उनका प्रबंधन और संचालन उद्योग भागीदारों के सहयोग से किया जाए।
  - इससे प्रशिक्षण के परिणाम उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप होंगे और छात्रों की रोजगार योग्यता बढ़ेगी।

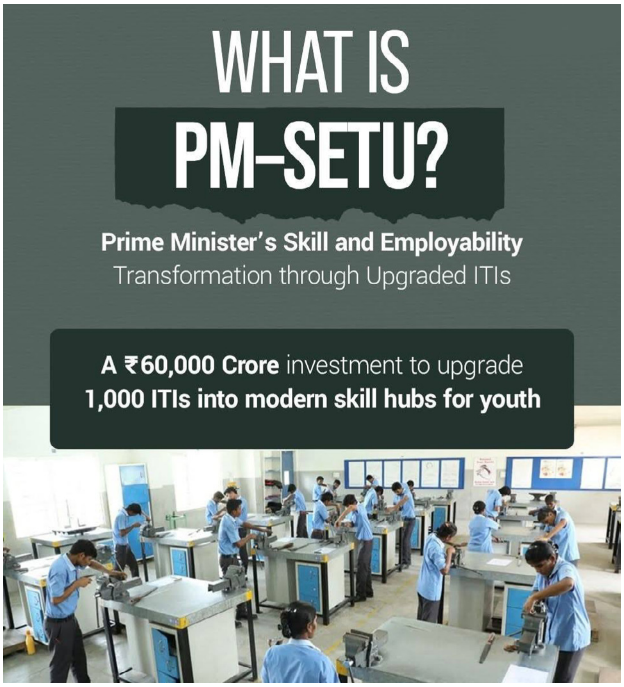

उद्देश्य एवं अपेक्षित परिणाम:

- आईटीआई में प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि।
- उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना, जिससे विद्यार्थी नियोक्ताओं द्वारा मांगे जाने वाले कौशल प्राप्त कर सकें।

- उद्योग संबंधों और साझेदारियों को मजबूत करना।
- इन्क्यूबेशन और उत्पादन इकाइयों के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- वंचित या दूरदराज के क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की पहुंच और पहुंच बढ़ाना।
- रोजगार के अवसर सृजित करना और युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार करना।
- आने वाले कुछ वर्षों में लगभग 20 लाख युवा के इस योजना के माध्यम से रोजगार योग्य कौशल हासिल करने की उम्मीद है।

लाभ और संभावित प्रभाव:

- **बेहतर रोजगार योग्यता:** ITI के स्नातक अद्यतन और प्रासंगिक कौशल के साथ उद्योगों के लिए अधिक आकर्षक होंगे।
- **उद्योग–संस्थान संबंध:** उद्योग के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण वास्तविक बाजार की मांगों के अनुरूप रहेगा।
- **संसाधनों का कुशल उपयोग:** हब और स्पोक मॉडल हब में उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने और स्पोक के माध्यम से पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा।
- **नवाचार और उद्यमिता:** हब में इन्क्यूबेशन सेंटर और प्रोडक्शन यूनिट स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करेंगे।
- **समावेशिता और पहुंच:** दूरस्थ/जनजातीय क्षेत्रों में स्पोक आईटीआई और व्यावसायिक प्रयोगशालाएं दूरी की बाधा को कम करती हैं और प्रशिक्षण को शिक्षार्थियों के करीब ला सकती हैं।

निष्कर्ष:

पीएम सेतु योजना आईटीआई प्रणाली को केवल शिक्षा देने वाले संस्थान के रूप में नहीं, बल्कि उद्योग अनुरूप और व्यावसायिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में पुनः परिभाषित करने का एक साहसिक प्रयास है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू और निगरानी की जाए, तो यह लाखों भारतीय युवाओं को कौशल प्रदान कर रोजगार और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ (जीबीडी) रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में बर्लिन में आयोजित वर्ल्ड हेल्थ समिट में ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ (GBD) रिपोर्ट जारी की गई और इसके निष्कर्षों को द लैंसेट (The Lancet) में प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट एक अहम परिवर्तन की ओर संकेत करती है, जिसके अनुसार भारत में मृत्यु के कारणों में अब संक्रामक बीमारियों के बजाय गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) का प्रभाव अधिक दिखाई देने लगा है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- **मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा की स्थिति**
  - कोविड-19 के असर के बाद वैश्विक स्तर पर जीवन प्रत्याशा में फिर से सुधार दर्ज किया गया है। वर्ष 2023 में महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा 76.3 वर्ष और पुरुषों की 71.5 वर्ष रही।
  - वर्ष 1950 की तुलना में अब तक वैश्विक आयु-मानकीकृत मृत्यु दर (ASMR) में लगभग 67% की कमी आई है।
  - रिपोर्ट में शामिल सभी 204 देशों और क्षेत्रों में कुल मृत्यु दर में गिरावट देखी गई, जो वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार को दर्शाता है।
- **गैर-संक्रामक रोगों (NCDs) का बढ़ता प्रभाव**
  - अब वैश्विक स्तर पर होने वाली कुल मौतों और बीमारियों का लगभग दो-तिहाई हिस्सा गैर-संक्रामक रोगों के कारण है।
  - इनमें मुख्य रूप से हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह और फेफड़ों से जुड़ी दीर्घकालिक बीमारियाँ शामिल हैं।
- **युवाओं और किशोरों की स्थिति: एक उभरती चिंता**
  - कुल मृत्यु दर भले ही कम हुई हो, लेकिन किशोरों और युवाओं (15-35 आयु वर्ग) में मृत्यु दर कई क्षेत्रों में या तो स्थिर हो गई है या बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रही है।
  - उत्तर अमेरिका और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में युवा महिलाओं में आत्महत्या, नशे और शराब के सेवन से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
  - इसके विपरीत, उप-सहारा अफ्रीका में युवाओं की मौत का प्रमुख कारण अभी भी संक्रामक रोग, दुर्घटनाएँ और मातृ स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ हैं।

भारत से जुड़ी मुख्य जानकारियाँ:

- रिपोर्ट बताती है कि भारत में स्वास्थ्य से जुड़े कारणों में एक महत्वपूर्ण महामारी विज्ञान संबंधी परिवर्तन दर्ज हुआ है, इसके अनुसार अब भारत में अधिक मृत्यु के प्रमुख कारणों में संक्रामक बीमारियों की जगह गैर-संक्रामक रोग (NCDs) शामिल हैं।
  - 1990 में, भारत में सबसे अधिक मौतें दस्त (Diarrhoeal

Diseases) से होती थीं। उस समय आयु-मानकीकृत मृत्यु दर (ASMR) 300.53 प्रति लाख थी।

» 2023 तक, भारत में मृत्यु का प्रमुख कारण इस्केमिक हृदय रोग बन गया, जिसका ASMR 127.82 प्रति लाख दर्ज किया गया।

» इसके बाद:

➢ क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी): एएसएमआर: 99.25 प्रति लाख

➢ स्ट्रोक: एएसएमआर: 92.88 प्रति लाख

» कोविड-19, जो 2021 में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण था, 2023 में तेजी से गिरकर 20वें स्थान पर पहुंच गया।

- यह प्रवृत्ति वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप है, जहाँ अब हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह जैसे गैर-संक्रामक रोग मृत्यु और बीमारी के प्रमुख कारणों के रूप में उभर रहे हैं।

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) रिपोर्ट के बारे में:

- ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (जीबीडी) रिपोर्ट का समन्वय अमेरिका स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME) द्वारा किया जाता है।
- इसमें दुनिया भर के 16,500 से अधिक वैज्ञानिकों का नेटवर्क शामिल है।
- इस अध्ययन में 3 लाख से अधिक डेटा स्रोतों का उपयोग किया जाता है।
- यह रिपोर्ट मृत्यु, विकलांगता (DALYs), बीमारी की व्यापकता और आयु, लिंग, क्षेत्र एवं समय के आधार पर जोखिम कारकों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

नीति और शासन पर प्रभाव:

- **सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना:** अब स्वास्थ्य ढांचे को NCDs की जांच, शुरुआती पहचान और दीर्घकालिक देखभाल पर केंद्रित करना होगा।
- **रोकथाम आधारित स्वास्थ्य देखभाल:** इसके लिए आहार, व्यायाम, तंबाकू-निरोध और जीवनशैली सुधार को लेकर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।
- **स्वास्थ्य वित्त पोषण:** विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश बढ़ाना होगा ताकि पुरानी बीमारियों का प्रबंधन किया जा सके।

निष्कर्ष:

भारत की स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल में एक बड़ा परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब जबकि संक्रामक बीमारियाँ मृत्यु का प्रमुख कारण नहीं रह गई हैं, हृदय रोग, स्ट्रोक और COPD जैसे गैर-संक्रामक रोग (NCDs) एक गंभीर नई चुनौती के रूप में उभरे हैं। इस महामारी विज्ञान संबंधी बदलाव के मद्देनज़र ज़रूरी है कि भारत की स्वास्थ्य प्रणाली का फोकस केवल जीवन को लंबा करने पर नहीं, बल्कि जीवन को स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर भी हो। इसके लिए अब रोकथाम आधारित दृष्टिकोण, समय पर जांच और समग्र तथा एकीकृत स्वास्थ्य रणनीति अपनाना अनिवार्य हो गया है।

भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े (2023) रिपोर्ट

सन्दर्भ:

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़े (Vital Statistics of India 2023) रिपोर्ट जारी की है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) जन्म और मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं का सतत, स्थायी और अनिवार्य रिकॉर्ड है, जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत किया जाता है।

मुख्य प्रमुख बिंदु:

सूचकांक	मान / प्रवृत्ति	टिप्पणी / अवलोकन
पंजीकृत जन्म	2.52 करोड़	वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 2.32 लाख कम
पंजीकृत मृत्यु	86.6 लाख	2022 (86.5 लाख) से थोड़ा अधिक
जन्म पंजीकरण कवरेज	98.4 %	लगभग पूर्ण; मज़बूत पंजीकरण प्रणाली का संकेत
संस्थागत जन्म	74.7 %	लगभग तीन-चौथाई जन्म स्वास्थ्य संस्थानों में हुए

जन्म के समय लिंग अनुपात (SRB)	न्यूनतम: झारखंड (899), बिहार (900) अधिकतम: अरुणाचल प्रदेश (1,085), नागालैंड (1,007)	जन्म के समय लिंग संतुलन में लगातार क्षेत्रीय असमानता
समय पर पंजीकरण (21 दिनों के भीतर)	11 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश > 90 %	गुजरात, तमिलनाडु, गोवा, पंजाब, आदि।
	5 राज्य 80–90 %	ओडिशा, मिजोरम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश
	14 राज्य 50–80 %	कई बड़े राज्य पीछे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल

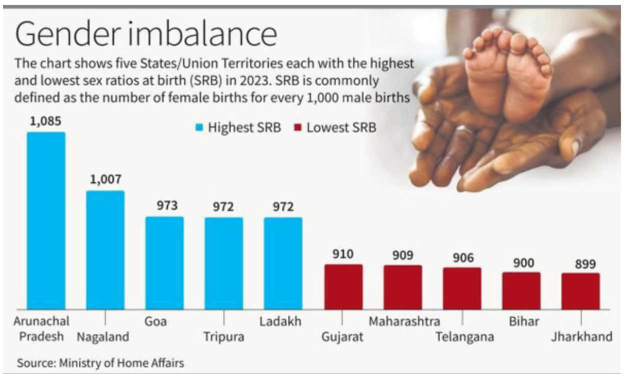

विश्लेषण और अवलोकन:

- **भारत का जनसांख्यिकीय संक्रमण जारी:** पंजीकृत जन्मों में गिरावट यह दर्शाती है कि भारत धीरे-धीरे जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में बढ़ रहा है। इसके पीछे शहरीकरण, शिक्षा के बढ़ते स्तर और गर्भनिरोधक साधनों तक बेहतर पहुंच जैसे कारक हैं।
- **स्वास्थ्य प्रणाली और संस्थागत प्रसव:** उच्च प्रतिशत में संस्थागत जन्म स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच को दर्शाता है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी अंतर बना हुआ है, जिन्हें मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए पाटना आवश्यक है।
- **लैंगिक पक्षपात और सामाजिक चुनौतियाँ:** कई राज्यों में लगातार निम्न लिंग अनुपात (Sex Ratio at Birth) इस बात का संकेत है कि लिंग आधारित भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति अब भी विद्यमान है।
- इससे PCPNDT अधिनियम (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act) के सख्त क्रियान्वयन और गहरे सामाजिक सुधार प्रयासों की आवश्यकता रेखांकित होती है।

नीति निहितार्थ (Policy Implications):

- डेटा प्रविष्टि में त्रुटियों से बचने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सशक्त बनाया जाए।
- विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियानों को बढ़ाया जाए।
- CRS डेटा को स्वास्थ्य व कल्याण योजनाओं से जोड़ा जाए ताकि संवेदनशील आबादी की पहचान की जा सके।
- राज्य-विशिष्ट रणनीतियाँ अपनाई जाएँ ताकि जन्म के समय लिंग अनुपात (SRB) सुधरे और अधूरा पंजीकरण घटे।
- मृत्यु के कारणों का चिकित्सकीय प्रमाणन (Medical Certification) अनिवार्य किया जाए, ताकि स्वास्थ्य नीतियों की योजना बेहतर ढंग से बन सके।

निष्कर्ष:

CRS 2023 रिपोर्ट भारत के जनसांख्यिकीय और स्वास्थ्य परिदृश्य को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। देश ने पंजीकरण कवरेज में उल्लेखनीय प्रगति की है, परंतु समयबद्धता, डेटा गुणवत्ता और लैंगिक समानता के क्षेत्र में अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। राज्य-स्तरीय असमानताओं को दूर करना और संस्थागत क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है ताकि नागरिक पंजीकरण प्रणाली केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता न रहे, बल्कि साक्ष्य-आधारित शासन और समावेशी विकास की ठोस नींव बन सके।

वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025

संदर्भ:

हाल ही में मर्सर और सीएफए इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को दुनिया की पेंशन प्रणालियों में निचले स्तर पर रखा गया है। भारत को 100 में से 43.8 का समग्र स्कोर मिलने के कारण इसे डी ग्रेड प्रदान किया गया।

वैश्विक पेंशन सूचकांक के बारे में:

- वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025 मर्सर और सीएफए इंस्टीट्यूट

का सत्रहवां संस्करण है, जो दुनिया के सेवानिवृत्ति आय (पेंशन) प्रणालियों की वार्षिक तुलना करता है।

- यह वर्तमान में 52 देशों के सेवानिवृत्ति प्रणालियों को शामिल करता है, जो विश्व की लगभग 65% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

पद्धति और ढांचा:

सूचकांक प्रत्येक देश के पेंशन या सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों का मूल्यांकन तीन मुख्य स्तंभों के आधार पर करता है:

स्तंभ	कुल स्कोर में भार	क्या दर्शाता है
पर्याप्तता (Adequacy)	40%	रिटायरमेंट में पेंशन से पर्याप्त आय मिलती है या नहीं (प्रतिस्थापन दरें, कवरेज, सामाजिक सहायता)
(स्थायित्व)	35%	जनसंख्या परिवर्तन, वित्तीय दबाव, निवेश रिटर्न को ध्यान में रखते हुए क्या सिस्टम वित्तीय रूप से दीर्घकालीन रूप से सक्षम है?
सत्यनिष्ठा (Integrity)	25%	प्रशासन, नियम, पारदर्शिता, लागत और सिस्टम में विश्वास

TOP 10 Pension Systems • Global Pension Index 2025

Ranking		Adequacy	Sustainability	Integrity
1. Netherlands	(85.4)	**2.** (86.1)	**3.** (83.5)	**5.** (86.8)
2. Iceland	(84.0)	**6.** (83.0)	**1.** (85.7)	**12.** (83.3)
3. Denmark	(82.3)	**8.** (82.9)	**2.** (85.0)	**22.** (77.6)
4. Singapore	(80.8)	**11.** (79.4)	**7.** (75.5)	**2.** (90.4)
5. Israel	(80.3)	**17.** (75.6)	**4.** (83.2)	**11.** (83.6)
6. Sweden	(78.2)	**15.** (76.8)	**6.** (76.3)	**14.** (83.0)
7. Australia	(77.6)	**24.** (69.0)	**5.** (81.1)	**8.** (86.4)
8. Finland	(76.6)	**14.** (77.4)	**13.** (65.6)	**1.** (90.6)
9. Chile	(76.6)	**21.** (71.9)	**8.** (74.9)	**7.** (86.6)
10. Norway	(76.0)	**13.** (77.8)	**15.** (65.2)	**4.** (88.4)

मुख्य निष्कर्ष:

- **शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश / A ग्रेड सिस्टम:** 2025 में A ग्रेड (80 से ऊपर स्कोर) पाने वाले देश हैं:
  - » नीदरलैंड्स (85.4)
  - » आइसलैंड (84.0)
  - » डेनमार्क (82.3)
  - » सिंगापुर (80.8) (पहली बार, सिंगापुर A ग्रेड में शामिल हुआ और 2025 में अकेला एशियाई देश बना)
  - » इज़राइल (80.3)
- **भारत का प्रदर्शन:**
  - » **कुल स्कोर और ग्रेड:** 43.8, D ग्रेड। यह 2024 के 44.0 की तुलना में थोड़ा कम है।
  - » **पर्याप्तता (Adequacy):** सबसे कमजोर क्षेत्र। इस स्तंभ में भारत को E ग्रेड (~34.7) मिला, जो कम आय रिप्लेसमेंट और वृद्ध गरीबों के लिए सीमित सामाजिक सहायता को दर्शाता है।
  - » **स्थायित्व (Sustainability):** कमजोर। जनसंख्या की बढ़ती उम्र, खासकर अनौपचारिक क्षेत्र में पेंशन कवरेज का कम होना, कम बचत और विभिन्न जोखिम (जैसे जलवायु परिवर्तन) चिंताजनक हैं।
  - » **सत्यनिष्ठा (Integrity):** अपेक्षाकृत बेहतर, लेकिन सुधार की आवश्यकता है। नियामक नियंत्रण, पारदर्शिता और प्रशासन शीर्ष पेंशन सिस्टम के स्तर तक नहीं हैं।

चुनौतियाँ:

- **अनौपचारिक क्षेत्र का कम कवरेज:** भारत की कार्यबल का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में है, जिसे औपचारिक पेंशन प्रणाली पर्याप्त रूप से कवर नहीं करती। कई कर्मचारियों के पास पेंशन नहीं है, और जो है वह भी बहुत कम है।
- **अपर्याप्त पेंशन राशि / कम प्रतिस्थापन अनुपात:** रिटायर होने के बाद मिलने वाली आय (जैसे EPFO, NPS आदि से) अक्सर पर्याप्त नहीं होती। कामकाजी उम्र में प्राप्त आय की तुलना में रिटायरमेंट आय (रिप्लेसमेंट रेट) बहुत कम है।
- **पेंशन प्रणालियों में विखंडन:** विभिन्न पेंशन योजनाएँ (पुराना पेंशन सिस्टम, EPFO, NPS) अलग-अलग नियम और लाभ प्रदान करती हैं, जिससे प्रणाली में भ्रम और कार्यक्षमता की कमी पैदा होती है।

निष्कर्ष:

वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025 में भारत का डी ग्रेड एक गंभीर चेतावनी है। आर्थिक विकास के बावजूद लाखों लोगों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा असुरक्षित बनी हुई है। वृद्ध जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए इन कमियों को सुधारने के लिए समय सीमित है। नीति निर्माताओं को अब सुधारात्मक कदम उठाने होंगे, जैसे सार्वभौमिक सहायता, बेहतर पेंशन कवरेज और मजबूत नियमन, जिससे पेंशन प्रणाली केवल वित्तीय रूप से टिकाऊ ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से न्यायसंगत भी बन सके।

2 राजव्यवस्था एवं शासन

डीपफेक विनियमन: एआई गवर्नेंस हेतु भारत की सक्रिय पहल

सन्दर्भ:

पिछले कुछ वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने ऑनलाइन जानकारी बनाने और साझा करने के तरीके को बदल दिया है। यह लिख सकता है, चित्रकारी कर सकता है, बोल सकता है और यहां तक कि मनुष्यों की नकल भी कर सकता है। लेकिन इसी तकनीकी ने डीपफेक के रूप में एक खतरनाक समस्या भी पैदा की है। ये ऐसे वीडियो, चित्र या ऑडियो क्लिप हैं जो पूरी तरह से वास्तविक दिखते हैं लेकिन ये नकली होते हैं, जिन्हें एआई का उपयोग करके बनाया गया है। वे आसानी से लोगों को गुमराह कर सकते हैं और गलत जानकारी फैला सकते हैं। इस बढ़ते दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा प्रस्तावित किया है। इन नियमों का उद्देश्य यूट्यूब और इन्स्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह अनिवार्य करना है कि एआई से बनाए गए कंटेंट को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाए।

नया प्रस्ताव:

- प्रस्तावित नियम डीपफेक्स के दुरुपयोग के खिलाफ भारत का पहला सशक्त कदम हैं। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
  - » **उपयोगकर्ता घोषणा:** प्रत्येक उपयोगकर्ता को यह घोषित करना होगा कि वह जो सामग्री अपलोड कर रहा है, वह "कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी" है या नहीं।
  - » **अनिवार्य लेबलिंग:** प्लेटफॉर्म्स को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी सामग्री पर स्पष्ट रूप से एक लेबल या स्थायी डिजिटल टैग हो।
- **लेबल की आवश्यकताएँ:**
  - » **वीडियो या चित्रों के लिए:** लेबल कम से कम सतह क्षेत्र के 10% हिस्से को कवर करना चाहिए।
  - » **ऑडियो के लिए:** लेबल प्रारंभिक 10% अवधि के दौरान सुनाई देना चाहिए।
- **प्लेटफॉर्म द्वारा सत्यापन:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके यह जांचना होगा कि उपयोगकर्ताओं की घोषणाएँ सही हैं या नहीं।
- **जवाबदेही:** यदि प्लेटफॉर्म सत्यापन या लेबलिंग करने में विफल रहते हैं, तो वे कानूनी संरक्षण खो सकते हैं और उपयोगकर्ताओं द्वारा अपलोड की गई एआई-जनित सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं।

डीपफेक्स क्या हैं?

- डीपफेक्स ऐसे मीडिया कंटेंट, वीडियो, फोटो या ऑडियो होते हैं जो देखने में वास्तविक लगते हैं लेकिन वास्तव में गहन शिक्षण (Deep Learning) तकनीक से बनाए या बदले जाते हैं।
  - » **कैसे काम करते हैं:** एआई मॉडल हजारों वास्तविक छवियों या रिकॉर्डिंग्स से सीखते हैं और फिर इस डेटा का उपयोग चेहरों को बदलने, आवाज़ों की नकल करने या क्रियाओं को परिवर्तित करने में करते हैं, जिससे बेहद वास्तविक दिखने वाले परिणाम मिलते हैं।
  - » **इनका उपयोग कहाँ होता है:**
    - ➢ **मनोरंजन में:** फिल्मों या दृश्य प्रभावों के निर्माण में।
    - ➢ **ई-कॉमर्स में:** वर्चुअल कपड़े ट्रायल या डिजिटल विज्ञापनों में।
    - ➢ **संचार में:** भाषण अनुवाद या वॉयसओवर जनरेशन में।

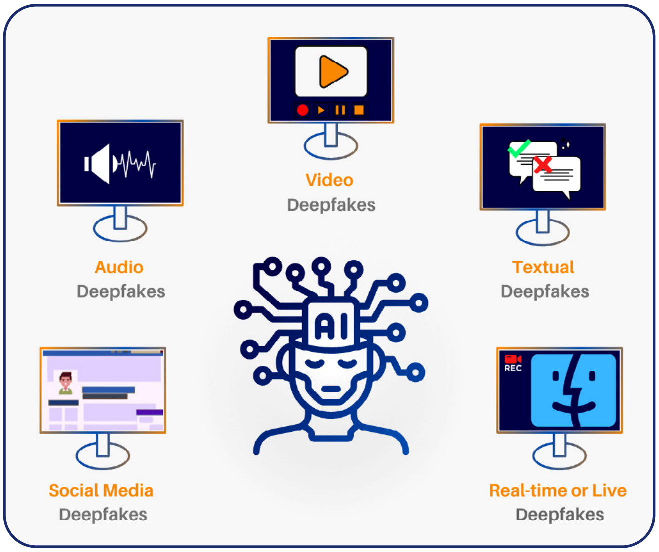

भारत को एआई नियमन की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- 2023 में डीपफेक्स के खतरे को तब गम्भीरता से महसूस किया गया जब अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक फर्जी वीडियो वायरल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चेतावनी दी कि डीपफेक्स समाज के लिए एक नई "संकट" की स्थिति पैदा कर रहे हैं।
- इसके बाद अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन जैसे कई कलाकारों ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों (Personality Rights) यानी नाम, छवि और आवाज़ की सुरक्षा के लिए कानूनी मामले दायर किए।
- हालांकि भारत में अभी तक ऐसे कानून नहीं हैं जो व्यक्तित्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से मान्यता दें। वर्तमान में सुरक्षा अप्रत्यक्ष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम जैसी धाराओं से मिलती है, जो एआई द्वारा की गई नकल या प्रतिरूपण को पूरी तरह संबोधित नहीं करतीं। इस कारण कानूनी सुरक्षा कमजोर और असंगत बनी हुई है।

अन्य देश क्या कर रहे हैं?

- **यूरोपीय संघ (EU):** एआई अधिनियम के तहत यह अनिवार्य है कि कोई भी सामग्री — छवि, वीडियो, ऑडियो या पाठ जो एआई से बनाई या बदली गई हो, उसे लेबल किया जाए। ये लेबल मशीन द्वारा पढ़े जा सकने योग्य होने चाहिए ताकि कोई भी यह पहचान सके कि सामग्री कृत्रिम है।
- **चीन:** सख्त एआई लेबलिंग नियम लागू किए गए हैं जिनमें सभी एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट प्रतीक या वॉटरमार्क दिखाना आवश्यक है। प्लेटफॉर्म्स को एआई सामग्री की निगरानी करनी होती है और डीपफेक्स मिलने पर उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देनी होती है।
- **डेनमार्क:** ऐसा नया कानून लाने की योजना है जिससे नागरिकों को अपने रूप-समानता (likeness) पर कॉपीराइट मिल सके, ताकि वे अपनी अनुमति के बिना बनाए गए किसी भी डीपफेक को हटाने की मांग कर सकें।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** 2024 तक, 23 अमेरिकी राज्यों ने डीपफेक्स पर कानून पारित किए हैं, जिनका ध्यान मुख्यतः फर्जी राजनीतिक सामग्री, गलत सूचना और गैर-सहमति वाले अश्लील वीडियो पर है।

भारत में वर्तमान कानूनी और संस्थागत ढांचा:

- हालांकि भारत में डीपफेक्स पर कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन कुछ मौजूदा कानून और संस्थान इस प्रकार की समस्याओं से निपटने में सहायता करते हैं:
  - » **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000:** यह अधिनियम भारत में डिजिटल संचार को नियंत्रित करता है। यह एआई से बनाई गई सामग्री पर भी लागू होता है और साइबर अपराधों के अभियोजन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है, हालांकि यह डीपफेक्स का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता।
  - » **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:** ये नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन प्रकाशकों को नियंत्रित करते हैं। इनसे कंपनियों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और हानिकारक या भ्रामक सामग्री को रिपोर्ट मिलने पर हटाने की आवश्यकता होती है।
  - » **सीईआरटी-इन (CERT-In):** यह संस्था साइबर खतरों की निगरानी करती है, परामर्श जारी करती है और साइबर स्वच्छता केंद्र संचालित करती है जो मैलवेयर और बॉटनेट्स की सफाई और विश्लेषण का केंद्र है।
  - » **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** यह एजेंसियों के साथ मिलकर साइबर अपराधों से निपटने का समन्वय करता है और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल व हेल्पलाइन नंबर 1930 संचालित करता है।
- ये संस्थाएँ एआई-संबंधित साइबर जोखिमों के खिलाफ भारत की बुनियादी रक्षा प्रणाली बनाती हैं, लेकिन इनका दृष्टिकोण अभी भी

बिखरा हुआ और प्रतिक्रियात्मक (reactive) है यानी नुकसान होने के बाद ही कार्रवाई की जाती है।

डीपफेक्स से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ:

- **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा:** फर्जी वीडियो हिंसा भड़का सकते हैं, झूठी जानकारी फैला सकते हैं या राजनयिक संबंधों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। हेरफेर किए गए राजनीतिक वीडियो या भाषण मतदाताओं को भ्रमित कर सकते हैं और लोकतंत्र की विश्वसनीयता को क्षति पहुँचा सकते हैं।
- **साइबर बुलिंग और प्रतिष्ठा हानि:** झूठी छवियाँ या क्लिप किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि या मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर सकती हैं। अध्ययन बताते हैं कि ऑनलाइन उपलब्ध 90–95% डीपफेक्स गैर-सहमति वाले यौन कंटेंट होते हैं, जो प्रायः महिलाओं को निशाना बनाते हैं।
- **नकली पहचान:** एआई टूल्स का उपयोग नकली पहचान पत्र या वास्तविक लोगों की नक़ल तैयार करने में किया जा सकता है।
- **जन-जागरूकता की कमी:** कई बार डीपफेक्स का खुलासा होने के बाद भी लोग उन पर विश्वास करते रहते हैं, जिससे गलत सूचना का प्रसार और बढ़ता है।
- **पता लगाने में लागत:** डीपफेक्स की पहचान के लिए भारी डेटा, उन्नत कंप्यूटिंग सिस्टम और विशेषज्ञ एल्गोरिद्म की आवश्यकता होती है, जो महंगे और जटिल हैं।

एआई कंटेंट की लेबलिंग के लिए उद्योग के प्रयास:

- कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों ने पहले से ही एआई-जनित सामग्री की पहचान और लेबलिंग के प्रयास शुरू कर दिए हैं:
    - » **मेटा (Instagram, Facebook):** एआई टूल्स से बनाए या संशोधित कंटेंट पर "AI Info" लेबल का उपयोग करती है।
    - » **यूट्यूब (YouTube):** "Altered or Synthetic Content" नामक लेबल का उपयोग करता है और बताता है कि वीडियो कैसे बनाया गया।
    - » **सहयोग प्रयास:** मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी और ओपनएआई जैसी कंपनियाँ Partnership on AI (PAI) के माध्यम से मिलकर एआई-जनित सामग्री की पहचान हेतु साझा मानक और इनविज़िबल वॉटरमार्क्स विकसित कर रही हैं।
- हालांकि ये उपाय अधिकतर प्रतिक्रियात्मक (reactive) हैं यानी लेबल प्रायः तभी जोड़े जाते हैं जब उपयोगकर्ता या प्राधिकरण संदिग्ध सामग्री की पहचान करते हैं। भारत के मसौदा नियम इस प्रक्रिया को सक्रिय (proactive) बनाना चाहते हैं, जिसमें प्रकाशन से पहले ही सत्यापन और लेबलिंग अनिवार्य होगी।

आगे की राह:

- **कानूनी ढांचे को मजबूत करना:** भारत को प्रतिक्रियात्मक से रोकथामात्मक (preventive) कार्रवाई की ओर बढ़ना चाहिए। एक नया कानून होना चाहिए जो डीपफेक्स और एआई दुरुपयोग से संबंधित अपराधों, जिम्मेदारियों और दंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करे।
- **संस्थागत क्षमता का निर्माण:** समर्पित एजेंसियों को प्रशिक्षित विशेषज्ञों और तकनीक से सुसज्जित किया जाना चाहिए ताकि वे वास्तविक समय में डीपफेक्स का पता लगाकर उन्हें हटा सकें।
- **उन्नत तकनीक का उपयोग:** ऐसे एआई टूल्स और एल्गोरिद्म अपनाए जाने चाहिए जो संदर्भ और मेटाडाटा के आधार पर डीपफेक्स की पहचान कर सकें। उदाहरण के लिए, MIT का Detect Fakes Project उपयोगकर्ताओं को यह सिखाता है कि वीडियो में सूक्ष्म दृश्य संकेतों को देखकर नकली सामग्री कैसे पहचानी जाए।
- **साइबर साक्षरता को बढ़ावा देना:** लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे ऑनलाइन दिखने वाली चीज़ों पर तुरंत विश्वास न करें। स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाकर इस डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जा सकता है।
- **सहयोग को सुदृढ़ करना:** सरकार, प्रौद्योगिकी कंपनियाँ, कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और नागरिक समाज को मिलकर सशक्त प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश और दंड प्रणाली तैयार करनी चाहिए ताकि दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

निष्कर्ष:

डीपफेक्स वर्तमान समय के सबसे गंभीर डिजिटल खतरों में से एक हैं। ये वास्तविक और अवास्तविक की सीमा को धुंधला कर देते हैं, जिससे विश्वास, गोपनीयता और सुरक्षा को क्षति पहुँचती है। एआई-जनित सामग्री पर अनिवार्य लेबल लगाने का भारत का प्रस्ताव ऑनलाइन पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करने की दिशा में एक स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन केवल नियमन पर्याप्त नहीं होगा। डीपफेक्स से निपटने के लिए मजबूत कानूनों, स्मार्ट तकनीक, जन-जागरूकता और नैतिक जिम्मेदारी का सम्मिलित प्रयास आवश्यक है। तभी भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में रचनात्मकता और सत्य दोनों की रक्षा कर सकेगा।

नैतिकता, स्वायत्तता और अभिभावकता: भारत में सरोगेसी विवाद पर न्यायिक दृष्टिकोण

सन्दर्भ:

हाल ही में 9 अक्टूबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत लागू आयु सीमाएँ उन दंपतियों पर लागू नहीं होंगी जिन्होंने कानून लागू होने से पहले भ्रूण (embryo) को फ्रीज़ किया था। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि वे दंपति जिन्होंने अधिनियम लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया आरंभ की थी, उन्हें केवल नए कानूनी प्रतिबंधों के कारण अभिभावक बनने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रजनन संबंधी विकल्पों का अधिकार, जिसमें सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्त करने का निर्णय शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता का एक अभिन्न हिस्सा है। यह निर्णय, कानून के व्यावसायिक शोषण को रोकने और व्यक्तियों के प्रजनन संबंधी निर्णयों के संवैधानिक अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करता है।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 को समझना:

- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के साथ लागू यह अधिनियम भारत में नैतिक सरोगेसी के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है।
- इन कानूनों का प्रमुख उद्देश्य सरोगेसी प्रक्रियाओं को विनियमित करना, शोषण को रोकना और व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाना है, जो पहले महिलाओं के प्रजनन श्रम के वस्तुकरण के आरोपों के बीच एक बहु-मिलियन डॉलर का उद्योग बन गया था।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ:

- **अनुमोदित सरोगेसी का प्रकार:**
  - » केवल परोपकारी (altruistic) सरोगेसी की अनुमति है, जिसमें सरोगेट माँ को चिकित्सकीय खर्च और बीमा कवरेज के अलावा कोई वित्तीय मुआवज़ा नहीं दिया जाता।
  - » व्यावसायिक सरोगेसी, जिसमें भुगतान या लाभ शामिल हो, सख्त रूप से प्रतिबंधित और दंडनीय है।
- **दंपति के लिए पात्रता मानदंड:**
  - » केवल भारतीय विवाहित दंपति सरोगेसी का लाभ उठा सकते हैं।
  - » पत्नी की आयु 23–50 वर्ष और पति की आयु 26–55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  - » दंपति के पास कोई जीवित जैविक या दत्तक संतान नहीं होनी चाहिए।
  - » प्रक्रिया शुरू करने से पहले अनिवार्यता प्रमाणपत्र और पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

- **सरोगेट माँ के लिए पात्रता:**
  - » विवाहित महिला होनी चाहिए, जिसकी आयु 25–35 वर्ष के बीच हो और जिसकी कम से कम एक संतान हो।

   » केवल एक बार सरोगेट के रूप में कार्य कर सकती है और अपने स्वयं के गैमेट्स का उपयोग नहीं कर सकती।
- **अभिभावक अधिकार:**
   » सरोगेसी से जन्मा बच्चा कानूनी और जैविक रूप से इच्छुक दंपति का बच्चा माना जाएगा और उसे प्राकृतिक संतान के सभी अधिकार प्राप्त होंगे।
- **नियामक तंत्र:**
   » राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड (NSB एवं SSB) की स्थापना क्लीनिकों की निगरानी और नैतिक मानकों के प्रवर्तन के लिए की गई है।
   » केवल पंजीकृत सरोगेसी क्लीनिकों को प्रक्रियाएँ करने की अनुमति है।
   » व्यावसायिक सरोगेसी, शोषण या भ्रूण की बिक्री पर 10 वर्ष तक की सजा और ₹10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सरोगेसी के प्रकार और प्रमुख अवधारणाएँ:

- **पारंपरिक सरोगेसी:** सरोगेट अपने अंडाणु (egg) का उपयोग करती है, जिसे इच्छुक पिता के शुक्राणु से निषेचित किया जाता है, जिससे वह जैविक माँ बन जाती है। यह विधि भारत में कानूनी रूप से अनुमत नहीं है।
- **गेस्टेशनल सरोगेसी:** सरोगेट एक ऐसे भ्रूण को धारण करती है जो IVF के माध्यम से इच्छुक दंपति या दाताओं के गैमेट्स से निर्मित होता है। बच्चे का सरोगेट से कोई आनुवंशिक संबंध नहीं होता, और भारत में यही विधि अनुमत है।
- **परोपकारी बनाम व्यावसायिक सरोगेसी:**
   » परोपकारी सरोगेसी करुणा या पारिवारिक संबंधों पर आधारित होती है और इसमें कोई आर्थिक लाभ नहीं होता।
   » व्यावसायिक सरोगेसी, जो पहले भारत में आम थी, में सरोगेट को भुगतान शामिल था और अब इसे नैतिक व मानवाधिकार कारणों से अवैध घोषित किया गया है।

यह कानून क्यों लाया गया?

- भारत कभी "दुनिया की सरोगेसी राजधानी" कहा जाता था, क्योंकि यहाँ लागत कम थी और नियम शिथिल थे। परंतु शोषण, असुरक्षित चिकित्सकीय प्रथाओं और कानूनी अनिश्चितताओं की रिपोर्टों ने सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया।
- 2021 का अधिनियम इसलिए लाया गया ताकि:
   » महिलाओं को शोषण और तस्करी से बचाया जा सके।
   » चिकित्सकीय और कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
   » प्रसव के वस्तुकरण को रोका जा सके।
   » इस प्रथा को वास्तविक रूप से बांझ दंपतियों तक सीमित रखा जा सके।

TRADITIONAL SURROGACY	GESTATIONAL SURROGACY
The father's sperm is used to fertilize the surrogate's egg.	The intended father's sperm and the intended mother's eggs are combined, creating an embryo, which is then implanted into a surrogate.
Typically costs less than gestational surrogacy.	Typically costs more than traditional surrogacy, which may require careful financial planning.
May pose more legal issues since the baby is genetically related to the surrogate, which is why it's important to have a legally-binding surrogacy agreement.	The baby is genetically related to both parents, making this method a more safe and risk-free option.
The surrogate undergoes IUI, Intrauterine Insemination, where the sperm cells are placed in the surrogate's uterus.	IVF, In-Vitro Fertilization is used, where the egg is harvested from the intended mother or donor and fertilized with the father's sperm outside of the womb.
Offers a viable alternative to adoption, but comes with some risks.	Has a high rate of success and is used to help many individuals create the family of their dreams.

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें:

- **याचिकाकर्ताओं की दलीलें:**
   » दंपतियों ने तर्क दिया कि चूंकि उन्होंने कानून लागू होने से पहले भ्रूण फ्रीज़ किया था, इसलिए उन्हें सरोगेसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का अधिकार था।
   » आयु सीमाएँ पिछली तिथि से लागू करना अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन है।
   » उनका कहना था कि प्रजनन स्वायत्तता—यह तय करने का अधिकार कि कब और कैसे संतान हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक पहलू है।
   » उन्होंने अविवाहित महिलाओं के बहिष्कार को भी मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया।
- **सरकार की दलीलें:**
   » केंद्र ने कहा कि आयु सीमाएँ चिकित्सकीय रूप से उचित हैं और विशेषज्ञ सिफारिशों पर आधारित हैं।
   » उसने तर्क दिया कि सरोगेसी कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक वैधानिक विशेषाधिकार है, जो विनियमन के

अधीन है।

» संक्रमणकालीन प्रावधान (धारा 53) केवल उन सरोगेट माताओं की रक्षा के लिए था जो पहले से प्रक्रिया में थीं, न कि भ्रूण रखने वाले दंपतियों के लिए।

» सरकार ने उन्नत आयु में गर्भधारण से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों और बच्चे के कल्याण का भी हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन:

- न्यायालय ने सरकार की संकीर्ण व्याख्या से असहमति जताई और कहा कि जब तक स्पष्ट रूप से न कहा जाए, कोई नया कानून पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि नया कानून भविष्य की क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता है, परंतु पूर्व की स्थितियों को अमान्य नहीं कर सकता।
- जिन दंपतियों ने अधिनियम लागू होने से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू की थी, उन्हें केवल नई आयु सीमाओं के कारण अभिभावक बनने से वंचित नहीं किया जा सकता।
- पीठ ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य व्यावसायिक सरोगेसी को रोकना है, वास्तविक अभिभावकता को बाधित करना नहीं। न्यायालय ने यह भी पूछा कि जब स्वाभाविक रूप से देर आयु में गर्भधारण की अनुमति है, तो ऐसे ही जोखिम लेने के इच्छुक दंपतियों को सरोगेसी क्यों रोकी जानी चाहिए।
- न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि धारा 53 के संक्रमणकालीन प्रावधान को इस प्रकार नहीं पढ़ा जा सकता जिससे पहले से प्राप्त अधिकार समाप्त हो जाएँ।
- वे दंपति जिन्होंने कानून लागू होने से पहले भ्रूण निर्मित किए थे, उनके अधिकार वैध और नए प्रतिबंधों से अप्रभावित रहेंगे।

निर्णय का महत्व:

- **प्रजनन स्वायत्तता को सुदृढ़ करना:** यह निर्णय पुष्टि करता है कि सरोगेसी सहित प्रजनन संबंधी विकल्प व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार का एक आवश्यक हिस्सा है।
- **न्यायसंगत संक्रमण सुनिश्चित करना:** न्यायालय की व्याख्या "ग्रैंडफादर क्लॉज़" सिद्धांत को प्रस्तुत करती है, जो उन दंपतियों की रक्षा करती है जो नए नियम लागू होने से पहले प्रक्रिया में थे।
- **विधायी निष्पक्षता पर मिसाल स्थापित करना:** यह निर्णय इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है कि कानून, जब तक स्पष्ट रूप से न कहा जाए, पूर्वव्यापी रूप से अधिकारों को नहीं छीन सकता।
- **विनियमन और करुणा में संतुलन:** न्यायालय ने शोषणकारी व्यावसायिक सरोगेसी और वास्तविक अभिभावकता में अंतर कर मानव पक्ष को प्राथमिकता दी है।

चुनौतियाँ और नैतिक चिंताएँ:

- प्रगतिशील निर्णय के बावजूद भारत में सरोगेसी तंत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है:
  » **अविवाहित और LGBTQ+ व्यक्तियों का शामिल न करना:** वर्तमान कानून केवल विवाहित विषमलैंगिक दंपतियों को सरोगेसी की अनुमति देता है, जिससे एकल अभिभावक और समान-लिंगी दंपति वंचित रह जाते हैं।

  » **अभिभावक अधिकार और नागरिकता में अस्पष्टता:** दाताओं के गैमेट्स से जन्मे बच्चों को अक्सर अभिभावकता और नागरिकता के कानूनी विवादों का सामना करना पड़ता है।

  » **सरोगेट माताओं के स्वास्थ्य और भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता:** परोपकारी व्यवस्थाओं में भी सरोगेट्स को चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है।

  » **जागरूकता और नियमन की आवश्यकता:** सहायक प्रजनन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने और सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और सार्वजनिक शिक्षा आवश्यक हैं।

निष्कर्ष:

अक्टूबर 2025 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत की प्रजनन अधिकार न्यायशास्त्र में एक मील का पत्थर है। यह पुनः पुष्टि करता है कि राज्य को चिकित्सकीय प्रथाओं को विनियमित करने का अधिकार तो है, परंतु वह व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा को नकार नहीं सकता। 2021 के कानून से पहले सरोगेसी प्रक्रिया शुरू करने वाले दंपतियों को संरक्षण देकर न्यायालय ने नैतिक शासन और मानवीय संवेदना के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन स्थापित किया है। यह निर्णय न केवल अनेक अभिभावक बनने की आशा रखने वाले दंपतियों को राहत देता है, बल्कि न्यायपूर्ण विधायी व्याख्या के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है—ऐसा उदाहरण जो कानून की शब्दावली के साथ-साथ न्याय की भावना को भी महत्व देता है।

व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights)

सन्दर्भ:

हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दो अंतरिम आदेश जारी किए, जिनमें लोकप्रिय गायिका आशा भोसले और अभिनेता सुनील शेट्टी को उनके चित्र, आवाज़, समानता (likeness) और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान की गई है (विशेष रूप से एआई जनित सामग्री, डीपफेक्स और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर)। इन आदेशों के तहत वेब पोर्टल्स, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ और अन्य संस्थाओं को बिना सहमति के इन हस्तियों की पहचान के किसी भी रूप का दुरुपयोग या शोषण करने से रोका गया है।

पृष्ठभूमि:

- 91 वर्षीय प्रसिद्ध पार्श्वगायिका आशा भोसले ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। उनका आरोप था कि कई प्लेटफ़ॉर्म्स ने उनकी आवाज़ की एआई क्लोनिंग की, उनके गायन की शैली की नकल की, उनके चित्रों का इस्तेमाल किया, उनके समानता वाले उत्पाद (merchandise) बेचे और बिना अनुमति उनके नाम से प्रतिरूपण (impersonation) किया।
- **सुनील शेट्टी का मामला:** सुनील शेट्टी ने भी अदालत से हस्तक्षेप की मांग की। उनका आरोप था कि उनकी डीपफेक छवियाँ, प्रतिरूपण, तस्वीरों और नाम का व्यावसायिक प्रचार में उपयोग और रियल एस्टेट, जुआ तथा ज्योतिष संबंधी वेबसाइटों पर उनके नाम से झूठे विज्ञापन चलाए जा रहे हैं।

अदालत का अवलोकन:

- **प्राथमिक दृष्टया उल्लंघन:** किसी व्यक्ति की आवाज़ की एआई-आधारित क्लोनिंग या चित्र/व्यक्तित्व (जैसे आशा भोसले की आवाज़ या सुनील शेट्टी की छवि) का बिना अनुमति उपयोग प्राथमिक दृष्टया व्यक्तित्व एवं प्रचार अधिकारों का उल्लंघन माना गया।
- **अपूरणीय क्षति:** अदालत ने कहा कि इस तरह का दुरुपयोग किसी सेलिब्रिटी की प्रतिष्ठा, सद्भावना और गरिमा को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकता है। अतः ऐसे मामलों में त्वरित राहत (यहां तक कि एकतरफा आदेश के रूप में) उचित है।
- **निषेधाज्ञा का दायरा:** प्रतिवादियों को सेलिब्रिटी की पहचान के किसी भी तत्व (जैसे आवाज़, हावभाव, व्यक्तित्व आदि) को व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए बिना सहमति उपयोग करने से रोका गया।
- **प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही:** सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स, वेबसाइटों और इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया गया कि वे उल्लंघनकारी सामग्री हटाएँ, एक्सेस अवरुद्ध करें और अपराधियों की पहचान में मदद के लिए लॉग/डेटा साझा करें।
- **नैतिक अधिकारों की मान्यता:** अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि यह मामला कॉपीराइट अधिनियम की धारा 38B के तहत कलाकारों के नैतिक अधिकारों से भी जुड़ा है, जिससे परंपरागत बौद्धिक संपदा अधिकारों के अतिरिक्त सुरक्षा का दायरा बढ़ता है।

व्यक्तित्व अधिकार के बारे में:

- व्यक्तित्व अधिकार (Personality Rights) किसी व्यक्ति को उसकी पहचान जैसे नाम, छवि, आवाज़, समानता या विशिष्ट गुणों के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षा प्रदान करते हैं, विशेष रूप से जब यह उपयोग व्यावसायिक या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से किया जाता है। ये अधिकार मुख्य रूप से सार्वजनिक व्यक्तियों और सेलिब्रिटीज़ के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन केवल उन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
- भारत में व्यक्तित्व अधिकारों के लिए कोई स्वतंत्र कानून नहीं है, परंतु इनकी सुरक्षा निम्नलिखित प्रावधानों से प्राप्त होती है:

» **अनुच्छेद 21:** निजता का अधिकार (Right to Privacy)
» **अनुच्छेद 19(1)(a):** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
» **न्यायिक उदाहरण:** जैसे अमिताभ बच्चन और रजनीकांत से संबंधित मामले
» बौद्धिक संपदा कानून, जिनमें शामिल हैं:
  ➢ ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999 (धारा 14)
  ➢ कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (धारा 38 – कलाकारों के अधिकार)
  ➢ 'पासिंग ऑफ' का दायित्व (Tort of Passing Off): झूठे प्रचार और फर्जी समर्थन को रोकने के लिए

- भारतीय न्यायालयों ने इन अधिकारों की सक्रिय रूप से रक्षा की है और एआई जनित सामग्री तथा डीपफेक्स के अनधिकृत उपयोग को रोकने हेतु कई निषेधाज्ञाएँ (injunctions) जारी की हैं।

निष्कर्ष:

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा लोकप्रिय गायिका आशा भोसले और सुनील शेट्टी के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा का निर्णय डिजिटल युग में सेलिब्रिटीज़ के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अदालत ने एआई-आधारित सामग्री के अनधिकृत उपयोग को व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए एक महत्वपूर्ण उदाहरण स्थापित की है, जो आने वाले समय में ऐसे मामलों के लिए मार्गदर्शक बनेगी।

जिला न्यायाधीश की नियुक्ति

संदर्भ:

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत ज़िला न्यायाधीश और अतिरिक्त ज़िला न्यायाधीश की सीधी भर्ती के पात्र उम्मीदवारों की परिभाषा में बदलाव किया है।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- **सेवा में कार्यरत अधिकारियों के लिए पात्रता का विस्तार:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई न्यायिक अधिकारी, न्यायिक सेवा में शामिल होने से पहले कुछ वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर चुका है, तो वह भी सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत आवेदन कर सकता है, बशर्ते कुल अवधि (अधिवक्ता के रूप में अनुभव + न्यायिक सेवा का अनुभव) मिलाकर कम से कम 7 वर्ष हो।
- **पात्रता की गणना:** न्यायालय ने कहा कि पात्रता का निर्धारण किसी पूर्व निर्धारित तिथि से नहीं, बल्कि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के आधार पर किया जाएगा।
- **न्यूनतम आयु सीमा निर्धारण:** समान अवसर और परिपक्व दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया कि बार से हों या सेवा से, सभी उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य होगी।
- **पुराने न्यायिक निर्णयों को अप्रभावी घोषित:** सत्या नारायण सिंह और धीरज मोर मामलों में दी गई व्याख्याओं को सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक भावनाओं के विपरीत मानते हुए भविष्य के लिए निरस्त कर दिया।
- **भविष्य की भर्तियों पर लागू:** यह नियम केवल आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं पर लागू होगा। पूर्व में की गई नियुक्तियों या वर्तमान में चल रही चयन प्रक्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
- **राज्यों को नियम संशोधन का निर्देश:** सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने हाई कोर्ट के साथ विचार-विमर्श करके, न्यायिक सेवा नियमावली को अधिकतम तीन माह के भीतर संशोधित करने का आदेश दिया गया है, ताकि नियम नए निर्देशों के अनुरूप हो सकें।
- **"कैच देम यंग" सिद्धांत को प्राथमिकता:** न्यायालय ने कहा कि यदि योग्य और प्रतिभाशाली अधिकारियों को करियर के शुरुआती चरण में आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा, तो व्यवस्था में औसतपन (Mediocrity) हावी हो जाएगा। इसलिए प्रतिभा को समय रहते पहचानकर उसे ऊंचे पदों तक पहुंचाना न्यायपालिका की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है।

निर्णय के प्रभाव:

- **स्थिरता की स्थिति बदलेगी:** लंबे समय से कई न्यायिक अधिकारियों को लगता था कि उनके करियर की प्रगति सीमित हो गई है। इस निर्णय से उनमें नई प्रेरणा, प्रतियोगी भावना और उन्नति की उम्मीद बढ़ेगी।
- **योग्यता आधारित चयन को बढ़ावा:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चयन का आधार बार (Bar या Service) नहीं, बल्कि प्रतिभा और क्षमता होनी चाहिए। इससे मेधावी व्यवस्था को बल मिलेगा।
- **कुशल उम्मीदवारों का व्यापक समूह तैयार होगा:** पात्रता के रास्तों को एकरूप करने से अधिक संख्या में सक्षम और प्रशिक्षित उम्मीदवार सामने आएंगे, जिससे जिला न्यायपालिका की कार्यक्षमता और गुणवत्ता में सुधार होगा।

- **संवैधानिक व्याख्या में संतुलन और सामंजस्य:** न्यायालय ने अनुच्छेद 233 की लचीली, उद्देश्यपूर्ण और व्यवहारिक व्याख्या अपनाई, ताकि संविधान के किसी भी प्रावधान का महत्व कम या निष्प्रभावी न हो।

जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 राज्यों में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन और पदोन्नति से संबंधित है। राज्यपाल इन नियुक्तियों को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह से करते हैं।
- **मुख्य संवैधानिक प्रावधान:**
  - **अनुच्छेद 233(1):** राज्यपाल को जिला न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार देता है।
  - **अनुच्छेद 233(2):** सीधी भर्ती के लिए पात्रता तय करता है:
    - कम से कम 7 वर्ष की अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में प्रैक्टिस
    - सरकारी सेवा में न हो (पहले की व्याख्या के अनुसार)
    - उच्च न्यायालय की अनुशंसा आवश्यक
- सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने अनुच्छेद 233(2) की व्याख्या को विस्तारित करते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में न्यायिक सेवा (Judicial Service) में कार्यरत है, लेकिन उससे पहले उसने कम से कम 7 वर्ष तक वकालत की है, तो उसे भी सीधी भर्ती के लिए पात्र माना जाएगा।

निष्कर्ष:

"कैच देम यंग" के सिद्धांत को अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक करियर की दिशा को नया मॉडल दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिभा और योग्यता को केवल तकनीकी वर्गीकरणों के कारण रोका नहीं जाना चाहिए। यह फैसला न केवल सेवारत न्यायिक अधिकारियों को सशक्त करता है, बल्कि यह भी संदेश देता है कि संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या समय के अनुसार बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए, ताकि न्याय और सुशासन की मूल भावना बनी रहे।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3)

सन्दर्भ:

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट न केवल अभियुक्तों (accused) बल्कि गवाहों (witnesses) को भी आवाज़ के नमूने (voice samples) देने का निर्देश दे सकते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसा निर्देश देना स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के संरक्षण (Protection against Self-Incrimination) का उल्लंघन नहीं करता, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) में सुनिश्चित किया गया है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है?

- अनुच्छेद 20(3) प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से संरक्षण (Protection against Self-Incrimination) का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को, जो किसी अपराध का अभियुक्त है, उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- यह सिद्धांत प्रसिद्ध विधिक उक्ति पर आधारित है- "nemo tenetur prodre accusare seipsum", जिसका अर्थ है- "कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं है।"
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्वीकारोक्ति या सबूत जबरदस्ती, धमकी या दबाव के माध्यम से न लिए जाएँ।
- यह संरक्षण केवल उन व्यक्तियों को प्राप्त है जो औपचारिक रूप से अभियुक्त (accused) घोषित किए गए हैं।
- यह अधिकार पूर्ण (absolute) नहीं है क्योंकि यह भौतिक साक्ष्यों (material evidence) जैसे- फिंगरप्रिंट, डीएनए या हस्तलिपि के अनिवार्य रूप से दिए जाने पर लागू नहीं होता।

सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख अवलोकन:

- अदालत ने यह माना कि आवाज़ के नमूने (voice samples) को भौतिक साक्ष्य (material evidence) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए- यह फिंगरप्रिंट, हस्तलिपि या डीएनए की तरह है, न कि साक्ष्य प्रमाण (testimonial evidence) की तरह। यह भेद

(distinction) अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे यह तय होता है कि अनुच्छेद 20(3) लागू होगा या नहीं।

- न्यायालय ने कहा कि आवाज़ के नमूने देने का निर्देश गवाहों (witnesses) को भी दिया जा सकता है, केवल अभियुक्तों को ही नहीं।
- यह निष्कर्ष 'व्यक्ति' (person) शब्द की व्यापक व्याख्या पर आधारित है अर्थात जांच (investigation) के संदर्भ में "व्यक्ति" शब्द में अभियुक्त और गवाह, दोनों शामिल हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आवाज़ का नमूना देना वाचिक बाध्यता (testimonial compulsion) नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्ति कोई आरोप स्वीकार नहीं करता;
- संभावित रूप से अभियोगात्मक तत्व (incriminating element) तभी उत्पन्न होता है जब नमूने की तुलना अन्य साक्ष्यों से की जाती है, न कि नमूना देने की क्रिया से।

निहितार्थ (Implications):

- यह निर्णय जांच एजेंसियों को व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जिससे मजिस्ट्रेट अब अभियुक्तों और गवाहों दोनों को आवाज़ के नमूने देने के लिए बाध्य कर सकते हैं।
- न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे नमूने भौतिक साक्ष्य (material evidence) हैं, गवाही (testimonial) नहीं, इसलिए ये अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं करते।
- यह स्थिति अब भारतीय न्याय संहिता (BNSS), 2023 की धारा 349 द्वारा कानूनी रूप से भी सुदृढ़ की गई है।
- इसके साथ ही यह निर्णय फिंगरप्रिंट, हस्तलिपि और डीएनए जैसे गैर-वाचिक (non-testimonial) साक्ष्यों के उपयोग की नींव को और मजबूत करता है।

सीमाएँ (Limitations):

- यदि पुलिस बिना ठोस औचित्य के आवाज़ के नमूने मांगती है, तो दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।
- यदि न्यायिक निगरानी और गोपनीयता (Article 21) के उचित प्रावधान न हों, तो निजता के अधिकार का उल्लंघन संभव है।
- यदि नमूना देने में व्यक्ति को अर्थपूर्ण या आरोपजनक वाक्य बोलने को कहा जाए (सिर्फ तटस्थ शब्द नहीं), तो वह गवाही (testimonial) बन सकता है और अनुच्छेद 20(3) लागू होगा।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था (Criminal Jurisprudence) में एक महत्वपूर्ण विकास है। इसने प्रभावी जांच की आवश्यकता और संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित किया है। मजिस्ट्रेटों को अभियुक्तों के साथ-साथ गवाहों से भी आवाज़ के नमूने लेने का अधिकार देकर, न्यायालय ने जांच प्रक्रिया को अधिक सक्षम बनाया है, साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इस निर्णय का भारतीय न्याय प्रशासन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा।

"आदर्श युवा ग्राम सभा" पहल

संदर्भ:

केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2025 से देशभर के स्कूलों में आदर्श युवा ग्राम सभा (MYGS) पहल शुरू की गई, ताकि युवाओं में लोकतांत्रिक कौशल और नागरिक चेतना को बढ़ावा दिया जा सके।

आदर्श युवाग्राम सभा के बारे में:

- आदर्श युवा ग्राम सभा एक राष्ट्रीय स्तर की शैक्षिक पहल है, जिसे पंचायती राज मंत्रालय ने शिक्षा और आदिवासी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूल के छात्रों में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाना है।
- यह पहल मॉडल यूनाइटेड नेशंस (Model UN) की सफलता से प्रेरित है और इसे स्कूलों में ग्राम सभा की तरह आयोजित किया जा रहा। ग्राम सभा भारत की पंचायती राज व्यवस्था का मूल आधार है।
- इस पहल के माध्यम से, कक्षा 9 से 12 तक के छात्र ग्राम स्तर के नेताओं और अधिकारियों जैसे सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नर्स और इंजीनियर आदि की भूमिका निभाएंगे।

उद्देश्य:

- छात्रों को पंचायती राज व्यवस्था का व्यावहारिक अनुभव देना।
- जिम्मेदार और भागीदारी वाले नागरिकों की नई पीढ़ी का निर्माण करना।
- छात्रों में नेतृत्व, संवाद और समस्या समाधान कौशल को मजबूत करना।
- युवाओं को स्थानीय विकास और योजना में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना।

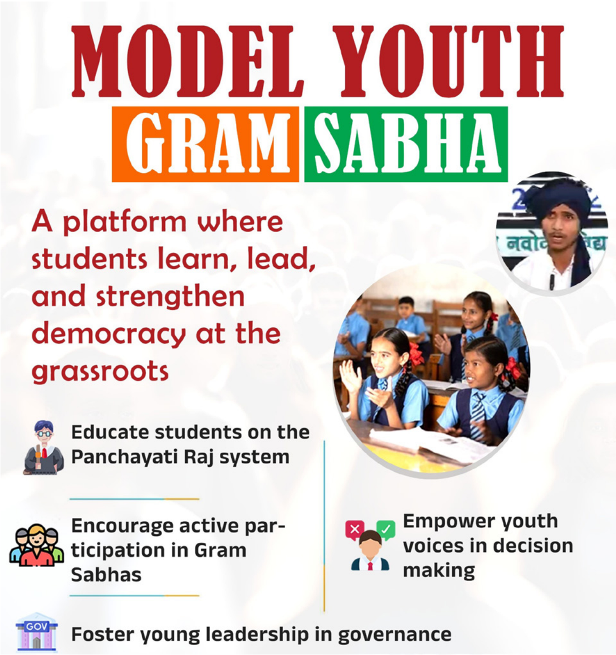

कार्यप्रणाली:

- छात्र द्वारा स्कूल में मॉक ग्राम सभा का आयोजन।
- गाँव की समस्याओं पर चर्चा करना, बजट बनाना और विकास योजनाएं तैयार करना।
- प्रस्तावों को बहस, सर्वसम्मति या मतदान के माध्यम से पारित करना, जैसे वास्तविक ग्राम सभा में होता है।

ग्राम सभा के संवैधानिक प्रावधान:

- 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत भारतीय संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243–243O) जोड़ा गया। इसके तहत ग्राम सभा को स्थायी गांव स्तर का मतदान निकाय बनाया गया और पंचायतों के निर्माण का प्रावधान किया गया।
- यह ग्राम सभा की संरचना, अधिकार और कार्यकाल (5 वर्ष) को परिभाषित करता है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं और इच्छानुसार पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करता है।
- राज्य सरकारें पंचायतों को स्वशासन का अधिकार (अनुच्छेद 243G) और धन जुटाने का अधिकार (अनुच्छेद 243H) दे सकती हैं।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा राज्य वित्त आयोग (अनुच्छेद 243I) करता है।
- ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 29 विषयों की सूची दी गई है।

निष्कर्ष:

जहाँ छात्र अपने पाठ्यपुस्तकों में पंचायती राज का अध्ययन करते हैं, “आदर्श युवा ग्राम सभा” उन्हें लोकतंत्र का जमीनी स्तर पर वास्तविक अनुभव प्रदान करती है। यह पहल पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशी शासन के महत्व को समझने वाली नई पीढ़ी तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ

सन्दर्भ:

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो प्रमुख कृषि योजनाएँ — प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PMDDKY) और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Mission for Aatmanirbharta in Pulses) का शुभारंभ किया। इन दोनों योजनाओं का कुल वित्तीय प्रावधान ₹35,440 करोड़ है। इन योजनाओं का औपचारिक उद्घाटन नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में आयोजित एक विशेष कृषि कार्यक्रम में किया गया।

प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में:

- प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (PMDDKY) एक केंद्र अनुमोदित, लक्षित कृषि कार्यक्रम है जो छह वर्षों (2025-26 से शुरू होकर) तक चलेगा और देश के 100 जिलों को शामिल करेगा।
- इसका उद्देश्य पिछड़े कृषि क्षेत्रों का आधुनिकीकरण करना है, जिसमें कई योजनाओं का एकीकरण, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, उत्पादकता में वृद्धि, और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना शामिल है।
- **मुख्य विशेषताएँ एवं घटक:**

घटक	विवरण / लक्षित हस्तक्षेप
वित्तीय प्रावधान एवं अवधि	योजना छह वर्षों तक चलेगी, जिसकी वार्षिक राशि ₹24,000 करोड़ होगी।
मौजूदा योजनाओं का एकीकरण	इस योजना के तहत 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं को राज्यों और स्थानीय प्रयासों के साथ जोड़ा जाएगा ताकि बेहतर समन्वय हो सके।

फसल विविधीकरण एवं स्थिरता	मोनो-क्रॉपिंग (एक ही फसल पर निर्भरता) से दूर जाने, स्थायी कृषि पद्धतियाँ अपनाने, मिश्रित खेती, संतुलित उर्वरक उपयोग और लचीली फसल प्रणालियाँ विकसित करने को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
ऋण तक पहुँच	कम प्रदर्शन करने वाले जिलों के किसानों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के ऋण की सहज उपलब्धता कराई जाएगी।
जिला योजना एवं प्रशासन	प्रत्येक जिले में "जिला धन-धान्य समिति" का गठन किया जाएगा, जिसमें प्रगतिशील किसान, स्थानीय अधिकारी आदि शामिल होंगे। यह समिति "जिला कृषि एवं संबद्ध गतिविधि योजना" तैयार करेगी।
लाभार्थी	अनुमान है कि यह योजना 100 जिलों में लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभान्वित करेगी।

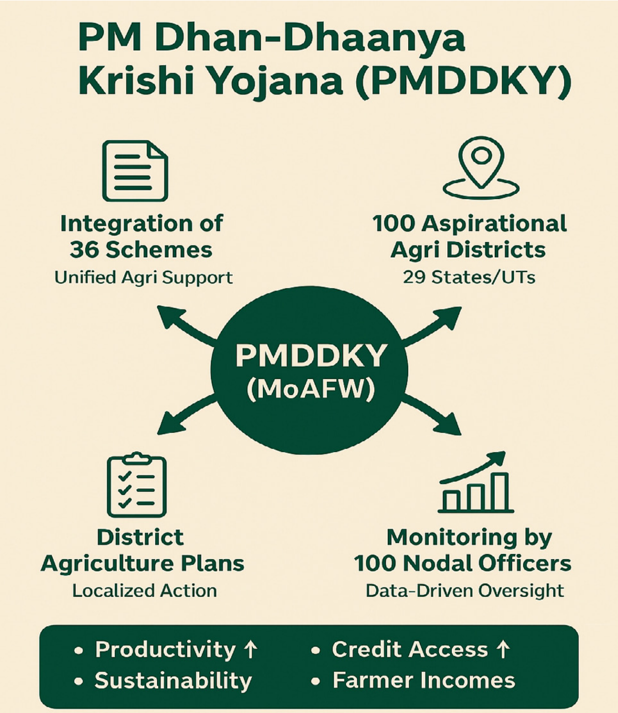

मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस के बारे में:

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने "मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस" को 2025–26 से 2030–31 की अवधि के लिए स्वीकृति दी है, जिसकी कुल राशि ₹11,440 करोड़ है। इस मिशन का उद्देश्य दालों में आत्मनिर्भरता (Aatmanirbharta) हासिल करना है — जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला को सशक्त करना, और आयात पर निर्भरता को कम करना शामिल है।
- **उद्देश्य एवं लक्ष्य:**

सूचकांक	लक्ष्य (2030–31 तक)
दाल उत्पादन	350 लाख टन (35 मिलियन टन)
दालों का क्षेत्रफल	310 लाख हेक्टेयर (31 मिलियन हेक्टेयर)
अतिरिक्त क्षेत्र विस्तार	35 लाख हेक्टेयर, विशेषकर धान की परती भूमि (rice fallows) और अन्य विविध भूमि में
क्रय	चार वर्षों तक तूर, उड़द और मसूर की 100% खरीद मूल्य समर्थन योजना (PSS) / प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) के तहत NAFED और NCCF जैसी एजेंसियों के माध्यम से की जाएगी।

- इसके अतिरिक्त, यह मिशन लगभग 2 करोड़ किसानों को बेहतर बीज उपलब्धता, फसल कटाई के बाद की सुविधाओं, सुनिश्चित खरीद और अन्य सहायताओं के माध्यम से लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखता है।

निष्कर्ष:

ये दोनों योजनाएँ हाल के समय में भारतीय कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े हस्तक्षेपों में से हैं। पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करके और दालों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, पोषण सुरक्षा को मजबूत करना और किसानों को वैश्विक वस्तु बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाना है। यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो इनका प्रभाव परिवर्तनकारी हो सकता है — किसानों की आय में वृद्धि, आयात बोझ में कमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, और भारत की कृषि के भविष्य के लिए एक नए दृष्टिकोण की स्थापना।

भारतीय न्यायालयों में लंबित निष्पादन याचिकाओं की चिंताजनक स्थिति

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर के जिला न्यायालयों में निष्पादन याचिकाओं (Execution Petitions) की बढ़ती और चिंताजनक संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

निष्पादन याचिका के बारे में:

- निष्पादन याचिका वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अदालत

के दिए गए निर्णय या आदेश को व्यावहारिक रूप से लागू कराया जाता है। यह किसी मुकदमे की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है।

- अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति अदालत से केस जीत तो जाता है, लेकिन फैसले के बाद भी उसे अपना अधिकार, संपत्ति या राशि वास्तविक रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसे में उसे अदालत में निष्पादन याचिका दाखिल करनी पड़ती है, ताकि अदालत स्वयं उस फैसले को लागू कराने की प्रक्रिया शुरू कर सके।

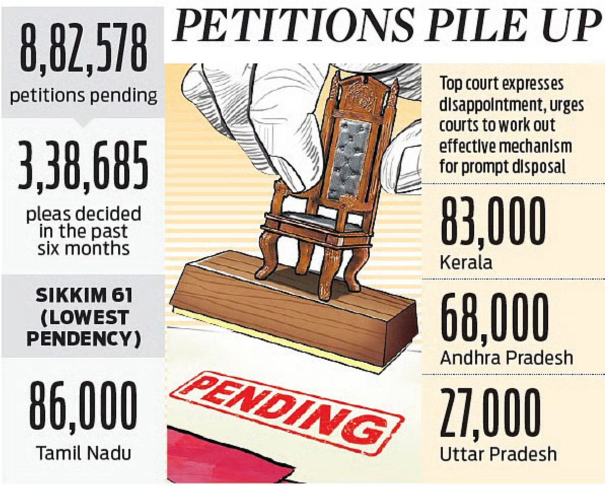

मुख्य तथ्य:

- **8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाएँ लंबित:** सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई समीक्षा में सामने आया कि देशभर के जिला न्यायालयों में 8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाएँ लंबित हैं।
- **निपटान में देरी:** एक निष्पादन याचिका का निपटारा करने में औसतन 3.97 वर्ष का समय लग रहा है, जिससे पहले से ही लंबे चल रहे दीवानी मुकदमों की अवधि और बढ़ जाती है।
- **देरी के कारण:** देरी के प्रमुख कारण "वकीलों की अनुपलब्धता (38.9%), किसी उच्च अदालत द्वारा मुकदमे पर रोक लगना (17%) और जरूरी दस्तावेजों का इंतजार (12%) हैं।

प्रभाव:

- **न्याय की विफलता:** सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लंबित याचिकाएँ न्याय को निष्प्रभावी बना देती हैं, जिससे यह न्याय का मज़ाक (travesty of justice) बन जाता है।
- **न्यायपालिका पर भरोसे में कमी:** जो लोग वर्षों तक केस लड़कर फैसला जीतते हैं, उन्हें जब फैसले को लागू कराने के लिए भी कई वर्षों का इंतजार करना पड़ता है, तो इससे जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कम होता है।

आगे की राह:

- **अतिरिक्त छह महीने का समय:** सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ जिला न्यायालयों के साथ समन्वय कर निष्पादन याचिकाओं के निपटारे में तेजी लाने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया है।
- **निगरानी और मूल्यांकन:** सर्वोच्च न्यायालय इस प्रक्रिया की निगरानी करेगा तथा लंबित मामलों के संकट को दूर करने के लिए आवश्यकतानुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

निष्कर्ष:

निष्पादन याचिकाओं की भारी लंबित संख्या एक जटिल और गंभीर समस्या है, जो न्याय व्यवस्था की कमियों और प्रक्रियागत कठिनाइयों को उजागर करती है। सर्वोच्च न्यायालय की पहल निश्चित रूप से सकारात्मक और आवश्यक कदम है, लेकिन इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए लगातार निगरानी, प्रशासनिक सुधार और समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है। न्याय तभी वास्तविक और सार्थक माना जा सकता है, जब वह समय पर और प्रभावी रूप से लागू हो।

भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश

संदर्भ:

भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में जस्टिस सूर्यकांत की नियुक्ति की गई है। वे मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई का स्थान लेंगे। यह नियुक्ति राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत केंद्रीय विधि मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा अधिसूचित की गई है। जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 को पदभार ग्रहण करेंगे, जबकि मौजूदा मुख्य गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा।

न्यायिक और विधिक उपलब्धियाँ:

- 7 जुलाई 2000 को हरियाणा के सबसे युवा महाधिवक्ता (Advocate General) के रूप में नियुक्त हुए।
  - » मार्च 2001 में वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) का दर्जा प्राप्त किया।
  - » 9 जनवरी 2004 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में

स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए।

» 5 अक्टूबर 2018 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला।
» 24 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत हुए।
» 12 नवंबर 2024 से सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) के बारे में:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश देश के सर्वोच्च न्यायिक पदाधिकारी होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख के रूप में न्यायपालिका का नेतृत्व करते हैं।
- **प्रमुख जिम्मेदारियाँ:**
  » सर्वोच्च न्यायालय में मामलों का आवंटन करना और विभिन्न पीठों (Benches) का गठन करना।
  » सर्वोच्च न्यायालय तथा व्यापक न्यायिक प्रणाली का संवैधानिक और संस्थागत मानदंड के अनुसार प्रशासनिक नेतृत्व करना।
  » सरकार की अन्य शाखाओं के साथ न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करना और राष्ट्रीय व औपचारिक समारोहों में भाग लेना।
  » संविधान, कानूनी प्रक्रिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना, ताकि न्याय व्यवस्था पर जनता का विश्वास बना रहे।
- **संवैधानिक आधार:**
  » भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राष्ट्रपति, उन न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद (जिन्हें वे आवश्यक समझें) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे।
  » सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (जिनमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं) की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति प्रक्रिया:

- **वरिष्ठता की परंपरा:** परंपरागत रूप से, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश (जो मौजूदा CJI के बाद आते हैं) को, यदि वे इस पद के लिए उपयुक्त और सक्षम माने जाते हैं, अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।
- **प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश:** इस नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) नामक दस्तावेज़ में वर्णित है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देश प्रदान करता है। यह कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान नहीं है, लेकिन लंबे समय से स्थापित संवैधानिक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है।
- **प्रक्रिया की शुरुआत:** मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने से लगभग एक माह पहले, कानून और न्याय मंत्रालय मौजूदा CJI को एक पत्र भेजता है, जिसमें उनसे अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए सिफारिश करने का अनुरोध किया जाता है।
- **सिफारिश:** मौजूदा CJI आवश्यक परामर्श के बाद, योग्य और वरिष्ठतम न्यायाधीश के नाम की सिफारिश सरकार को भेजते हैं।
- **सरकारी अनुमोदन और नियुक्ति:** यह सिफारिश पहले कानून मंत्री के पास जाती है, फिर प्रधानमंत्री के पास भेजी जाती है और अंततः राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए अग्रेषित की जाती है। राष्ट्रपति इसके बाद नियुक्ति पत्र (Warrant of Appointment) जारी करते हैं, जिसके पश्चात् नए मुख्य न्यायाधीश औपचारिक रूप से पद ग्रहण करते हैं।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना

सन्दर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा

करेगा तथा सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। इस कदम का उद्देश्य वेतन संरचना का आधुनिकीकरण करना और सरकारी कर्मचारियों के कल्याण में सुधार लाना है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है।

पृष्ठभूमि और महत्व:

- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पिछला वेतन संशोधन 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था।
- वेतन आयोग सामान्यतः लगभग हर दस वर्ष में गठित किए जाते हैं ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संरचनाएँ महँगाई, जीवन-यापन की लागत, सेवा शर्तों में परिवर्तन और व्यापक आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनी रहें।
- बढ़ती महँगाई, जीवन-यापन की ऊँची लागत, बदलते कार्य-प्रोफाइल और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की माँग को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी।
- लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इस संशोधन से लाभान्वित होंगे।

8वें वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएँ:

- 8वाँ वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय के रूप में गठित किया गया है, जिसमें शामिल हैं:
  - » एक अध्यक्ष (रंजना प्रकाश देसाई)
  - » एक अंशकालिक (Part-time) सदस्य (प्रो. पुलक घोष)
  - » एक सदस्य-सचिव (पंकज जैन)
- आयोग को अपनी सिफारिशें उसके गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।
- संशोधित वेतन संरचना को 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है (या यही लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है) ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
- अपनी सिफारिशें तैयार करते समय आयोग को निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करना होगा:
  - » प्रचलित आर्थिक परिस्थितियाँ और राजकोषीय अनुशासन (Fiscal Prudence) की आवश्यकता।
  - » गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की अनफंडेड देनदारियाँ।
  - » राज्य सरकारों पर इसके प्रभाव (क्योंकि वे सामान्यतः केंद्र के समान वेतन संशोधन अपनाती हैं), केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र के वेतन बेंचमार्क पर प्रभाव।
  - » उल्लेखनीय रूप से, 7वें वेतन आयोग में शामिल "वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं" (Global Best Practices) से संबंधित खंड को इस बार हटा दिया गया है।

निष्कर्ष:

8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना केंद्र सरकार के कर्मचारियों और समग्र सरकारी कार्यबल के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली पहल है। आयोग की सिफारिशें न केवल सरकार के वेतन और भत्तों पर होने वाले व्यय को प्रभावित करेंगी, बल्कि सरकार की प्रतिभाशाली कर्मचारियों को आकर्षित और बनाए रखने की क्षमता पर भी असर डाल सकती हैं।

एसआईआर 2.0

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देशव्यापी "विशेष गहन पुनरीक्षण" (SIR) के दूसरे चरण की घोषणा की है, जिसे एस.आई.आर 2.0 कहा जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों को शुद्ध, अद्यतन और सुव्यवस्थित करना है।

एसआईआर 2.0 की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- निर्वाचन आयोग ने इस विशेष पुनरीक्षण अभियान के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण बताए हैं:
  - » **बड़े पैमाने पर आंतरिक पलायन:** हाल के वर्षों में ग्रामीण

क्षेत्रों से शहरी इलाकों की ओर तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों का पलायन काफी बढ़ा है। इसके कारण कई मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए जाते हैं, जबकि कई ऐसे नागरिक हैं जो अपने नए पते पर पंजीकृत नहीं हो पाए हैं। इससे मतदाता सूची की सटीकता प्रभावित होती है।

» **पुरानी और अप्रासंगिक मतदाता सूचियाँ:** कई मतदाता सूचियाँ लंबे समय से अपडेट नहीं की गई हैं। इनमें ऐसे नाम शामिल हैं जो अब निधन हो चुके हैं, या कहीं और स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, या अब मतदान के पात्र नहीं रहे हैं। इस कारण सूचियों में बड़ी संख्या में गलत और निष्क्रिय प्रविष्टियाँ बनी हुई हैं।

» **राजनीतिक और प्रशासनिक चिंताएँ:** कई राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों ने मतदाता सूचियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि सूचियों में फर्जी, दोहराए गए या गलत नाम शामिल हैं और कई पात्र मतदाता सूची से गायब हैं। इसके अलावा, लंबे समय से किसी भी व्यापक पुनरीक्षण अभियान का आयोजन नहीं हुआ था, जिससे मतदाता सूची की सटीकता पर प्रश्नचिह्न लग गया है।

Pure Electoral Rolls Strengthen Democracy

SPECIAL INTENSIVE REVISION

Sr.No	Description	Date
1.	Printing/Training	28th Oct to 3rd Nov 2025
2.	House to House Enumeration Phase	4th Nov to 4th Dec 2025
3.	Publication of Draft Electoral Rolls	9th Dec 2025
4.	Claims & Objection Period	9th Dec 2025 to 8th Jan 2026
5.	Notice Phase (Hearing & Verification)	9th Dec 2025 to 31st Jan 2026
6.	Publication of Final Electoral Rolls	7th Feb 2026

कार्यान्वयन क्षेत्र:

- SIR 2.0 (द्वितीय चरण) देश के 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
    - » **राज्य:** छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।
    - » **केंद्र शासित प्रदेश:** अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी।

मुख्य विशेषताएँ:

- हर पात्र नागरिक अपना नाम सूची में जांच सकता है, सुधार के लिए आवेदन कर सकता है (जैसे – नाम में बदलाव, पते में बदलाव), नया नाम जुड़वाने या गलत प्रविष्टियों (जैसे मृत, स्थानांतरित, या दोहराए गए नाम) पर आपत्ति दर्ज करा सकता है।
- आधार कार्ड पहचान और सत्यापन के लिए एक वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा परंतु यह अनिवार्य नहीं है।
- घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे ऊँची इमारतों, आवासीय सोसाइटियों (RWAs) या झुग्गी बस्तियों में नए मतदान केंद्र (Polling Stations) बनाए जा सकते हैं ताकि प्रत्येक केंद्र पर मतदाताओं की संख्या सीमित रहे।
- निर्वाचन आयोग का लक्ष्य है कि किसी भी मतदान केंद्र पर लगभग 1,200 से अधिक मतदाता न हों, हालांकि यह सीमा राज्य के अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती है।

निष्कर्ष:

एसआईआर 2.0 आगामी चुनावों से पहले चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों को अद्यतन और शुद्ध करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह लोकतांत्रिक आधार को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सूची में शामिल किया जाए और दोहराई गई, गलत या अमान्य प्रविष्टियाँ हटाई जाएँ। साथ ही, इस प्रक्रिया के दौरान प्रशासनिक, परिचालनात्मक और राजनीतिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं, जिन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना आवश्यक है।

3 अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-अफगानिस्तान संबंध: अफगान कूटनीति में भारत का व्यावहारिक यथार्थवाद

सन्दर्भ:

अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद भारत-अफगानिस्तान सम्बन्ध ने एक उल्लेखनीय मोड़ लिया है। 9 से 16 अक्टूबर 2025 तक अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत की आठ दिवसीय यात्रा पर थे, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत की अब तक की सर्वोच्च-स्तरीय यात्रा रही। इस यात्रा के दौरान, भारत ने काबुल में अपने दूतावास को पुनः स्थापित करने की घोषणा की, जो जून 2022 से "तकनीकी मिशन" के रूप में कार्य कर रहा था। औपचारिक मान्यता दिए बिना तालिबान से संबंध का यह कदम भारत के सूक्ष्म दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।

भारत की रणनीति:

- **मान्यता और कूटनीति के बीच भेद:** किसी सरकार को मान्यता देना (de jure recognition) उसकी वैधता और सत्ता प्राप्ति के तरीके को स्वीकार करना होता है। भारत ने तालिबान को औपचारिक मान्यता देने से परहेज़ किया है, ताकि 2021 के हिंसक सत्ता-हस्तांतरण को समर्थन न मिले।
  - » हालांकि, एक वास्तविक (de facto) सरकार से कूटनीतिक संवाद अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वैध है। 1961 और 1963 के वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमैटिक एंड कॉन्सुलर रिलेशंस के अनुसार, कूटनीतिक मिशन किसी सरकार की औपचारिक मान्यता के बिना भी कार्य कर सकते हैं।
- **अफगानिस्तान में भारत का कार्यपद्धति (Modus Operandi):** दूतावास पुनः खोलने से पहले भी भारत ने नई दिल्ली स्थित अफगान मिशनों को धीरे-धीरे तालिबान के नियंत्रण में स्थानांतरित होने की अनुमति दी। पूर्व राजनयिकों ने तालिबान के साथ समन्वय में आवश्यक वाणिज्यिक कार्य जारी रखे, जिससे राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद निरंतरता बनी रही।
  - » यह "मान्यता के बिना जुड़ाव" की रणनीति भारत की कूटनीति में पहले भी देखी जा चुकी है, जैसे- ताइवान और म्यांमार की सैन्य सरकार के साथ भारत के संबंधों में, जहाँ बिना औपचारिक मान्यता के कार्यात्मक कूटनीतिक चैनल बनाए रखे गए हैं।

भारत के जुड़ाव के भू-राजनीतिक कारक:

- भारत का तालिबान से संवाद सुरक्षा, कूटनीति और आर्थिक हितों के बीच संतुलन साधने की रणनीति है। भारत के सतर्क किन्तु सक्रिय रुख को तीन मुख्य कारणों से समझा जा सकता है:
  - » **तालिबान की जुड़ाव में सक्रियता:** 2021 के बाद से

तालिबान ने भारतीय सहभागिता की इच्छा स्पष्ट की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान का उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से, मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करके तालिबान ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्कों से दूरी का संकेत दिया। इस आश्वासन ने भारत के सीमित जुड़ाव में विश्वास को मजबूत किया।

» **पाकिस्तान-अफगानिस्तान समीकरण:** तालिबान-पाकिस्तान संबंधों में तनाव ने भारत को सामरिक अवसर प्रदान किया है। 2021 के शुरुआती दौर के विपरीत, तालिबान ने पाकिस्तान के साथ पूर्ण रूप से गठजोड़ से इनकार किया है, डुरंड रेखा को स्थायी सीमा मानने से मना किया है और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से दूरी बनाए रखी है। जो भारत-विरोधी सहयोग के जोखिम को कम करती है।

» **आर्थिक और विकास अवसर:** अफगानिस्तान में भारत का 3 अरब डॉलर से अधिक का विकास और मानवीय निवेश भारत को एक प्रभावशाली स्थिति देता है। 2025 में अमेरिकी सहायता के बंद होने के बाद तालिबान अब क्षेत्रीय निवेश की तलाश में है, जिससे भारत को बुनियादी ढाँचे, खनन और कनेक्टिविटी परियोजनाओं में अवसर मिल रहे हैं। तापी (TAPI) गैस पाइपलाइन और चाबहार पोर्ट ट्रांज़िट जैसी पहलें भारत के सामरिक और आर्थिक हितों के केंद्र में हैं। दूतावास पुनः खोलना निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है और भारत की दीर्घकालिक विकास प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

भारत-अफगानिस्तान संबंधों का सामरिक महत्व:

- **भू-राजनीतिक और सुरक्षा साझेदारी:** अफगानिस्तान भारत के लिए क्षेत्रीय खतरों, विशेष रूप से पाकिस्तान से उत्पन्न चुनौतियों, का मुकाबला करने में सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक में नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन और व्यापक विकास परियोजनाओं में भागीदारी भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तालिबान का यह वादा कि अफगान भूमि का उपयोग भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होगा, उभरते आतंकवाद-रोधी सहयोग का मुख्य आधार है।
- **विकास और पुनर्निर्माण में योगदान:** भारत ने सलमा बाँध, जरांज-डेलाराम राजमार्ग, काबुल संसद भवन, अस्पतालों और विद्युत् उपकेंद्रों जैसी परियोजनाओं के माध्यम से अफगान पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सूखे और कोविड-19 महामारी के दौरान मानवीय सहायता ने भी भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
- **आर्थिक और व्यापारिक संपर्क:** 1–3 ट्रिलियन डॉलर मूल्य के अनुमानित खनिज भंडार अफगानिस्तान को भारत के लिए आर्थिक अवसरों का केंद्र बनाते हैं। चाबहार पोर्ट (ईरान-अफगानिस्तान-भारत कॉरिडोर) जैसी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएँ पाकिस्तान को दरकिनार कर भारत के व्यापारिक एकीकरण को प्रोत्साहित करती हैं।
- **सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध:** भारत और अफगानिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। बॉलीवुड की लोकप्रियता, अफगान छात्रों के लिए भारतीय छात्रवृत्तियाँ और सांस्कृतिक आदान-प्रदान भारत की सॉफ्ट पावर और जन-से-जन संबंधों को मजबूत करते हैं।
- **राजनीतिक परिवर्तनों के बीच कूटनीतिक जुड़ाव:** भारत का यह निर्णय कि वह अपने मिशन को पूर्ण दूतावास स्तर पर अपग्रेड करेगा परन्तु औपचारिक मान्यता नहीं देगा, व्यावहारिक कूटनीति का उदाहरण है। यह दृष्टिकोण भारत को नैतिकता और यथार्थवाद के बीच संतुलन साधता है, साथ ही चीन के बढ़ते प्रभाव और पाकिस्तान की अस्थिरकारी गतिविधियों का मुकाबला करने में मदद करता है।

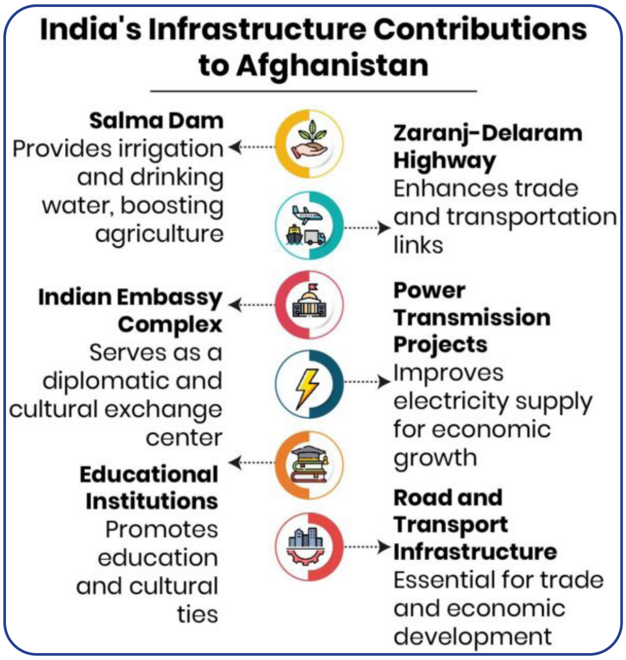

भारत-अफगानिस्तान संबंध की प्रमुख चुनौतियाँ:

- **सुरक्षा चिंताएँ और आतंकवाद:** कूटनीतिक जुड़ाव के बावजूद

आतंकवाद एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। तालिबान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से ऐतिहासिक संबंधों के कारण यह आशंका बनी हुई है कि अफगानिस्तान भारत-विरोधी आतंकवादियों का सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। 2025 में तालिबान द्वारा अफगान भूमि से भारत पर हमले न होने देने के वादे के बावजूद संदेह कायम है।

- **पाकिस्तान का प्रभाव और प्रॉक्सी राजनीति:** पाकिस्तान की सामरिक प्रतिद्वंद्विता अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता को जटिल बनाती है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के खिलाफ कार्रवाई से तालिबान का इनकार और पाकिस्तान के साथ जारी तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं, जिन्हें भारत को सावधानीपूर्वक नेविगेट करना होगा।
- **शासन और मानवाधिकार मुद्दे:** तालिबान की गैर-लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, असहमति पर दमन और महिलाओं के अधिकारों पर प्रतिबंध भारत के "समावेशी अफगान राजनीतिक प्रक्रिया" के समर्थन से मेल नहीं खाते हैं। मुत्ताकी की भारत यात्रा के दौरान महिला पत्रकारों के बहिष्कार जैसी घटनाएँ नैतिक और कूटनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।
- **आर्थिक और अवसंरचनात्मक बाधाएँ:** अफगानिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था और असुरक्षा की स्थिति भारतीय निवेशों और परियोजनाओं को प्रभावित करती है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और शासन समस्याएँ परियोजनाओं की निरंतरता और व्यापार में बाधा डालती हैं, हालांकि चाबहार पोर्ट और भारत-अफगानिस्तान एयर फ्रेट कॉरिडोर जैसी पहलें सीमित आशा जगाती हैं।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** तालिबान के साथ चीन की बढ़ती संलग्नता, जिसमें अवसंरचनात्मक निवेश और राजनीतिक संवाद शामिल हैं, अफगानिस्तान में भारत के सामरिक प्रभाव को चुनौती देती है।
- **नशीले पदार्थ और क्षेत्रीय स्थिरता:** "गोल्डन क्रेसेंट" (अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान) का हिस्सा होने के कारण अफगानिस्तान विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है, जिससे भारत के लिए सीमा-पार सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं, विशेषकर पंजाब जैसे राज्यों में जहाँ मादक द्रव्यों का दुरुपयोग गंभीर समस्या है।

अंतरराष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण:

- **संयुक्त राष्ट्र की गैर-मान्यता नीति:** संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान की सरकार को अब तक मान्यता नहीं दी है, क्योंकि तीन शर्तें अब तक पूरी नहीं हुई हैं:
  - समावेशी शासन की स्थापना
  - आतंकवादी नेटवर्कों का उन्मूलन
  - मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों का सम्मान
- अफ़ग़ानिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सीट के लिए तालिबान के अनुरोधों को बार-बार खारिज किया गया है। यात्रा छूट, जैसे कि मुत्तक़ी की भारत यात्रा की अनुमति, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा विषयानुसार (case-by-case) आधार पर दी जाती है।
  - **क्षेत्रीय प्रवृत्तियाँ:** कई देशों ने "मान्यता के बिना जुड़ाव" की रणनीति अपनाई है:
  - **रूस:** जुलाई 2025 में तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता दी।
  - **चीन, यूएई, मध्य एशियाई देश:** तालिबान द्वारा नियुक्त राजनयिकों या राजदूतों को स्वीकार किया।
  - **पाकिस्तान:** मई 2025 में अपने काबुल मिशन को राजदूत स्तर तक अपग्रेड किया।
- ये व्यवस्थाएँ पूर्ण राजनीतिक समर्थन के बजाय व्यावहारिक चिंताओं जैसे क्षेत्रीय नियंत्रण, सुरक्षा खतरे और प्रभाव बनाए रखने पर आधारित हैं।

निष्कर्ष:

भारत-अफ़ग़ानिस्तान संबंध व्यावहारिक कूटनीति, रणनीतिक जुड़ाव और मानवीय प्रतिबद्धताओं से परिभाषित एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। उच्च-स्तरीय यात्राओं, अपने दूतावास के जीर्णोद्धार, लक्षित विकास परियोजनाओं और बिना किसी मान्यता के सावधानीपूर्वक जुड़ाव के माध्यम से, भारत एक जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा, आर्थिक हितों, सांस्कृतिक संबंधों और मानवाधिकारों में संतुलन स्थापित करते हुए, भारत का लक्ष्य अफ़ग़ानिस्तान में प्रभाव बनाए रखना, क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्विता का मुकाबला करना और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करते हुए स्थिरता को बढ़ावा देना है। विकसित हो रहा कूटनीतिक ढाँचा भारत की सूक्ष्म और लचीली विदेश नीति की क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो अनिश्चितता के बीच दक्षिण एशिया के भविष्य को आकार देने में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्थापित करता है।

भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौताः द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय

सन्दर्भः

हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की भारत यात्रा ने भारत–ब्रिटेन संबंधों के एक नए चरण की शुरुआत की है। 100 से अधिक व्यापारिक नेताओं, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों और विश्वविद्यालय प्रमुखों के मजबूत प्रतिनिधिमंडल के साथ आई इस यात्रा ने व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया जो दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को गहराई देने वाला एक ऐतिहासिक समझौता है।

यह यात्रा एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है, क्योंकि भारत बाहरी व्यापारिक चुनौतियों का सामना कर रहा है जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 50 प्रतिशत टैरिफ का लगाया जाना। ऐसे में ब्रिटेन के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करना न केवल अच्छी कूटनीति है बल्कि एक समझदारी भरी आर्थिक रणनीति भी है।

भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते के बारे में:

- भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) एक महत्वाकांक्षी और व्यापक व्यापार समझौता है, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय वाणिज्य, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना है। यह समझौता औद्योगिक और कृषि उत्पादों की 99 प्रतिशत से अधिक टैरिफ लाइनों को शामिल करता है जिससे यह भारत के सबसे व्यापक व्यापार समझौतों में से एक बन जाता है।
- CETA का लक्ष्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान $56 अरब से बढ़ाकर $120 अरब तक करना है। इसमें लगभग $23 अरब का वस्तु व्यापार और $33 अरब की सेवाएँ शामिल हैं। भारत वर्तमान में दोनों श्रेणियों में ब्रिटेन के साथ व्यापार अधिशेष का लाभ लेता है, लेकिन विकास की संभावनाएँ अभी भी बहुत अधिक हैं।

भारत–ब्रिटेन व्यापार एक नज़र में:

- द्विपक्षीय व्यापार (2024): $56 अरब
- ब्रिटेन को भारत का वस्तु निर्यात: $12.9 अरब
- ब्रिटेन को भारत का सेवा निर्यात: $19.8 अरब
- भारत द्वारा ब्रिटेन से आयात: वस्तुओं में $8.4 अरब और सेवाओं में $13 अरब

- हालाँकि ब्रिटेन के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है। वस्तुओं में लगभग 1.5% और सेवाओं में 4.6% लेकिन विस्तार की संभावनाएँ बहुत बड़ी हैं। CETA उस संभावनाओं को साकार करने का ढाँचा प्रदान करता है।

भारत के लिए CETA का महत्वः

- ब्रिटेन विश्व के शीर्ष आयातक देशों में से एक है। 2024 में इसके कुल वस्तु आयात $815 अरब और सेवाओं के आयात $423 अरब रहे। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रमुख आयात साझेदारों में चीन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इटली शामिल हैं। भारत के लिए यह अवसर है कि वह उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाए जहाँ पहले से क्षमता है लेकिन बाजार में सीमित पहुँच रही है।
  - » **रत्न और आभूषण (Gems and Jewellery):** ब्रिटेन ने 2024 में $92.8 अरब मूल्य के रत्न और आभूषण आयात किए, लेकिन इसमें भारत का योगदान मात्र $0.6 अरब रहा।

हीरा कटाई और आभूषण निर्यात में भारत की मजबूत स्थिति को देखते हुए यह क्षेत्र विविधीकरण का स्पष्ट अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से तब जब अमेरिका के साथ टैरिफ अस्थिरता बनी हुई है।

» **वस्त्र और परिधान (Textiles and Apparel):** 2023 में ब्रिटेन ने $22.3 अरब मूल्य के परिधान और निर्मित वस्त्र आयात किए, जबकि भारत का निर्यात केवल $1.59 अरब रहा। CETA से पहले भारतीय परिधान पर 9–12% तक शुल्क लगता था, जबकि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धियों को शुल्क-मुक्त पहुँच थी। नए समझौते के तहत अब भारतीय निर्यातकों को समान अवसर मिलेंगे, जिससे उनकी लागत में कमी आएगी।

» **चमड़ा और जूते (Leather and Footwear):** ब्रिटेन ने $8.5 अरब मूल्य का चमड़ा और जूते आयात किया, जबकि इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र $453 मिलियन रही। पहले भारत को जूतों पर 8% आयात शुल्क देना पड़ता था, जबकि चीन और वियतनाम पर इससे भी अधिक दरें लागू थीं। CETA के तहत इन शुल्कों में कमी से भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बेहतर होगी।

» **फार्मास्युटिकल्स और मशीनरी (Pharmaceuticals and Machinery):** ब्रिटेन के इन क्षेत्रों में आयात पर अमेरिका, जर्मनी और चीन का वर्चस्व है। CETA भारतीय कंपनियों के लिए इन उच्च-मूल्य क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा, विशेष रूप से जेनेरिक दवाओं, सक्रिय औषधीय घटकों (APIs), और सटीक इंजीनियरिंग उत्पादों में।

ब्रिटेन को होने वाले लाभ:

- यह समझौता एकतरफा नहीं है। ब्रिटेन को भी भारत के बड़े और उभरते बाजार तक अधिक पहुँच मिलेगी। इस सौदे का एक प्रमुख परिणाम भारत में मादक पेय पदार्थों पर उच्च आयात शुल्क में चरणबद्ध कमी है, जैसे स्कॉच व्हिस्की और जिन पर शुल्क 150% से घटाकर तुरंत 75% किया जाएगा और दस वर्षों में इसे 40% तक लाया जाएगा।
- ब्रिटेन के लिए अन्य रुचि वाले क्षेत्र शामिल हैं:
  - » उन्नत मशीनरी और रक्षा उपकरण
  - » स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ
  - » चिकित्सा उपकरण
  - » उच्च शिक्षा और अनुसंधान सहयोग
- ये सभी क्षेत्र भारत की घरेलू प्राथमिकताओं रक्षा उद्योग का आधुनिकीकरण, स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण, और मानव पूंजी निर्माण के अनुरूप हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यात्रा के प्रमुख परिणाम:

- **उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल:** 100 से अधिक उद्यमियों और उद्योगपतियों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ यात्रा की, जो भारत की तीव्र गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था के प्रति लंदन की नई रुचि को दर्शाता है।
- **निवेश प्रतिबद्धताएँ:** करीब 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में £1.3 अरब के निवेश का वादा किया, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में आपसी विश्वास मजबूत हुआ।
- **रक्षा सहयोग:** इस यात्रा के दौरान £350 मिलियन मूल्य का मिसाइल आपूर्ति समझौता हुआ, जिसने भारत की रक्षा क्षमताओं को सशक्त बनाया और सुरक्षा सहयोग को भी गहराई दी।
- **सांस्कृतिक और शैक्षिक साझेदारी:** प्रसिद्ध यशराज फिल्म्स ब्रिटेन में तीन प्रमुख फिल्मों की शूटिंग करेगी, जिससे सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। साथ ही, दो ब्रिटिश विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर स्थापित करेंगे, जिससे शैक्षिक सहयोग को गहराई मिलेगी।

भारत की घरेलू चुनौतियाँ और सुधार:

- CETA नए बाजार खोलता है, लेकिन असली परीक्षा भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने में है। केवल टैरिफ में कमी पर्याप्त नहीं होगी; घरेलू सुधार आवश्यक हैं।

- **व्यापार सुविधा (Trade Facilitation):** भारत की लॉजिस्टिक्स और सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ अभी भी जटिल हैं। विश्व बैंक एंटरप्राइज सर्वे के अनुसार, भारत में निर्यात की औसत सीमा शुल्क निकासी अवधि 17.3 दिन है, जबकि बांग्लादेश में 6.7 दिन और चीन में मात्र 3.3 दिन लगते हैं। बंदरगाह संचालन को सुव्यवस्थित करना, दस्तावेज़ों का डिजिटलीकरण और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय लागत को कम कर सकते हैं।
- **वित्त तक पहुँच (Access to Finance):** लघु और मध्यम उद्यम जो श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र, रत्न और जूते में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, सुलभ ऋण प्राप्त करने में कठिनाई झेलते हैं। वित्तीय समावेशन बढ़ाने, संपार्श्विक आवश्यकताओं को सरल बनाने और क्रेडिट गारंटी योजनाओं के विस्तार से इन निर्यातकों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **नियामक सुधार (Regulatory Reforms):** अर्थशास्त्री मनीष सभरवाल ने भारत की जटिल अनुपालन प्रणाली को "नियामक कोलेस्ट्रॉल" कहा है। व्यवसाय पंजीकरण, श्रम कानूनों और कर अनुपालन को सरल बनाना निवेश को बढ़ावा देगा और उत्पादकता में सुधार करेगा।
- **औद्योगिक क्लस्टर और अवसंरचना:** भारत को अपने विनिर्माण क्लस्टरों को मजबूत करने की आवश्यकता है जिसमें सामान्य परीक्षण सुविधाओं, गुणवत्ता प्रमाणन केंद्रों और बेहतर लॉजिस्टिक्स में निवेश शामिल है। साझा अवसंरचना लागत घटाती है और वैश्विक बाजारों में भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाती है।

रणनीतिक निहितार्थ (Strategic Implications):

- CETA का एक व्यापक रणनीतिक आयाम है। जैसे-जैसे वैश्विक व्यापार पुनर्संरचित हो रहा है, भारत अपने निर्यात गंतव्यों को विविध बनाना चाहता है। ब्रिटेन के साथ यह समझौता अमेरिका और यूरोप को यह संदेश देता है कि भारत संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते करने में सक्षम है।
- भारत के लिए ब्रिटेन यूरोप का द्वार बन सकता है, विशेषकर तब जब भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ताएँ जारी हैं। वहीं ब्रिटेन के लिए, ब्रेक्जिट के बाद की वास्तविकता में भारत एक आवश्यक साझेदार है जो बड़े, उभरते बाजारों तक पहुँच प्रदान करता है।

आगे की राह:

- **त्वरित कार्यान्वयन:** भारत को टैरिफ में कटौती की समयसीमा, विशेषकर पेय उद्योग में कम करने पर विचार करना चाहिए ताकि प्रतिबद्धता और सद्भावना प्रदर्शित हो सके।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान:** विनिर्माण और निर्यात में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करना भारत को कम टैरिफ का वास्तविक लाभ दिला सकता है।
- **सेवा व्यापार का उपयोग:** आईटी, डिजिटल सेवाओं और वित्तीय क्षेत्र में भारत की ताकत को पेशेवर योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता और कुशल श्रमिकों की आवाजाही को आसान बनाकर और बढ़ाया जा सकता है।
- **नवाचार और सहयोग:** विजन 2035 फ्रेमवर्क के तहत शुरू की गई शिक्षा और अनुसंधान साझेदारियों का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, एआई, और जैव प्रौद्योगिकी में सह-नवाचार के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की यात्रा भारत–ब्रिटेन संबंधों में एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक है। व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, यह निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, और शिक्षा तक फैला एक गहरा और संतुलित साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करता है। भारत के लिए यह अवसर भी है और परीक्षा भी। संरचनात्मक सुधारों, बेहतर लॉजिस्टिक्स, और नीतिगत समर्थन के साथ भारत ब्रिटेन के बाजार को वैश्विक व्यापार अस्थिरता के विरुद्ध एक रणनीतिक सुरक्षा कवच में बदल सकता है और एक नए युग की आर्थिक कूटनीति में विश्व से समान स्तर पर जुड़ने की अपनी क्षमता प्रदर्शित कर सकता है।

वैश्विक शासन संकेतकों की पुनर्कल्पना: निष्पक्ष मूल्यांकन प्रणाली की ओर भारत की पहल

संदर्भ:

भारत ने ब्रुसेल्स स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (IIAS) की अध्यक्षता में एक नए अंतर्राष्ट्रीय शासन सूचकांक के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव विभिन्न वैश्विक शासन और लोकतंत्र सूचकांकों में भारत के गिरते प्रदर्शन और उनकी कार्यप्रणाली, आँकड़ों के स्रोतों और पारदर्शिता को लेकर उसकी दीर्घकालिक चिंताओं की पृष्ठभूमि में आया है।

भारत ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ चुनाव जीतने के बाद जून 2025 में पहली बार आईआईएएस की अध्यक्षता ग्रहण की। अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर, आईआईएएस ने भारत के नेतृत्व में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला, जिसमें विश्व भर में शासन प्रणालियों का अधिक निष्पक्ष और अधिक प्रतिनिधि मूल्यांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय शासन सूचकांक विकसित करने की दिशा में उठाए गए कदम भी शामिल हैं।

इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज़ के बारे में:

- इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज़ (IIAS) की स्थापना 1930 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है, जो सार्वजनिक प्रशासन और शासन के क्षेत्र में अनुसंधान, संवाद और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।
  - वर्तमान में IIAS के 31 सदस्य देश हैं, जिनमें भारत, जापान, चीन, जर्मनी और सऊदी अरब शामिल हैं।
  - यद्यपि यह संयुक्त राष्ट्र की कोई एजेंसी नहीं है, यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग (UN DESA) तथा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) जैसी संस्थाओं के साथ घनिष्ठ सहयोग करता है।
  - यह विद्वानों, प्रशासकों और नीति-निर्माताओं के लिए शासन, नैतिकता और प्रशासनिक सुधारों पर विचार-विमर्श का एक वैश्विक मंच प्रदान करता है।
- भारत 1998 से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के माध्यम से IIAS से जुड़ा हुआ है। 2025–2028 के कार्यकाल की अध्यक्षता भारत का इस संस्था में पहला नेतृत्वकारी अवसर है। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत का उद्देश्य "अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार" के सिद्धांत को बढ़ावा देना और विकसित तथा विकासशील देशों के बीच शासन सुधारों पर सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

अंतर्राष्ट्रीय शासन सूचकांक के लिए भारत का प्रस्ताव:

- भारत ने IIAS के अनुसंधान और विश्लेषणात्मक एजेंडे के हिस्से के रूप में एक नए अंतर्राष्ट्रीय शासन सूचकांक (International Governance Index- IGI) के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पारदर्शी, साक्ष्य-आधारित और संदर्भ-संवेदनशील तरीकों का उपयोग करके शासन प्रदर्शन को मापने के लिए एक विश्व स्तर पर स्वीकृत ढाँचा विकसित करना है।
- सितंबर 2025 में IIAS अनुसंधान सलाहकार समिति के साथ इस पहल को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। विचार-विमर्श निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित रहे:
  - IIAS की वैज्ञानिक रणनीति को सशक्त बनाना, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शासन सूचकांक और प्रवृत्ति विश्लेषण को एक मुख्य अनुसंधान गतिविधि के रूप में शामिल किया जाए।
  - विश्व बैंक, OECD और UN DESA जैसी संस्थाओं के साथ सहयोग स्थापित करना, ताकि मौजूदा कार्यों का लाभ उठाया जा सके और पुनरावृत्ति से बचा जा सके।
  - IIAS के भीतर एक समर्पित कार्य समूह का गठन करना, जो सूचकांक की कार्यप्रणाली को तैयार और परिष्कृत करेगा।
  - 2026 में IIAS वार्षिक सम्मेलन में इस प्रस्ताव को चर्चा और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करना।
- यह अंतर्राष्ट्रीय शासन सूचकांक मात्रात्मक डेटा और गुणात्मक संस्थागत मूल्यांकन दोनों को संयोजित करेगा, जिससे शासन का एक समग्र और संतुलित मूल्यांकन उपकरण विकसित किया जा सकेगा।

भारत के लिए प्रस्ताव का महत्व:

- भारत का यह प्रस्ताव असंतुलित वैश्विक शासन रैंकिंग्स का संतुलन स्थापित करने और अधिक वस्तुनिष्ठ, डेटा-आधारित मूल्यांकन प्रणालियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है।
- **मौजूदा सूचकांकों को लेकर चिंताएँ:**
  - वैरायटीज़ ऑफ डेमोक्रेसी (V-Dem) संस्थान ने 2017 से भारत को "चुनावी निरंकुशता" के रूप में वर्गीकृत किया है। 2025 की रिपोर्ट में, भारत 179 देशों में से 100वें स्थान पर रहा (डेनमार्क प्रथम रहा)।
  - फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) डेमोक्रेसी इंडेक्स ने भी अपनी नवीनतम रिपोर्टों में भारत की रैंकिंग घटाई है।
- **भारत की प्रतिक्रिया:**
  - इन रैंकिंग्स की आलोचना इस आधार पर की गई है कि ये मुख्यतः विशेषज्ञों की धारणाओं पर आधारित हैं, न कि मापन योग्य आंकड़ों पर।
  - प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC–PM) के 2022 के एक कार्य-पत्र ने V-Dem, Freedom in the World और EIU सूचकांकों की कार्यप्रणालियों का विश्लेषण किया और पाया कि:
    - भारत की रैंकिंग अक्सर 1970 के दशक के आपातकालीन काल जैसी दिखाई गई, जो भ्रामक थी।
    - इन सूचकांकों में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव था, बावजूद इसके कि ये वैश्विक जनमत और आर्थिक रेटिंग्स को प्रभावित करते हैं।
    - परिषद ने सुझाव दिया कि भारतीय अनुसंधान संस्थान ऐसे तुलनात्मक सूचकांक विकसित करें जो शासन मानकों की पश्चिमी परिभाषा को चुनौती दें।

विश्वव्यापी शासन सूचकांक (WGI) से संबंधित चिंताएँ:

- भारत ने विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित वर्ल्डवाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स (WGI) पर भी प्रश्न उठाए हैं, जो 200 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हैं। इन संकेतकों का व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा शासन की गुणवत्ता और आर्थिक जोखिम का आकलन करने में उपयोग किया जाता है।
- शासन प्रदर्शन का मूल्यांकन छह मानकों पर करता है:
  - आवाज़ और जवाबदेही (Voice and Accountability)
  - राजनीतिक स्थिरता और हिंसा/आतंकवाद की अनुपस्थिति (Political Stability and Absence of Violence/ Terrorism)
  - सरकारी प्रभावशीलता (Government Effectiveness)
  - विनियामक गुणवत्ता (Regulatory Quality)
  - कानून का शासन (Rule of Law)
  - भ्रष्टाचार पर नियंत्रण (Control of Corruption)
- 2023 की WGI रिपोर्ट में भारत की प्रतिशत रैंकिंग निम्नलिखित रही:
  - आवाज़ और जवाबदेही – 51.47
  - राजनीतिक स्थिरता और हिंसा की अनुपस्थिति – 21.33
  - सरकारी प्रभावशीलता – 67.92
  - विनियामक गुणवत्ता – 47.17
  - कानून का शासन – 56.13
  - भ्रष्टाचार पर नियंत्रण – 41.51
- (नोट: शून्य न्यूनतम और 100 अधिकतम प्रतिशतक रैंक को दर्शाता है।)
- भारतीय सरकार ने चिंता व्यक्त की है कि इन मानकों में से कई मुख्यतः विशेषज्ञों के व्यक्तिपरक आकलनों पर आधारित हैं, न कि जमीनी डेटा पर। भारत का तर्क है कि इन सूचकांकों को तैयार करने वाली संस्थाओं की स्थानीय उपस्थिति सीमित है और वे राष्ट्रीय संदर्भों को पूर्णतः नहीं समझ पातीं।

वैश्विक शासन सूचकांकों का उद्देश्य और प्रासंगिकता:

- वैश्विक शासन सूचकांक शासन की गुणवत्ता, लोकतांत्रिक भागीदारी और संस्थागत प्रदर्शन को मापने का प्रयास करते हैं। इनके उद्देश्य हैं:
  - नीति-निर्माताओं के लिए तुलनात्मक मानक प्रदान करना।
  - सार्वजनिक संस्थानों में जवाबदेही और सुधार को प्रोत्साहित करना।
  - निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों को राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिरता का मूल्यांकन करने में सहायता करना।
  - वैश्विक शासन प्रवृत्तियों पर अकादमिक और नीति अनुसंधान के लिए आधार प्रदान करना।
- हालाँकि, इन सूचकांकों की आलोचना यह कहकर की जाती है कि इनकी कार्यप्रणाली अत्यधिक समान और पश्चिम-केंद्रित है। कई विकासशील देशों का तर्क है कि शासन को एक ही साँचे में नहीं आँका जा सकता, क्योंकि सामाजिक संरचनाएँ, विकास के चरण और प्रशासनिक परंपराएँ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न होती हैं।

भारत की पहल का महत्व:

- **वैश्विक विमर्श का संतुलन:** भारत की यह पहल वैश्विक शासन मूल्यांकन की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाने और कुछ पश्चिमी संस्थानों पर निर्भरता को कम करने की दिशा में है।
- **संदर्भ-संवेदनशील मूल्यांकन का परिचय:** प्रस्तावित सूचकांक शासन के विविध मॉडलों को मान्यता देगा, जिसमें क्षेत्रीय संदर्भों, नीतिगत प्राथमिकताओं और विकासात्मक चरणों को समायोजित किया जाएगा।
- **साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन को बढ़ावा:** यह सूचकांक मापनीय संकेतकों और सत्यापन योग्य आंकड़ों को प्राथमिकता देगा, जिससे शासन मूल्यांकन अधिक वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनेगा।
- **दक्षिण-दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ करना:** IIAS में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका के माध्यम से भारत विकासशील देशों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित कर एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधिक वैश्विक मूल्यांकन प्रणाली स्थापित कर सकता है।
- **वैश्विक शासन विमर्श में भारत की भूमिका को सशक्त बनाना:** ऐसी पहल का नेतृत्व भारत की अंतर्राष्ट्रीय नीति विश्वसनीयता को सुदृढ़ करेगा और इसे एक सुधारोन्मुख लोकतंत्र के रूप में स्थापित करेगा।

निष्कर्ष:

अंतर्राष्ट्रीय शासन सूचकांक को वैश्विक विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए, इसे पारदर्शी, अनुकरणीय और सहभागी पद्धति अपनाने की आवश्यकता होगी। विश्व बैंक, ओईसीडी और यूएन डीईएसए जैसे वैश्विक संगठनों के साथ सहयोग तुलनात्मकता सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है, जबकि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थानों के साथ व्यापक परामर्श वैधता को मजबूत कर सकता है। आईआईएएस के तहत प्रस्तावित कार्य समूह मापदंडों, डेटा स्रोतों और संकेतकों के भार को अंतिम रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रस्ताव पर 2026 में आईआईएएस वार्षिक सम्मेलन में आगे चर्चा की जाएगी, जहाँ एक मसौदा रूपरेखा समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। यदि इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया, तो यह सूचकांक एक वैकल्पिक मानक के रूप में उभर सकता है जो शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन केवल पश्चिमी उदार लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि प्रशासनिक नवाचार, नागरिक सेवा वितरण और विविध राजनीतिक प्रणालियों में संस्थागत लचीलापन के आधार पर करेगा।

संक्षिप्त मुद्दे

गाज़ा शांति समझौता

संदर्भ:

हाल ही में मिस्र के शर्म अल-शेख में इज़राइल और हमास के बीच एक ऐतिहासिक युद्धविराम (सीज़फ़ायर) समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता अमेरिका, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में हुआ। इसका उद्देश्य दो साल से अधिक समय से चल रहे संघर्ष को रोकना, चरणबद्ध तरीके से लड़ाई को खत्म करना, बंधकों की रिहाई और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से शुरू करना है।

समझौते के प्रमुख बिंदु:

- **युद्धविराम:**
  - » युद्ध को पूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा, ताकि गाज़ा में मानवीय सहायता की आपूर्ति शुरू की जा सके और पुनर्निर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके।
- **हमास द्वारा बंधकों की रिहाई**
  - » हमास द्वारा बंदी बनाए गए सभी 20 इज़राइली बंधकों को रिहा किया गया।
  - » यह रिहाई युद्धविराम लागू होने के 72 घंटे के भीतर की जानी प्रस्तावित थी।
- **कैदियों का आदान-प्रदान**
  - » इज़राइल भी संभावित रूप से लगभग हजारों फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा करेगा, जिनमें वे भी शामिल होंगे जिन्हें संघर्ष के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
  - » कुछ दीर्घकालिक कैदियों को भी इस सूची में शामिल किया जाएगा।
- **इज़राइली सेना की वापसी और मानवीय पहुँच**
  - » इज़राइल अपने कुछ सैन्य बलों को गाज़ा के क्षेत्रों से चरणबद्ध तरीके से वापस बुलाएगा।
  - » खाद्य सामग्री, चिकित्सा सहायता और ईंधन जैसी मानवीय राहत जरूरतों को बिना किसी बाधा के गाज़ा तक पहुँचने दिया जाएगा, ताकि गंभीर मानवीय संकट को कम किया जा सके।

» मलबा हटाना, बुनियादी ढांचे की बहाली और पुनर्निर्माण को प्राथमिक कार्यों के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

- **गारंटी और निगरानी व्यवस्था**
  » अमेरिका, क़तर, मिस्र और तुर्की जैसे मध्यस्थ देशों ने समझौते के लागू होने को सुनिश्चित करने के लिए गारंटी देने और अनुपालन की निगरानी करने का वादा किया है।
  » हमास की गाज़ा नेतृत्व इकाई ने कहा है कि उसने युद्ध समाप्ति को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य मध्यस्थ देशों द्वारा दी गई गारंटी को स्वीकार कर लिया है।

आगामी चुनौतियाँ और जोखिम:

- **कार्यान्वयन की चुनौती:** ऐसे समझौते अक्सर पूरी तरह लागू नहीं हो पाते। दोनों पक्षों को शर्तों का पालन कराना एक बड़ी चुनौती होगी।
- **भरोसे की कमी:** वर्षों से चल रहे संघर्ष ने आपसी विश्वास को गहरा नुकसान पहुँचाया है। आम जनता और पक्षकारों के बीच शंका बनी हुई है कि क्या दोनों पक्ष इस समझौते पर स्थिर रहेंगे।
- **शासन व्यवस्था का प्रश्न:** गाज़ा का प्रशासन कौन संभालेगा? क्या हमास ही सत्ता में रहेगा, फिलिस्तीनी प्राधिकरण आएगा या कोई अंतरराष्ट्रीय निगरानी तंत्र स्थापित होगा, यह एक विवादास्पद और जटिल मुद्दा है।
- **हिंसा के फिर से उभरने का खतरा:** यदि कोई पक्ष समझौते का उल्लंघन करता है या यह आधा-अधूरा रह जाता है, तो संघर्ष दोबारा शुरू होने का खतरा मौजूद रहेगा।
- **पुनर्निर्माण और न्याय:** गाज़ा को फिर से खड़ा करने के लिए पर्याप्त संसाधन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और युद्ध अपराधों व जवाबदेही जैसे जटिल मुद्दों को हल करना आवश्यक होगा।

गाज़ा युद्ध के बारे में:

- गाज़ा युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, जब हमास ने अचानक बहु-स्तरीय हमला किया, जिसमें लगभग 1,200 लोगों की मौत हुई।
  » जवाब में इज़राइल ने एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य हमास को कमजोर करना, बंधकों को सुरक्षित छुड़ाना और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना था।
  » संघर्ष के दौरान हिज़्बुल्लाह के साथ सीमा पर झड़पें और ईरान द्वारा सीधे इज़राइल पर हमले जैसे क्षेत्रीय तनाव भी देखने को मिले।
  » लगातार दो वर्षों तक चलने वाली विनाशकारी लड़ाई के बाद, अक्टूबर 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता में एक शांति योजना तैयार हुई और युद्धविराम लागू किया गया, जिसमें हमास के कब्जे में बचे सभी जीवित बंधकों की रिहाई शामिल थी। यह कदम क्षेत्र में स्थिरता और शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

निष्कर्ष:

गाज़ा घोषणा और बंधकों की रिहाई हाल के वर्षों के सबसे जटिल और कठिन संघर्षों में एक महत्वपूर्ण कदम है। असली परीक्षा अब इसके क्रियान्वयन में होगी, यह सुनिश्चित करना कि लोग सुरक्षित रहें, सम्मान बहाल हो और इज़राइली और फ़िलिस्तीनी दोनों के लिए दीर्घकालिक, न्यायसंगत और स्थायी शांति स्थापित हो।

अफगानिस्तान विदेश मंत्री की भारत यात्रा

सन्दर्भ:

अफ़ग़ानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री, अमीर ख़ान मुत्ताक़ी, संयुक्त राष्ट्र यात्रा-प्रतिबंध छूट के तहत 9 से 16 अक्टूबर तक अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत में थे। इसे एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक क्षण के रूप में देखा जा रहा है। 2021 में तालिबान द्वारा काबुल पर कब्जा करने के बाद से किसी वरिष्ठ तालिबान नेता की यह पहली यात्रा है।

पृष्ठभूमि:

- तालिबान के 2021 में सत्ता में वापसी के बाद भारत ने सावधानीपूर्वक कदम उठाया। भारत ने तालिबान सरकार को तुरंत मान्यता नहीं दी, बल्कि मानवीय संपर्क बनाए रखे, सहायता भेजी (खाद्य सामग्री, दवाएँ, वैक्सीन आदि) और अपने विकास परियोजनाओं तथा राजनयिक चैनलों को सीमित रूप में बनाए रखा।

भारत तालिबान से संपर्क क्यों बढ़ा रहा है?

प्रेरक कारक	विवरण / व्याख्या
विदेश नीति में यथार्थवाद	तालिबान के पास वर्तमान में अफगानिस्तान में वास्तविक नियंत्रण शक्ति (de facto authority) है। भारत यह मानता है कि काबुल में अपना प्रभाव बनाए रखने का तरीका संवाद है, अलगाव नहीं। अफगानिस्तान की अनदेखी करने से भारत को अपने रणनीतिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों के लिए जगह खोने का खतरा है।
सुरक्षा संबंधी चिंताएँ	अफगानिस्तान से या उसकी भूमि का उपयोग करने वाले आतंकवादी समूहों से उत्पन्न खतरा भारत के लिए गंभीर है। तालिबान नेतृत्व से संपर्क बनाए रखना इस बात को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि अफगान भूमि का उपयोग भारत-विरोधी आतंकवादी गतिविधियों के लिए न हो। इसके अलावा, कश्मीर में हुए हमलों की मुत्ताकी द्वारा की गई निंदा को भी भारत सकारात्मक संकेत के रूप में देखता है।
संपर्क, व्यापार और पारगमन की आवश्यकता	भारत को मध्य एशिया और अपने निकटवर्ती पड़ोसियों के अलावा बाजारों तक विश्वसनीय पहुँच चाहिए। पाकिस्तान ने परंपरागत रूप से भूमि पारगमन मार्गों को अवरुद्ध रखा है, इसलिए अफगानिस्तान और ईरान (विशेषकर चाबहार बंदरगाह) के माध्यम से मार्गों को भारत रणनीतिक विकल्पों के रूप में देख रहा है।
प्रतिद्वंद्वी प्रभाव का संतुलन	पाकिस्तान का तालिबान पर ऐतिहासिक रूप से गहरा प्रभाव रहा है (या कुछ तालिबान गुटों पर अब भी है)। भारत नहीं चाहता कि वह इस क्षेत्रीय समीकरण से बाहर कर दिया जाए। साथ ही, चीन और ईरान अफगानिस्तान के साथ अपने संपर्क बढ़ा रहे हैं; भारत चाहता है कि वह अफगानिस्तान के भविष्य के क्षेत्रीय गठजोड़ में अपनी भूमिका बनाए रखे।
पूर्व निवेश की सुरक्षा	भारत ने पिछले दशकों में अफगानिस्तान में सड़कें, बांध, विद्यालय जैसी अनेक विकास परियोजनाओं में निवेश किया है। तालिबान से संवाद इन निवेशों की सुरक्षा और कुछ स्थगित परियोजनाओं को पुनः आरंभ करने में मदद कर सकता है।

सीमाएँ और जोखिम:

- **मान्यता (Recognition):** भारत ने अब तक तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। ऐसा करने पर कूटनीतिक और साख-संबंधी जोखिम हैं, खासकर मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों को लेकर।
- **मानवाधिकार / समावेशिता:** महिलाओं, अल्पसंख्यकों के साथ तालिबान के व्यवहार, असहमति आदि को लेकर अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दबाव बना हुआ है। अगर भारत ऐसे मुद्दों को नज़रअंदाज़ करता हुआ पाया गया तो उसे आलोचना का सामना करना पड़ेगा।
- **सुरक्षा विश्वसनीयता:** किसी भी गारंटी पर भरोसा करने में जोखिम है। तालिबान का आंतरिक ढांचा एकरूप नहीं है; ऐसे तत्व (या सहयोगी) हैं जो केंद्रीय नियंत्रण में नहीं हो सकते हैं और आतंकवादी समूहों के लिए आधार का काम कर सकते हैं।
- **पाकिस्तान कारक:** भारत-तालिबान संबंधों में गहराई आने पर

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया निश्चित है, क्योंकि वह अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता है। सीमापार आतंकवाद, उग्रवादी गुटों की सक्रियता, और भारत-पाक तनाव इससे प्रभावित हो सकते हैं।

निष्कर्ष:

तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी के साथ भारत की सहभागिता अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की जटिलता को दर्शाती है, जहाँ रणनीतिक हित अक्सर मूल्यों से असहमति रखने वाले पक्षों के साथ संवाद की आवश्यकता पैदा करते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देकर भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहता है और एक स्थिर अफगानिस्तान के निर्माण में योगदान देना चाहता है जबकि वह इस क्षेत्र की जटिल भू-राजनीति को सावधानीपूर्वक संतुलित कर रहा है।

भारत- रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूर्ण

संदर्भ:

3 अक्टूबर 2025 को भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऐतिहासिक साझेदारी की नींव 3 अक्टूबर 2000 को उस समय रखी गई थी, जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने "भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा" पर हस्ताक्षर किए थे।

पिछले 25 वर्षों में प्रमुख सहयोग:

- **बहुआयामी भारत-रूस कूटनीतिक संबंध**
  - » **रणनीतिक साझेदारी का ढांचा:** साल 2000 में जब पहली बार दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी स्थापित हुई, तो 2010 में इसे और ऊँचाई देते हुए "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" का दर्जा दिया गया। यह बदलाव दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास, दीर्घकालिक योजना और अनेक रणनीतिक क्षेत्रों में व्यापक सहयोग का प्रतीक है।
  - » **संस्थागत संवाद तंत्र:** भारत और रूस ने आपसी सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए कई औपचारिक संवाद और मंच विकसित किए हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
    - ➢ दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन।
    - ➢ "2 + 2" संवाद – विदेश और रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक।
    - ➢ भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग – व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान-तकनीक और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग।
    - ➢ तकनीकी और सैन्य सहयोग के मंच – जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास (इंद्रा अभ्यास), साझा अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी।

- **व्यापार और आर्थिक सहयोग:**
  - » हाल के वर्षों में भारत-रूस व्यापार तेज़ी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह लगभग 68.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 65.70 अरब डॉलर था।
  - » रूस को भारत से किए जाने वाले प्रमुख निर्यातों में फार्मास्यूटिकल्स, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, विद्युत मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, लोहा और इस्पात शामिल हैं।
  - » भारत को रूस के प्रमुख निर्यातों में तेल और पेट्रोलियम उत्पाद; उर्वरक; वनस्पति तेल; बहुमूल्य पत्थर और धातुएं;

तथा खनिज संसाधन शामिल हैं।

- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग**
  - » भारत-रूस रक्षा सहयोग अब केवल खरीदार-विक्रेता संबंध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संयुक्त अनुसंधान, उत्पादन और उन्नत प्रणालियों का सह-विकास भी शामिल है।
  - » इसका सबसे बड़ा उदाहरण ब्रहमोस एयरोस्पेस है, जो भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशिनोस्ट्रोयेनीया के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। यह कंपनी सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों का संयुक्त डिजाइन, विकास, उत्पादन और विपणन करती है।
  - » ब्रहमोस परियोजना ने दोनों देशों को न केवल तकनीकी हस्तांतरण का अनुभव दिया है, बल्कि भारत की स्वदेशी क्षमताओं को भी मजबूत किया है। अब भारत मिसाइल प्रणाली के कई महत्वपूर्ण पुर्जे, जैसे प्रणोदन बूस्टर और नेविगेशन सिस्टम, स्वयं विकसित और निर्मित कर रहा है।
- **बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक कूटनीति**
  - » भारत और रूस कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मंचों, जैसे संयुक्त राष्ट्र (UN), जी-20, ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO), में घनिष्ठ सहयोग करते हैं।
  - » इन मंचों पर दोनों देश जलवायु परिवर्तन, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपसी तालमेल और साझा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।
  - » भारत-रूस की यह साझेदारी अक्सर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण और स्वतंत्र विदेश नीति को सुदृढ़ करने के प्रयासों से जुड़ी मानी जाती है।

चुनौतियाँ:

- **व्यापार असंतुलन:** रूस से भारी आयात, विशेषकर ऊर्जा और पेट्रोलियम क्षेत्र में, भारत के लिए बड़े व्यापार घाटे का कारण है। इसे संतुलित करने के लिए भारत निर्यात बढ़ाने और व्यापार को अधिक विविध बनाने पर ज़ोर दे रहा है।
- **सहयोग का दायरा बढ़ाना:** रक्षा, ऊर्जा और तेल-गैस जैसे पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए, अब हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण खनिज, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वास्थ्य तकनीक जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग की आवश्यकता है।
- **नियम और लॉजिस्टिक चुनौतियाँ:** गैर-शुल्कीय अवरोध, भुगतान प्रणाली से जुड़ी कठिनाइयाँ तथा तकनीकी निर्यात नियंत्रण जैसी बाधाओं को दूर करना आवश्यक है।
- **वैश्विक भू-राजनीतिक दबाव:** पश्चिमी देशों के प्रतिबंध, व्यापारिक पाबंदियाँ और तीसरे पक्ष का दबाव रूस के साथ कारोबार को कई क्षेत्रों में जटिल और चुनौतीपूर्ण बना देता है।

निष्कर्ष:

पिछले 25 वर्षों में भारत-रूस साझेदारी मजबूत, विविध और संस्थागत रूप ले चुकी है। यह कूटनीति, व्यापार, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग तक फैली हुई है। पिछली दशकों ने ठोस नींव और बड़ी उपलब्धियाँ दी हैं, लेकिन भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश किस तरह व्यापार घाटे, नियामकीय चुनौतियों और वैश्विक बदलावों से निपटते हुए नए क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करते हैं।

2025 का नोबेल शांति पुरस्कार

संदर्भ:

नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वर्ष 2025 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार वेनेज़ुएला की प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो को प्रदान किया है। यह सम्मान उन्हें "वेनेज़ुएला के नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को सुदृढ़ करने और तानाशाही शासन से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर शांतिपूर्ण तथा न्यायपूर्ण बदलाव की दिशा में किए गए उनके निरंतर और साहसपूर्ण प्रयासों" के लिए दिया गया है।

मारिया कोरीना मचाडो के बारे में:

- मारिया कोरीना मचाडो, जिन्हें "वेनेज़ुएला की आयरन लेडी" कहा जाता है, वेनेज़ुएला की राजनीति में एक प्रमुख चेहरा रही हैं। उन्होंने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लगातार आवाज उठाई है और उनके प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। वे नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली वेनेज़ुएला की पहली नागरिक हैं।
- उन्होंने सूमाते (Súmate) नामक संगठन की सह-स्थापना की, जो चुनावी पारदर्शिता और निगरानी पर काम करता है। वे राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तानाशाही नीतियों की कड़ी आलोचक रही हैं। मचाडो लगातार मुक्त और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन, मानवाधिकारों का सम्मान और लोकतांत्रिक शासन की मांग करती रही हैं।
- राजनीतिक प्रतिबंधों, उत्पीड़न और कानूनी बाधाओं के बावजूद, उन्होंने अपनी आवाज कभी नहीं रोकी। 2023 में उन्होंने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के विपक्षी प्राथमिक चुनाव में जीत हासिल की,

लेकिन बाद में उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया।

नोबेल शांति सम्मान देने के प्रमुख कारण:

- नोबेल समिति ने मारिया कोरीना मचाडो को सम्मानित करने के पीछे मुख्य तीन कारण बताए हैं:
    - **लोकतांत्रिक परिवर्तन:** मचाडो वेनेज़ुएला में सत्तावादी शासन से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव की दिशा में किए गए प्रयासों का प्रतीक हैं।
    - **दमन के दौर में नागरिक साहस:** धमकियों, कानूनी प्रतिबंधों और उत्पीड़न के बावजूद उन्होंने विपक्षी आंदोलन का नेतृत्व जारी रखा। उनके व्यक्तिगत जोखिम ने उनके काम के प्रतीकात्मक महत्व को और बढ़ा दिया।
    - **विपक्षी ताकतों को एकजुट करना:** समिति ने यह भी ध्यान दिलाया कि उन्होंने बिखरे हुए विपक्षी गुटों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोकतांत्रिक आवाजों को गति दी।

नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में:

- नोबेल शांति पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के अनुसार स्थापित छह प्रमुख पुरस्कारों में से एक है। इसे हर साल उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने शांति स्थापित करने, सशस्त्र संघर्षों को कम करने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के साथ एक स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र और लगभग 90 लाख स्वीडिश क्रोनर (करीब 9 लाख अमेरिकी डॉलर) की धनराशि भी दी जाती है।

निष्कर्ष:

नोबेल शांति पुरस्कार को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है, जो मानवता और शांति के लिए असाधारण योगदान को मान्यता देता है। मारिया कोरीना मचाडो को यह पुरस्कार मिलना इस बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति की साहसपूर्ण पहल भी लोकतंत्र और शांति की दिशा में दुनिया को प्रेरित कर सकती है। यह सम्मान उन सभी लोगों के लिए संदेश है जो दमन के बीच भी न्याय और लोकतंत्र की राह पर काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है।

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच प्रथम वार्षिक रक्षा मंत्री संवाद

संदर्भ:

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच प्रथम वार्षिक रक्षा मंत्री संवाद कैनबरा में आयोजित किया गया। यह बैठक दोनों देशों के रक्षा सहयोग को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस संवाद की सह-अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने की। वार्ता के दौरान मुख्य रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मुख्य उपलब्धियाँ:

- **वार्षिक संवाद का संस्थानीकरण:**
    - रक्षा मंत्रियों के संवाद को अब आधिकारिक रूप से एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में स्थापित कर दिया गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया है कि इस संवाद के दूसरे संस्करण की मेजबानी वर्ष 2026 में भारत में की जाए।
- **पनडुब्बी बचाव और एयर रीफ्युलिंग से जुड़े समझौते:**
    - पारस्परिक पनडुब्बी बचाव सहायता और सहयोग पर ऑस्ट्रेलिया-भारत कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए।
    - एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग (हवा से हवा में ईंधन भरने) संबंधी 2024 के समझौते को लागू करने की दिशा में ठोस प्रगति दर्ज की गई।

- **सूचना साझाकरण, समुद्री सुरक्षा और लॉजिस्टिक समर्थन:**
  - » संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप के तहत सूचना साझाकरण और समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर सहमति बनी।
  - » भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक जहाजों के मरम्मत और रखरखाव के लिए अपने शिपयार्ड उपलब्ध कराने की पेशकश की।
- **क्षेत्रीय सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था को समर्थन:**
  - » दोनों देशों ने मुक्त, स्वतंत्र और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया।
  - » समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता, निर्बाध व्यापार और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून (UNCLOS) के सम्मान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया।
  - » क्वाड सहयोग और भारत–ऑस्ट्रेलिया–इंडोनेशिया त्रिपक्षीय ढांचे के माध्यम से क्षेत्रीय साझेदारी को और मजबूत किया गया।

भारत–ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति:

- **रणनीतिक साझेदारी:**
  - » **व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP):** 2020 में स्थापित इस साझेदारी ने दोनों देशों के रिश्तों को एक व्यापक स्तर पर पहुंचाया, जिसमें रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग शामिल हैं।
  - » **रक्षा सहयोग:** दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास जैसे ऑस्ट्राहिंद (AUSTRAHIND) और मालाबार (Malabar) में भाग लेते हैं, जिससे पारस्परिक समझ और सामरिक तालमेल मजबूत होता है।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंध:**
  - » **आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (ECTA):** 2022 में हस्ताक्षरित इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच शुल्क (Tariffs) कम करना और व्यापार को बढ़ावा देना है।
  - » **व्यापार का स्तर:** 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार 49 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिससे भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाज़ार बन गया।
  - » **निवेश प्रवाह:** ऑस्ट्रेलिया का भारत में निवेश 17.6 अरब डॉलर रहा, जबकि भारत का ऑस्ट्रेलिया में निवेश 34.5 अरब डॉलर था, यह दोनों के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज:**
  - » **नवीकरणीय ऊर्जा साझेदारी:** 2024 में शुरू हुई इस साझेदारी का उद्देश्य सौर ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।
  - » **महत्वपूर्ण खनिज सहयोग:** दोनों देश मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने पर काम कर रहे हैं, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा योजनाओं और ऑस्ट्रेलिया के खनन उद्योग दोनों के लिए लाभदायक है।
- **शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंध:**
  - » **विद्यार्थी गतिशीलता:** 2024 तक, 1,20,000 से अधिक भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया की संस्थाओं में पढ़ाई कर रहे थे, जिससे भारत, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय छात्र स्रोत बन गया।
  - » **संस्थागत सहयोग:** ऑस्ट्रेलिया–इंडिया शिक्षा एवं कौशल परिषद (AIESC) जैसी पहलें अनुसंधान और शैक्षणिक साझेदारी को बढ़ावा देती हैं।
  - » **सांस्कृतिक जुड़ाव:** 2025 में आयोजित नेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया में 40 से अधिक भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

2025 का भारत–ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों का यह संवाद द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदु के रूप में उभरा है। अब दोनों देश केवल रणनीतिक दृष्टिकोण साझा करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वास्तविक रक्षा संचालन, रक्षा उद्योग सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना को मजबूत करने की दिशा में व्यावहारिक और निर्णायक कदम उठा रहे हैं। यदि यह सहयोग इसी तरह बना रहे, तो भारत–ऑस्ट्रेलिया साझेदारी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था, सामरिक संतुलन और नियम-आधारित प्रणाली को गहराई से प्रभावित कर सकती है।

मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

संदर्भः

हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना भारत के दौरे पर थे। उनकी भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कुल 10 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य समझौते:

क्षेत्र	क्या सहमति हुई / क्या घोषणा की गई	महत्त्व
धरोहर और संस्कृति	मंगोलिया में विरासत स्थलों का जीर्णोद्धार; नालंदा विश्वविद्यालय (भारत) को गंडन मठ (मंगोलिया) से जोड़ना।	यह प्रयास बौद्ध धर्म पर आधारित आध्यात्मिक और सभ्यतागत संबंधों को मज़बूती देते हैं। इससे सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण होगा, विद्वानों के बीच आदान-प्रदान बढ़ेगा और जन-जन के संपर्क गहरे होंगे।
आव्रजन और जन-संपर्क	मंगोलियाई नागरिकों के लिए फ्री ई-वीज़ा; युवा मंगोलियाई सांस्कृतिक राजदूतों को भारत भ्रमण का आमंत्रण।	इससे यात्रा, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा।
खनिज, ऊर्जा और भूविज्ञान	1.7 अरब डॉलर के ऋण समझौते के माध्यम से भारत समर्थित तेल रिफाइनरी परियोजना में भारत का समर्थन अरबों डॉलर की ऋण सहायता; मंगोलिया से महत्वपूर्ण खनिजों (तांबा, कोयला आदि) की प्राप्ति में रुचि; व्लादिवोस्तोक (रूस) या तियानजिन (चीन) के माध्यम से निर्यात मार्गों की खोज।	मंगोलिया खनिज संसाधनों से समृद्ध है, इससे भारत की औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। रिफाइनरी परियोजना मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूती देगी और रोजगार व तकनीकी सहयोग के अवसर पैदा करेगी। परिवहन और पारगमन (Transit) की चुनौतियाँ हैं, लेकिन इस पर प्रयास जारी है।
रक्षा और सुरक्षा सहयोग	उलानबटार में एक रक्षा अताशे (Defence Attaché) की तैनाती; मंगोलिया की सीमा सुरक्षा बलों के लिए क्षमता निर्माण; संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम।	यह दोनों देशों के रणनीतिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करता है। क्षेत्रीय भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बदलते संदर्भ में यह सहयोग मंगोलिया की क्षमताओं को बढ़ाता है और भारत को मध्य एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद करता है।
डिजिटल समाधान और अवसंरचना	डिजिटल सहयोग पर समझौता ज्ञापन; डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना साझेदारी; प्राचीन हस्तलिपियों का डिजिटलीकरण; डिजिटल और IT क्षेत्र में संभावनाओं की तलाश।	इससे दोनों देशों को डिजिटल शासन, सार्वजनिक सेवाओं और विरासत संरक्षण में प्रगति का लाभ मिलेगा।

भारत–मंगोलिया संबंध:

- भारत और मंगोलिया ने दिसंबर 1955 में औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए। भारत पूर्वी ब्लॉक के बाहर मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला देश था। समय-समय पर दोनों देशों के बीच कई मैत्री और सहयोग संधियाँ हस्ताक्षरित की गईं, जिन्होंने आपसी विश्वास और सहभागिता को मज़बूती दी।
- वर्ष 2015 में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उलानबटार यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया गया।

निष्कर्ष:

भारत और मंगोलिया के बीच 10 समझौतों पर हस्ताक्षर दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देते हैं। जैसे-जैसे दोनों देश अलग-अलग क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं, यह साझेदारी आने वाले समय में और भी ऊँचाई छूने की संभावना रखती है।

थाईलैंड–कंबोडिया युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर

सन्दर्भ:

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक उन्नत युद्धविराम समझौते पर अक्टूबर 2025 में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस हस्ताक्षर समारोह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी मौजूद थे। यह समझौता जुलाई 2025 में हुए पहले युद्धविराम पर आधारित था, जिसने दोनों देशों के बीच सीमा संघर्ष को समाप्त किया था।

पृष्ठभूमि:

- थाईलैंड और कंबोडिया की 817 किलोमीटर लंबी साझा सीमा अभी तक पूरी तरह से निर्धारित नहीं है। सीमा के कुछ हिस्से औपनिवेशिक युग की संधियों (विशेष रूप से फ्रेंच इंडो-चाइना प्रशासन द्वारा बनाए गए मानचित्रों) के कारण विवादित बने हुए हैं।
- विवाद का प्रमुख केंद्र प्रेह विहार मंदिर क्षेत्र (Preah Vihear Temple) रहा है, जिस पर दोनों देश अपना दावा करते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 1962 में इस मंदिर की संप्रभुता कंबोडिया को प्रदान की थी, किंतु थाईलैंड ने व्यापक सीमा विवादों के संदर्भ में ICJ के निर्णयों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया।

2025 की झड़पें:

- संघर्ष की शुरुआत मई 2025 में हुई, जब एक झड़प में एक कंबोडियाई सैनिक मारा गया। तनाव जुलाई 2025 में और बढ़ गया। 24 से 28 जुलाई के बीच, दोनों देशों के बीच तोपखाने, रॉकेट हमलों और हवाई हमलों हुए, जिसने कई सीमावर्ती क्षेत्रों को प्रभावित किया।

प्रथम युद्धविराम एवं जारी तनाव:

- 28 जुलाई 2025 को "तत्काल और बिना शर्त युद्धविराम" की घोषणा की गई। इसे मुख्य रूप से मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने मध्यस्थता कर कराया, जबकि अमेरिका (विशेष रूप से ट्रंप प्रशासन) ने कूटनीतिक दबाव के माध्यम से इसे संभव बनाया।

प्रभाव:

- **थाईलैंड और कंबोडिया के लिए:** एक स्थायी समझौता सीमा स्थिरता को पुनर्स्थापित करेगा, विस्थापित लोगों की वापसी को संभव बनाएगा और सीमापार व्यापार एवं पर्यटन को पुनर्जीवित करेगा।
- **क्षेत्र (आसियान एवं दक्षिण-पूर्व एशिया) के लिए:** इस सफलता से आसियान की प्रासंगिकता और उसकी संघर्ष समाधान क्षमता को मजबूती मिलेगी। यह क्षेत्रीय कूटनीति के मानदंडों को सुदृढ़ करेगा और भविष्य में क्षेत्रीय सीमा विवादों के प्रबंधन के लिए

एक उदाहरण स्थापित कर सकता है।

- **अमेरिकी विदेश नीति के लिए:** इस समझौते की सफलता से एशिया में अमेरिका की शांति स्थापना क्षमता को बल मिलेगा और उसकी कूटनीतिक साख बढ़ेगी।
- **वैश्विक कूटनीति के लिए:** यह समझौता दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा उपायों को मिलाकर संघर्ष समाधान के लिए काम किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

थाईलैंड–कंबोडिया युद्धविराम समझौता दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आसियान शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उपस्थिति इस समझौते को वैश्विक स्तर पर और अधिक महत्व प्रदान करती है।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

सन्दर्भ:

हाल ही में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरासूरिया ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत आई।

यात्रा की प्रमुख विशेषताएँ:

- श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरासूरिया ने 1998 के मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अद्यतन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अब दोनों अर्थव्यवस्थाएँ काफी विविध हो चुकी हैं और व्यापार केवल वस्तुओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें सेवाएँ, प्रौद्योगिकी, डिजिटल वाणिज्य और हरित उद्योग भी शामिल हो गए हैं।
- भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, नवाचार, विकास सहयोग और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर चर्चा की। यह श्रीलंका की उस रुचि को दर्शाता है, जिसके तहत वह भारत के तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से सीखना चाहता है।
- दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, पर्यटन और डिजिटल गवर्नेंस में सहयोग के नए अवसरों की भी तलाश की और विकास के लिए ज्ञान-आधारित तथा जन-केंद्रित दृष्टिकोण पर बल दिया।
- इस यात्रा के दौरान बुनियादी ढाँचा, शिक्षा एवं कौशल विकास, मछुआरों के कल्याण तथा विकास सहयोग से संबंधित कई समझौते और सहमति-पत्र (MoUs) हस्ताक्षरित या चर्चा के लिए प्रस्तुत किए गए।

यात्रा का महत्व:

- **पड़ोसी-प्रथम नीति का उदाहरण:** भारत के लिए श्रीलंका एक प्रमुख पड़ोसी है। यह यात्रा इस बात का संकेत है कि नई दिल्ली अपने पड़ोसी संबंधों को सार्थक रूप से सुदृढ़ करना चाहती है।
- **क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में संतुलन:** श्रीलंका वर्तमान में कई बड़ी शक्तियों के साथ अपने संबंधों को साध रहा है। इस यात्रा ने भारत को रणनीतिक बढ़त बनाए रखने और श्रीलंका को अपनी साझेदारी के प्रति आश्वस्त करने का अवसर दिया है।
- **आर्थिक एवं सुरक्षा आयाम:** हाल के आर्थिक संकट से उबर रहे श्रीलंका की समुद्री स्थिति भारत के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ऐसे में संपर्क, अवसंरचना और ऊर्जा सहयोग में साझेदारी दोनों देशों के लिए लाभकारी है।

मुख्य चुनौतियाँ:

- **मछुआरों और समुद्री चिंताएँ:** दोनों देशों के बीच एक स्थायी तनाव का विषय मछुआरों की भलाई और समुद्री सीमा विवाद

रहा है। दोनों पक्षों ने इस पर सहयोगपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता स्वीकार की।

- **क्रियान्वयन की चुनौती:** जैसे कई उच्चस्तरीय दौरों में होता है, समझौतों को जमीनी स्तर पर लागू करना (विशेषकर अवसंरचना, निवेश, संपर्क परियोजनाओं में) वास्तविक परीक्षा होगी।
- **बाहरी दबाव और प्रतिस्पर्धी प्रभाव:** श्रीलंका अन्य वैश्विक शक्तियों के लिए भी एक रणनीतिक रुचि का क्षेत्र है। ऐसे में अपनी स्वायत्तता बनाए रखते हुए भारत के साथ संतुलन साधना एक संवेदनशील प्रक्रिया बनी रहेगी।
- **निरंतरता की स्थिरता:** ऐसी यात्राओं के बाद अक्सर उच्च अपेक्षाएँ बनती हैं, लेकिन अनुवर्ती कार्रवाई की कमी से गति कमजोर पड़ सकती है। दीर्घकालिक महत्व तभी रहेगा जब योजनाओं का निरंतर क्रियान्वयन और फॉलो-अप सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्ष:

अक्टूबर 2025 में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री की भारत यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक दूरदर्शी कदम है जिसमें शिक्षा, नवाचार और समुद्री सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक सहयोग पर भी बल दिया गया है। भारत और श्रीलंका संबंध की वास्तविक कसौटी निरंतर क्रियान्वयन और आपसी विश्वास के साथ निहित चुनौतियों के समाधान में निहित होगी।

सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली समाप्त की

संदर्भ:

हाल ही में सऊदी अरब ने कई वर्ष पुरानी "कफाला" (स्पॉन्सरशिप) प्रणाली को समाप्त कर दिया है। यह कदम देश के श्रम सुधारों और मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन माना जा रहा है। जून 2025 में घोषित यह सुधार लगभग 1.3 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाएगा, जिनमें 26 लाख से अधिक भारतीय भी शामिल हैं। ये श्रमिक मुख्यतः निर्माण, घरेलू सेवाओं और कृषि जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

कफाला प्रणाली के बारे में:

- "कफाला" शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है "संरक्षण" या "स्पॉन्सरशिप"। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक प्रवासी श्रमिक का कानूनी दर्जा और निवास अनुमति पूरी तरह उसके स्थानीय नियोक्ता या "कफील" (स्पॉन्सर) पर निर्भर करती थी।
- **इस प्रणाली के अंतर्गत:**
  - » प्रवासी श्रमिक अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना न तो नौकरी बदल सकते थे और न ही नया नियोक्ता चुन सकते थे।
  - » देश छोड़ने के लिए भी उन्हें नियोक्ता की मंजूरी या "एग्जिट वीज़ा" लेना अनिवार्य था।
  - » नियोक्ता श्रमिक के वीज़ा, निवास परमिट और कानूनी स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण रखता था, जिससे उसे श्रमिक के जीवन और कामकाज पर अत्यधिक अधिकार मिल जाता था।
  - » यह प्रणाली 1950 के दशक में शुरू हुई थी, जब खाड़ी देशों में तेज़ी से बुनियादी ढांचा निर्माण हो रहा था और बड़ी संख्या में विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता थी।

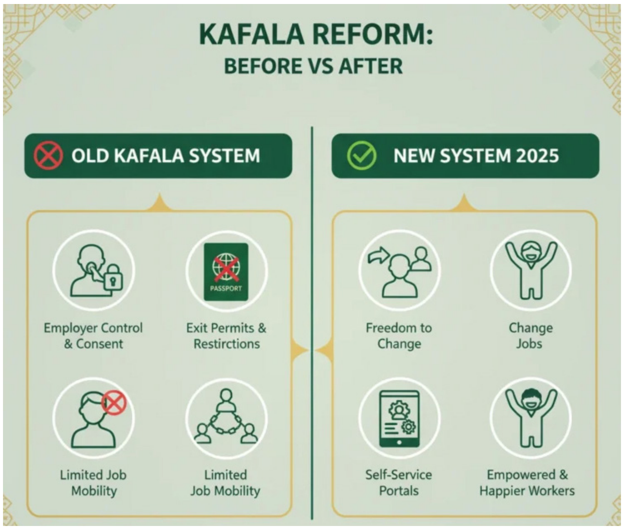

कफाला प्रणाली की आलोचना क्यों?

- पिछले कुछ वर्षों में कफाला प्रणाली की मानवाधिकार संगठनों और श्रमिक समूहों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है।
- कई विशेषज्ञों ने इसे "आधुनिक दासता" का रूप बताया, क्योंकि श्रमिकों की आवागमन पर रोक, शोषण के खिलाफ सीमित अधिकार और कई मामलों में पासपोर्ट की जब्ती जैसी स्थितियाँ आम थीं। इसके कारण कई श्रमिक शोषणकारी और असुरक्षित परिस्थितियों में फंस जाते थे।
- घरेलू कामगार, विशेष रूप से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया की महिलाएँ, सबसे अधिक प्रभावित हुईं, क्योंकि वे अक्सर एकांत वातावरण में काम करती थीं और उनके पास कानूनी सुरक्षा के सीमित साधन थे।
- इस प्रणाली से खाड़ी देशों की अंतरराष्ट्रीय छवि को भी नुकसान

पहुँचा। परिणामस्वरूप, वे वैश्विक आयोजनों और निवेश अभियानों से पहले अंतरराष्ट्रीय दबाव और प्रतिष्ठा संबंधी चुनौतियों का सामना करने लगे।

नए श्रम ढांचे में प्रमुख परिवर्तन:

- सऊदी अरब ने नए सुधारों के तहत स्पॉन्सर (प्रायोजक) आधारित मॉडल को अनुबंध-आधारित रोजगार प्रणाली से बदल दिया है। नए नियमों के अनुसार:
  - प्रवासी श्रमिक अब अपने वर्तमान नियोक्ता/स्पॉन्सर की अनुमति के बिना नौकरी बदल सकते हैं।
  - श्रमिक अब प्रायोजक की सहमति या एग्जिट वीज़ा के बिना देश छोड़ सकते हैं।
  - श्रम न्यायालयों और शिकायत निवारण तंत्र तक आसान पहुँच से श्रमिकों को दुर्व्यवहार, भुगतान न होने या अन्य शिकायतों को दर्ज कराने में सुविधा मिलेगी।
- ये सुधार विज़न 2030 कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य श्रम बाजार का आधुनिकीकरण, अर्थव्यवस्था में विविधता और सऊदी अरब की वैश्विक छवि में सुधार करना है।

महत्व:

- कफाला प्रणाली की समाप्ति लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत है, जिनमें विशाल संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं।
- भारत के लिए यह सुधार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सऊदी अरब में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। इससे न केवल श्रमिकों के कल्याण में सुधार होगा, बल्कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे।
- रणनीतिक दृष्टि से, यह कदम सऊदी अरब को विदेशी श्रम और निवेश के लिए और अधिक आकर्षक गंतव्य बनाता है, क्योंकि इसके श्रम मानक अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप होंगे।

निष्कर्ष:

कफाला प्रणाली को समाप्त करके सऊदी अरब ने प्रवासी मजदूरों के अधिकार और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह सुधार लाखों मजदूरों को अधिक स्वतंत्रता, गतिशीलता और कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा।

हिंद-प्रशांत के लिए जापान की नई रणनीतिक योजना

संदर्भ:

जापान की नवनियुक्त पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने हाल ही में घोषणा की कि मार्च 2026 तक जापान के रक्षा खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जापान भारत, ऑस्ट्रेलिया, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) समूह और अन्य हिंद-प्रशांत शक्तियों जैसे साझेदारों के साथ बहुपक्षीय सुरक्षा वार्ता को और प्रगाढ़ करेगा।

महत्त्व:

- **रक्षा व्यय में बड़ी छलांग:**
  - जापान मार्च 2026 तक अपना रक्षा व्यय लक्ष्य जीडीपी के 2% तक बढ़ाएगा, जो निर्धारित समय से दो वर्ष पहले है। यह संकेत देता है कि जापान क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों की बढ़ती तीव्रता को गंभीरता से ले रहा है।
  - 2% के इस लक्ष्य को हासिल करना जापान को रक्षा व्यय के मामले में कई नाटो देशों की श्रेणी में ला देगा, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से चली आ रही जापान की वित्तीय और रक्षा नीतियों में ऐतिहासिक बदलाव दिखता है।

- **जापान–भारत रणनीतिक संबंध:**
  - भारत के साथ संवाद को गहरा करने से यह स्पष्ट होता है कि टोक्यो, नई दिल्ली को इंडो-पैसिफिक में एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखता है।
  - भारत और जापान पहले ही रक्षा-उद्योग सहयोग और नवाचार को सशक्त करने पर सहमत हो चुके हैं, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक परस्परता को दर्शाता है।
  - भारत के लिए, यह संबंध अपने सामरिक साझेदारियों को

विविध करने, प्रौद्योगिकी एवं रक्षा सहयोग को गहरा करने, और इंडो-पैसिफिक में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करता है।

- **क्वाड और बहुपक्षीय गतिशीलता:**
  - » जापान की यह घोषणा कि वह क्वाड (Quad) और अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ गहराई से जुड़ाव बढ़ाएगा, उसके व्यापक क्षेत्रीय दृष्टिकोण को दर्शाती है।
  - » क्वाड के भीतर निकट समन्वय जापान के उस लक्ष्य के अनुरूप है जिसमें वह समुद्री और सुरक्षा क्षेत्रों में निवारक क्षमता और लचीलापन विकसित करना चाहता है और भारत की सक्रिय भागीदारी इस बहुपक्षीय ढांचे को और मजबूत करती है।
- **चीनी कारक:**
  - » अपनी रक्षा स्थिति को सुदृढ़ करते हुए, जापान ने स्पष्ट रूप से कहा कि चीन एक "महत्वपूर्ण पड़ोसी" है, जिसके साथ स्थिर संबंध बनाए रखना आवश्यक है। यह दर्शाता है कि जापान दोहरी रणनीति अपनाना चाहता है: सुरक्षा क्षमता को बढ़ाना और साथ ही कूटनीतिक संवाद जारी रखना।
  - » यह कदम जापान के संतुलनकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है — क्षेत्रीय खतरों (विशेष रूप से चीन) के प्रति निवारक उपायों को मजबूत करते हुए संवाद के रास्ते खुले रखना। यह भारत की चीन नीति और क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन पर भी प्रभाव डालता है।

निष्कर्ष:

नवनियुक्त प्रधानमंत्री साने ताकाइची के नेतृत्व में जापान का नया नेतृत्व एक उल्लेखनीय रणनीतिक मोड़ है। रक्षा खर्च में तेज़ी लाकर और भारत तथा क्वाड भागीदारों के साथ गहन संवाद पर ज़ोर देकर, जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक अधिक सक्रिय सुरक्षा भूमिका निभाने के लिए अपनी तत्परता का संकेत देता है। भारत के लिए, यह सहयोग, औद्योगिक साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा ढाँचे को आकार देने के अवसर और ज़िम्मेदारियाँ दोनों प्रस्तुत करता है।

47वां आसियान शिखर सम्मेलन

संदर्भ:

हाल ही में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 26 से 28 अक्टूबर 2025 तक कुआलालंपुर (मलेशिया) में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का विषय "समावेशिता और सततता" था। इस अवसर पर तिमोर-लेस्ते (पूर्वी तिमोर) को औपचारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया। यह 1990 के दशक के बाद आसियान का पहला विस्तार है।

भारत की भूमिका और प्रमुख योगदान:

- भारतीय प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन को भारत से वर्चुअल रूप में संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत और आसियान मिलकर विश्व की लगभग एक-चौथाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- दोनों क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, बल्कि गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साझा मूल्यों पर आधारित संबंधों से भी एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान को भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" का प्रमुख स्तंभ बताया।

मुख्य घोषणाएँ और प्रतिबद्धताएँ:

- भारत ने 2026 को "आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री सुरक्षा, और परिवहन संपर्क जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देना है।
- भारत और आसियान ने समुद्री सुरक्षा, व्यापारिक संपर्क, लचीली आपूर्ति श्रृंखला (Resilient Supply Chains), डिजिटल समावेशन और ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई।
- भारत और आसियान ने आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITIGA) की समीक्षा और सुधार पर सहमति जताई ताकि दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक क्षमता को बढ़ावा मिल सके।
- भारत ने आसियान की केंद्रीय भूमिका (ASEAN Centrality) और इंडो-पैसिफिक पर आसियान दृष्टिकोण के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

22वां आसियान–भारत शिखर सम्मेलन:

- 22वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन भी 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर (मलेशिया) में आयोजित हुआ। इस बैठक का विषय सतत और समावेशी सहयोग पर केंद्रित था। इसमें विशेष रूप से समुद्री संपर्क, डिजिटल समावेशन और सांस्कृतिक जुड़ाव पर जोर दिया गया।
- **आसियान–भारत शिखर सम्मेलनों का इतिहास:**
  - » भारत ने 1992 में आसियान के साथ अपने औपचारिक संबंधों की शुरुआत क्षेत्रीय वार्ता साझेदार (Sectoral Dialogue Partner) के रूप में की।
  - » 1996 में, भारत को पूर्ण वार्ता साझेदार (Full Dialogue Partner) का दर्जा दिया गया।

» 2002 में, भारत और आसियान के संबंधों को और मजबूत करते हुए उन्हें शिखर सम्मेलन स्तर तक बढ़ाया गया। इसका अर्थ यह है कि अब भारत और आसियान सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष नियमित रूप से शिखर सम्मेलनों में मिलते हैं।

History of ASEAN's membership expansion

(Year of accession in parenthesis)

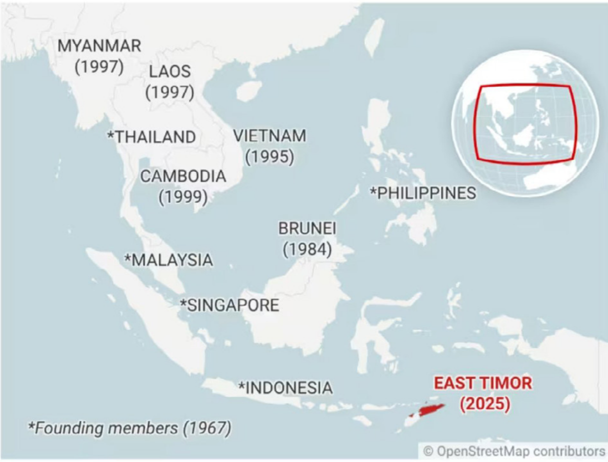

भारत और आसियान के लिए रणनीतिक महत्व:

- भारत–आसियान संबंधों को मजबूत करना भारत की "एक्ट ईस्ट नीति" और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित रणनीतिक दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- समुद्री सहयोग पर विशेष ध्यान देकर भारत न केवल हिंद महासागर क्षेत्र में बल्कि विस्तृत इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका को मजबूत कर रहा है, जिससे क्षेत्रीय संपर्क, व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और सामरिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।
- एआईटीआईजीए समझौते (ASEAN-India Trade in Goods Agreement) के सुधार और उन्नयन, साथ ही डिजिटल, हरित और उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर फोकस, भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को गति देने के अनुरूप है।
- इसके साथ ही, आसियान भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है, वित्तीय वर्ष 2023–24 में दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 122.67 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा, जो इन संबंधों की गहराई और आर्थिक संभावनाओं को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

हाल ही में आयोजित 47वां आसियान शिखर सम्मेलन और 22वां आसियान–भारत शिखर सम्मेलन ने भारत–आसियान साझेदारी को एक नए आयाम पर पहुंचा दिया है। यह आयोजन न केवल लंबे समय से चले आ रहे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करता है, बल्कि समुद्री सहयोग, डिजिटल कनेक्टिविटी और सतत विकास के एक नए युग की शुरुआत भी करता है। भारत और आसियान मिलकर जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय प्रभाव के आधार पर विश्व के सबसे बड़े साझेदार समूहों में से एक हैं। इसलिए, बदलते वैश्विक परिदृश्य में उनकी साझेदारी का रणनीतिक महत्व और भी बढ़ गया है, जो आने वाले समय में एशिया और इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि को नई दिशा देगा।

नई परमाणु-संचालित क्रूज़ मिसाइल बुरेवेस्टनिक

संदर्भ:

रूस ने हाल ही में नई परमाणु-संचालित क्रूज़ मिसाइल "बुरेवेस्टनिक" (Burevestnik) के सफल परीक्षण की घोषणा की है। रूस का दावा है कि यह "असीमित मारक क्षमता" (Virtually Unlimited Range) की मिसाइल है। यह मिसाइल लंबे समय तक हवा में रह सकती है, बहुत कम ऊँचाई पर उड़ान भर सकती है और अप्रत्याशित दिशा में अपना मार्ग बदलने में सक्षम है, जिससे यह मौजूदा मिसाइल रक्षा प्रणालियों (Missile Defence Systems) को बायपास करने में सक्षम है।

मुख्य विशेषताएँ:

- **प्रणोदन (Propulsion) और रेंज (Range):**
  - » इस मिसाइल में एक लघु परमाणु रिएक्टर लगा है, जो हवा को अत्यधिक गर्म कर थ्रस्ट (गति बल) उत्पन्न करता है। यह प्रणाली पारंपरिक जेट या रॉकेट इंजनों से बिल्कुल भिन्न है।
  - » इसकी सैद्धांतिक रेंज लगभग 20,000 किलोमीटर बताई गई है, जिससे रूस विश्व के किसी भी हिस्से तक प्रहार करने की क्षमता प्राप्त कर सकता है।
- **उड़ान प्रोफ़ाइल और पता लगाने की क्षमता:**
  - » यह मिसाइल बहुत कम ऊँचाई (लगभग 50–100 मीटर) पर उड़ान भरने के लिए डिज़ाइन की गई है, और इसका मार्ग अनियमित होता है, जिससे रडार और वायु रक्षा प्रणालियाँ इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर पातीं।
  - » यह भूमि-आधारित मिसाइल है, अर्थात इसे न तो पनडुब्बी से दागा जाता है और न ही विमान से।

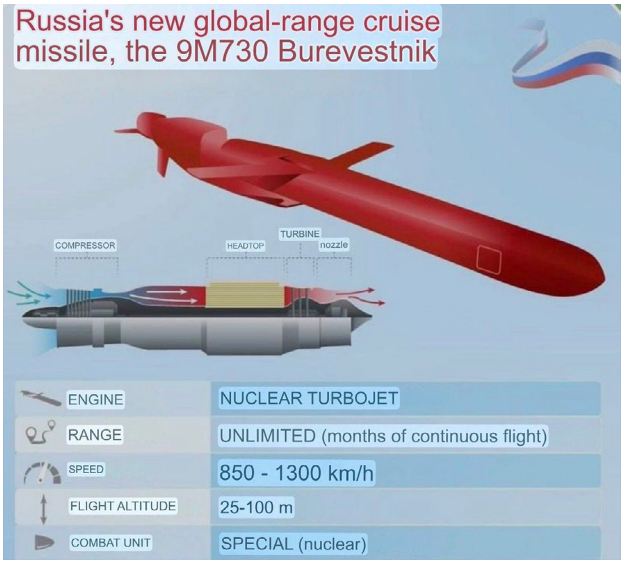

रणनीतिक महत्व:

- **प्रतिरोध पर प्रभाव:**
  - यदि यह मिसाइल वास्तव में संचालन के लिए तैयार होती है, तो यह परमाणु प्रतिरोध (Nuclear Deterrence) की पूरी गणना बदल सकती है।
  - इतनी लंबी दूरी और अप्रत्याशित दिशा से हमला करने की क्षमता के कारण विरोधी देश की अर्ली वार्निंग (Early Warning) और रक्षा योजना बनाना बेहद कठिन हो जाएगा।
- **मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए चुनौती:**
  - यह मिसाइल अत्यंत कम ऊँचाई पर उड़ती है और अनियमित मार्ग अपनाती है, जिससे पारंपरिक बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम (जो ऊँचाई पर सीधी दिशा में आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए बनाए गए हैं) अप्रभावी हो सकते हैं।
  - इसी कारण इसके बारे में कहा जा रहा है — "न इसे देखा जा सकता है, न इसे रोका जा सकता है।"
- **भू-राजनीतिक और क्षेत्रीय असर:**
  - भारत, दक्षिण एशिया और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए, भले ही यह मिसाइल सीधे तौर पर लक्षित न हो, लेकिन इसका अस्तित्व वैश्विक रणनीतिक संतुलन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है।
  - यह दर्शाता है कि अब देशों को उन्नत हथियार प्रणालियों, परमाणु जोखिमों और नए रक्षा नवाचारों के प्रति और अधिक सतर्क रहना होगा।
  - इसके अतिरिक्त, यह मिसाइल भविष्य में आर्म्स कंट्रोल समझौतों, हथियार निर्यात नीतियों और क्षेत्रीय हथियार प्रसार (Missile Proliferation) के स्वरूप को भी प्रभावित कर सकती है।

भारत के लिए संभावित प्रभाव:

- **परमाणु नीति और प्रतिरोध क्षमता:** भारत की परमाणु नीति "विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध", "पहले प्रयोग नहीं" (No-First-Use) और "परस्पर संवेदनशीलता" (Mutual Vulnerability) के सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि, रूस जैसी परमाणु-संचालित लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइलों के आगमन से भारत को अपने निगरानी (surveillance), अर्ली वार्निंग सिस्टम (early warning systems) और प्रत्युत्तर योजना (retaliatory planning) की रणनीति की पुनः समीक्षा करनी पड़ सकती है, ताकि नई तकनीकी चुनौतियों का सामना किया जा सके।
- **मिसाइल रक्षा प्रणाली:** भारत वर्तमान में बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है , जिसमें PAD, AAD और SRBM इंटरसेप्टर जैसी प्रणालियाँ शामिल हैं। लेकिन बुरेवेस्टनिक जैसी मिसाइलें (जो अनियमित मार्गों से उड़ सकती हैं, बहुत कम ऊँचाई पर उड़ान भर सकती हैं और लंबे समय तक हवा में रह सकती हैं) इन मौजूदा रक्षा प्रणालियों के लिए गंभीर चुनौती बन सकती हैं।
- **हथियारों की दौड़ की आशंका:** ऐसे तकनीकी विकास से क्षेत्रीय असंतुलन की आशंका बढ़ सकती है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश अपने मिसाइल कार्यक्रमों के आधुनिकीकरण और नई प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा में और तेज़ी ला सकते हैं। इससे हथियार नियंत्रण और रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने के प्रयास और जटिल हो जाएंगे।
- **रणनीतिक स्थिरता:** ऐसी मिसाइलें, जो पारंपरिक रक्षा प्रणालियों को पूरी तरह से भ्रमित कर सकती हैं, किसी भी संकट की स्थिति में निर्णय लेने की समय-सीमा को बेहद संकुचित कर देती हैं। इससे गलत आकलन या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाती है, जो अंततः परमाणु तनाव को और बढ़ा सकती है।

4 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

हरित भारत की ओर: वैश्विक वन परिदृश्य में भारत का उभरता नेतृत्व

सन्दर्भ:

भारत ने पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट (GFRA) 2025 के अनुसार, भारत अब कुल वन क्षेत्र में विश्व में 9वें स्थान पर पहुंच गया है और वार्षिक शुद्ध वन क्षेत्र वृद्धि में लगातार तीसरा स्थान बनाए हुए है। बाली में आयोजित ग्लोबल फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन्स इनिशिएटिव (GFOI) प्लेनरी के दौरान प्रकाशित यह रिपोर्ट भारत की वनीकरण, सतत वन प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 के बारे में:

- ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट (GFRA), खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा हर पाँच वर्ष में प्रकाशित एक व्यापक मूल्यांकन है। यह वैश्विक स्तर पर वन क्षेत्र, स्थिति, प्रबंधन और उपयोग पर आधिकारिक राष्ट्रीय रिपोर्टों के आधार पर डेटा प्रदान करता है। आकलन में वनों को प्राकृतिक रूप से पुनर्जीवित या लगाए गए वनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें प्राथमिक वन, प्लांटेशन वन (जैसे रबर) और अन्य लगाए गए वन जैसी श्रेणियाँ शामिल हैं।
- 2025 संस्करण ने वनों की कटाई, वन विस्तार और कार्बन भंडारण में वैश्विक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन किया। रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि विश्व का कुल वन क्षेत्र लगभग 4.14 अरब हेक्टेयर है, जो पृथ्वी की स्थलीय सतह का लगभग 32% या प्रति व्यक्ति लगभग 0.5 हेक्टेयर है।

भारत की रैंकिंग और योगदान:

- GFRA 2025 में भारत का प्रदर्शन उसके पर्यावरणीय प्रयासों में निरंतर प्रगति को दर्शाता है:
  - **कुल वन क्षेत्र में 9वां स्थान:** भारत का वन क्षेत्र 72.74 मिलियन हेक्टेयर है, जो वैश्विक वन आच्छादन का लगभग 2% है। यह 2020 के आकलन में 10वें स्थान से सुधार है।
  - **वार्षिक शुद्ध वन क्षेत्र वृद्धि में तीसरा स्थान:** 2015 से 2025 के बीच भारत में हर वर्ष औसतन 1,91,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई, जो चीन और रूस के बाद तीसरे स्थान पर है।
  - **वैश्विक कार्बन सिंक में 5वां स्थान:** 2021–2025 के दौरान भारतीय वनों ने प्रतिवर्ष लगभग 150 मिलियन टन CO_2 अवशोषित किया, जिससे यह वैश्विक जलवायु शमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
- ये उपलब्धियाँ मुख्यतः वृक्षारोपण अभियानों, वनीकरण प्रयासों और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत सतत वन प्रबंधन के कारण संभव हुई हैं।

वैश्विक वन परिदृश्य:

- विश्व स्तर पर वन वितरण अत्यंत असमान है:
  - यूरोप के पास सबसे अधिक वन क्षेत्र है (वैश्विक कुल का 25%)।
  - दक्षिण अमेरिका में भूमि क्षेत्र के अनुपात में सबसे अधिक वन आच्छादन (49%) है।
  - विश्व के आधे से अधिक वन क्षेत्र केवल पाँच देशों रूस, ब्राज़ील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में स्थित हैं।
  - कुछ देशों जैसे मोनाको और वेटिकन सिटी में कोई वन क्षेत्र

नहीं है।

- रिपोर्ट यह भी बताती है कि वनों की कटाई की दर में गिरावट आई है 1990–2000 के दौरान 17.6 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष से घटकर 2015–2025 के दौरान लगभग 10.9 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष रह गई है, जो सतत प्रबंधन की दिशा में प्रगति को दर्शाती है।

भारत की वन प्रोफाइल:

- इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार:
  - » **कुल वन आच्छादन:** 7,15,343 वर्ग किमी, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है।
  - » **शीर्ष राज्य:** मध्य प्रदेश (77,073 वर्ग किमी), अरुणाचल प्रदेश (65,882 वर्ग किमी) और छत्तीसगढ़ (55,812 वर्ग किमी)।
  - » **मैंग्रोव आच्छादन:** लगभग 4,992 वर्ग किमी, जो अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में केंद्रित है।
  - » **संरक्षित क्षेत्र:** भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान, 573 वन्यजीव अभयारण्य, 115 संरक्षण रिज़र्व और 220 सामुदायिक रिज़र्व हैं।
- ये आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत ने न केवल अपने हरित क्षेत्र का विस्तार किया है बल्कि जैव विविधता संरक्षण और पारिस्थितिक पुनर्स्थापन को भी सुदृढ़ किया है।

भारत की प्लांटेड फॉरेस्ट्स और एग्रोफॉरेस्ट्री में शक्ति:

- **बाँस के वन (Bamboo Plantations):** भारत के पास 11.8 मिलियन हेक्टेयर बाँस वन हैं जो वैश्विक बाँस क्षेत्र का लगभग 39% है। वैश्विक बाँस संसाधन लगभग 30.1 मिलियन हेक्टेयर हैं, जिनका अधिकांश हिस्सा एशिया में स्थित है। पिछले तीन दशकों में भारत और चीन बाँस वन क्षेत्र में वृद्धि के प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं।
- **रबर प्लांटेशन:** भारत रबर प्लांटेशन में वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर है, जिसका क्षेत्रफल 8.31 लाख हेक्टेयर है, जबकि वैश्विक कुल 10.9 मिलियन हेक्टेयर है। ये प्लांटेशन जीविकोपार्जन का समर्थन करते हुए कार्बन अवशोषण में भी योगदान देती हैं।
- **एग्रोफॉरेस्ट्री विस्तार:** एग्रोफॉरेस्ट्री जिसमें फसलों और पशुधन के साथ पेड़ों का एकीकरण किया जाता है भारत में वन विस्तार का एक प्रमुख कारक बनकर उभरा है। भारत और इंडोनेशिया मिलकर विश्व के लगभग 70% एग्रोफॉरेस्ट्री क्षेत्र (55.4 मिलियन हेक्टेयर) के लिए जिम्मेदार हैं। एशिया में लगभग पूरा एग्रोफॉरेस्ट्री क्षेत्र (39.3 मिलियन हेक्टेयर) इन्हीं दो देशों से आता है। यह दृष्टिकोण न केवल हरित आवरण बढ़ाता है बल्कि मिट्टी की उर्वरता, जल धारण क्षमता और ग्रामीण आय में भी सुधार करता है।

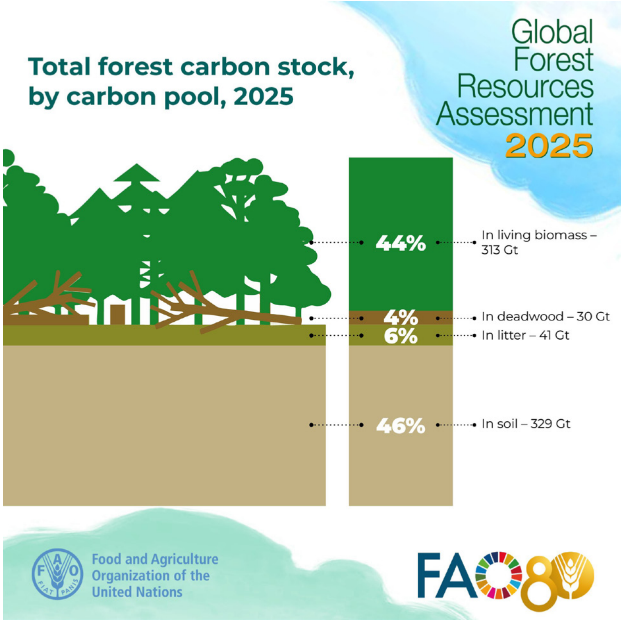

वन कार्बन प्रवृत्तियाँ (1990–2025):

- FAO के विश्लेषण में उत्साहजनक कार्बन प्रवृत्तियाँ सामने आई हैं:
  - » वैश्विक वनों ने 2021–2025 के दौरान प्रति वर्ष 3.6 अरब टन CO_2 अवशोषित कर एक शुद्ध कार्बन सिंक के रूप में कार्य किया।
  - » वनों के रूपांतरण (वनों की कटाई) से 2.8 अरब टन कार्बन उत्सर्जन हुआ, जिससे प्रति वर्ष 0.8 अरब टन CO_2 का शुद्ध निष्कासन दर्ज हुआ।
  - » यूरोप और एशिया में वन कार्बन सिंक सबसे मजबूत रहा जो क्रमशः 1.4 Gt और 0.9 Gt CO_2 का प्रति वर्ष अवशोषण कर रहा है।
- भारत का योगदान उल्लेखनीय है इसके वनों ने प्रतिवर्ष 150 Mt CO_2 अवशोषित किया, जो निरंतर संरक्षण और वृक्षारोपण प्रयासों का परिणाम है।

वन वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाली प्रमुख सरकारी पहलें:

- **हरित भारत मिशन (GIM):** 2014 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) के तहत शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन

निम्नलिखित लक्ष्यों पर केंद्रित है:

- » 5 मिलियन हेक्टेयर वन एवं वृक्ष आच्छादन बढ़ाना और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर की गुणवत्ता सुधारना।
- » जैव विविधता, जल और कार्बन भंडारण जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं को बढ़ाना।
- » लगभग 30 लाख वन-निर्भर परिवारों के लिए आजीविका के अवसर सुधारना।

- हाल के वर्षों में, ग्रीन इंडिया मिशन ने अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय और मैंग्रोव जैसे क्षतिग्रस्त परिदृश्यों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो भारत के व्यापक पुनर्स्थापन लक्ष्यों के अनुरूप है।
- **राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (NAP):** यह कार्यक्रम विकेंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से क्षतिग्रस्त वनों के पारिस्थितिक पुनर्जनन को बढ़ावा देता है, जिसमें शामिल हैं:
    - » राज्य वन विकास एजेंसियाँ (SFDA)
    - » प्रभाग स्तर पर वन विकास एजेंसियाँ (FDA)
    - » ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ (JFMCs)
- यह स्थानीय समुदायों को वनीकरण और वन संरक्षण के प्रयासों में एकीकृत करता है।
- **मिशन LiFE (Lifestyle for Environment):** भारत द्वारा शुरू किया गया यह वैश्विक आंदोलन व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर सतत जीवनशैली अपनाने पर केंद्रित है।
    - » "MeriLiFE" पोर्टल नागरिकों को पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
    - » "एक पेड़ माँ के नाम" जैसे अभियान वृक्षारोपण के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं।
- मिशन LiFE को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई, जिससे भारत की पर्यावरणीय नेतृत्व भूमिका मजबूत हुई।
- **पर्यावरण क्षेत्र के लिए बजटीय प्रोत्साहन:** 2025–26 के केंद्रीय बजट में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) को ₹3,412.82 करोड़ का आवंटन मिला, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9% अधिक है। इसमें ₹3,276.82 करोड़ राजस्व व्यय शामिल है, जो वनीकरण, वन पुनर्स्थापन और वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रमों को समर्थन प्रदान करता है।

वैश्विक प्रतिबद्धताएँ और भविष्य के लक्ष्य:

- भारत की राष्ट्रीय जलवायु प्रतिज्ञा के तहत लक्ष्य हैं:
    - » 2030 तक 2.5–3 अरब टन CO_2 के अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण बढ़े हुए वन एवं वृक्ष आच्छादन के माध्यम से करना।
    - » बॉन चैलेंज और UNCCD प्रतिबद्धताओं के तहत 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को बहाल करना।
- ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट और अन्य वनीकरण पहलों के तहत किए जा रहे प्रयास इन लक्ष्यों की प्राप्ति में केंद्रीय भूमिका निभाएँगे।

वनों का महत्व:

- वन केवल कार्बन सिंक नहीं हैं, वे जीवन-समर्थन प्रणाली हैं।
    - » वे भूजल को फ़िल्टर करते हैं और पुनर्भरण करते हैं, प्राकृतिक शुद्धिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।
    - » जड़ें मिट्टी को स्थिर करती हैं और भूस्खलन तथा बाढ़ को रोकती हैं।
    - » मैंग्रोव तटीय तूफानों और कटाव से रक्षा करते हैं।
    - » वन पारिस्थितिकी तंत्र स्थलीय जैव विविधता का 80% से अधिक समर्थन करते हैं, जिसमें अधिकांश उभयचर, पक्षी और परागणकर्ता शामिल हैं।
    - » वे स्थानीय समुदायों को ईंधन, भोजन, औषधि और आजीविका संसाधन प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

कुल वन क्षेत्र में विश्व में 9वां और वार्षिक वन वृद्धि में तीसरा स्थान प्राप्त करना इस बात का प्रमाण है कि सतत नीति फोकस, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक वनीकरण से ठोस परिणाम संभव हैं। जहाँ कई क्षेत्रों में वनों की कटाई जारी है, वहीं भारत का निरंतर वन विस्तार और शीर्ष वैश्विक कार्बन सिंक में स्थान उसकी इस क्षमता को दर्शाता है कि वह विकास और पारिस्थितिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। जन, नीति और प्रकृति को जोड़कर भारत धीरे-धीरे एक हरित और अधिक लचीले भविष्य की ओर अग्रसर है जहाँ वन पर्यावरणीय सुरक्षा और मानव कल्याण दोनों के केंद्र में हैं।

संक्षिप्त मुद्दे

लाल चंदन संरक्षण पहल

संदर्भ:

हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड (एपीबीबी) को लाल चंदन (Pterocarpus santalinus) पर केंद्रित संरक्षण पहल के लिए 82 लाख रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है। यह वित्तपोषण जैव विविधता अधिनियम, 2002 के तहत परिकल्पित एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) तंत्र के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

निधि के उद्देश्य:

- इस पहल का मुख्य लक्ष्य 1 लाख लाल चंदन के पौधे तैयार करना है, जिन्हें फॉरेस्ट क्षेत्र से बाहर पेड़ लगाने के कार्यक्रम (Trees Outside Forests – ToF) के तहत किसानों को वितरित किया जाएगा। इससे संरक्षण के प्रयासों को ग्रामीण आजीविका के अवसरों से जोड़ा जाएगा।
- यह पहल नीचे से ऊपर (bottom-up) दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें स्थानीय हितधारक, जैव विविधता प्रबंधन समितियां और किसान शामिल होंगे। यह नर्सरी निर्माण, पौधरोपण, रखरखाव और निगरानी के सभी चरणों में भागीदारी सुनिश्चित करेगा।
- मुख्य उद्देश्य जंगलों में मौजूद प्राकृतिक लाल चंदन की आबादी पर दबाव कम करना है, ताकि अवैध कटाई और तस्करी रोकी जा सके और स्थानीय स्तर पर कानूनी पुनर्जनन (Regeneration) को बढ़ावा दिया जा सके।

महत्व:

- यह स्वीकृति दर्शाती है कि कैसे एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) तंत्र के माध्यम से उपयोगकर्ता संरक्षण के लिए वित्तीय योगदान करते हैं और "उपयोगकर्ता भुगतान करते हैं, समुदाय लाभान्वित होते हैं" के सिद्धांत को व्यवहार में लागू करते हैं।
- लाल चंदन के पौधों को फॉरेस्ट क्षेत्र से बाहर पेड़ लगाने के कार्यक्रम (Trees Outside Forests–ToF) के तहत किसानों तक पहुँचाकर यह पहल पारिस्थितिक पुनर्स्थापन को ग्रामीण आजीविका से जोड़ती है। कानूनी रूप से विकसित किए गए बागान अवैध कटाई को कम करने में सहायक होंगे।
- यह कदम भारत की जैव विविधता संधि (CBD) और कुनमिंग–मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के संकल्पों के अनुरूप है, जो लाभ-साझेदारी और पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन को प्रोत्साहित करते हैं।

भारत का एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (एबीएस) तंत्र:

- भारत में एबीएस तंत्र का संचालन जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किया जाता है। यह तंत्र जैविक संसाधनों और उनसे जुड़ी पारंपरिक जानकारी तक पहुँच को नियंत्रित करता है, चाहे उसका उपयोग वाणिज्यिक हो या अनुसंधान के लिए। इसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं:
  - **पूर्व सूचित सहमति (Prior Informed Consent – PIC):** किसी भी जैव संसाधन तक पहुँचने से पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) या राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs) से अनुमति लेना अनिवार्य है।
  - **परस्पर सहमति शर्तें (Mutually Agreed Terms – MAT):** उपयोगकर्ता और संसाधन प्रदाता के बीच लाभ बाँटने की शर्तों पर आपसी समझौता होता है। यह लाभ आर्थिक और गैर-आर्थिक भी हो सकता है।

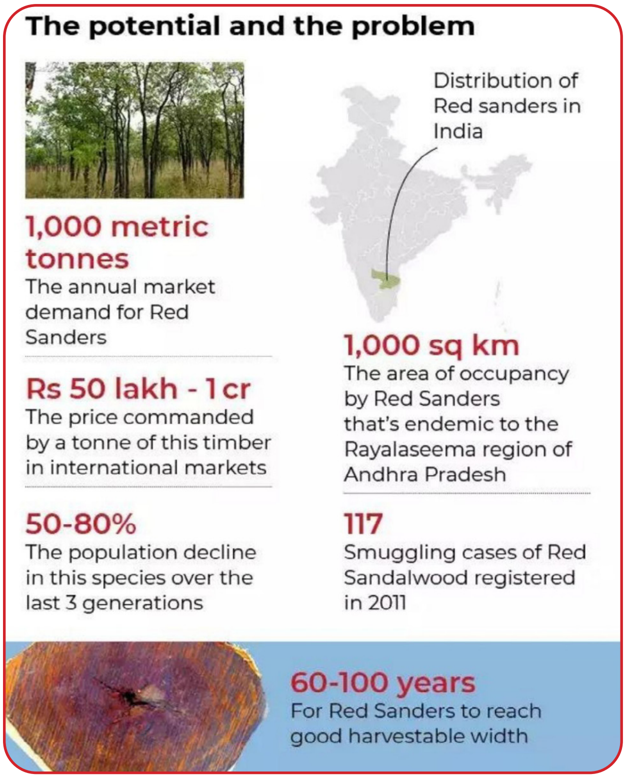

लाल चंदन के बारे में:

- लाल चंदन एक स्थानिक और लुप्तप्राय वृक्ष प्रजाति है, जो केवल आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाटों में पाई जाती है। अपने सीमित आवास और संकटग्रस्त स्थिति (IUCN लाल सूची: संकटग्रस्त) के कारण यह

पारिस्थितिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- आर्थिक दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी समृद्ध लाल लकड़ी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों, फर्नीचर और संगीत वाद्ययंत्रों में किया जाता है। इसे विशेष रूप से चीन और जापान जैसे निर्यात बाजारों में किया जाता है।
- **लाल चंदन के संरक्षण हेतु कानूनी प्रावधान:**
  - **भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972:** इसे अनुसूची-IV में शामिल किया गया है, जिससे इसका कानूनी संरक्षण सुनिश्चित होता है।
  - **आंध्र प्रदेश वन अधिनियम (संशोधन 2016):** लाल चंदन से जुड़े अपराधों को गंभीर और गैर-जमानती बना दिया गया है।
  - **CITES (परिशिष्ट-II):** अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित किया गया है, ताकि अत्यधिक शोषण से बचाया जा सके।
- इन सभी कानूनी उपायों का उद्देश्य तस्करी, आवास हानि और अवैध व्यापार जैसी चुनौतियों से लाल चंदन की रक्षा करना है।

निष्कर्ष:

आंध्र प्रदेश में लाल चंदन के संरक्षण के लिए एनबीए द्वारा 82 लाख रुपये की स्वीकृति एबीएस नीति को व्यवहार में लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल जैव विविधता के उपयोग और उसके संरक्षण में पुनर्निवेश का सेतु बनती है और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है।

‘गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड’ रिपोर्ट

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (WTI) ने “गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड” नामक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो उन वनकर्मियों को सम्मानित करती है, जिन्होंने वनों और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है।

रिपोर्ट के बारे में:

- “गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड” रिपोर्ट वास्तविक जीवन की कहानियों, केस स्टडीज़ और तस्वीरों का एक वृत्तचित्र-शैली का संग्रह है। यह भारत में वन्यजीव संरक्षण के अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे जो वन रक्षक, महावत, ट्रैकर और स्थानीय समुदाय के सदस्यों के अनुभवों को सामने लाता है। रिपोर्ट उनके रोज़मर्रा के संघर्षों की एक दुर्लभ झलक पेश करती है, जिनमें शामिल हैं:
  - मानव और वन्यजीव के बीच संघर्ष की स्थितियाँ
  - अवैध शिकार रोधी गश्त
  - प्राकृतिक आपदाएँ
  - दुर्गम इलाकों में लंबे समय तक निगरानी और सुरक्षा

पहचान और सुधार की अपील:

- रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत के संरक्षित क्षेत्र अवैध अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और आवासीय क्षति के कारण बढ़ते दबाव में हैं। फिर भी, सबसे पहले मुकाबला करने वाली टीम अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे वन रक्षक, अभी भी संसाधनों, वेतन और पहचान की कमी का सामना कर रही है।
- **रिपोर्ट में प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:**
  - बेहतर बीमा कवरेज और स्वास्थ्य लाभ
  - पर्याप्त प्रशिक्षण और सुरक्षा उपकरण
  - मानसिक स्वास्थ्य सहायता
  - नीतिगत चर्चाओं में शामिल होना

भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के बारे में:

- भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (WTI) भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक प्रमुख चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसकी स्थापना 1998 में नई दिल्ली में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है और इसे भारत के सबसे प्रभावशाली वन्यजीव संरक्षण संगठनों में माना जाता है।
- **मुख्य सेवाएँ:** भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का बहुआयामी दृष्टिकोण निम्नलिखित क्षेत्रों में है:
  - घायल या संकटग्रस्त वन्यजीवों का आपातकालीन बचाव
  - संकटग्रस्त और लुप्तप्राय प्रजातियों की प्रजनन और संरक्षण कार्यक्रम
  - प्राकृतिक आवास की बहाली और समुदाय के साथ संरक्षण कार्य
  - बचाए गए वन्यजीवों को पुनः जंगल में लौटाना
  - तस्करी और अवैध वन्यजीव व्यापार रोकने के लिए कानून और प्रवर्तन में सहयोग

निष्कर्ष:

“गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड” रिपोर्ट सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक पहल है। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण को मानवीय दृष्टिकोण से दिखाना और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है जो इसे ज़मीनी स्तर पर लागू करते हैं। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट सरकार, नागरिक समाज और आम जनता से

अपील करता है कि वे भारत के वन फ्रंटलाइन कर्मचारियों को अधिक संस्थागत समर्थन और सम्मान दें।

टायफून बुआलोई

संदर्भ:

हाल ही में वियतनाम में टायफून बुआलोई और उससे उत्पन्न बाढ़ के कारण जान माल की हानि हुई है। देश की आपदा प्रबंधन एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, 2,10,000 से अधिक घर या तो क्षतिग्रस्त हुए हैं या पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। प्रारंभिक आकलन में आर्थिक नुकसान लगभग 435.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर अनुमानित है।

टायफून बुआलोई के बारे में:

- टायफून बुआलोई उत्तर-पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में उत्पन्न एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। फिलीपींस में इसे टायफून ओपोंग के नाम से जाना गया। अपने चरम पर इसकी तीव्रता कैटेगरी–2 (सैफिर-सिम्पसन स्केल के अनुसार) के बराबर पहुँच गई थी।
- यह 2025 प्रशांत चक्रवात मौसम का 20वाँ नामित तूफ़ान और 9वाँ टायफून था। बाद में यह भूमि पर पहुँचते ही कमजोर हो गया।

उत्पत्ति और मार्ग:

- टायफून बुआलोई की शुरुआत पश्चिमी प्रशांत महासागर में याप द्वीप के उत्तर में बने एक वायुमंडलीय विक्षोभ से हुई।
- फिलीपींस की मौसम एजेंसी पगासा (PAGASA) ने इसे ओपोंग नाम दिया, जबकि जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) ने इसे बुआलोई नाम प्रदान किया।
- यह तूफ़ान फिलीपींस के कई द्वीपों से टकराया, जहाँ इसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई और हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया।
- इसके बाद यह और अधिक शक्तिशाली हुआ तथा वियतनाम की ओर बढ़ा। वहाँ इसने मूसलधार वर्षा, समुद्री लहरों (स्टॉर्म सर्ज) और तेज़ हवाओं के कारण भीषण बाढ़ और भूस्खलन को जन्म दिया।

उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या है?

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक विशाल, घूमने वाला निम्न दाब तंत्र होता है, जो गर्म उष्णकटिबंधीय या उप-उष्णकटिबंधीय समुद्र की सतह पर विकसित होता है।
- इसमें संगठित मेघ-गर्जन (थंडरस्टॉर्म), केंद्र के चारों ओर हवाओं का तेज़ चक्रवातीय घूमाव और भारी वर्षा शामिल होती है। शक्तिशाली चक्रवातों में बीच में एक आँख वाली आकृति भी दिखाई देती है।
- इसका मुख्य ऊर्जा स्रोत गर्म समुद्र का पानी होता है। समुद्र की सतह से वाष्पित हुआ पानी ऊपर उठकर ठंडा होता है, फिर संघनित होकर बादल बनाता है। इस प्रक्रिया में निकलने वाली गुप्त ऊष्मा (Latent Heat) चक्रवात को लगातार ऊर्जा प्रदान करती रहती है।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने और विकसित होने के कुछ चरण इस प्रकार हैं:
  - **उष्णकटिबंधीय अवदाब (Tropical Depression):** जब हवाओं की गति 34 नॉट्स (62 किमी/घं.) से कम होती है।
  - **उष्णकटिबंधीय तूफ़ान (Tropical Storm):** जब हवाओं की गति 34–63 नॉट्स (62–117 किमी/घं.) के बीच होती है।
  - **पूर्ण चक्रवात / हुर्रिकेन / टायफून:** जब हवाओं की गति 64 नॉट्स (≈119 किमी/घं. या 74 मील/घं.) या उससे अधिक हो जाती है, तो इसे प्रबल चक्रवात कहा जाता है। अलग-अलग क्षेत्रों में इसके नाम "हुर्रिकेन, टायफून और साइक्लोन" बदल जाते हैं।

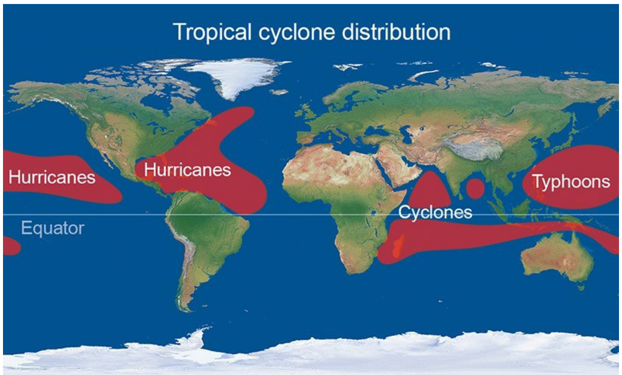

शब्दावली: हुर्रिकेन, टायफून, साइक्लोन

शब्द	क्षेत्र / महासागर बेसिन	उपयोग / विवरण
हुर्रिकेन (Hurricane)	उत्तर अटलांटिक, पूर्वी एवं मध्य उत्तरी प्रशांत	इन क्षेत्रों में जब हवाओं की गति 74 मील/घं. (119 किमी/घं.) या अधिक होती है।
टायफून (Typhoon)	उत्तर-पश्चिमी प्रशांत (इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम)	इन्हीं हवाओं की गति सीमा पर जब तूफ़ान इस क्षेत्र में आता है तो इसे टायफून कहा जाता है।

साइक्लोन (Cyclone)	हिंद महासागर और दक्षिण प्रशांत	इन क्षेत्रों में किसी भी तीव्रता का उष्णकटिबंधीय चक्रवात सामान्यतः साइक्लोन या गंभीर चक्रवाती तूफ़ान कहलाता है।

भारत की राष्ट्रीय 'रेड लिस्ट'

संदर्भ:

हाल ही में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन (NRLA) शुरू किया है, जिसका उद्देश्य लगभग 11,000 प्रजातियों (लगभग 7,000 प्रकार की वनस्पतियाँ और 4,000 जीव-जंतु) के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करना है। यह कार्य अगले पांच वर्षों (2025-2030) में अबू धाबी में आयोजित आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस में किया जाएगा। यह इस पैमाने पर भारत की जैव विविधता का पहला व्यापक, समन्वित मूल्यांकन है।

यह मूल्यांकन क्या करेगा?

- मूल्यांकन में आईयूसीएन से जुड़े वैज्ञानिक दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रजातियों को गंभीर रूप से संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, असुरक्षित, निकट संकटग्रस्त आदि श्रेणियों में वर्गीकृत करने की पद्धति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।
- 2030 तक, लक्ष्य वनस्पतियों और जीवों के लिए राष्ट्रीय लाल सूची प्रकाशित करना और एक जीवंत, उन्नत करने योग्य लाल सूची प्रणाली बनाए रखना है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता तंत्रों: जैविक विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) और कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (केएम जीबीएफ) के तहत भारत की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

महत्व:

- भारत दुनिया के महाविविध देशों में से एक है, जहाँ अपने भू-क्षेत्र के सापेक्ष बहुत अधिक संख्या में प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हालाँकि यह पृथ्वी के भू-क्षेत्र का केवल 2.4% ही कवर करता है, फिर भी यह वैश्विक पादप प्रजातियों का लगभग 8% और वैश्विक पशु प्रजातियों का लगभग 7.5% निवास करता है।
- भारत की प्रजातियों का एक बड़ा हिस्सा स्थानिक है। कई प्रजातियों का आकलन करने के इस अभियान से यह पहचानने में मदद मिलेगी कि उनमें से कौन सी प्रजातियाँ खतरे में हैं, कौन सी प्रजातियाँ यथोचित रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, किन प्रजातियों के बारे में आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, और इस प्रकार संरक्षण प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन होगा।

निहितार्थ:

- वैश्विक स्तर पर, आईयूसीएन रेड लिस्ट के तहत मूल्यांकित लगभग 28% प्रजातियाँ संकटग्रस्त मानी जाती हैं। भारत की राष्ट्रीय सूची इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगी।

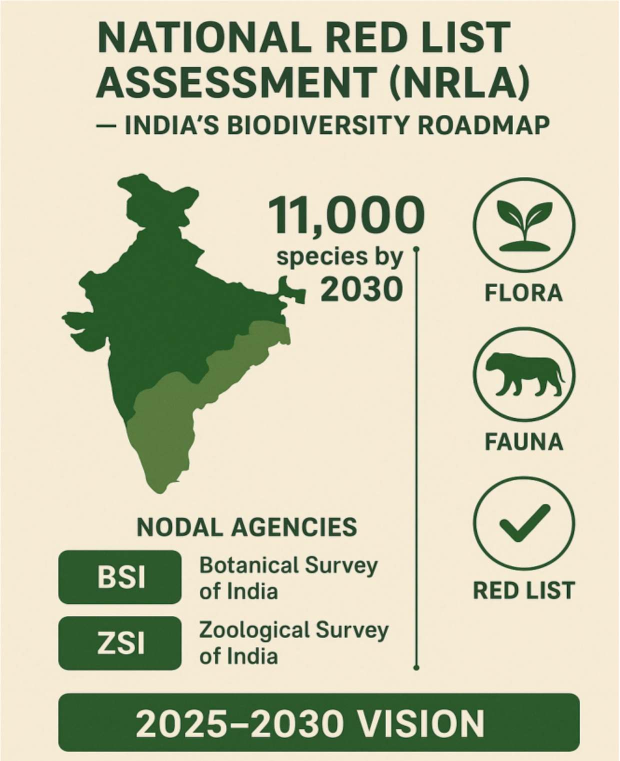

जैव विविधता अभिसमय (सीबीडी) के बारे में:

- सीबीडी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन की विविधता का संरक्षण करना है। इसे रियो डी जेनेरियो में 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था और 1993 में लागू हुआ। इस संधि के तीन मुख्य उद्देश्य हैं:
  - » **जैव विविधता का संरक्षण:** पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की रक्षा करना।
  - » **घटकों का सतत उपयोग:** यह सुनिश्चित करना कि जैविक संसाधनों का उपयोग सतत हो।

» **लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा:** आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को निष्पक्ष रूप से साझा करना।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा:

- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढाँचा (जीबीएफ) एक वैश्विक समझौता है जिसे दिसंबर 2022 में सीबीडी के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (सीओपी15) में अपनाया गया था। इसका उद्देश्य 2050 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना और उसकी भरपाई करना है।
- सीबीडी के एक पक्षकार के रूप में, भारत जीबीएफ के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। देश ने वनस्पतियों और जीवों की लगभग 11,000 प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन (एनलिस्ट) शुरू किया है।
- यह पहल जीबीएफ के लक्ष्यों के अनुरूप है और वैश्विक जैव विविधता संरक्षण प्रयासों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में योगदान देती है।

निष्कर्ष:

भारत के राष्ट्रीय रेड लिस्ट मूल्यांकन का उद्देश्य 5 वर्षों में 11,000 प्रजातियों का मूल्यांकन करना है, जो संवेदनशील जैव विविधता की बेहतर पहचान और संरक्षण के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप है। इसका प्रभाव विश्वसनीय आँकड़ों, निरंतर वित्त पोषण, समय पर संरक्षण कार्रवाई और 2030 के बाद दीर्घकालिक अद्यतनों पर निर्भर करता है।

वन्यजीव सप्ताह 2025

संदर्भ:

हाल ही में 2 से 8 अक्टूबर 2025 तक पूरे भारत में 71वां राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया गया, जिसकी थीम "मानव–वन्यजीव सह-अस्तित्व" थी। इस पहल का उद्देश्य मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करना और संरक्षण कार्यों में साझी भागीदारी और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना था। मुख्य आयोजन इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान (IGZP), देहरादून, उत्तराखंड में हुआ, जहाँ वन्यजीव संरक्षण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की गई।

थीम के बारे में:

- "मानव–वन्यजीव सहअस्तित्व" की थीम का उद्देश्य संघर्ष की सोच से सहयोग की सोच की ओर बढ़ना है। यह इस बात पर जोर देती है कि:
  - » संरक्षण में स्थानीय समुदायों का सहयोग जरूरी है।
  - » तकनीक आधारित समाधान अपनाकर मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम किया जाए।
  - » केवल संरक्षित क्षेत्रों पर निर्भर रहने के बजाय पूरे परिदृश्य को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाए।
  - » वैज्ञानिक संस्थानों और स्थानीय शासन के बीच नीति स्तर पर समन्वय स्थापित हो।

वन्यजीव सप्ताह 2025 की मुख्य विशेषताएं:

- वन्यजीव सप्ताह के दौरान पर्यावरण मंत्री द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष और प्रजाति संरक्षण से जुड़े पाँच राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट शुरू किए गए:
  - » **प्रोजेक्ट डॉल्फ़िन (फेज-II):** मीठे पानी और समुद्री दोनों तरह की डॉल्फ़िन की सुरक्षा पर केंद्रित।
  - » **प्रोजेक्ट स्लॉथ बेयर:** आलसी भालुओं (स्लॉथ बियर) के संरक्षण और मानव–भालू टकराव को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन ढांचे के साथ शुरू किया गया।
  - » **प्रोजेक्ट घड़ियाल:** भारत की संकटग्रस्त घड़ियाल प्रजाति की संख्या बढ़ाने का विशेष अभियान।
  - » **मानव-वन्यजीव संघर्ष पर उत्कृष्टता केंद्र (CoE-HWC), SACON में:** अनुसंधान, नीति और जमीनी स्तर पर संघर्ष कम करने के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र।
  - » **टाइगर रिज़र्व के बाहर के बाघ:** संरक्षित क्षेत्रों से बाहर बढ़ती बाघों की गतिविधियों को देखते हुए, समुदाय की भागीदारी और परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से संरक्षण रणनीति।

डॉल्फ़िन के बारे में:

- भारत में मीठे पानी की दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं:
  - » गंगा नदी डॉल्फ़िन (Platanista gangetica)
  - » सिंधु नदी डॉल्फ़िन (Platanista minor)
- **संरक्षण स्थिति:**
  - » **IUCN रेड लिस्ट:** संकटग्रस्त (Endangered)
  - » **भारतीय कानून:** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I के अंतर्गत संरक्षित

स्लॉथ बियर (Melursus ursinus) के बारे में:

- स्लॉथ बियर भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानीय/स्थानिक (Endemic) प्रजाति है और यह भारत, श्रीलंका और नेपाल के कुछ हिस्सों में पाई जाती है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - » **IUCN रेड लिस्ट:** असुरक्षित (Vulnerable)
  - » भारतीय कानून: अनुसूची-I, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
  - » **CITES:** परिशिष्ट-I (Appendix I) – इनके किसी भी अंग का व्यापार पूरी तरह प्रतिबंधित

घड़ियाल (Gavialis gangeticus) के बारे में:

- घड़ियाल एक अत्यधिक जलीय मगरमच्छ प्रजाति है, जो केवल भारतीय उपमहाद्वीप की नदियों - जैसे गंगा, चंबल, यमुना, गंडक, गिरवा, महानदी आदि में पाई जाती है।
- **संरक्षण स्थिति:**
  - » **IUCN रेड लिस्ट:** गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)
  - » **भारतीय कानून:** वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-I
  - » **CITES:** परिशिष्ट-I (Appendix I)

मानव–वन्यजीव संघर्ष क्या है?

- मानव–वन्यजीव संघर्ष वह स्थिति है जब मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच ऐसा टकराव होता है जिसमें जान-माल की हानि, चोट, फसल का नुकसान, पशुधन का शिकार या संपत्ति को नुकसान होता है।
- **भारत में यह समस्या इन कारणों से बढ़ रही है:**
  - » आवास विखंडन और अतिक्रमण
  - » खेती और बुनियादी ढांचे का विस्तार
  - » वन्यजीव गलियारों का कम होना
  - » जलवायु परिवर्तन के कारण प्रजातियों के आवागमन के पैटर्न में बदलाव
- भारत की घनी आबादी और जंगल किनारे रहने वाली समुदायों की आजीविका जंगल पर निर्भर होने से यह संघर्ष हाथी, तेंदुए, भालू और बड़े बिल्लियों जैसी प्रजातियों के साथ सबसे अधिक देखने को मिलता है।

निष्कर्ष:

वन्यजीव सप्ताह 2025 ने भारत के संरक्षण दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा दिखाई। समुदाय आधारित और तकनीक समर्थित संरक्षण मॉडल को बढ़ावा देते हुए, इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि भारत की जैव विविधता की रक्षा सामूहिक प्रयास और सह-अस्तित्व की भावना से ही संभव है।

महासागरीय स्वेल लहरों के विरुद्ध श्रीलंका की सुरक्षात्मक भूमिका

सन्दर्भ:

आईआईटीएम पुणे, आईएनसीओआईएस हैदराबाद और मैंगलोर विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन से पता चला है कि श्रीलंका का भू-भाग स्वाभाविक रूप से भारत के दक्षिण-पूर्वी तट विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, को दक्षिणी महासागर से आने वाली विनाशकारी लहरों (Swell Waves) से बचाता है। यदि यह भू-आवरण न होता, तो आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तरंगों की ऊँचाई कहीं अधिक होती और तटीय बाढ़ का खतरा बढ़ जाता। यह दर्शाता है कि तटीय सुरक्षा रणनीतियों में प्राकृतिक भौगोलिक संरचनाओं को शामिल करना कितना आवश्यक है।

स्वेल लहरों के बारे में:

- स्वेल लहर सतही गुरुत्वीय तरंगें होती हैं, जो दूरस्थ तूफानों अक्सर हजारों किलोमीटर दूर से उत्पन्न होती हैं।
- दीर्घ-अवधि की स्वेल लहर (जिनकी अवधि 14–16 सेकंड से अधिक होती है) विशेष रूप से शक्तिशाली होती हैं और विशाल महासागरीय दूरी पार करने के बाद भी अत्यधिक ऊर्जा वहन करती हैं।
- इनके कारण अक्सर निम्नलिखित प्रभाव देखे जाते हैं:
  - » तटीय जलमग्नता (Coastal Inundation)
  - » गंभीर तटीय अपरदन (Beach Erosion)
  - » बुनियादी ढाँचे और पारिस्थितिक तंत्र को क्षति
- भारत में, दक्षिण-पश्चिमी तट, विशेष रूप से केरल इन लहरों से अक्सर प्रभावित होता है। आश्चर्यजनक रूप से, दक्षिण-पूर्वी तट जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश अपेक्षाकृत अप्रभावित रहते हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- **स्वेल लहरों की ऊँचाई में वृद्धि:**
  - » यदि श्रीलंका मौजूद न होता, तो आंध्र प्रदेश तक पहुँचने वाली लहरों की ऊँचाई पाँच गुना तक बढ़ सकती थी।
- **अत्यधिक स्वेल लहरों की बढ़ती आवृत्ति:**
  - » 15 सेकंड से अधिक अवधि वाली लहरों की घटनाएँ

उल्लेखनीय रूप से बढ़ जातीं — जहाँ श्रीलंका के साथ परिदृश्य में लगभग 10 घटनाएँ देखी गईं, वहीं "बिना श्रीलंका" वाले परिदृश्य में ये लगभग 24 तक पहुँच गईं।

- **अंतरित संरक्षण:**
  - » तमिलनाडु को लगभग पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है क्योंकि यह सीधे श्रीलंका के पीछे स्थित है, और दक्षिणी महासागर से आने वाली अधिकांश लहरें या तो श्रीलंका से टकरा कर क्षीण हो जाती हैं या मार्ग बदल देती हैं।
  - » आंध्र प्रदेश को आंशिक सुरक्षा मिलती है। कुछ लहरें श्रीलंका के चारों ओर घूमकर या अपवर्तन/विवर्तन के माध्यम से वहाँ तक पहुँच जाती हैं। अतः श्रीलंका के अभाव में आंध्र प्रदेश शक्तिशाली लहरों के प्रति कहीं अधिक संवेदनशील हो जाएगा।
- **तटीय खतरों पर प्रभाव:**
  - » स्वेल की ऊँचाई और आवृत्ति में वृद्धि से तटीय अपरदन, बाढ़, बुनियादी ढाँचे को क्षति और निम्न-भूमि वाले समुदायों के लिए खतरा बढ़ सकता है।
  - » इस प्रकार, श्रीलंका द्वारा प्रदान की गई प्राकृतिक सुरक्षा तटीय जोखिमों को कम करने में वास्तविक और महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

तटीय जोखिम प्रबंधन के लिए महत्व:

- **तटीय योजना और बुनियादी ढाँचा:** भारत के दक्षिण-पूर्वी राज्यों को श्रीलंका की प्राकृतिक सुरक्षा भूमिका को अपने जोखिम मूल्यांकन मॉडलों, तटीय बुनियादी ढाँचे (जैसे सी-वॉल, बंदरगाह, सड़कें) की डिज़ाइन, आपदा तैयारी योजनाओं में शामिल करना चाहिए।
- **परिदृश्य मॉडलिंग (Scenario Modelling):** "बिना श्रीलंका" वाले परिदृश्यों पर अध्ययन करना सबसे खराब संभावित स्थिति का अनुमान लगाने में मदद करता है, जिससे तटीय सुरक्षा संरचनाओं के लिए उचित सुरक्षा मार्जिन तय किए जा सकें।
- **दीर्घकालिक लचीलापन (Resilience):** प्राकृतिक सुरक्षात्मक तत्वों जैसे श्रीलंका का भू-भाग और क्षेत्रीय वनस्पति को पहचानना और संरक्षित करना जलवायु जोखिमों से निपटने का एक टिकाऊ और कम-लागत वाला तरीका है।

निष्कर्ष:

आईआईटीएम पुणे, आईएनसीओआईएस और मैंगलोर विश्वविद्यालय के अध्ययन से पुष्टि होती है कि श्रीलंका का भू-भाग तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को शक्तिशाली महासागरीय स्वेल लहरों से महत्त्वपूर्ण रूप से बचाता है। जैसे-जैसे तटीय जोखिम बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक विशेषताओं जैसे भू-आकृति और वनस्पति को योजना एवं नीति में शामिल करना भारत की तटीय लचीलापन (Coastal Resilience) को सुदृढ़ करने का एक टिकाऊ और प्रभावी उपाय सिद्ध हो सकता है।

भारत की ब्लू इकॉनमी को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट

संदर्भ:

नीति आयोग ने "भारत की ब्लू इकॉनमी: गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन की क्षमता का उपयोग करने की रणनीति" शीर्षक से एक नई रणनीति रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट तटीय जल से परे समुद्री मत्स्य क्षेत्र की अब तक अप्रयुक्त क्षमता के अन्वेषण पर केंद्रित है। अध्ययन में इस क्षेत्र को पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी बनाने के लिए एक चरणबद्ध रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य बिंदु:

- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जो लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका को सहारा देता है। वित्त वर्ष 2023–24 में मछली और मत्स्य उत्पादों का निर्यात ₹60,523 करोड़ रहा।
- भारत की 11,098 किमी लंबी समुद्री तटरेखा, 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, तथा 2 मिलियन वर्ग किमी से अधिक का विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है।

- इसके अतिरिक्त, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य संसाधन (Deep Sea & Offshore Fisheries) अब भी बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त हैं।
- अनुमानतः 7.16 मिलियन टन की संभावित वार्षिक पैदावार (पारंपरिक और गैर-पारंपरिक प्रजातियाँ सम्मिलित) उपलब्ध हो सकती है।
- वर्तमान में भारत के पास उच्च समुद्री मत्स्य पालन के लिए बहुत कम पंजीकृत जहाज हैं, उदाहरण के लिए, हिंद महासागर टूना आयोग क्षेत्र में केवल 4 भारतीय ध्वज वाले जहाज पंजीकृत हैं, जबकि श्रीलंका और ईरान में एक-एक हजार से अधिक जहाज पंजीकृत हैं।

मुख्य सिफारिशें एवं रणनीतिक हस्तक्षेप:

हस्तक्षेप का क्षेत्र	विवरण
विनियामक एवं विधिक सुधार (Regulatory & Legal Reform)	EEZ (12–200 नौटिकल मील) में मत्स्य पालन हेतु एकीकृत कानून लागू करना, जहाज पंजीकरण कानूनों को अद्यतन करना, नोडल निकायों की जिम्मेदारियाँ परिभाषित करना।
संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता निर्माण (Institutional Strengthening & Capacity Building)	वैज्ञानिक अनुसंधान क्षमता बढ़ाना, रीयल-टाइम डाटा संग्रह, मछली भंडार का मानचित्रण, जहाजों की ट्रैकिंग व निगरानी प्रणाली विकसित करना।
नौका आधुनिकीकरण एवं अवसंरचना उन्नयन (Fleet Modernisation & Infrastructure Upgrade)	बेहतर नौकाओं के लिए प्रोत्साहन (लंबी दूरी, सुरक्षा, ठंडा भंडारण), गहरे समुद्र के लैंडिंग केंद्रों का विकास, कनेक्टिविटी सुधार।
सततता एवं पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्रबंधन (Sustainability & Ecosystem-based Management)	अत्यधिक मछली पकड़ने पर रोक, समुद्री आवासों की रक्षा, 'बाय कैच' कम करना, पर्यावरण अनुकूल मत्स्य तकनीकें अपनाना।
वित्तपोषण एवं संसाधन जुटाव (Finance & Resource Mobilisation)	समर्पित 'डीप सी फिशिंग डेवलपमेंट फंड' बनाना, पीपीपी (PPP) मॉडल अपनाना, सॉफ्ट लोन व बीमा कवर प्रदान करना तथा केंद्र और राज्य योजनाओं का समन्वय सुनिश्चित करना।
सामुदायिक भागीदारी एवं समावेशन (Community Participation & Inclusivity)	तटीय मछुआरा समुदायों को शामिल करना, सहकारी समितियों को सशक्त बनाना, समूह-स्वामित्व मॉडल अपनाना, मछुआरों के कौशल विकास को बढ़ावा देना।

चुनौतियाँ:

- **विनियामक खामियाँ:** वर्तमान कानून बिखरे हुए हैं; EEZ में 12 नौटिकल मील से आगे मत्स्य पालन के लिए विशिष्ट कानून का अभाव है।
- **उच्च लागत:** गहरे समुद्र में मत्स्य पालन हेतु जहाज, प्रसंस्करण इकाइयाँ, कोल्ड चेन व निगरानी प्रणाली महँगी हैं, छोटे मछुआरे इन्हें वहन नहीं कर सकते।
- **पर्यावरणीय जोखिम:** गहरे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र नाजुक हैं; अत्यधिक मछली पकड़ने, बाय कैच और आवास क्षति का खतरा रहता है।
- **अवसंरचना की कमी:** गहरे समुद्र के लैंडिंग केंद्र, कोल्ड स्टोरेज और बड़े जहाजों के लिए बंदरगाह क्षमता सीमित है।
- **शासन एवं समन्वय की चुनौती:** केंद्र व राज्य सरकारों, और समुद्री, मत्स्य, पर्यावरण तथा रक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है।

निष्कर्ष:

नीति आयोग की यह रिपोर्ट भारत की ब्लू इकॉनमी को एक नई दिशा देने वाली है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो यह भारत के गहरे समुद्री और अपतटीय मत्स्य क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी क्रांति ला सकती है जिससे उत्पादन बढ़ेगा, निर्यात में वृद्धि होगी, मछुआरों की आजीविका सशक्त होगी, और साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी की रक्षा भी सुनिश्चित होगी।

नवीनतम आईयूसीएन रेड लिस्ट

संदर्भ:

हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने नई रेड लिस्ट जारी की है, जिसमें आर्कटिक सील्स और दुनिया भर की पक्षी प्रजातियों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। यह अपडेट 10 अक्तूबर 2025 को अबू धाबी में आयोजित आईयूसीएन वर्ल्ड

कंजरवेशन कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया। रिपोर्ट स्पष्ट संकेत देती है कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवासों का नुकसान और मानवीय हस्तक्षेप कई प्रजातियों को तेजी से विलुप्ति की स्थिति पर पहुँचा रहे हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

- **संकटग्रस्त प्रजातियों का पैमाना:**
  - रेड लिस्ट में अब कुल 1,72,620 प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें से 48,646 प्रजातियाँ विलुप्ति के खतरे में मानी गई हैं।
  - पक्षियों में, दुनिया भर की कुल प्रजातियों में से 61% की आबादी लगातार घट रही है, जबकि 2016 में यह आंकड़ा करीब 44% था। यह बताता है कि स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हो चुकी है।
- **सील प्रजातियाँ की कम होती संख्या:** आर्कटिक क्षेत्र की तीन सील प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पहले से अधिक खराब हो गई है:
  - **हुडेड सील (सिस्टोफोरा क्रिस्टाटा):** संवेदनशील से लुप्तप्राय श्रेणी में स्थानांतरित किया गया।
  - **बीयर्डेड सील (एरिग्नाथस बार्बेटस):** कम चिंताजनक से निकट संकटग्रस्त में स्थानांतरित किया गया।
  - **हार्प सील (पैगोफिलस ग्रोएनलैंडिकस):** इसे भी कम चिंताजनक से निकट संकटग्रस्त में स्थानांतरित कर दिया गया।
- **मुख्य खतरा:**
  - ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री बर्फ का कम होना है। समुद्री बर्फ प्रजनन, विश्राम, निर्मोचन (खाल बदलने), भोजन की तलाश और शावक पालन के लिए आवश्यक होती है। जैसे-जैसे बर्फ पतली होती जा रही है और उसका मौसमी दायरा घट रहा है, इन सीलों के आवास सिकुड़ रहे हैं, भोजन तक पहुंच कम हो रही है और मानवीय व्यवधान बढ़ रहे हैं।
  - **सील प्रजातियाँ के लिए अन्य खतरे:** समुद्री यातायात में वृद्धि, तेल और खनिज निष्कर्षण, औद्योगिक मछली पकड़ने में उप-पकड़ (bycatch), ध्वनि प्रदूषण और शिकार।
- **पक्षियों की संख्या में अधिक गिरावट:**
  - मूल्यांकन की गई 11,185 पक्षी प्रजातियों में से 1,256 (लगभग 11.5%) को अब वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त (Threatened) श्रेणी में रखा गया है।
  - पक्षियों की आबादी में गिरावट तेजी से और व्यापक पैमाने पर दर्ज की गई है, खासतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका सबसे अधिक प्रभाव दिखाई दे रहा है।
  - मेडागास्कर, पश्चिम अफ्रीका और मध्य अमेरिका जैसे क्षेत्रों में, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय वनों में, पेड़ों की कटाई, कृषि विस्तार और भूमि उपयोग में बदलाव के कारण प्राकृतिक आवास बुरी तरह नष्ट हो रहे हैं।
  - कई पक्षी प्रजातियों को अब 'निकट संकटग्रस्त' (Near Threatened) और 'असुरक्षित' (Vulnerable) जैसी श्रेणियों में भी रखा गया है।

निष्कर्ष:

आईयूसीएन की नवीनतम रेड लिस्ट स्पष्ट संकेत देती है कि जैव विविधता का संकट लगातार गहराता जा रहा है। आर्कटिक सील्स के सामने खड़ा खतरा सीधे जलवायु परिवर्तन और समुद्री बर्फ के तेजी से घटते क्षेत्र से जुड़ा है। दूसरी ओर, पक्षियों की लगातार घटती आबादी का मुख्य कारण वनों का विनाश, भूमि उपयोग में बदलाव और बढ़ता मानवीय हस्तक्षेप है। स्थिति गंभीर है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर ठोस और समय पर कदम उठाए जाएँ, तो संरक्षण के सफल उदाहरण बन सकते हैं।

आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट

सन्दर्भः

हाल ही में आईयूसीएन द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें पाया गया कि जलवायु परिवर्तन अब प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों के लिए सबसे बड़ा वर्तमान खतरा बन चुका है। यह पहले की तुलना में कहीं अधिक संख्या में स्थलों को प्रभावित कर रहा है।

मुख्य निष्कर्षः

- अब 43% स्थल (271 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में से 117) जलवायु परिवर्तन से उच्च या बहुत उच्च स्तर के खतरे का सामना कर रहे हैं। यह संख्या 2020 में 33% थी।
- आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ (Invasive Alien Species – IAS) दूसरा सबसे आम खतरा हैं, जो लगभग 30% स्थलों को प्रभावित कर रही हैं।
- वन्यजीव और पौधों की बीमारियाँ एक उभरता हुआ खतरा बन गई हैं। अब ये 9% स्थलों को प्रभावित कर रही हैं (2020 में यह केवल 2% थी)।
- जिन स्थलों के भविष्य में संरक्षण की स्थिति सकारात्मक मानी जा रही थी, उनका अनुपात घट गया है। अब केवल 57% स्थलों का भविष्य सकारात्मक माना जा रहा है, जो 2020 में 62% था।

विश्व धरोहर स्थलों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावः

- **कोरल ब्लीचिंग और रीफ का क्षरणः** समुद्र के बढ़ते तापमान और अम्लीकरण (acidification) से कोरल प्रणालियाँ, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ, बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।
- **हिमनदों का पिघलनाः** बर्फ के पिघलने से ठंडे वातावरण में रहने वाली प्रजातियों का आवास घट रहा है, नीचे की ओर जल प्रवाह और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता प्रभावित हो रही है।
- **अधिक बार और तीव्र आग, सूखा एवं चरम मौसमी घटनाएँ:** ये पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट करती हैं, उनकी सहनशीलता घटाती हैं, और क्रमिक पारिस्थितिक विफलताएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- **आक्रामक प्रजातियों और रोगजनकों का प्रसारः** जैसे-जैसे तापमान और वर्षा के पैटर्न बदलते हैं, वे जीव जो पहले जलवायु सीमाओं के कारण सीमित थे, अब फैल सकते हैं, जिससे नई बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।

आवश्यक सुझावः

- **मजबूत जलवायु अनुकूलन रणनीतियाँ:** संरक्षण योजनाओं में केवल "संरक्षण" ही नहीं बल्कि "अनुकूलन" (adaptation) के उपायों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।
- **स्थल प्रबंधन, निगरानी और पुनर्स्थापन में अधिक निवेशः** कई स्थल अपर्याप्त वित्त पोषण और कमजोर शासन से ग्रस्त हैं।
- **स्थानीय और आदिवासी समुदायों का समावेशः** धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु निर्णय-प्रक्रिया में स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान को शामिल करना आवश्यक है।
- **वैश्विक सहयोगः** ग्रीनहाउस गैसों को कम करना, डेटा साझा करना और वित्तीय सहायता प्रदान करना एक वैश्विक सामूहिक प्रयास होना चाहिए।

निष्कर्षः

आईयूसीएन की नई रिपोर्ट एक गंभीर चेतावनी देती है। जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य का खतरा नहीं, बल्कि वर्तमान और व्यापक संकट है जो लगभग आधे प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों को प्रभावित कर रहा है। यदि उत्सर्जन में कमी, पारिस्थितिक तंत्र की सहनशीलता बढ़ाने और अनुकूलन में निवेश के ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो पृथ्वी के अनेक अनमोल प्राकृतिक परिदृश्य और पारिस्थितिक प्रणालियाँ स्थायी रूप से नष्ट हो सकती हैं।

भारत में हाथियों की जनसँख्या में कमी

संदर्भः

नवीनतम अखिल भारतीय हाथी गणना (एसएआईईई) 2021–25 के अनुसार, भारत में जंगली एशियाई हाथियों की संख्या अब लगभग 22,446 है। यह देश की पहली व्यापक डीएनए आधारित हाथी गणना है। यह आंकड़ा 2017 में अनुमानित 27,312 की तुलना में लगभग 17.8% की गिरावट दर्शाता है।

भौगोलिक वितरण और राज्यवार संख्याः

- नए आंकड़े भारत के प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्रों में हाथियों की संख्या को दर्शाते हैं:
  - पश्चिमी घाट: 11,934 (सबसे अधिक)
  - पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ / ब्रह्मपुत्र मैदान: 6,559
  - शिवालिक पहाड़ियाँ / गंगा मैदान: 2,062
  - मध्य भारत और पूर्वी घाट: 1,891
- **राज्यवार आबादीः**
  - कर्नाटक: 6,013
  - असम: 4,159

» तमिलनाडु: 3,136
» केरल: 2,785
» उत्तराखंड: 1,792
» ओडिशा: 912

हाथी संरक्षण में चुनौतियाँ:

- रिपोर्ट में हाथियों की आबादी पर पड़ने वाले प्रमुख खतरों पर प्रकाश डाला गया है:
  - » **आवास और प्राकृतिक क्षेत्र का नुकसान:** कृषि विस्तार, बागान, सड़क, रेलवे, विद्युत लाइन और शहरी विस्तार से हाथियों के आवास छोटे और अलग-थलग हो रहे हैं, जिससे उनका आवागमन और आनुवंशिक विनिमय बाधित होता है।
  - » **कोरिडोर का टूटना:** पारंपरिक प्रवासन मार्ग अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे हाथियों की मौसमी प्रवासन, भोजन और प्रजनन प्रभावित हो रहा है।
  - » **मानव–हाथी संघर्ष:** जब हाथी खेती की जमीन या मानव बस्तियों में प्रवेश करते हैं, तो संघर्ष बढ़ जाता है। इसके परिणामस्वरूप फसल और संपत्ति का नुकसान, प्रतिशोध, विद्युत झटका, ट्रेन दुर्घटना और आकस्मिक मृत्यु जैसी घटनाएँ होती हैं।

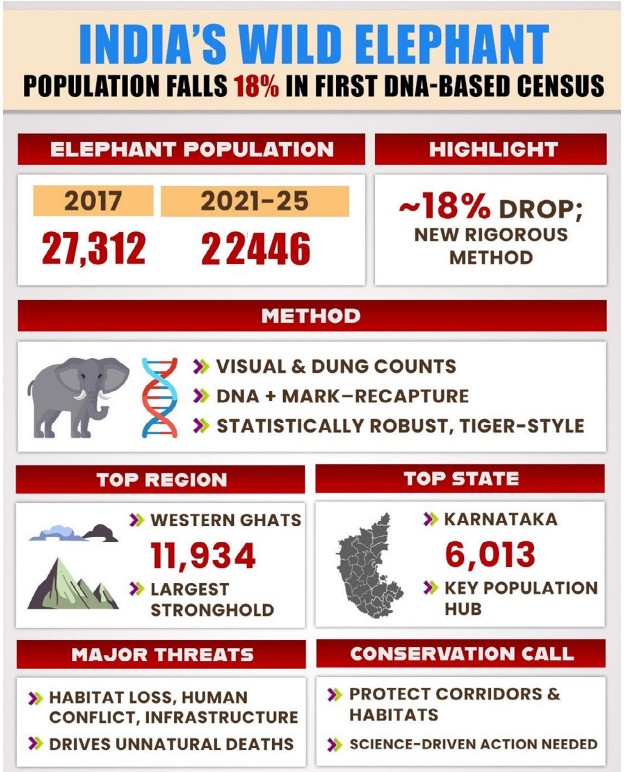

इन खतरों को कम करने के उपाय:

- **प्रोजेक्ट एलीफेंट:** यह परियोजना हाथियों के आवास प्रबंधन, शिकार रोकने और मानव–हाथी संघर्ष को कम करने में मदद करती है।
- **हाथी कोरिडोर:** हाथियों के सुरक्षित प्रवासन के लिए विशेष मार्ग बनाए गए हैं।
- **जन जागरूकता अभियान:** जैसे गज यात्रा, जो लोगों में हाथियों के पारिस्थितिक और सांस्कृतिक महत्व के प्रति जागरूकता फैलाती है।
- **राष्ट्रीय धरोहर पशु का दर्जा:** हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया, ताकि उसकी सांस्कृतिक और पारिस्थितिक अहमियत को बढ़ावा मिले।
- **डीएनए आधारित जीन बैंक:** पालतू हाथियों के स्वास्थ्य की निगरानी और उनके आनुवंशिक प्रबंधन में मदद करता है।

एशियाई हाथी के बारे में:

- एशियाई हाथी (एलिफस मैक्सिमस) को कीस्टोन प्रजाति माना जाता है, क्योंकि यह वन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- हाथी बीज खाकर और उन्हें फैलाकर वन पुनर्जनन में मदद करते हैं और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं।
- **भारत में एशियाई हाथी:**
  - » घटती जनसंख्या के कारण IUCN रेड लिस्ट में इसे लुप्तप्राय (Endangered) सूचीबद्ध किया गया है।
  - » वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित, इसे कानूनी सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त है।
  - » CITES परिशिष्ट I में शामिल, जो हाथी के अंगों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
- भारत ने हाथियों और उनके आवास की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमे प्रोजेक्ट एलीफेंट (1992) और 14 राज्यों में 33 हाथी आरक्षित क्षेत्र आदि शामिल है।

वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (जीएफआरए) 2025 जारी किया है, जो दुनिया के

वन संसाधनों का व्यापक और विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट आकलन का 15वां संस्करण है, जिसे 1946 से हर पांच साल पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता रहा है।

मुख्य निष्कर्ष:

- कुल वैश्विक वन क्षेत्र 4.14 बिलियन हेक्टेयर अनुमानित है, जो पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का लगभग 32% (प्रति व्यक्ति ≈0.5 हेक्टेयर) है।
- वार्षिक शुद्ध वन हानि (अर्थात वनों की कटाई में से विस्तार घटाकर) में कमी आई है: 1990 के दशक में लगभग 10.7 मिलियन हेक्टेयर/वर्ष से घटकर 2015-25 में लगभग 4.12 मिलियन हेक्टेयर/वर्ष हो गई है।
- प्राथमिक वन (मानव द्वारा अप्रभावित) अब लगभग 1.18 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो कुल वन का लगभग एक तिहाई है।
- वन कार्बन स्टॉक का अनुमान 714 गीगाटन (Gt) है, जो जलवायु शमन में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
- लगभग 20% वन (~813 मिलियन हेक्टेयर) कानूनी रूप से संरक्षित हैं तथा 55% से अधिक (~2.13 बिलियन हेक्टेयर) दीर्घकालिक प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत हैं।
- 1990 और 2025 के बीच, शुद्ध वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाला एशिया एकमात्र प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें मुख्य रूप से चीन और भारत योगदान दे रहे हैं।
- वन क्षेत्र के शीर्ष पांच देश "रूस (~832.6 मिलियन हेक्टेयर), ब्राज़ील (~486 मिलियन हेक्टेयर), कनाडा (~368.8 मिलियन हेक्टेयर), संयुक्त राज्य अमेरिका (~308.9 मिलियन हेक्टेयर) और चीन (~227 मिलियन हेक्टेयर)" हैं। ये पाँच देश वैश्विक वन क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा रखते हैं।

भारत का प्रदर्शन:

- भारत अब विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर है, जो पहले 10वें स्थान पर था। इसका वन क्षेत्र लगभग 72.7 मिलियन हेक्टेयर है।
- 2015-25 की अवधि में वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में भारत ने विश्व स्तर पर तीसरा स्थान बरकरार रखा है, जिसमें लगभग 1.91 लाख हेक्टेयर/वर्ष की शुद्ध वृद्धि हुई है।
- यह सुधार भारत के वनरोपण कार्यक्रमों, सामुदायिक वन प्रबंधन, नीतिगत पहलों (हरित भारत मिशन, प्रतिपूरक वनरोपण) और रिमोट सेंसिंग व GIS के माध्यम से मजबूत निगरानी को दर्शाता है।

जीएफआरए 2025 का महत्व:

- वन कार्बन अवशोषण, जैव विविधता संरक्षण, जल चक्र का नियमन, मृदा संरक्षण और वन-आश्रित समुदायों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यह डेटा पेरिस समझौते, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) और वैश्विक जैव विविधता ढांचे के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं का समर्थन करता है।
- वैश्विक वनों की कटाई में कमी और भारत के सकारात्मक प्रदर्शन से भारत के लिए वन बहाली, जलवायु शमन और दक्षिण-दक्षिण सहयोग में नेतृत्व संभालने के नए अवसर खुलते हैं।

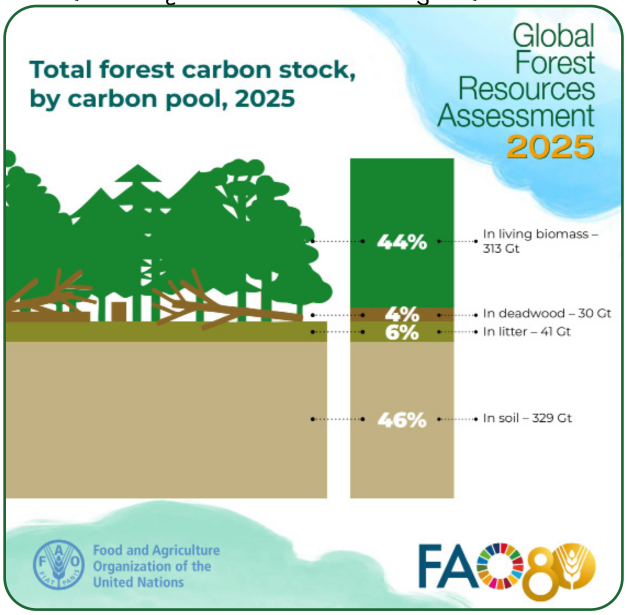

निष्कर्ष:

जीएफआरए 2025 सावधानीपूर्वक सकारात्मक संदेश देता है कि दुनिया के वनों का क्षेत्र पृथ्वी के लगभग एक-तिहाई भूमि क्षेत्र के बराबर है और शुद्ध वन हानि की दर लगातार घट रही है। भारत के लिए, वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पर उन्नति और वार्षिक वृद्धि में शीर्ष-3 में बने रहना सतत प्रयासों का स्पष्ट संकेत है और नीतिगत दिशा को मजबूत बनाता है। हालाँकि मुख्य चुनौती वनों को स्वस्थ, लचीला और सतत प्रबंधित रखना, साथ ही जलवायु, जैव विविधता और मानव कल्याण के लक्ष्यों में निरंतर योगदान सुनिश्चित करना है।

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट

सन्दर्भ:

हाल ही में हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट (HEI) द्वारा इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ

मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन (IHME) के सहयोग से जारी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 (SoGA 2025) रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि वर्ष 2023 में वायु प्रदूषण के कारण वैश्विक स्तर पर 7.9 मिलियन (79 लाख) मौतें हुईं।

मुख्य निष्कर्ष:

- वायु प्रदूषण विश्वभर में मृत्यु का प्रमुख पर्यावरणीय जोखिम कारक बना हुआ है, जिसने वर्ष 2023 में लगभग 7.9 मिलियन मौतों में योगदान दिया।
- इन मौतों में से लगभग 6.8 मिलियन (≈86%) गैर-संचारी रोगों (NCDs) जैसे हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, क्रॉनिक श्वसन रोग, मधुमेह और डिमेंशिया के कारण हुईं।
- दुनिया की लगभग 36% जनसंख्या वार्षिक औसत $PM_{2.5}$ स्तर 35 माइक्रोग्राम/घनमीटर (µg/m^3) से अधिक प्रदूषण के संपर्क में है (जो WHO का न्यूनतम अंतरिम लक्ष्य है)।
- लगभग 2.6 अरब लोग (मानवता का लगभग एक-तिहाई हिस्सा) घरों में खाना पकाने या हीटिंग के लिए ठोस ईंधन (solid fuels) के उपयोग से होने वाले प्रदूषण के संपर्क में हैं।

भारत-विशिष्ट निष्कर्ष:

- भारत में वर्ष 2023 में वायु प्रदूषण के संपर्क से जुड़ी लगभग 20 लाख मौतें दर्ज की गईं।
  - » यह वर्ष 2000 की तुलना में लगभग 43% की वृद्धि को दर्शाता है (जब लगभग 14 लाख मौतें हुई थीं)।
  - » भारत में वायु प्रदूषण से मृत्यु दर प्रति एक लाख जनसंख्या पर लगभग 186 मौतें है, जबकि उच्च-आय वाले देशों में यह दर लगभग 17 प्रति एक लाख है।
  - » भारत में वायु प्रदूषण से जुड़ी लगभग 89%–90% मौतें गैर-संचारी रोगों (हृदय रोग, फेफड़ों का कैंसर, सीओपीडी, मधुमेह आदि) के कारण होती हैं।
  - » **क्षेत्रीय स्तर पर:** भारत की लगभग 75% जनसंख्या ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहाँ वार्षिक $PM_{2.5}$ स्तर WHO के 35 µg/m^3 के अंतरिम लक्ष्य से अधिक है।
  - » **भौगोलिक हॉटस्पॉट:** उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रत्येक में एक लाख से अधिक मौतें 2023 में वायु प्रदूषण से दर्ज की गईं।

नीति संबंधी निहितार्थ:

- रिपोर्ट के निष्कर्ष तत्काल और एकीकृत कार्रवाई की मांग करते हैं:
  - » वायु गुणवत्ता नीति को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के साथ जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वायु प्रदूषण अब NCDs का एक प्रमुख जोखिम कारक बन चुका है।
  - » राज्य-विशिष्ट और स्थानीय स्तर पर अनुकूलित कार्य योजनाएँ आवश्यक हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण के स्रोत और स्तर भिन्न हैं।
  - » निगरानी और स्वास्थ्य-सर्वेक्षण प्रणालियों को सशक्त करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि प्रगति का मूल्यांकन और लक्षित हस्तक्षेप संभव हो सके।
  - » प्रमुख स्रोत जैसे परिवहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्पादन, फसल अवशेष जलाना, शहरी धूल और ऊर्जा संक्रमण को नियंत्रित करना प्रभावी निवारण के लिए अनिवार्य है।

निष्कर्ष:

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट वायु प्रदूषण के वैश्विक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव की एक गंभीर तस्वीर प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट के निष्कर्ष इस बात पर ज़ोर देते हैं कि वायु गुणवत्ता मानकों को मजबूत करने, स्वच्छ ऊर्जा और परिवहन अवसंरचना में निवेश बढ़ाने, तथा जन-जागरूकता अभियानों को प्रोत्साहित करने जैसे बहुआयामी दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है।

क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम वर्षा

संदर्भ:

नई दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य शहर में गंभीर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम वर्षा कराना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा दिल्ली के कुछ हिस्सों में बादलों में सीडिंग फ्लेयर्स (नमक मिश्रित सिल्वर आयोडाइड) छोड़े गए। हालांकि, परीक्षण के दौरान

कोई महत्वपूर्ण वर्षा नहीं हुई, तथा अपेक्षित कृत्रिम वर्षा भी सार्थक रूप से नहीं हुई।

वर्षा क्यों नहीं हुई?

- बादलों में नमी की मात्रा केवल लगभग 15-20% थी, जो प्रभावी सीडिंग के लिए आदर्श सीमा से काफी कम थी। बादल में पर्याप्त जल सामग्री के बिना, पर्याप्त बूँदें एकत्रित होकर वर्षा के रूप में नहीं गिरेंगी।
- क्लाउड सीडिंग के सफल होने के लिए, बादलों में एक निश्चित ऊर्ध्वाधर मोटाई, पर्याप्त तरल जल सामग्री और अनुकूल गतिशीलता (जैसे, अपड्राफ्ट, अभिसरण) होनी चाहिए।
- उस समय दिल्ली के आसमान में शुष्क, उथले बादल छाए रहते थे या फिर सही प्रकार के बादलों का अभाव था (विशेषकर सर्दियों/मानसून के बाद के मौसम में)।

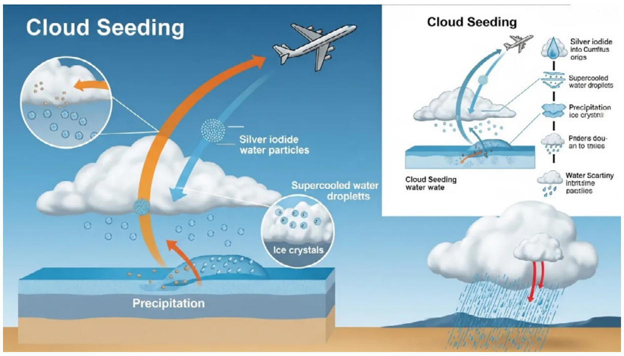

निहितार्थ:

- परीक्षण से क्लाउड सीडिंग की तकनीकी जटिलता का पता चलता है, अर्थात यह मौसम पर निर्भर है, वर्षा की गारंटी देने वाली मशीन नहीं।
- दिल्ली के लिए, सर्दियों के प्रदूषण के मौसम में, वायुमंडलीय परिस्थितियाँ (शुष्क हवा, उथले बादल) इस पद्धति के लिए अनुकूल नहीं हैं।
- ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता "सही मौसम विज्ञान, सही मात्र में रसायन और सही समय" पर निर्भर करती है।

क्लाउड सीडिंग के बारे में:

- क्लाउड सीडिंग मौसम परिवर्तन का एक रूप है जिसका उद्देश्य बादलों से वर्षा को बढ़ाना है। इसमें संघनन को प्रोत्साहित करने और वर्षा बढ़ाने के लिए बादलों में कुछ पदार्थों को शामिल करना शामिल है।
- वैश्विक स्तर पर, इसका उपयोग 1940 के दशक से किया जा रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इज़राइल और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इसे जल प्रबंधन के लिए अपना रहे हैं।
- क्लाउड सीडिंग क्लाउड माइक्रोफिजिक्स के सिद्धांत पर निर्भर करती है। बादलों में पानी की बूँदें या बर्फ के क्रिस्टल होते हैं जो प्राकृतिक रूप से अवक्षेपित होने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं।
- सीडिंग एजेंट जैसे सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, या सूखी बर्फ (ठोस CO_2) संघनन या बर्फ नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बूंदों का संलयन और वर्षण सुगम होता है।

निष्कर्ष:

हालाँकि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पहल कृत्रिम वर्षा कराने और खतरनाक वायु गुणवत्ता स्तरों से निपटने का एक साहसिक प्रयास है। अनुकूल बादलों और पर्याप्त नमी की अनुपस्थिति के कारण वर्षा नहीं हुई। शहर की दीर्घकालिक प्रदूषण लड़ाई के लिए, क्लाउड सीडिंग से कभी-कभार राहत मिल सकती है लेकिन वास्तविक जीत उत्सर्जन को कम करने, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने, कृषि जलाने पर नियंत्रण करने और धूल और औद्योगिक स्रोतों का प्रबंधन करने से मिलेगी।

अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र

संदर्भ:

अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की 8वीं महासभा 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक नई दिल्ली, भारत में आयोजित हुई। इस सत्र में सदस्य देशों के प्रतिनिधि, मंत्री, उद्योग विशेषज्ञ तथा नागरिक समाज संगठनों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य विश्वभर में सौर ऊर्जा के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि ऊर्जा तक पहुंच सभी के लिए समावेशी और समान रूप से उपलब्ध हो।

आईएसए महासभा के बारे में:

- यह सभा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई है। इसमें प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और आमतौर पर हर वर्ष इसकी बैठक निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आयोजित की जाती है:
  - » गठबंधन की रणनीतिक दिशा तय करना।

» बजट, कार्य योजनाओं और मुख्य पहलों को मंजूरी देना।
» सदस्य देशों की प्रगति की समीक्षा करना और सौर ऊर्जा के कार्यान्वयन से जुड़े कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।

2025 की प्रमुख विषय-वस्तुएं और फोकस क्षेत्र:

- इस 8वीं महासभा में आईएसए ने कुछ प्रमुख प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया है:
  » **समावेशी ऊर्जा पहुंच:** यह रेखांकित किया गया कि सौर ऊर्जा केवल बिजली उत्पादन का साधन नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समुदायों, महिलाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का माध्यम भी है।
  » **प्रौद्योगिकी, नीति और वित्त:** इस सत्र के दौरान आईएसए के "ग्लोबल फ्लोटिंग सोलर फ्रेमवर्क" के शुभारंभ की योजना है, जो जल निकायों के उपयोग से सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगा।
  » **वैश्विक दक्षिण और संवेदनशील देश:** महासभा में एक सामूहिक कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी, जो सौर ऊर्जा के विस्तार को रोजगार सृजन, आजीविका विकास, जलवायु अनुकूलन और सामाजिक समावेशन से जोड़ेगी।
  » **पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय:** सौर ऊर्जा के विस्तार के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सौर परियोजनाओं के क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन और पर्यावरणीय स्थिरता बनी रहे।

आईएसए के बारे में:

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) एक संधि-आधारित अंतरसरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य विश्वभर में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है, विशेषकर उन देशों में जहां सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- इसकी परिकल्पना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान की थी।
- आईएसए का मुख्यालय भारत के गुरुग्राम (हरियाणा) में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के परिसर में स्थित है।
- इसकी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुली है, अब तक 100 से अधिक देश आईएसए के हस्ताक्षरकर्ता या सदस्य बन चुके हैं।

विजन, मिशन और प्रमुख लक्ष्य:

- **आईएसए का विजन:** "आइए, हम सब मिलकर सूर्य को और अधिक उज्ज्वल बनाएं।"
- **मिशन:** विश्व स्तर पर लागत-प्रभावी सौर समाधानों को लागू करना, विशेष रूप से अल्प-विकसित देशों (LDCs) और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) पर ध्यान केंद्रित करना।
- **प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य:** "1000 की ओर (Towards 1000)" पहल के तहत, आईएसए का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना, 1 अरब (1000 मिलियन) लोगों तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना और 1000 गीगावाट (1 टेरावाट) सौर क्षमता स्थापित करना है।

निष्कर्ष:

नई दिल्ली में आयोजित आईएसए की 8वीं महासभा केवल एक उच्च-स्तरीय बैठक नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा की बढ़ती भूमिका और सहयोग का प्रतीक है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जो अभी भी ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे हैं। 120 से अधिक देशों की सक्रिय भागीदारी और समावेश, प्रौद्योगिकी, वित्त तथा जलवायु कार्रवाई पर केंद्रित एजेंडे के साथ, यह महासभा आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा के वैश्विक विस्तार और सतत विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

चक्रवात मोंथा

सन्दर्भ:

चक्रवात मोंथा (Cyclone Montha), एक प्रबल चक्रवाती तूफान, हाल ही में भारत के पूर्वी तट से टकराया जिसका आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्यों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इस चक्रवात का नाम थाईलैंड ने दिया है। "मोंथा" का अर्थ थाई भाषा में "सुगंधित फूल" होता है।

उत्पत्ति:

- चक्रवात मोंथा की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में बने एक निम्न-दाब क्षेत्र से हुई, जो समुद्र की सतह पर उच्च तापमान और अनुकूल वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण धीरे-धीरे तीव्र हुआ।
- यह उत्तर-उत्तरपश्चिम दिशा में बढ़ता हुआ एक गंभीर चक्रवाती तूफान (Severe Cyclonic Storm) में परिवर्तित हो गया और 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के निकट तट से टकराया।
- भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, तूफान के दौरान 90–

100 किमी/घंटा की सतत वायु गति दर्ज की गई, जबकि झोंकों की गति 110 किमी/घंटा तक पहुँची।

प्रभावित क्षेत्र:

- चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई।
    - तूफ़ानी लहरों के कारण कई तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। 76,000 से ज़्यादा लोगों को अस्थायी आश्रय स्थलों पर पहुँचाया गया और सरकार ने ड्रोन, पावर आरी और राहत सामग्री से लैस आपदा प्रतिक्रिया टीमों को सक्रिय कर दिया।
    - मोन्था इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री तापमान भारत के पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि में योगदान दे रहे हैं।

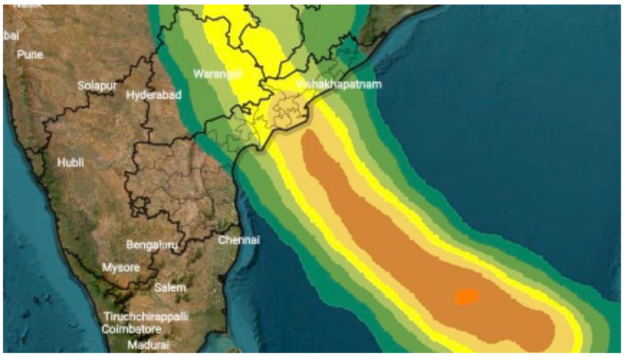

चक्रवात के बारे में:

चक्रवात एक विशाल मौसमीय प्रणाली है, जिसकी विशेषता है- निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के चारों ओर घूमती हुई तेज़ हवाएँ।

- **मुख्य विशेषताएँ एवं बनने की प्रक्रिया:**
    - उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वामावर्त (counterclockwise) दिशा में घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त (clockwise) दिशा में।
    - ये आम तौर पर गर्म महासागरीय जल पर बनते हैं, जहाँ समुद्र की सतह से निकलने वाली ऊष्मा और नमी उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है।
    - चक्रवात समुद्र की सतह से नम हवा खींचते हैं, जो ऊपर उठकर संघनित होती है और ऊर्जा छोड़ती है, जिससे तूफान और तीव्र होता जाता है।

वर्गीकरण और नामकरण:

- चक्रवातों के प्रकार और नाम उनके क्षेत्र और तीव्रता के आधार पर अलग-अलग होते हैं।
- उदाहरण के लिए:
    - अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन (Hurricane) कहा जाता है,
    - पश्चिमी प्रशांत में टाइफून (Typhoon),
    - हिन्द महासागर में प्रायः साइक्लोन (Cyclone) कहा जाता है।
- भारत (और आसपास के क्षेत्रों) में चक्रवातों का वर्गीकरण वायु गति (wind speed) के आधार पर किया जाता है:
    - चक्रवाती तूफ़ान (CS): 63-87 किमी/घंटा
    - गंभीर चक्रवाती तूफ़ान (SCS): 88-117 किमी/घंटा
    - अति गंभीर चक्रवाती तूफ़ान (VSCS): 118-220 किमी/घंटा
    - अति चक्रवाती तूफ़ान (SuCS): 222 किमी/घंटा और उससे अधिक।

निष्कर्ष:

चक्रवात मोन्था तटीय भारत में जलवायु अनुकूलन और आपदा-प्रतिरोधी विकास की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। हालांकि प्रभावी निकासी से हताहतों की संख्या न्यूनतम हुई, लेकिन आर्थिक और पारिस्थितिक नुकसान ने राष्ट्रीय नीति ढांचे में आपदा तैयारी, सामुदायिक जागरूकता और टिकाऊ तटीय प्रबंधन को एकीकृत करने के महत्व की पुष्टि की है।

5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डिजिटल संप्रभुता की ओर: भारत का क्वांटम साइबर मिशन

सन्दर्भ:

भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से देश क्वांटम तकनीक की मदद से "क्वांटम-प्रतिरोधी" सुरक्षा प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में सच्ची यादृच्छिक संख्याओं (True Random Numbers) की खोज और "क्वांटम साइबर रेडीनेस" श्वेतपत्र का प्रकाशन यह दर्शाता है कि भारत अब भविष्य के क्वांटम युग के लिए तकनीकी और नीतिगत दोनों स्तरों पर तैयार हो रहा है। यह कदम न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि रणनीतिक रूप से भी भारत की डिजिटल संप्रभुता, डेटा सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व को मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन है।

इस दिशा में दो महत्वपूर्ण काम हुए हैं, पहला भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी क्वांटम तकनीक बनाई और प्रमाणित की है, जो सच्ची यादृच्छिक संख्याएँ (True Random Numbers) उत्पन्न करती है। ये डिजिटल सुरक्षा की बुनियाद हैं और दूसरी सरकार ने "ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस" नाम से एक श्वेतपत्र (Whitepaper) जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि भारत भविष्य के "क्वांटम कंप्यूटिंग युग" के लिए कैसे तैयार होगा। ये दोनों पहलें दिखाती हैं कि भारत अब क्वांटम विज्ञान, डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी शासन के क्षेत्र में मज़बूत कदम बढ़ा रहा है जो आने वाले वर्षों में भारत की डिजिटल स्वतंत्रता और सुरक्षा तय करेंगे।

डिजिटल सुरक्षा में यादृच्छिक संख्याओं का महत्व:

- हर पासवर्ड, बैंक ट्रांज़ेक्शन या सुरक्षित ऑनलाइन संदेश के पीछे यादृच्छिक संख्याओं की ही भूमिका होती है। इन यादृच्छिक (random) संख्याओं से एन्क्रिप्शन कीज़ (Keys) बनती हैं जो किसी भी डेटा को सुरक्षित रखती हैं ताकि उसे कोई डिकोड न कर सके। लेकिन, ज़्यादातर सिस्टम आज "छद्म-यादृच्छिक संख्याएँ (pseudorandom numbers)" इस्तेमाल करते हैं।

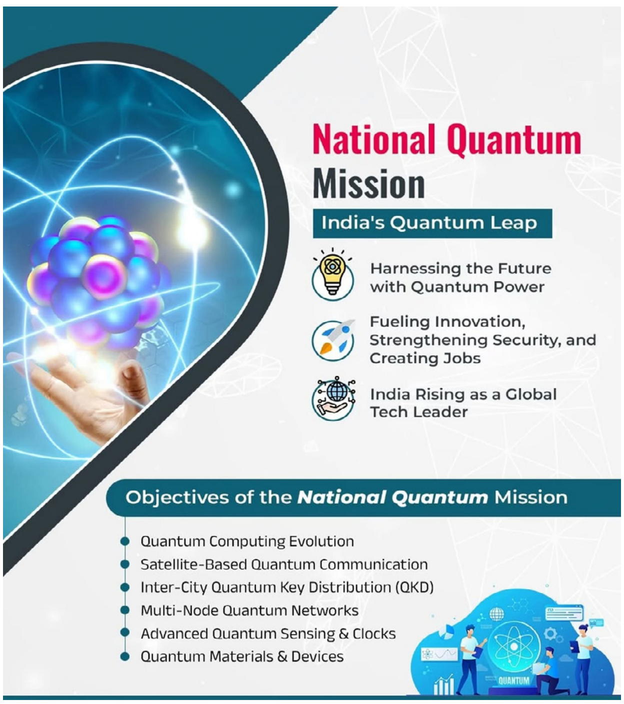

- ये कंप्यूटर एल्गोरिद्म से बनती हैं, अर्थात दिखने में यादृच्छिक लगती हैं, लेकिन असल में एक तय गणितीय क्रम से निकली होती हैं। इसलिए अगर किसी को एल्गोरिद्म और उसकी शुरुआती वैल्यू पता चल जाए, तो वो इन संख्याओं को दोबारा बना सकता है।

- अभी तक ये तरीका ठीक काम करता रहा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटरों के आने से अब यह सुरक्षा खतरे में है, क्योंकि वे बेहद तेज़ गणना कर सकते हैं और पुराने एन्क्रिप्शन तोड़ सकते हैं।

वैज्ञानिक चुनौती: सच्ची यादृच्छिकता कैसे मिले?

- प्रकृति में कण एक ही समय में कई अवस्थाओं में हो सकते हैं (जिसे सुपरपोज़िशन कहते हैं)। क्वांटम क्षेत्र में, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे कण सुपरपोज़िशन (superposition) में होते हैं, अर्थात वे एक साथ कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। जब उनका मापन किया जाता है, तो वे यादृच्छिक रूप से एक निश्चित अवस्था "चुनते" हैं।
- इसी सिद्धांत पर क्वांटम रैंडम नंबर जेनरेटर (QRNG) काम करता है। यह क्वांटम घटनाओं से '0' और '1' जैसी संख्याएँ बनाता है जो सच में अप्रत्याशित होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती रही है कि यह साबित करना कि ये संख्याएँ सच में क्वांटम स्रोत से ही आई हैं, न कि मशीन की किसी गड़बड़ी या बाहरी असर से। यही प्रमाणन या (certification) वैज्ञानिकों के लिए अब तक चुनौती बनी रही जो क्वांटम सूचना विज्ञान की सबसे जटिल समस्याओं में से एक रहा है।

भारत की उपलब्धि: उपकरण-स्वतंत्र क्वांटम यादृच्छिकता

- भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार एक सामान्य क्वांटम कंप्यूटर पर यह दिखाया कि यादृच्छिकता को बिना किसी विशेष उपकरण पर निर्भर हुए प्रमाणित किया जा सकता है।
- पहले के प्रयोगों में दो उलझे हुए कणों को सैकड़ों मीटर दूर रखकर यह साबित किया जाता था कि परिणाम यादृच्छिक हैं पर भारतीय टीम ने नया तरीका निकाला, उन्होंने एक ही क्वांटम कण में समय के अंतर (time separation) का उपयोग किया और लेगेट–गार्ग असमानता के उल्लंघन को मापा। इससे साबित हुआ कि यादृच्छिकता वास्तव में क्वांटम कारणों से आई है, न कि किसी गड़बड़ी से।
- सबसे अहम बात यह थी कि यह प्रयोग एक सामान्य क्वांटम कंप्यूटर पर हुआ, जो असली परिस्थितियों में भी ठीक से काम करता है। यह उपलब्धि अब प्रयोगशाला से निकलकर वास्तविक उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है।

इस खोज के लाभ:

- **क्वांटम-सुरक्षित एन्क्रिप्शन:** सच्ची यादृच्छिक संख्याओं से ऐसा डेटा सुरक्षा सिस्टम बनाया जा सकता है जिसे कोई भी कंप्यूटर नहीं तोड़ सके।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** सेना और खुफिया विभाग सुरक्षित संचार के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं।
- **डेटा गोपनीयता:** बैंकिंग और ऑनलाइन लेनदेन में नागरिकों के डेटा को और मज़बूती से सुरक्षित किया जा सकेगा।
- **वैज्ञानिक नेतृत्व:** यह भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM) को आगे बढ़ाने वाली बड़ी सफलता है।

क्वांटम कंप्यूटिंग और एन्क्रिप्शन का खतरा

- अभी जो एन्क्रिप्शन सिस्टम (जैसे RSA, ECC) इस्तेमाल होते हैं, वे गणित की ऐसी कठिन समस्याओं पर आधारित हैं जिन्हें आम कंप्यूटर नहीं सुलझा सकते। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर ये गणनाएँ बहुत तेज़ी से कर सकते हैं (जैसे Shor's Algorithm के ज़रिए)।
- इससे पुराने एन्क्रिप्शन सिस्टम बेअसर हो सकते हैं और संवेदनशील जानकारी खतरे में पड़ सकती है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 10 सालों में क्वांटम कंप्यूटर इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वे आज के अधिकांश डिजिटल सुरक्षा ढाँचों को तोड़ सकते हैं — बैंकिंग से लेकर रक्षा नेटवर्क तक।

भारत का "क्वांटम साइबर रेडीनेस" श्वेतपत्र:

- इस उभरते चुनौती को पहचानते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना

प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) और एक अग्रणी साइबर सुरक्षा फर्म के सहयोग से "ट्रांजिशनिंग टू क्वांटम साइबर रेडीनेस" नामक श्वेतपत्र जारी किया है।

- यह श्वेतपत्र क्वांटम-प्रतिरोधी सुरक्षा प्रणालियों की ओर भारत के संक्रमण को मार्गदर्शित करने के लिए एक व्यापक नीति और तकनीकी ढाँचा प्रदान करता है। इसमें भारत के लिए एक स्पष्ट नीति और तकनीकी रोडमैप दिया गया है ताकि देश की साइबर सुरक्षा भविष्य में भी सुरक्षित रह सके।
- **मुख्य उद्देश्य हैं:**
  - मौजूदा एन्क्रिप्शन सिस्टम की कमजोरियों का आकलन।
  - नए "क्वांटम-प्रतिरोधी एल्गोरिद्म" अपनाने की रणनीति बनाना।
  - पुराने सिस्टम में नए एल्गोरिद्म को आसानी से जोड़ने की योजना।
  - बैंकिंग, स्वास्थ्य, और शासन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को प्राथमिकता देना।

CERT-In: भारत की साइबर सुरक्षा की रीढ़

- CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी है।
- यह काम करती है:
  - साइबर हमलों की निगरानी और विश्लेषण करने में,
  - चेतावनी और दिशा-निर्देश जारी करने में,
  - बड़े साइबर खतरों पर राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का समन्वय करने में,
  - साइबर सुरक्षा पर श्वेतपत्र और दिशानिर्देश जारी करने में।
- यह सरकार, निजी कंपनियों और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर काम करती है ताकि देश क्वांटम युग के साइबर खतरों के लिए तैयार रहे।

क्वांटम तैयारी क्यों ज़रूरी है?

- भारत की डिजिटल योजनाएँ जैसे आधार, यूपीआई, और डिजिटल इंडिया ने देश को एक डिजिटल शक्ति बना दिया है।
- लेकिन जितना बड़ा यह नेटवर्क है, उतना ही यह साइबर हमलों के लिए आकर्षक लक्ष्य भी है। इसलिए, क्वांटम-तैयार होना केवल तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक ज़रूरत है।
- इससे देश की अर्थव्यवस्था, शासन और रक्षा तंत्र भविष्य के खतरों से सुरक्षित रहेंगे।
- क्वांटम तकनीकें सिर्फ साइबर सुरक्षा तक सीमित नहीं हैं वे एआई, संचार, पदार्थ अनुसंधान और सटीक मापन जैसे क्षेत्रों में भी बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। आज इन पर निवेश करने का मतलब है कल के लिए तकनीकी नेतृत्व सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष:

भारत ने एक साथ वैज्ञानिक और नीतिगत स्तर पर दो बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं "सच्ची क्वांटम याद्दच्छिकता का प्रयोग, और क्वांटम साइबर तत्परता श्वेतपत्र का जारी होना। पहला कदम तकनीकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है,जबकि दूसरा संस्थागत और नीतिगत तैयारी का मार्ग दिखाता है। ये दोनों मिलकर भारत को वैश्विक क्वांटम तकनीकी नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। यह भारत की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं कि उसका डिजिटल भविष्य सुरक्षित, स्वायत्त और क्वांटम युग के लिए तैयार रहेगा।

नई साइफन-संचालित विलवणीकरण प्रणाली

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के शोधकर्ताओं ने एक नई साइफन-संचालित विलवणीकरण (Desalination) प्रणाली का अनावरण किया है। यह प्रणाली तटीय और शुष्क क्षेत्रों में साफ और पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने के तरीके को बदलने की क्षमता रखती है। इसका डिज़ाइन पारंपरिक सोलर स्टिल्स और अन्य पैसिव विलवणीकरण तकनीकों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है।

साइफन-संचालित विलवणीकरण प्रणाली के बारे में:

- साइफन-संचालित विलवणीकरण प्रणाली एक आधुनिक थर्मल तकनीक है, जो सिफॉन सिद्धांत के आधार पर समुद्री पानी को ताजे और पीने योग्य पानी में परिवर्तित करती है। भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) द्वारा विकसित यह प्रणाली पारंपरिक सोलर स्टिल्स की तुलना में अधिक कुशल, किफायती और बढ़ाने योग्य (स्केलेबल) है। साथ ही, यह नमक जमने जैसी समस्याओं को भी रोकती है।

प्रणाली कैसे काम करती है?

- **साइफन-संचालित थर्मल प्रक्रिया:** यह प्रणाली गुरुत्वाकर्षण (सिफॉन के माध्यम से) का उपयोग करके खारा पानी खींचती है। पानी गर्म धातु की सतह पर बहुत पतली परत के रूप में फैलता है, जिससे तेज़ वाष्पीकरण संभव होता है।
- **पतली परत वाष्पीकरण और अल्ट्रा-नैरो कंडेनसेशन गैप:** इस गर्म परत से बनने वाला वाष्प लगभग 2 मिमी की छोटी दूरी तय करके ठंडी सतह तक पहुँचता है। वहाँ यह संघनित होकर ताजे पानी में बदल जाता है।
- **ऊष्मा पुनर्चक्रण के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था:** एवेपोरेटर-कंडेनसर के जोड़े कई स्तरों में एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, ताकि पहले चरणों की गर्मी का पुन: उपयोग किया जा सके। इससे प्रणाली की कुल दक्षता बढ़ जाती है।

मुख्य विशेषताएँ और लाभ:

- **उच्च दक्षता:** यह प्रणाली सूर्य की रोशनी में प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटे छह लीटर से अधिक साफ पानी उत्पन्न कर सकती है, जो पारंपरिक सोलर स्टिल्स की तुलना में काफी अधिक है।
- **स्केलेबल और टिकाऊ:** इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे आसानी से बढ़ाने योग्य बनाता है। एल्यूमिनियम और फैब्रिक जैसे कम लागत वाले सामग्री का उपयोग इसे किफायती भी बनाता है।
- **ऊर्जा में बहुमुखी:** यह यूनिट सौर ऊर्जा या अपशिष्ट ऊष्मा दोनों का उपयोग करके काम कर सकती है, जिससे यह ऑफ-ग्रिड समुदायों, तटीय क्षेत्रों और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
- **लवण प्रतिरोधी:** यह प्रणाली 20% तक उच्च लवण सांद्रता वाले पानी को भी शुद्ध कर सकती है, जिससे हाइपरसालिन और खारे पानी के प्रबंधन में मदद मिलती है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** पैसिव थर्मल ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होने के कारण यह प्रणाली ताजे पानी का एक टिकाऊ और कम कार्बन उत्सर्जन वाला समाधान प्रदान करती है।

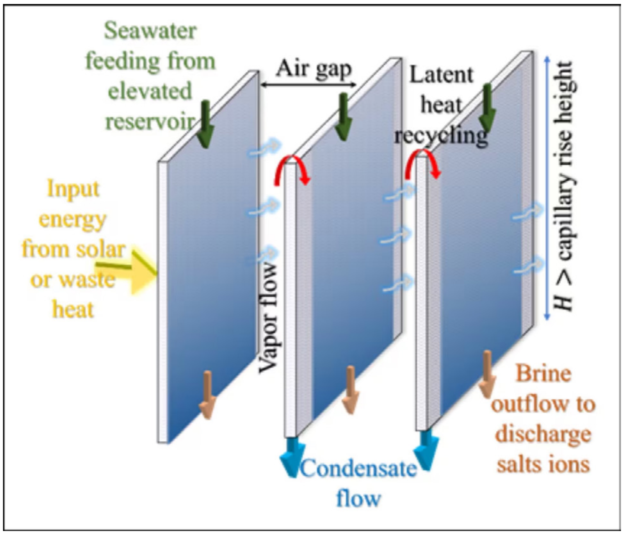

परिणाम और संभावनाएँ:

- यदि यह तकनीक बड़े पैमाने पर सफल होती है, तो इसके कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं:
  - » दूर-दराज और तटीय क्षेत्रों में पीने के पानी की पहुँच बढ़ाना।
  - » महंगे और विद्युत-खपत वाले रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम पर निर्भरता कम करना।
  - » शुष्क क्षेत्रों, द्वीपों या आपदा प्रभावित इलाकों में जहां पानी की संरचना सीमित है, वहाँ समुदायों की मदद करना।
  - » निष्क्रिय या कम ऊर्जा प्रणालियों का उपयोग कर एक हरित विकल्प प्रदान करना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना।

निष्कर्ष:

आईआईएससी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नई साइफन-संचालित

विलवणीकरण प्रणाली वैश्विक जल संकट का समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक समुद्री पानी को कम लागत, कुशल और टिकाऊ तरीके से शुद्ध कर लाखों लोगों के लिए सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध करवा सकती है। समुद्री पानी को भरोसेमंद ताजे पानी के स्रोत में बदलने की इसकी क्षमता इसे भविष्य में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली नवाचार बनाती है।

उच्च डाइएथिलीन ग्लाइकॉल स्तर वाले खांसी के सिरप

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत में बेचे जा रहे तीन खांसी के सिरप कोल्डरिफ (ColdRif), रेस्पीफ्रेश टीआर (Respifresh TR), और रीलाइफ (ReLife) में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) नामक एक विषैले रसायन की अत्यधिक मात्रा पाई गई। परीक्षण में विषैले रसायन की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों ने इन सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया और जांच शुरू कर दी। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में दुर्भाग्यवश, जिन बच्चों ने ये सिरप लिए, उनमें से कई गंभीर रूप से बीमार हो गए और कुछ की मृत्यु भी हो गई। परीक्षण से विषैले रसायन की पुष्टि होने के बाद अधिकारियों ने इन सिरपों पर प्रतिबंध लगाते हुए जांच प्रारंभ कर दी।

डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) के बारे में:

- डाइएथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) एक रंगहीन, गंधहीन, और हाइग्रोस्कोपिक (नमी सोखने वाला) कार्बनिक विलायक है, जिसका उपयोग औद्योगिक रूप से एंटीफ्रीज़, ब्रेक फ्लूइड्स, प्लास्टिक और अन्य अनुप्रयोगों में किया जाता है।
- दवाओं में, ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जैसे एक्सिपिएंट्स (सहायक पदार्थ) में DEG का विषैले रसायन हो सकता है, यदि औषधीय-ग्रेड के बजाय औद्योगिक-ग्रेड सामग्री का उपयोग किया जाए।
- नियमित मानकों के अनुसार, औषधीय तैयारियों में DEG की मात्रा 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक होने पर यह असुरक्षित मानी जाती है।
- जब लोग, विशेषकर बच्चे, DEG का सेवन करते हैं, तो यह उनकी गुर्दों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और उल्टी, पेट दर्द, तथा गुर्दा विफलता जैसी लक्षण उत्पन्न कर सकता है। बच्चे अधिक जोखिम में होते हैं क्योंकि उनका शरीर छोटा और विकासशील होता है।

प्रणालीगत खामियाँ जो सामने आईं:

- लागत कम करने के लिए सबस्टैंडर्ड या औद्योगिक-ग्रेड एक्सिपिएंट्स (ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल) का उपयोग किया गया, जिससे DEG विषैले रसायन की संभावना बढ़ी।
- घरेलू और निर्यात के लिए दवाओं के परीक्षण मानकों में असमानता है — पहले निर्यातित दवाओं के लिए कड़े परीक्षण अनिवार्य थे, जबकि घरेलू बैच अक्सर ऐसे परीक्षण से बच जाते थे।
- राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरणों के पास विषैले रसायन की पहचान के लिए पर्याप्त क्षमता, संसाधन या तकनीकी दक्षता नहीं है।
- निरीक्षणों, ऑडिट, प्रयोगशाला परीक्षणों और फॉलो-अप में देरी या कमियाँ, दोषपूर्ण उत्पादों को बाजार तक पहुँचने देती हैं।

भारत में दवाओं और खांसी के सिरप का नियमन कैसे होता है?

- भारत में औषधि निर्माण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत, केंद्रीय और राज्य दोनों प्राधिकरणों को शामिल करते हुए एक दोहरी नियामक प्रणाली द्वारा शासित होता है।

- भारतीय औषधि महानियंत्रक (DCGI) के नेतृत्व में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), नई औषधि अनुमोदन, नैदानिक परीक्षण, आयात नियंत्रण और गुणवत्ता मानकों को निर्धारित करने जैसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यों की देखरेख करता है।
- राज्य स्तर पर, राज्य औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) दैनिक प्रवर्तन का प्रबंधन करते हैं, जिसमें विनिर्माण लाइसेंस जारी करना, कारखाना निरीक्षण करना और अपने अधिकार क्षेत्र में उल्लंघनों की जांच करना शामिल है।
- निर्माताओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची एम में उल्लिखित अच्छे विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) का पालन करना होगा। राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा विनिर्माण प्रक्रियाओं और गुणवत्ता प्रणालियों की समीक्षा के बाद लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

आगे की राह:

- **बेहतर परीक्षण और नियमन:** प्रत्येक सिरप बैच का विषाक्त पदार्थों के लिए परीक्षण किया जाए; दवा प्रयोगशालाओं को उन्नत किया जाए आकस्मिक निरीक्षण बढ़ाए जाएँ और सख्त गुणवत्ता एवं विक्रेता मानक लागू हों।
- **कानूनी कार्रवाई और जवाबदेही:** दोषियों पर कठोर दंड लगें, त्वरित उत्पाद वापसी (recall) सुनिश्चित की जाए और पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए।
- **पारदर्शिता और जन-जागरूकता:** वापस लिए गए औषधियों की सार्वजनिक डेटाबेस तैयार की जाए, उपभोक्ताओं और फार्मेसियों को अलर्ट भेजे जाएँ और लोगों को सुरक्षित दवा उपयोग के बारे में शिक्षित किया जाए।
- **बच्चों की दवाओं पर विशेष ध्यान:** बाल औषधियों के लिए उच्च सुरक्षा मानक तय हों, बच्चों में अविवेकपूर्ण खांसी सिरप उपयोग को सीमित किया जाए।
- **बेहतर समन्वय:** केंद्र और राज्य एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित हो, नियमित ऑडिट हों और वैश्विक स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर जोखिमों की निगरानी की जाए।

निष्कर्ष:

तीन खांसी के सिरपों में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल जैसे विषैले रसायन की उपस्थिति ने भारत की औषधि सुरक्षा प्रणाली में गहरी खामियों को उजागर कर दिया है। तत्काल त्रासदी से परे, यह कच्चे माल की गुणवत्ता, नियामक व्यवस्था, और जवाबदेही में गंभीर कमजोरियों को रेखांकित करता है। बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जरूरी है कि ऐसे मामलों को रोकने हेतु कड़े सुधार, त्वरित कार्रवाई और लगातार निगरानी की जाए।

2025 का चिकित्सा (मेडिसिन) में नोबेल पुरस्कार

संदर्भ:

6 अक्टूबर 2025 को फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से शिमोन सकागुची (जापान), फ्रेड रैम्सडेल (अमेरिका) और मैरी ई. ब्रनकाउ (अमेरिका) को उनके प्रतिरक्षा सहनशीलता (immune tolerance) से संबंधित क्रांतिकारी खोजों के लिए प्रदान किया गया। विशेष रूप से, उन्होंने रेगुलेटरी टी सेल्स (Tregs) और फॉक्सपी3 (FOXP3) जीन की पहचान और उनकी भूमिका को स्पष्ट किया। इन खोजों ने स्व-प्रतिरक्षित रोगों (autoimmune diseases), कैंसर और अंग प्रत्यारोपण चिकित्सा के प्रति हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया है।

परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता (Peripheral Immune Tolerance) के बारे में:

- प्रतिरक्षा प्रणाली (immune system) को "स्व" (self) और "पराया" (non-self) में अंतर करना होता है, ताकि वह बाहरी आक्रमणकारियों पर हमला कर सके लेकिन शरीर के सामान्य ऊतकों को नुकसान न पहुँचाए।
- केंद्रीय सहनशीलता (Central Tolerance) वह प्रक्रिया है, जिसमें आत्म-प्रतिक्रियाशील (self-reactive) प्रतिरक्षा कोशिकाओं को उनके विकास के दौरान समाप्त या निष्क्रिय कर दिया जाता है — टी कोशिकाओं के लिए थाइमस (thymus) में और बी कोशिकाओं के लिए अस्थि मज्जा (bone marrow) में।
- हालांकि, कुछ आत्म-प्रतिक्रियाशील कोशिकाएँ इस प्रारंभिक जाँच से बच निकलती हैं। परिधीय सहनशीलता (Peripheral Tolerance) उन अतिरिक्त सुरक्षा तंत्रों को संदर्भित करती है, जो केंद्रीय अंगों के बाहर कार्य करते हैं ताकि ये बची हुई कोशिकाएँ शरीर के खिलाफ हानिकारक प्रतिक्रिया न करें।
- 2025 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विशेष रूप से इन परिधीय नियंत्रण तंत्रों की खोज के लिए दिया गया है।

पुरस्कार विजेताओं के योगदान:

- **नियामक टी कोशिकाएं (Regulatory T Cells - Tregs) – शिमोन सकागुची**
  - » 1990 के दशक में, सकागुची ने प्रतिरक्षा कोशिकाओं के ऐसे

उपसमूह की खोज की जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को दबा सकता था और स्व-प्रतिरक्षा को रोक सकता था।

» इन कोशिकाओं को रेगुलेटरी टी कोशिकाएँ (Tregs) नाम दिया गया।

» उनके प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि जब इन कोशिकाओं को चूहों से हटाया गया, तो उनमें स्व-प्रतिरक्षा रोग उत्पन्न हो गया — जिससे यह प्रमाणित हुआ कि ये कोशिकाएँ परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- **FOXP3 जीन – मैरी ई. ब्रनकाउ और फ्रेड रैम्सडेल**
  - » 2001 में, ब्रनकाउ और रैम्सडेल ने FOXP3 जीन की पहचान की, जो Treg कोशिकाओं के विकास और कार्य का प्रमुख नियामक है।
  - » उन्होंने पाया कि FOXP3 में उत्परिवर्तन (mutation) IPEX सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ लेकिन घातक स्व-प्रतिरक्षित विकार का कारण बनता है, जो शिशुओं में देखा जाता है।
  - » अब FOXP3 को Tregs का "मास्टर कंट्रोल जीन" माना जाता है।
  - » इन खोजों ने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है ताकि वह शरीर पर हमला न करे, लेकिन बाहरी खतरों से रक्षा करती रहे।

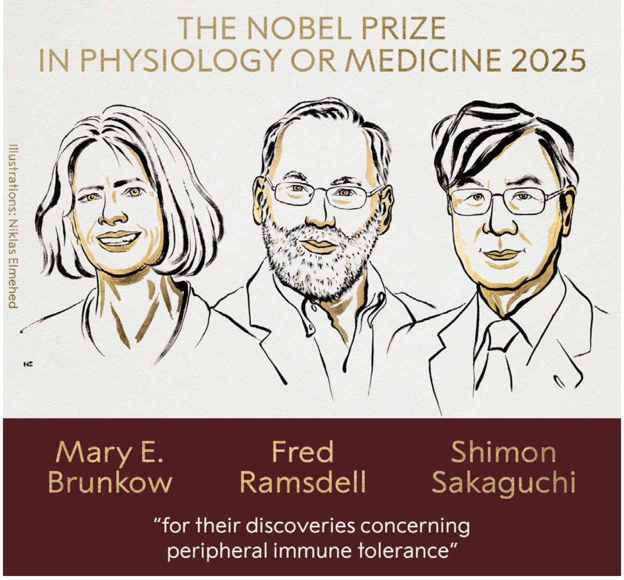

स्वास्थ्य और रोग में निहितार्थ:

- **स्व-प्रतिरक्षित रोग (Autoimmune Diseases):** कई रोग जैसे टाइप 1 मधुमेह, लुपस और रूमेटॉयड आर्थराइटिस प्रतिरक्षा नियमन की विफलता से उत्पन्न होते हैं। Treg और FOXP3 पर आधारित अध्ययन ऐसी नई लक्षित चिकित्सा (targeted therapies) के मार्ग खोलते हैं जो प्रतिरक्षा संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकती हैं।
- **अंग प्रत्यारोपण (Transplantation):** Treg-आधारित प्रतिरक्षा सहनशीलता को बढ़ाकर जीवनभर की इम्यूनोसप्रेशन दवाओं की आवश्यकता को कम किया जा सकता है, जिससे ग्राफ़्ट (graft) की दीर्घायु बढ़ेगी और दुष्प्रभाव घटेंगे।
- **कैंसर इम्यूनोथैरेपी (Cancer Immunotherapy):** कुछ ट्यूमर नियामक टी कोशिकाएं का उपयोग प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाने के लिए करते हैं। Treg गतिविधि को संशोधित कर, कैंसर के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है।
- **चिकित्सकीय और नैदानिक अनुप्रयोग (Therapeutics & Clinical Translation):** वर्तमान में कई जैव-प्रौद्योगिकी और क्लिनिकल प्रयास Tregs को चिकित्सा में उपयोग करने के लिए चल रहे हैं — जैसे एडॉप्टिव टीरेग ट्रांसफर (Adoptive Treg Transfer), जीन एडिटिंग (Gene Editing)और स्मॉल मॉलिक्यूल रेगुलेटर्स (Small Molecule Regulators)। समाचार रिपोर्टों के अनुसार, वर्तमान में 200 से अधिक मानव परीक्षण (human trials) नियामक टी कोशिका उपचारों (Treg therapies) पर चल रहे हैं।

निष्कर्ष:

2025 का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार, जो ब्रनकाउ, रैम्सडेल और सकागुची को इस खोज के लिए दिया गया कि प्रतिरक्षा प्रणाली स्वयं को कैसे सीमित करती है (अर्थात् परिधीय प्रतिरक्षा सहनशीलता), इम्यूनोलॉजी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है। यह हमारी स्व-प्रतिरक्षा रोगों, अंग प्रत्यारोपण, और कैंसर की समझ को गहराता है और भविष्य की चिकित्सकीय नवाचारों के लिए नई दिशाएँ खोलता है।

2025 का भौतिकी में नोबेल पुरस्कार

संदर्भ:

साल 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक जॉन क्लार्क (John Clarke), मिशेल एच. डेवोरेट (Michel H. Devoret) और जॉन एम. मार्टिनिस (John M. Martinis) को उनके अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए प्रदान किया गया है। 1980 के दशक में किए गए उनके इन प्रयोगों ने

क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और उन्नत सेंसर तकनीक जैसी आधुनिक क्वांटम तकनीकों के विकास की मजबूत नींव रखी।

नोबेल पुरस्कार विजेता की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ:

- 1980 के दशक के मध्य में, तीनों वैज्ञानिकों ने सुपरकंडक्टिंग सर्किट्स का उपयोग करते हुए प्रयोग किए, विशेष रूप से जोसेफसन जंक्शनों पर ध्यान केंद्रित किया, जो दो सुपरकंडक्टरों के बीच पतली इन्सुलेटिंग बाधाएं होती हैं।
- इन प्रयोगों से यह पता चला कि क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा परिमाणीकरण (Energy Quantisation) जैसे क्वांटम प्रभाव उन प्रणालियों में भी प्रकट हो सकते हैं जो देखने और छूने योग्य बड़े आकार की होती हैं। यह उस पारंपरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था, जिसके अनुसार क्वांटम घटनाएँ केवल सूक्ष्म कणों तक ही सीमित मानी जाती थीं।
- इन्हीं प्रयोगों से क्यूबिट (Qubit) की अवधारणा का जन्म हुआ, जो क्वांटम सूचना की मूल इकाई है। यह उपलब्धि क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकों के विकास में अत्यंत सहायक रही है।

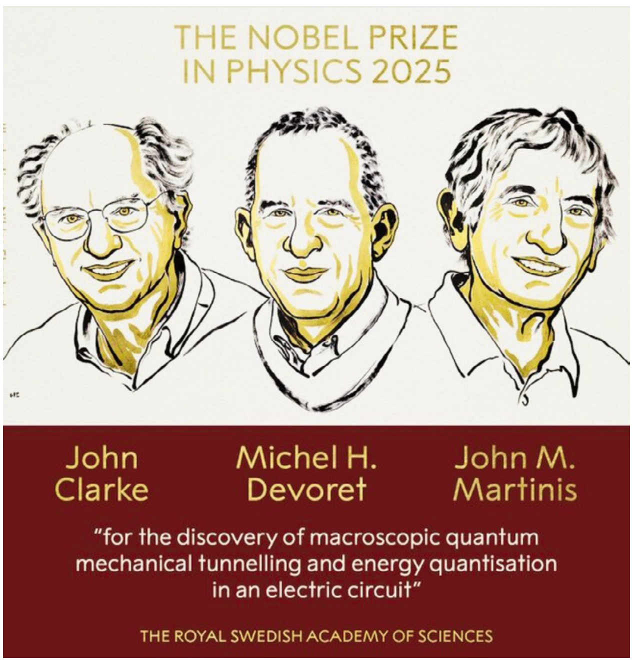

क्वांटम तकनीकों पर प्रभाव:

- क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस की खोजों ने विज्ञान और तकनीक के अनेक क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाला है।
  - **क्वांटम कंप्यूटिंग:** सुपरकंडक्टिंग सर्किट्स पर उनका कार्य क्यूबिट के विकास की आधारशिला बना। इसने ऐसे क्वांटम कंप्यूटरों के निर्माण को संभव बनाया जो पारंपरिक कंप्यूटरों की सीमाओं से आगे बढ़कर अत्यंत जटिल और तीव्र गणनाएँ करने में सक्षम हैं।
  - **क्वांटम क्रिप्टोग्राफी:** उनके खोजे गए सिद्धांतों का उपयोग आज सुरक्षित संचार प्रणालियों के विकास में किया जा रहा है, जो सैद्धांतिक रूप से जासूसी या डाटा चोरी से पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती हैं।
  - **उन्नत सेंसर:** उनके अनुसंधान से विकसित अत्यधिक संवेदनशील सेंसर अब अनेक क्षेत्रों में उपयोग किए जा रहे हैं, जिनमें चिकित्सा इमेजिंग (Medical Imaging), भूवैज्ञानिक अन्वेषण (Geological Exploration) और वैज्ञानिक मापन प्रणालियाँ प्रमुख हैं।

नोबेल विजेताओं के बारे में:

- **जॉन क्लार्क (John Clarke):** कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले में प्रोफेसर हैं। वे सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस (SQUIDs) पर अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका उपयोग अत्यंत कमज़ोर चुंबकीय क्षेत्रों का सटीक पता लगाने में किया जाता है, जो चिकित्सा, भूविज्ञान और भौतिकी अनुसंधान में अत्यंत उपयोगी तकनीक है।
- **मिशेल एच. डेवोरेट (Michel H. Devoret):** वे येल विश्वविद्यालय और कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा (UCSB) से संबद्ध रहे हैं। उन्होंने क्वांटम सर्किट्स के विकास और क्वांटम कोहेरेंस (Quantum Coherence) के अध्ययन में अग्रणी भूमिका निभाई है। उनके अनुसंधान ने यह समझने में मदद की कि क्वांटम प्रणालियाँ बाहरी प्रभावों के बावजूद अपनी स्थिरता कैसे बनाए रख सकती हैं।
- **जॉन एम. मार्टिनिस (John M. Martinis):** वे गूगल के क्वांटम एआई लैब के प्रमुख रह चुके हैं और वर्तमान में कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, सांता बारबरा में प्रोफेसर हैं। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकों को प्रयोगशाला से व्यावहारिक उपयोग तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

नोबेल पुरस्कार के बारे में:

- नोबेल पुरस्कार एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है जिसकी स्थापना डायनामाइट के स्वीडिश आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। 1896 में उनकी वसीयत के माध्यम से स्थापित यह पुरस्कार मानवता के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है।

- 1901 में पहली बार दिए गए ये पुरस्कार छह श्रेणियों में दिए जाते हैं: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। विजेताओं को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक नकद पुरस्कार दिया जाता है।
- ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर प्रदान किये जाते हैं।

निष्कर्ष:

2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार यह दर्शाता है कि क्वांटम यांत्रिकी ने हमारी दुनिया को समझने का नजरिया कितना बदल दिया है। क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनिस के इन अद्भुत प्रयोगों ने क्वांटम तकनीक के ऐसे नए मार्ग खोले हैं जो आने वाले समय में कंप्यूटिंग, संचार और विज्ञान की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं।

2025 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार

सन्दर्भ:

हाल ही में, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जापान के सुजुमु कितागावा, ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉब्सन और अमेरिका के ओमर एम. याघी को "मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स" (Metal-Organic Frameworks - MOFs) के विकास के लिए प्रदान किया है।

मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) के बारे में:

- मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स (MOFs) एक प्रकार की स्फटिकीय छिद्रयुक्त (crystalline porous) सामग्री होती हैं, जो धातु आयनों या क्लस्टरों को कार्बनिक लिगैंड्स से जोड़कर बनाई जाती हैं।
- इनकी विशेषता अत्यधिक आंतरिक सतह क्षेत्र (internal surface area), कम घनत्व (low density) और समायोज्य रंध्र आकार (tunable pore size) होती है, जो इन्हें अनेक अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत उपयोगी बनाती है।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  - » **उच्च छिद्रता और सतह क्षेत्रफल:** MOFs अत्यधिक छिद्रयुक्त होती हैं — इनमें रंध्र (pores) का आयतन संपूर्ण स्फटिक के आयतन का 90% तक हो सकता है। कुछ MOFs, जैसे MOF-5, का सतह क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर प्रति ग्राम से भी अधिक हो सकता है।
  - » **संरचना का नियंत्रण:** MOF के रंध्रों का आकार और आकृति अलग-अलग लंबाई और ज्यामिति वाले कार्बनिक लिंकरों (organic linkers) के चयन से सटीक रूप से नियंत्रित की जा सकती है।

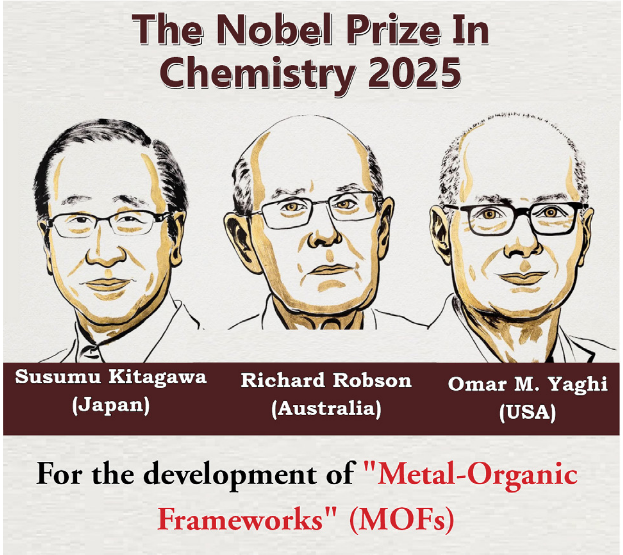

नोबेल विजेताओं का योगदान:

- 1980 के दशक के अंत में रिचर्ड रॉब्सन ने तांबे (Copper) आयनों और बहु-भुज (multi-armed) कार्बनिक लिगैंड्स के साथ प्रयोग करते हुए यह अवधारणा प्रस्तुत की कि धात्विक नोड्स (metal nodes) और लिंकरों (linkers) को जोड़कर छिद्रयुक्त स्फटिकीय संरचनाएँ बनाई जा सकती हैं।
- हालाँकि, प्रारंभिक संरचनाएँ अस्थिर थीं और उनमें मजबूती की कमी थी।
- बाद में कितागावा और याघी ने अधिक स्थायी और कार्यात्मक (stable and functional) MOFs का विकास और संश्लेषण किया, जिससे यह क्षेत्र वास्तविक रूप से विकसित हुआ।

मुख्य अनुप्रयोग और वैश्विक महत्व:

MOFs को नोबेल पुरस्कार द्वारा मान्यता मिलने से यह स्पष्ट होता है कि इनका उपयोग बहुआयामी और भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। नीचे इनके प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र दिए गए हैं:

- **कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और जलवायु शमन (Climate Mitigation):**
  - » MOFs गैस मिश्रणों (जैसे औद्योगिक धुएँ से निकलने वाली

गैसों) से चयनात्मक रूप से CO_2 को अवशोषित कर सकती हैं, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम किया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

- **जल-संग्रहण और शुद्धिकरण (Water Harvesting & Purification):**
  - » कुछ MOFs को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि वे शुष्क हवा (arid air) से भी नमी खींचकर जल प्राप्त कर सकती हैं — यहाँ तक कि कम आर्द्रता पर भी।
  - » यह तकनीक शुष्क क्षेत्रों में विकेन्द्रित जल आपूर्ति (decentralized water supply) के लिए नई संभावनाएँ खोलती है।
  - » इसके अतिरिक्त, MOFs विषैले तत्वों या प्रदूषकों को अवशोषित कर जल शुद्धिकरण में भी सहायक हैं।
- **गैस संग्रहण और पृथक्करण (Gas Storage & Separation):**
  - » MOFs का उपयोग हाइड्रोजन या मीथेन जैसी गैसों को मध्यम दाब (mild pressure) पर संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इनमें सतह क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है।
  - » वे गैस मिश्रणों को पृथक (separate) करने में भी सक्षम हैं, जैसे — अशुद्धियों को छानना या गैसों को छाँटना।
- **उत्प्रेरण और रासायनिक रूपांतरण (Catalysis & Chemical Transformations):**
  - » MOFs की छिद्रयुक्त संरचना में धातु नोड्स या लिगैंड्स पर सक्रिय उत्प्रेरक स्थल (catalytic sites) बनाए जा सकते हैं।
  - » इससे ऑक्सीकरण (oxidation), अपचयन (reduction) या छोटे अणुओं के रूपांतरण जैसी प्रतिक्रियाएँ अधिक सौम्य परिस्थितियों में संभव हो पाती हैं।
- **ऊर्जा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी (Energy & Clean Technologies):**
  - » ऊर्जा क्षेत्र में MOFs का उपयोग बैटरी इलेक्ट्रोड, सुपरकैपेसिटर, ईंधन सेल में गैस पृथक्करण और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में किया जा रहा है।
- **पर्यावरण संरक्षण और संसाधन पुनर्प्राप्ति (Environmental & Resource Recovery):**
  - » MOFs का उपयोग प्रदूषकों को पकड़ने, विषैले या भारी धातु तत्वों को हटाने, और अपशिष्ट धारा (waste streams) से उपयोगी संसाधन पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, जिसे कितागावा, रॉब्सन, और याघी को मेटल-ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स पर उनके अग्रणी कार्य के लिए प्रदान किया गया है, समय की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि रचनात्मक आणविक संरचना (creative molecular architecture) यदि सतत विकास (sustainability) के उद्देश्य से की जाए, तो यह रसायन विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों में नए युग की शुरुआत कर सकती है।

रोटावायरस वैक्सीन पर अध्ययन

संदर्भ:

हाल ही में नेचर मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत में बच्चों में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की रोकथाम में स्वदेशी रोटावायरस वैक्सीन, रोटावैक की प्रभावशीलता के बारे में ठोस प्रमाण प्रदान किए हैं। शोधकर्ता द्वारा किया गया यह अवलोकनात्मक, बहु-केंद्रीय विश्लेषण जिसमें नौ राज्यों के 31 अस्पताल शामिल थे 2016 से 2020 तक चला।

अध्ययन का अवलोकन:

- इस अध्ययन का उद्देश्य रोटावैक, एक मौखिक रोटावायरस वैक्सीन, जिसे 2016 में भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) में शुरू किया गया था, की वास्तविक दुनिया में प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना था। 6, 10 और 14 सप्ताह की आयु में दिया जाने वाला यह टीका यूआईपी के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क प्रदान किया गया था।

मुख्य निष्कर्ष:

- **वैक्सीन प्रभावशीलता:** अध्ययन में यह पाया गया कि गंभीर रोटावायरस गैस्ट्रोएन्टराइटिस (Severe Rotavirus Gastroenteritis – SRVGE) के खिलाफ वैक्सीन की समायोजित प्रभावशीलता 54% थी, जो पहले किए गए चरण-3 नैदानिक परीक्षणों में देखी गई प्रभावशीलता के अनुरूप है।
- **स्थायी प्रभाव:** यह प्रभावशीलता जीवन के पहले दो वर्षों में स्थिर बनी रही, वह अवधि जब बच्चे रोटावायरस संक्रमण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।
- **अस्पताल में भर्ती दरें:** बाल रोटावायरस-संबंधी अस्पताल में भर्ती मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, जिससे यह सिद्ध हुआ

कि यह वैक्सीन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर बोझ को कम करने में सहायक है।

Structure of Rotavirus

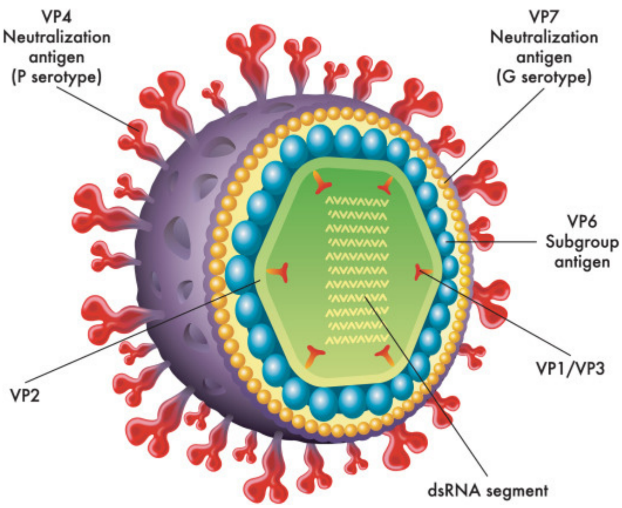

रोटावैक के बारे में:

- रोटावैक रोटावायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस से बचाव के लिए एक मौखिक टीका है। यह एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो शिशुओं और छोटे बच्चों में गंभीर दस्त और उल्टी का कारण बनता है। यह टीका तरल रूप में मुँह द्वारा दिया जाता है।
- रोटावैक को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित किया गया था, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत बायोटेक, अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और PATH शामिल थे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन व अन्य संस्थाओं का सहयोग प्राप्त था।

महत्व:

- रोटावायरस पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में गंभीर गैस्ट्रोएंटेराइटिस का एक प्रमुख कारण है, जिसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में हर साल लगभग 128,500 मौतें होती हैं।
- भारत में इन वैश्विक मौतों का लगभग पाँचवाँ हिस्सा होता है। रोटावैक की शुरुआत इस मृत्यु दर को कम करने में एक महत्वपूर्ण कदम रही है, खासकर कम संसाधन वाले क्षेत्रों में।

निष्कर्ष:

इस व्यापक अध्ययन के निष्कर्ष भारत में बच्चों में गंभीर रोटावायरस गैस्ट्रोएंटेराइटिस की रोकथाम में स्वदेशी रोटावैक वैक्सीन की प्रभावकारिता को रेखांकित करते हैं। यूआईपी में इसके शामिल होने से न केवल अस्पताल में भर्ती होने की दर में कमी आई है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेष रूप से दस्त रोगों के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर से निपटने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है।

चार उपग्रह सीएमएस-03

संदर्भ:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 2 नवंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से संचार उपग्रह सीएमएस-03 का प्रक्षेपण करने जा रहा है। यह प्रक्षेपण एलवीएम3 एम5 रॉकेट के माध्यम से किया जाएगा। यह एलवीएम3 का पाँचवाँ परिचालन उड़ान मिशन होगा।

सीएमएस-03 के बारे में:

- सीएमएस-03 एक मल्टी-बैंड संचार उपग्रह है, जिसे भारत के पूरे भूभाग और आस-पास के समुद्री क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह C-बैंड, एक्सटेंडेड C-बैंड और Ku-बैंड फ्रीक्वेंसी पर कार्य करेगा।
- इस उपग्रह का वजन लगभग 4,400 किलोग्राम है, जो भारत द्वारा अपने भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (Geosynchronous Transfer Orbit – GTO) में छोड़ा जाने वाला अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह होगा।
- मिशन के तहत सीएमएस-03 को पहले GTO कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहाँ से यह अपनी स्थिति बदलकर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (स्थिर कक्षा) में पहुँचेगा, जिससे यह निरंतर संचार कवरेज प्रदान कर सके।
- 26 अक्टूबर 2025 तक एलवीएम3 रॉकेट को लॉन्च पैड पर अंतिम एकीकरण और प्रक्षेपण-पूर्व तैयारियों के लिए पहुँचा दिया गया है।

रणनीतिक महत्व:

- यह उपग्रह भारत की संचार संरचना को विशेष रूप से समुद्री क्षेत्रों और दूरदराज़ इलाकों में और मजबूत बनाएगा। यह नागरिक और रणनीतिक (रक्षा), दोनों प्रकार के उपयोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
- रक्षा के दृष्टिकोण से, सीएमएस-03 समुद्री और ब्लू-वॉटर ऑपरेशनों के लिए सुरक्षित तथा मजबूत संचार क्षमताओं को बढ़ाएगा। कुछ रिपोर्टों में इसे भारतीय नौसेना को समर्पित जीसैट-7 श्रृंखला का

उत्तराधिकारी बताया गया है।

- इसरो के लिए, यह मिशन इस बात का प्रमाण है कि एलवीएम3 अब भारत का प्रमुख भारी प्रक्षेपण यान बन चुका है और भारत बड़ी श्रेणी के उपग्रहों को स्वदेशी रूप से प्रक्षेपित करने की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है।

एलवीएम3 रॉकेट के बारे में:

- एलवीएम3 (जिसे पहले जीएसएलवी मार्क-III कहा जाता था) भारत का सबसे शक्तिशाली हेवी-लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। इसे इसरो ने भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने और गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए विकसित किया है।
- **मुख्य विशेषताएँ और क्षमताएँ:**
  - » **लॉन्च क्षमता:** यह रॉकेट लगभग 4,000 किलोग्राम तक का भार भू-समकालिक स्थानांतरण कक्षा (GTO) में भेजने में सक्षम है।
  - » **संरचना:** यह तीन चरणों वाला रॉकेट है, दो S200 ठोस स्ट्रैप-ऑन मोटर, एक L110 द्रव कोर चरण और एक C25 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण से मिलकर बना है।
  - » **तकनीक:** इसमें पूर्णतः स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें S200 ठोस बूस्टर (जो विश्व के सबसे बड़े बूस्टरों में से एक है) और CE20 क्रायोजेनिक इंजन शामिल हैं।
  - » **बहुमुखी उपयोग:** एलवीएम3 का उपयोग चंद्रयान-3 जैसे वैज्ञानिक अभियानों और व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपणों दोनों में किया गया है, जिससे यह एक विश्वसनीय और बहुउद्देशीय प्रक्षेपण यान के रूप में स्थापित हो चुका है।

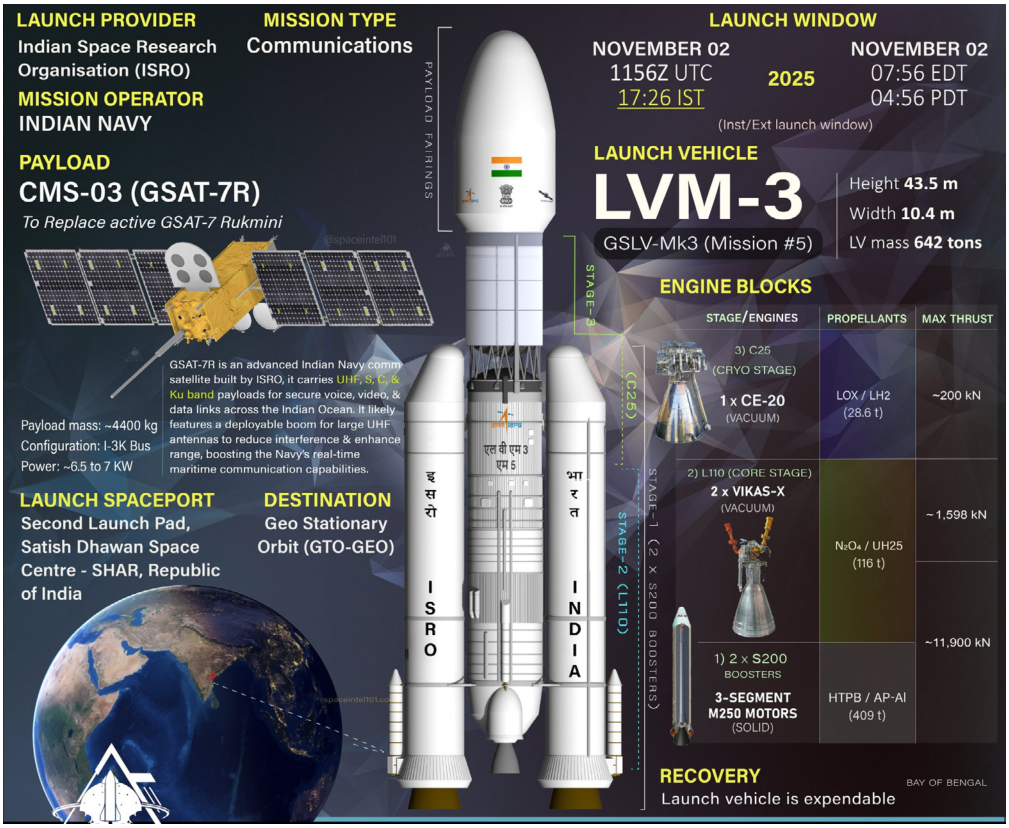

निष्कर्ष:

इसरो द्वारा सीएमएस-03 उपग्रह का आगामी प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष संचार अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। इस मिशन में उच्च पेलोड क्षमता, मल्टी-बैंड संचार तकनीक और समुद्री क्षेत्रों में रणनीतिक कवरेज का प्रभावी संयोजन शामिल है। इसकी सफलता भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, भारी प्रक्षेपण क्षमता, तथा नागरिक और रक्षा दोनों उद्देश्यों के लिए सुरक्षित संचार प्रणाली में देश की स्थिति को और सशक्त बनाएगी।

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर नया शोध

सन्दर्भ:

हाल ही में नेचर (Nature) पत्रिका में प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय शोध ने ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) की जटिलताओं पर नई रोशनी डाली है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया है कि प्रारंभिक बचपन में पहचाना गया ऑटिज़्म और जीवन के बाद के चरण में पहचाना गया ऑटिज़्म भिन्न विकासात्मक और आनुवंशिक पैटर्न से उत्पन्न हो सकते हैं। यह लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती देता है कि ऑटिज़्म

एक ही प्रकार की स्थिति है जिसका एक समान मूल कारण होता है।

ऑटिज़्म के दो मार्ग:

- अध्ययन में लगभग 50,000 ऑटिस्टिक व्यक्तियों के डेटा का विश्लेषण किया गया और ऑटिज़्म की ओर ले जाने वाले दो भिन्न मार्गों की पहचान की गई।
  - **पहला समूह:** इन व्यक्तियों में सामाजिक संपर्क, संचार और व्यवहार में कठिनाइयाँ प्रारंभिक जीवन में ही स्पष्ट दिखाई दीं और वयस्कता तक बनी रहीं। ऐसे बच्चों का निदान अक्सर प्री-स्कूल या प्राथमिक विद्यालय के दौरान हुआ।
  - **दूसरा समूह:** इन बच्चों में शुरुआती चरण में बहुत कम कठिनाइयाँ दिखीं, लेकिन किशोरावस्था में, जब स्कूल का काम और मित्रता के संबंध अधिक चुनौतीपूर्ण हो गए, तब समस्याएँ अधिक स्पष्ट हुईं। इस समूह का निदान सामान्यतः जीवन के बाद के वर्षों में हुआ।

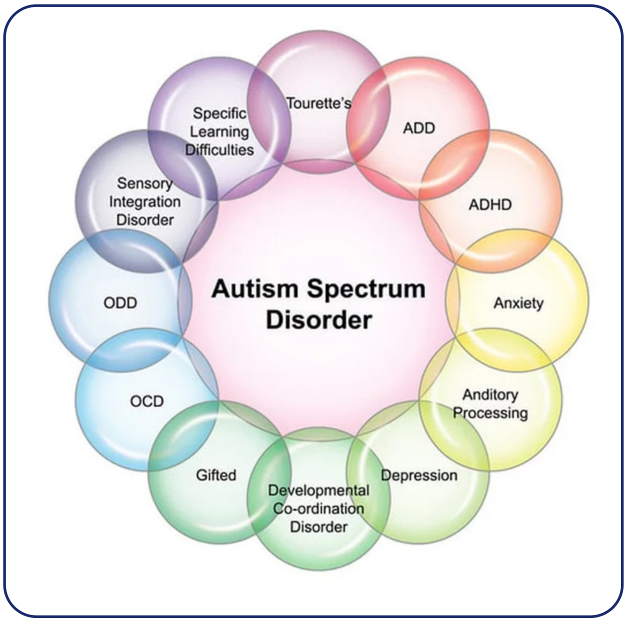

आनुवांशिक विश्लेषण:

- आनुवांशिक विश्लेषण में दो आंशिक रूप से भिन्न जीन संबंधी पैटर्न पाए गए।
  - पहला पैटर्न प्रारंभिक निदान से अधिक निकटता से जुड़ा था और प्रारंभिक जीवन में सामाजिक और संचार संबंधी कठिनाइयों से संबंधित था। हालांकि, इसका ध्यान-अल्पता/अतिक्रियाशीलता विकार (ADHD) या अवसाद जैसी स्थितियों से केवल कमजोर आनुवंशिक संबंध पाया गया।
  - दूसरा पैटर्न, जो देर से निदान से संबंधित था, उसमें ADHD, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD), अवसाद और स्वयं को नुकसान पहुंचाने (self-harm) की प्रवृत्तियों के साथ अधिक मजबूत संबंध पाए गए।

अध्ययन के निहितार्थ:

- अध्ययन ने यह स्पष्ट किया कि अलग-अलग प्रकार के ऑटिज़्म के लिए भिन्न समर्थन और जागरूकता आवश्यक है।
- वे किशोर जो जीवन के बाद के चरण में ऑटिज़्म का निदान प्राप्त करते हैं, अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हैं, जो उनकी चुनौतियों को और जटिल बना देती हैं।
- इसलिए अध्ययन यह रेखांकित करता है कि सह-घटित मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों (co-occurring mental health conditions) के लिए तुरंत सहायता आवश्यक है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं।

ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के बारे में:

- ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) एक जटिल न्यूरोडेवलपमेंटल विकार है, जो सामाजिक संचार, पारस्परिकता और सीमित या दोहराव वाले व्यवहारों में कठिनाइयों से पहचाना जाता है।
- इसे "स्पेक्ट्रम" कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण, क्षमताएँ और आवश्यकताएँ व्यक्ति-विशेष के अनुसार अत्यंत भिन्न हो सकती हैं।
- लक्षण आमतौर पर प्रारंभिक बचपन में दिखाई देते हैं और जीवनभर सामाजिक कौशल, सीखने और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं।
- प्रारंभिक हस्तक्षेप और सहायता सेवाएँ व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती हैं।

निष्कर्ष:

अध्ययन से पता चला है कि ऑटिज़्म एक अत्यंत जटिल स्थिति है, जिसके प्रारंभिक और देर से निदान वाले रूपों के अलग-अलग आनुवंशिक स्रोत हो सकते हैं। इस विविधता को स्वीकार करके ऑटिज़्म से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर समझ, समर्थन और नीति निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।

भारत की वैश्विक निर्यात वृद्धिः नीति सुधार और क्षेत्रीय विविधीकरण का विश्लेषण

संदर्भ:

साल 2025 में भारत का निर्यात प्रदर्शन आत्मविश्वास और रणनीतिक विकास के एक नए दौर को दर्शा रहा है। अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच भारत के कुल निर्यात जिसमें वस्तु एवं सेवा दोनों शामिल हैं, 2024 की इसी अवधि की तुलना में 5.19% बढ़कर 346.10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। यह वृद्धि ऐसे समय में आई है जब विश्व स्तर पर निर्यात वृद्धि लगभग 2.5% पर धीमी बनी हुई है।

भारत का निर्यात लगातार वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जो सरकारी सुधारों, निर्यात बाजारों के विविधीकरण, तकनीकी प्रगति, और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक आधार के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। भारत के जीडीपी में निर्यात का हिस्सा 2015 में 19.8% से बढ़कर 2024 में 21.2% हो गया है, जो राष्ट्रीय आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार के बढ़ते महत्व को दिखाता है।

व्यापार प्रदर्शन का अवलोकन:

- वित्त वर्ष 2025–26 के पहले पाँच महीनों में भारत ने अपने 1 ट्रिलियन डॉलर वार्षिक निर्यात लक्ष्य का 34.6% हासिल कर लिया।
  - » **वस्तु निर्यात:** 183.74 बिलियन डॉलर(↑2.31%)
  - » **सेवा निर्यात:** 162.36 बिलियन डॉलर (↑8.65%)
  - » **सेवा क्षेत्र में व्यापार अधिशेष:** 79.97 बिलियन डॉलर
- जहाँ वस्तु निर्यात औद्योगिक पुनरुत्थान को दर्शाता है, वहीं सेवा क्षेत्र भारत के व्यापार अधिशेष का प्रमुख चालक बना हुआ है।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र:

- **इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं:**
  - » इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भारत की सबसे तेज़ी से बढ़ती निर्यात श्रेणी के रूप में उभरी हैं, जो अप्रैल–अगस्त 2025 के दौरान 40.63% बढ़ी। पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में 5.51 बिलियन डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई, जो मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं की सफलता को दर्शाती है।
  - » स्मार्टफोन इस बदलाव के केंद्र में हैं और भारत अब एक शुद्ध आयातक से शुद्ध निर्यातक बन चुका है। वित्त वर्ष 2025–26 के पहले पाँच महीनों में स्मार्टफोन निर्यात 1 लाख करोड़ रुपये पार कर गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 55% अधिक है। प्रमुख बाजार: अमेरिका, UAE, चीन, नीदरलैंड्स, और यूके है।
- **अन्य अनाज:**
  - » जौ, जई, क्विनोआ, और फोनीओ जैसे "अन्य अनाजों" का निर्यात 21.95% बढ़ा है, जो पौष्टिक और जलवायु-सहनशील खाद्य पदार्थों की वैश्विक मांग से प्रेरित है। ये फसलें, चावल, गेहूं, और मक्का को छोड़कर भारतीय किसानों के लिए नए अवसर खोल रही हैं। प्रमुख खरीदार हैं: नेपाल, श्रीलंका, UAE, बांग्लादेश, और भूटान।
- **मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद:**
  - » इस श्रेणी में 20.29% की वृद्धि दर्ज की गई, जो कृषि निर्यात नीति और APEDA कार्यक्रमों जैसी योजनाओं से समर्थित है। प्रमुख बाजार: वियतनाम, UAE, मिस्र, मलेशिया, और सऊदी अरब। यह वृद्धि प्रसंस्कृत और उच्च-मूल्य कृषि निर्यात में भारत की बढ़ती उपस्थिति को दर्शाती है।

- **चाय:**
  - अप्रैल–अगस्त 2025 के दौरान चाय निर्यात में 18.20% वृद्धि हुई, जबकि अगस्त में अकेले 20.50% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने 2024 में श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया।
  - असम, दार्जिलिंग, और नीलगिरि जैसी किस्में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रमुख बनी हुई हैं, जहाँ ब्लैक टी कुल निर्यात का 96% है। प्रमुख खरीदार: UAE, इराक, अमेरिका, रूस, और ईरान।
- **अभ्रक, कोयला, और प्रसंस्कृत खनिज:**
  - इस श्रेणी के निर्यात में 16.6% वृद्धि दर्ज की गई, जो वैश्विक औद्योगिक मांग से प्रेरित है। प्रमुख बाजार: चीन, अमेरिका, यूके, ओमान, और बांग्लादेश।
- **इंजीनियरिंग वस्तुएं:**
  - भारत के पारंपरिक निर्यात स्तंभ इंजीनियरिंग वस्तुओं में 5.86% की वृद्धि दर्ज की गई (USD 46.52 बिलियन - USD 49.24 बिलियन)। निर्यात में औद्योगिक मशीनरी, वाल्व, IC इंजन, बॉयलर, और एटीएम शामिल हैं। प्रमुख बाजार: अमेरिका, UAE, जर्मनी, यूके, और सऊदी अरब।
  - निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुएं (EPCG) और बाजार पहुंच पहल (MAI) जैसी योजनाएँ इस क्षेत्र को प्रौद्योगिकी आयात और नए बाजारों तक पहुँच में मदद कर रही हैं।
- **औषधीय उत्पाद:**
  - दवाओं के निर्यात में 7.3% की वृद्धि हुई, जो 12.76 बिलियन डॉलर तक पहुँचा। भारत अब भी किफायती जेनेरिक और विशेष दवाओं का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। प्रमुख बाजार: अमेरिका, यूके, ब्राजील, फ्रांस, और दक्षिण अफ्रीका।
  - फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज के लिए समान संहिता (यूसीपीएमपी) 2024 और राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 ने वैश्विक बाजारों में गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बढ़ाया है।
- **वस्त्र और परिधान:**
  - भारत के रेडीमेड परिधान निर्यात 5.78% बढ़कर USD 6.77 बिलियन तक पहुँचे। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा वस्त्र और परिधान निर्यातक है, जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 4.1% है। प्रमुख बाजार: अमेरिका, यूके, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, और स्पेन।
  - आत्मनिर्भर भारत के तहत सतत उत्पादन और स्थानीय मूल्य संवर्धन पर ज़ोर ने इस क्षेत्र को और सशक्त किया है।

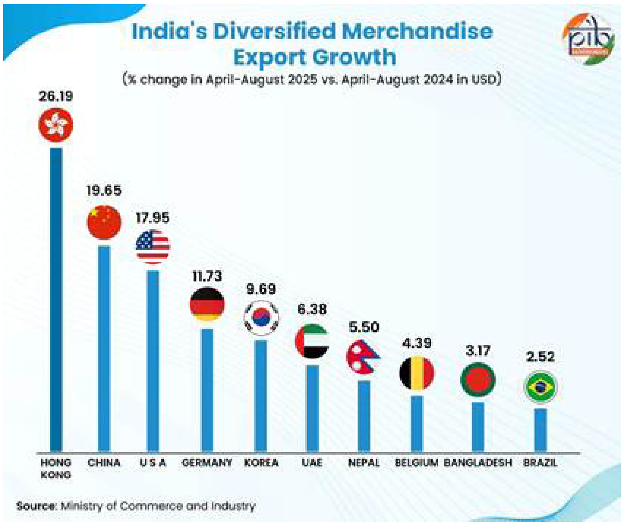

मुख्य निर्यात गंतव्य:

- **हांगकांग:** 26.19% वृद्धि – चीन के लिए "गेटवे" के रूप में कार्यरत।
- **चीन:** 19.65% वृद्धि – पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग वस्तुएं, और रसायनों से प्रेरित।
- **अमेरिका:** भारत का सबसे बड़ा एकल निर्यात बाजार (6.87 बिलियन डॉलर, अगस्त 2025)।
- **जर्मनी:** 11.73% वृद्धि – इंजीनियरिंग वस्तुएं और रसायन मुख्य उत्पाद।
- **दक्षिण कोरिया:** 9.69% वृद्धि – भारत-कोरिया सीईपीए के तहत व्यापार बढ़ा।

सेवा क्षेत्र का निर्यात:

- भारत का सेवा निर्यात अप्रैल–अगस्त 2025 में 8.65% बढ़ा और 79.97 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष दर्ज किया, जिसने समग्र व्यापार घाटे को कम करने में मदद की।
- **मुख्य वृद्धि क्षेत्र:**
  - सूचना प्रौद्योगिकी और बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेवाएँ
  - वित्तीय एवं परामर्श सेवाएँ
  - पर्यटन और पेशेवर सेवाएँ
- **मुख्य चालक कारक:**
  - **प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था:** भारत का टेक क्षेत्र जीडीपी का 7.3% योगदान देता है; डिजिटल अर्थव्यवस्था

2030 तक 20% जीडीपी तक पहुँचने की उम्मीद है।

» **युवा जनसांख्यिकी:** 35 वर्ष से कम आयु की 65% आबादी के साथ भारत के पास कुशल श्रम बल है, जिसे स्किल इंडिया मिशन सशक्त बना रहा है।
» **उदारीकृत FDI नीति:** बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 100% तक बढ़ाई गई; भारत-यूके सीईटीए जैसे समझौते डिजिटल और पेशेवर सेवाओं के लिए बाजार पहुंच बढ़ा रहे हैं।

सरकारी पहलें जो निर्यात को मज़बूत बना रही हैं:

- **विदेश व्यापार नीति (2023):** प्राधिकरणों को सरल बनाया, रिफंड-आधारित प्रोत्साहन और नए बाजारों की पहुंच को बढ़ावा दिया।
- **निर्यातित उत्पादों पर शुल्क एवं करों की वापसी योजना (RoDTEP) योजना:** मार्च 2025 तक ₹58,000 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई।
- **जिलों को निर्यात हब के रूप में विकसित करना:** 734 जिले पहचाने गए; 590 के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाएँ (DEAPs) तैयार।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs):** FY 2024–25 में ₹14.56 लाख करोड़ का निर्यात, 7.37% की वृद्धि।
- **निर्यात के लिए व्यापारिक अवसंरचना योजना (TIES) योजना:** परीक्षण प्रयोगशालाओं और गोदामों जैसी निर्यात अवसंरचना का विकास।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** ₹1.76 लाख करोड़ निवेश आकर्षित किया, 12 लाख नौकरियाँ और ₹16.5 लाख करोड़ उत्पादन (मार्च 2025 तक)।
- **पीएम गतिशक्ति एवं राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति:** लॉजिस्टिक्स रैंक 2018 में 44 से सुधरकर 2023 में 38 हुई; लागत और समय दोनों घटे।
- **डिजिटल व्यापार सुविधा:** नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (National Single Window System), आईसीगेट (ICEGATE), और ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स (E-Commerce Export Hubs) जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने विशेषकर एमएसएमई (MSMEs) के लिए संचालन को सरल बनाया।

चुनौतियाँ और संरचनात्मक बाधाएँ:

- **लॉजिस्टिक्स लागत:** जीडीपी का 13–14%, जबकि विकसित देशों में लगभग 8%।
- **एमएसएमई सीमाएँ:** वित्त तक सीमित पहुँच और बाजार सूचना की कमी।
- **वैश्विक संरक्षणवाद:** यूरोपियन यूनियन सहित कई बाजारों में टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएँ बढ़ रहीं।
- **कुछ बाज़ारों पर निर्भरता:** संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, और यूरोपीय संघ कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा।
- **कौशल एवं तकनीकी अंतर:** कुछ क्षेत्रों को छोड़कर उच्च-मूल्य विनिर्माण सीमित।
- **वैश्विक अस्थिरता:** भू-राजनीतिक तनाव, रेड सी व्यवधान, और पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की मंदी से निर्यात मांग प्रभावित हो सकती है।

आगे की राह:

- उच्च-मूल्य क्षेत्रों जैसे सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, और रक्षा निर्माण में निर्यात विविधीकरण।
- एमएसएमई क्षेत्रों को सशक्त बनाना – ऋण सुविधा, डिजिटल व्यापार प्लेटफॉर्म, और कौशल प्रशिक्षण।
- एफटीए और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के माध्यम से व्यापार एकीकरण को गहराई देना।
- लॉजिस्टिक्स और बंदरगाहों में PPP मॉडल से निवेश बढ़ाना ताकि लागत घटे और विश्वसनीयता बढ़े।
- सतत निर्यात को बढ़ावा देना – वैश्विक पर्यावरण, सामाजिक और सुशासन और कार्बन बॉर्डर मानकों के अनुरूप।

निष्कर्ष:

भारत का 2025–26 में निर्यात उछाल उसकी रणनीतिक दृष्टि और संरचनात्मक प्रगति दोनों को दर्शाता है। नीति सुधार, डिजिटल अवसंरचना, क्षेत्रीय विविधीकरण और सेवा क्षेत्र की मजबूती ने भारत को एक आत्मविश्वासी वैश्विक व्यापारिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। हालाँकि, इस गति को बनाए रखने के लिए लॉजिस्टिक अक्षमताओं को दूर करना, एमएसएमई प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, और बाहरी जोखिमों को प्रबंधित करना आवश्यक होगा। यदि नीति और निजी क्षेत्र का समन्वय बना रहा, तो भारत अपने निर्यात-आधारित विकास को दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन की आधारशिला में बदल सकता है।

आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारत में भुगतान और निपटान प्रणालियों के नियमन और पर्यवेक्षण के लिए छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) का औपचारिक रूप से गठन किया है। यह नया बोर्ड पूर्ववर्ती भुगतान और निपटान प्रणालियों के विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) की जगह लेगा।

भुगतान नियामक बोर्ड (पीआरबी) के बारे में:

- पीआरबी भारत में भुगतान बुनियादी ढांचे की निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए विनियामक पुनर्गठन का हिस्सा है।
  - » बोर्ड का मुख्य उद्देश्य उभरते हुए भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक जवाबदेही, स्पष्ट प्रशासन, पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित करना है।
  - » यह BPSS की जगह लेता है, जो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के अधीन काम करने वाली एक पांच सदस्यीय समिति थी।
  - » BPSS से अलग, पीआरबी में केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जिससे नीति और सरकारी उद्देश्यों के बीच बेहतर समन्वय संभव होता है।

संरचना और सदस्यता:

पीआरबी का गठन भुगतान नियामक बोर्ड विनियम, 2025 के तहत किया गया है। इसकी सदस्यता और कार्यप्रणाली इस प्रकार है:

भूमिका	सदस्य / नामित व्यक्ति	स्थिति / नोट्स
अध्यक्ष	आरबीआई गवर्नर	पद के अनुसार
सदस्य	निपटान प्रणालियों के प्रभारी उप गवर्नर	पद के अनुसार
सदस्य	केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित एक आरबीआई अधिकारी	पद के अनुसार
सदस्य (3)	केंद्र सरकार के नामांकित व्यक्ति	पहली बार, भुगतान नियामक में सरकार की नामित उपस्थिति होगी।
आमंत्रित	भुगतान, आईटी, कानून आदि के विशेषज्ञ।	स्थायी अथवा तदर्थ आमंत्रित सदस्य हो सकते हैं; आरबीआई का प्रधान विधि सलाहकार स्थायी आमंत्रित सदस्य होता है।

मतदान, बैठकें और शक्तियाँ:

- **मतदान:** प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार होगा। निर्णय बहुमत से लिया जाएगा। यदि वोट बराबर हों, तो अध्यक्ष (RBI गवर्नर) निर्णायक वोट देंगे।
- **बैठकें:** सामान्य परिस्थितियों में PRB को वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करनी होगी।
- **आमंत्रित और विशेषज्ञ:** बोर्ड अपनी बैठकों में भुगतान, आईटी या कानून के क्षेत्र के विशेषज्ञों को स्थायी या अस्थायी रूप से आमंत्रित कर सकता है। आरबीआई का प्रधान विधि सलाहकार एक स्थायी आमंत्रित सदस्य होता है।
- **क्षेत्राधिकार एवं प्रतिस्थापन:** पीआरबी के पास भारत में भुगतान प्रणालियों की निगरानी, विनियमन और पर्यवेक्षण का क्षेत्राधिकार होगा, जो प्रभावी रूप से बीपीएसएस द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को ग्रहण करेगा।

महत्त्व और प्रभाव:

- **अधिक जवाबदेही और समन्वय:** केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के शामिल होने से RBI की नियामक नीतियाँ और सरकार के उद्देश्य (DFS, MeitY) बेहतर तरीके से समन्वित होंगे, विशेषकर डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और तकनीकी नियमन के क्षेत्र में।
- **भुगतान में नियामक स्पष्टता:** जैसे-जैसे भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र जटिल होता जा रहा है, UPI, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स, टोकनाइजेशन, सेटलमेंट नेटवर्क, पेमेंट एग्रीगेटर्स आदि, एक समर्पित और सशक्त बोर्ड स्पष्ट और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करेगा।
- **नवाचार और विशेषज्ञता के अवसर:** बोर्ड में टेक्नोलॉजी, कानून और भुगतान के विशेषज्ञों को आमंत्रित करने की क्षमता से यह तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में जरूरी विशेषज्ञ ज्ञान और नवाचार का लाभ उठा सकेगा।

निष्कर्ष:

पीआरबी के गठन के लिए आरबीआई का निर्णय भारत में डिजिटल भुगतान के नियामक ढांचे को और मजबूत करने के प्रति उसकी

प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपनी विस्तारित शक्तियों और स्वतंत्र संरचना के साथ, पीआरबी तेजी से विकसित हो रहे भुगतान परिदृश्य की प्रभावी निगरानी करने और लेनदेन की सुरक्षा व स्थिरता सुनिश्चित करने में पूरी तरह सक्षम है।

ट्रेड वॉच तिमाही रिपोर्ट जारी

संदर्भ:

6 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग ने नई दिल्ली में अपनी प्रमुख तिमाही व्यापार निगरानी रिपोर्ट, ट्रेड वॉच तिमाही रिपोर्ट (Q4, FY25) का चौथा संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट में भारत के चौथी तिमाही के व्यापार प्रदर्शन, क्षेत्रवार रुझान, निर्यात विविधीकरण की संभावनाएँ और देश के बाहरी व्यापार क्षेत्र की मजबूती बढ़ाने के लिए नीतिगत सुझावों का विस्तृत मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है।

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही के ट्रेड वॉच की मुख्य विशेषताएं:

- **व्यापार के आंकड़े और वृद्धि:**
  - वित्त वर्ष 2025 में भारत का कुल व्यापार 441 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2.2% वृद्धि दर्शाता है।
  - वैश्विक मांग में कुछ वस्तु क्षेत्रों में मंदी के कारण माल निर्यात पर दबाव रहा, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स और अनाज जैसे चयनित क्षेत्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया।
  - आयात में मामूली वृद्धि हुई, जो पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती इनपुट्स की मांग से प्रेरित थी।
- **लेदर और फुटवियर क्षेत्र:**
  - एक विशेष अध्याय चमड़ा और जूता उद्योग पर केंद्रित है, यह रोजगार-सृजन वाला वह क्षेत्र है, जिसमें लगभग 44 लाख लोग कार्यरत हैं।
  - भारत की मजबूती प्रोसेस्ड लेदर और विशिष्ट उत्पादों में है, लेकिन वैश्विक चमड़ा और फुटवियर बाजार में इसका हिस्सा अभी भी सीमित (~1.8%) है।
  - रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि क्लस्टर-आधारित आधुनिकीकरण, स्थायी और डिज़ाइन-केंद्रित प्रथाओं को अपनाया जाए और अनुसंधान एवं विकास (R&D) से बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित किया जाए।
- **व्यापार विविधीकरण और रणनीति:**
  - रिपोर्ट में निर्यात में विविधीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, चाहे वह नए बाजार हों या उत्पाद—जिससे कुछ विशेष भौगोलिक क्षेत्रों या वस्तु वर्गों पर निर्भरता के जोखिम को कम किया जा सके।
  - यह भी कहा गया है कि सेवा निर्यात अभी भी मजबूत प्रदर्शन कर रहे हैं, जो माल व्यापार की अस्थिरता को संतुलित करने में मदद करता है।
  - रिपोर्ट में वैश्विक मांग में बदलाव के अनुसार लचीलेपन, सप्लाई चेन का पुनर्गठन और नए क्षेत्रों (जैसे ईवी घटक, हरित तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स) में अवसर तलाशने पर ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है।

नीति आयोग के बारे में:

- नीति आयोग (National Institution for Transforming India) भारत सरकार का प्रमुख सार्वजनिक नीति विचारक संस्थान है। इसे 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया और इसने पूर्ववर्ती योजना आयोग का स्थान लिया। नीति आयोग अपने पूर्ववर्ती की तुलना में नीचे से ऊपर की दृष्टिकोण अपनाता है और राज्यों को आर्थिक नीति निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।
- **प्रमुख कार्य:** नीति आयोग विभिन्न विभागों और पहलों के माध्यम से कार्य करता है:
  - **नीति और कार्यक्रम ढांचा:** दीर्घकालिक और रणनीतिक नीतिगत ढांचे तथा कार्यक्रम तैयार करना।
  - **सहकारी संघवाद:** राज्यों के साथ संरचित सहयोग और निरंतर समर्थन देकर सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करना।
  - **निगरानी और मूल्यांकन:** कार्यक्रमों और पहलों के क्रियान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करना।
  - **विचारक मंडल एवं ज्ञान-नवाचार केंद्र:** एक विचारक मंडल के रूप में काम करना और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रबुद्ध मंडल (Think Tank) के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना।
  - **राज्य सहायता मिशन:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संरचित और संस्थागत सहयोग को प्रोत्साहित करना, ताकि वे 2047 तक अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर सकें।

निष्कर्ष:

ट्रेड वॉच तिमाही रिपोर्ट वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की सतर्क और मजबूत स्थिति को उजागर करती है। रणनीतिक नीति निर्माण, नवाचार और बाजार विविधीकरण पर ध्यान केंद्रित करके भारत उभरते अवसरों का लाभ उठाने और अपने व्यापार प्रदर्शन को और मजबूत करने के लिए तैयार है। यह रिपोर्ट नीति निर्माताओं, उद्योग और अकादमिक जगत के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, जो वैश्विक व्यापार की जटिलताओं को समझने और उनका सफलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रदान करती है।

समावेशी सामाजिक विकास के लिए एआई पर रोडमैप

संदर्भ:

हाल ही में नीति आयोग ने डेलॉइट के सहयोग से तैयार "समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता" नामक एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारत के 49 करोड़ अनौपचारिक कामगारों (जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग आधा हिस्सा हैं) को लाभ पहुँचाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य अग्रणी तकनीकों के उपयोग की रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **मिशन डिजिटल श्रमसेतु:** एक ऐसा राष्ट्रीय मिशन प्रस्तावित किया गया है, जिसका उद्देश्य एक समग्र रोडमैप और मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जो हर श्रमिक के लिए एआई को आसान, किफायती और प्रभावी तरीके से उपलब्ध करा सके।
- **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग:** रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि एआई, ब्लॉकचेन, इमर्सिव लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करके असंगठित श्रमिकों की प्रमुख समस्याएँ "वित्तीय असुरक्षा, सीमित बाजार पहुंच और कौशल की कमी" को दूर किया जा सकता है।
- **समावेशी विकास की दिशा में चेतावनी:** रिपोर्ट चेतावनी देती है कि कि यदि एआई अपनाने और डिजिटल कौशल विकास में देरी हुई, तो 2047 तक असंगठित श्रमिकों की औसत वार्षिक आय लगभग 6,000 डॉलर पर ही सीमित रह सकती है, जो भारत को उच्च-आय वाले राष्ट्र के स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यक 14,500 डॉलर की आय सीमा से काफी कम है।

मिशन डिजिटल श्रमसेतु के उद्देश्य:

- **डिजिटल स्किलिंग:** असंगठित श्रमिकों के लिए ऐसी सीखने की सुविधाएं देना जो लचीली हों, आसानी से उपलब्ध हों और वास्तविक मांग पर आधारित हों।
- **डिजिटल गरिमा का संवर्धन:** तकनीक को बहिष्कार का साधन न बनाकर सम्मान और सशक्तिकरण का उपकरण के रूप में प्रस्तुत करना।
- **बहु-हितधारक सहयोग:** अनौपचारिक श्रमिकों के सामने आने वाली जटिल चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षा और नागरिक समाज को एकजुट करना।

रिपोर्ट का महत्व:

- रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि भारत के असंगठित श्रमिकों के जीवन में बदलाव लाने के लिए सामूहिक प्रयास और साझेदारी वहुत जरूरी है। एआई और अन्य तकनीकों का सही उपयोग करके भारत उत्पादकता, विकास और समावेशिता के नए रास्ते खोल सकता है।

भारत का असंगठित क्षेत्र:

- भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले इस क्षेत्र में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कुल कार्यबल का 90% से अधिक हिस्सा काम करता है और यह क्षेत्र लगभग 50% जीडीपी में योगदान देता है। इसके बावजूद यह क्षेत्र नीतिगत चर्चाओं और विकास योजनाओं में अक्सर पीछे छूट जाता है।

भारत का अनौपचारिक क्षेत्र:

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, भारत दुनिया की सबसे बड़ी असंगठित अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहाँ 40 करोड़ से अधिक श्रमिक कम आय, अस्थिर काम और बिना सामाजिक सुरक्षा या कानूनी संरक्षण के काम करते हैं।
- नीति आयोग बताता है कि असंगठित क्षेत्र खासकर ग्रामीण इलाकों में रोजगार का बड़ा स्रोत है, जहाँ ऐसे श्रमिकों का 80% हिस्सा केंद्रित है।

निष्कर्ष:

नीति आयोग की यह रिपोर्ट भारत में एआई नीति की सोच को एक नए दृष्टिकोण की ओर ले जाती है। अब एआई को सिर्फ औपचारिक क्षेत्रों या उच्च स्तरीय नवाचार के उपकरण के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे उन करोड़ों असंगठित श्रमिकों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले साधन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिन्हें पारंपरिक विकास मॉडल ने पीछे छोड़ दिया था। प्रस्तावित मिशन डिजिटल श्रमसेतु इसी दृष्टिकोण को

समाहित करता है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढाँचा, विश्वास, कौशल और सक्षमता का निर्माण करना है ताकि एआई आय बढ़ाने, काम की गरिमा में सुधार लाने और देश के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में अपनी भूमिका निभाने में मदद कर सके।

भारत-ईएफ़टीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए)

संदर्भ:

भारत और यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ (ईएफ़टीए) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) 1 अक्टूबर, 2025 से लागू हो गया है। यह भारत की अंतरराष्ट्रीय व्यापार कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

टीईपीए के बारे में:

- भारत-ईएफ़टीए, टीईपीए एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसे भारत और ईएफ़टीए के बीच 10 मार्च, 2024 को हस्ताक्षरित किया गया।
- ईएफ़टीए में आइसलैंड, लिच्टेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना और दोनों पक्षों के लिए बाजार तक सहज पहुंच सुनिश्चित करना है।

टीईपीए की मुख्य विशेषताएँ:

- **टैरिफ उदारीकरण और बाजार पहुंच**
  - » ईएफ़टीए देश भारत से आयात की जाने वाली अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क को खत्म या कम करेंगे।
  - » भारत इसके बदले में अपने लगभग 82.7% आयात वस्तुओं पर शुल्क में छूट देगा, जो ईएफ़टीए के 95.3% निर्यात को कवर करती हैं।
  - » हालांकि, "संवेदनशील क्षेत्र" जैसे डेयरी, कोयला और कुछ कृषि उत्पाद इस समझौते से बाहर रखे गए हैं ताकि घरेलू हितों की सुरक्षा हो सके।
- **निवेश प्रतिबद्धता:** टीईपीए की एक प्रमुख विशेषता ईएफ़टीए देशों द्वारा 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश का बाध्यकारी वचन है। निवेश का वितरण इस प्रकार है:
  - » पहले 10 वर्षों में 50 अरब अमेरिकी डॉलर
  - » शेष 5 वर्षों में 50 अरब अमेरिकी डॉलर

- **सहयोग के अन्य क्षेत्र:** टीईपीए एक व्यापक समझौता है, जो निम्न क्षेत्रों को कवर करता है:
  - » सेवाओं में व्यापार

» निवेश को बढ़ावा देना और सुविधा प्रदान करना
» बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)
» सतत विकास और व्यापार पर्यावरण
» सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ, उत्पत्ति के नियम, व्यापार सुविधा
» विवाद समाधान, सरकारी खरीद, प्रतिस्पर्धा नीति आदि

- इसके अतिरिक्त, भारत ने ईएफ़टीए डेस्क की स्थापना की है, जो एक एकल-खिड़की सुविधा प्रणाली है और ईएफ़टीए के व्यवसायों को भारत में स्थापित होने या विस्तार करने में सहायता प्रदान करती है।

प्रत्याशित प्रभाव और लाभ:

- **भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के लिए**
  » **निर्यात में बढ़ोतरी:** वस्त्र, चमड़ा, दवाइयाँ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और मशीनरी जैसे भारतीय उत्पादकों को उच्च आय वाले यूरोपीय बाज़ारों में अधिक अवसर और बेहतर पहुंच मिलेगी।
  » **विदेशी निवेश आकर्षण:** स्पष्ट प्रतिबद्धताओं और बाज़ार तक आसान पहुंच के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ ईएफ़टीए देश उन्नत तकनीक और विशेषज्ञता लेकर आते हैं।
  » **रोज़गार सृजन:** अनुमानित 10 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार से औद्योगिक समूहों और सहायक क्षेत्रों में तेज़ी से विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- **ईएफ़टीए / यूरोपीय कंपनियों के लिए**
  » **व्यापार का विविधीकरण:** भारत के तेज़ी से बढ़ते बाज़ार में प्रवेश से ईएफ़टीए कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध बनाने और पारंपरिक व्यापार मार्गों पर निर्भरता कम करने का अवसर मिलेगा।
  » **सुरक्षित निवेश वातावरण:** टीईपीए में कानूनी संरक्षण, सरल विवाद समाधान और निवेश गारंटी जैसी व्यवस्थाएँ होने से भारत निवेश के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद गंतव्य बनेगा।
  » **सेवाओं व तकनीकी सहयोग:** वित्त, तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं में नए अवसर खुलेंगे, साथ ही भारतीय कंपनियों (विशेषकर सॉफ़्टवेयर और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में) के साथ सहयोग बढ़ेगा।

निष्कर्ष:

भारत-ईएफ़टीए टीईपीए भारत और ईएफ़टीए देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में नए युग की शुरुआत है। यह भारत का पहला यूरोप-उन्मुख व्यापार समझौता है जिसमें बाध्यकारी प्रतिबद्धताएँ शामिल हैं, जो वैश्विक व्यापार संरचना में भारत की गहरी भागीदारी को दर्शाता है। यह समझौता भारत के यूरोपीय संघ और अन्य आर्थिक समूहों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत को भी पूरक बनाता है और भारत को विकसित यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं और तेजी से बढ़ती एशियाई और अफ़्रीकी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक आकर्षक केंद्र के रूप में प्रस्तुत करने में मदद करता है।

रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

संदर्भ:

1 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने वर्ष 2026-27 के विपणन सत्र के लिए सभी अधिसूचित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने की मंज़ूरी दी। इस फैसले का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और आवश्यक फसलों की खेती को

प्रोत्साहित करना है।

प्रमुख रबी फसलों का एमएसपी:

- प्रमुख रबी फसलों के लिए अनुमोदित एमएसपी इस प्रकार हैं:
  - **गेहूँ:** ₹2,585 प्रति क्विंटल (पिछले सत्र से ₹160 की बढ़ोतरी)
  - **जौ:** ₹2,150 प्रति क्विंटल (₹170 की बढ़ोतरी)
  - **चना (ग्राम):** ₹5,875 प्रति क्विंटल (₹225 की बढ़ोतरी)
  - **मसूर (लेंटिल):** ₹7,000 प्रति क्विंटल (₹300 की बढ़ोतरी)
  - **सरसों और राई:** ₹6,200 प्रति क्विंटल (₹250 की बढ़ोतरी)
  - **सफ्लॉवर:** ₹6,540 प्रति क्विंटल (₹600 की बढ़ोतरी)

एमएसपी में वृद्धि के पीछे तर्क:

- किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना
- दालों और तिलहनों की खेती को प्रोत्साहित करना
- आवश्यक कृषि उत्पादों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना

किसानों के लिए निहितार्थ:

- बढ़ी हुई एमएसपी से निम्नलिखित की उम्मीद है:
  - बेहतर लाभ मिलेगा और किसानों की आय का स्तर सुधरेगा
  - दालों और तिलहनों की खेती करने के लिए प्रेरणा मिलेगी, जो पोषण सुरक्षा के लिए जरूरी हैं
  - इन वस्तुओं के आयात पर निर्भरता कम होगी

S. No.	Crops	MSP RMS 2026-27	Cost*of Production RMS 2026-27	Margin over cost (in percent)	MSP RMS 2025-26	Increase in MSP (Absolute)
1	Wheat	2585	1239	109	2425	160
2	Barley	2150	1361	58	1980	170
3	Gram	5875	3699	59	5650	225
4	Lentil (Masur)	7000	3705	89	6700	300
5	Rapeseed & Mustard	6200	3210	93	5950	250
6	Safflower	6540	4360	50	5940	600

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के बारे में:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से कुछ निर्धारित फसलें खरीदने की गारंटी देती है।
- यह किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिससे उन्हें अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य मिल सके और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले नुकसान से बचाव हो।

एमएसपी की मुख्य विशेषताएँ:

- **सरकारी खरीद:** एमएसपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर भारतीय खाद्य निगम (FCI) और अन्य राज्य सरकारी एजेंसियाँ किसानों से फसल खरीदती हैं।
- **CACP की सिफारिशें:** एमएसपी तय करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) सिफारिशें करता है, जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह आयोग उत्पादन लागत, बाजार की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन करके उचित एमएसपी तय करता है।
  - आयोग मुख्य रूप से 23 फसलों के लिए एमएसपी सुझाता है, जिनमें 22 अधिसूचित फसलें और गन्ने के लिए लाभकारी व पारिश्रमिक मूल्य (FRP) शामिल हैं।
  - 22 अधिसूचित फसलों में 14 खरीफ, 6 रबी और 2 वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। वर्तमान में कुल 25 फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया जाता है, जिनमें तोरिया और बिना छिलके का नारियल भी शामिल हैं।
- **कानूनी दर्जा नहीं:** एमएसपी किसानों की आय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। यदि बाजार भाव एमएसपी से कम हो जाए, तो सरकार पर यह बाध्यता नहीं है कि वह अनिवार्य रूप से फसल खरीदे। इसलिए, एमएसपी केवल एक दिशानिर्देश के रूप में काम करता है, न कि कानूनी रूप से लागू मूल्य के रूप में।

प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी)

संदर्भ:

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिभूति लेन-देन कर (Securities Transaction Tax - STT) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है।

न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है।

प्रतिभूति लेनदेन कर (STT) के बारे में:

- प्रतिभूति लेनदेन कर भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से किए गए प्रतिभूति लेन-देन के मूल्य पर लगाया जाने वाला कर है।
- इसे मुख्य रूप से पूंजीगत लाभ में कर चोरी को रोकने के लिए वित्त अधिनियम, 2004 के तहत लागू किया गया था।
- डिलीवरी-आधारित इक्विटी ट्रेडों पर वर्तमान में खरीद और बिक्री दोनों पर 0.1% के हिसाब से एसटीटी लगाया जाता है।

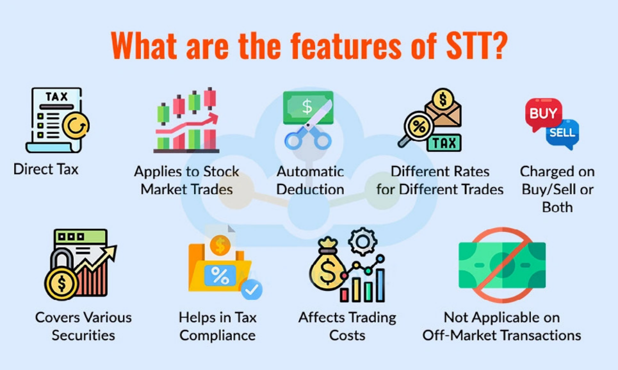

मुख्य कानूनी चुनौती:

- **दोहरा कराधान (Double Taxation):** याचिकाकर्ता का तर्क है कि एसटीटी दोहरे कराधान का कारण बनता है:
  - » एक बार लेन-देन के मूल्य पर एसटीटी के रूप में
  - » फिर उसी लेन-देन से हुए मुनाफे पर पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) के रूप में।
  - » याचिकाकर्ता का कहना है कि किसी ही लेन-देन और उससे हुए लाभ दोनों पर कर लगाना कर समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- **लाभ पर नहीं, लेन-देन पर कर (Tax on Act, Not Profit):** पारंपरिक करों के विपरीत, जो केवल शुद्ध आय या मुनाफे पर लगाए जाते हैं, एसटीटी केवल ट्रेड करने की क्रिया पर लगाया जाता है, चाहे ट्रेड से घाटा ही क्यों न हुआ हो।
  - » याचिकाकर्ता इसे दंडात्मक या रोकथामकारी (punitive/deterrent) कर मानते हैं, क्योंकि यह लाभ या हानि की परवाह किए बिना लागू होता है।
- **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:**
  - » याचिका में कहा गया है कि एसटीटी अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता), अनुच्छेद 19(1)(g) (व्यापार करने या पेशा अपनाने का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और सम्मान का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
  - » याचिकाकर्ता का तर्क है कि व्यापार की क्रिया पर मनमाना कर लगाना, चाहे परिणाम कुछ भी हो, इन मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है।
- **समायोजन या रिफंड की कमी:** याचिकाकर्ता यह भी कहते हैं कि एसटीटी में अंतिम कर देयता के खिलाफ समायोजन या रिफंड की सुविधा नहीं है, जबकि अन्य कर प्रणालियों जैसे TDS (Tax Deducted at Source) में अतिरिक्त कटौती का समायोजन या रिफंड संभव होता है।

निष्कर्ष:

सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिभूति लेन-देन कर (STT) की संवैधानिक वैधता पर विचार करना भारत के वित्तीय और पूंजी बाजार कानून में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह मामला राज्य की कराधान शक्ति और व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन तय करेगा। साथ ही, यह भारत में लेन-देन आधारित कराधान की सीमाओं के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा।

अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2025

संदर्भ:

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज़ ने वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से जोएल मोकिर, फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को प्रदान किया। यह सम्मान उन्हें नवाचार-आधारित आर्थिक विकास की प्रक्रिया को समझाने और यह स्पष्ट करने के लिए दिया गया कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में सतत और दीर्घकालिक विकास संभव कैसे होता है।

पुरस्कार विजेताओं के मुख्य योगदान:

- **जोएल मोकिर:** नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर जोएल मोकिर को तकनीकी प्रगति के ज़रिए सतत विकास के लिए आवश्यक शर्तों की पहचान करने के लिए पुरस्कार दिया गया। उनके आर्थिक इतिहास पर शोध से यह स्पष्ट हुआ कि सतत विकास के लिए "उपयोगी ज्ञान" का निरंतर प्रवाह आवश्यक है, जिसमें प्रस्तावात्मक ज्ञान (यह समझना कि कोई चीज़ क्यों काम करती है) और निर्देशात्मक ज्ञान (व्यावहारिक निर्देश) शामिल हैं।

- **फिलिप अघियन और पीटर हॉविट:** अघियन और हॉविट ने रचनात्मक विनाश (Creative Destruction) के माध्यम से सतत विकास के सिद्धांत को विकसित करने के लिए पुरस्कार साझा किया। उनका गणितीय मॉडल सतत विकास के तंत्र को उजागर करता है और दिखाता है कि कैसे नए, बेहतर उत्पाद लगातार बाज़ारों में प्रवेश करते हैं व पुराने उत्पाद बेचने वाली कंपनियों को विस्थापित करते हैं।

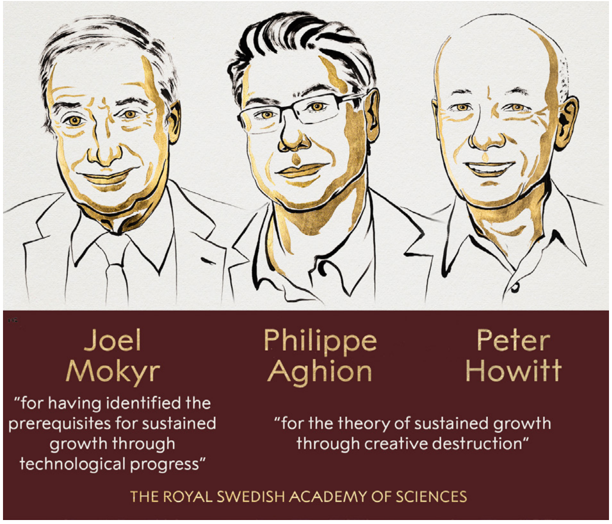

महत्त्व:

- इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने मिलकर बताया कि किस प्रकार विश्व धीमी या शून्य वृद्धि के दौर से निकलकर ऐसे दौर में पहुंच गया है, जहां वृद्धि "नई सामान्य बात" बन गई है।
- यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि:
  - » समाज ने सही संस्थाओं (जैसे कानून, स्कूल और अनुसंधान केंद्र) का निर्माण किया।
  - » उन्होंने नवाचार और विज्ञान का समर्थन किया।
  - » उन्होंने व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा करने और बढ़ने का अवसर दिया।

नीतिगत सुझाव और चुनौतियाँ:

- **अनुसंधान, विकास और नवाचार नीति:** सरकारों को बुनियादी विज्ञान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान दोनों का समर्थन करना चाहिए, साथ ही निजी क्षेत्र में नवाचार (जैसे अनुदान, कर छूट) के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए। हालांकि, अत्यधिक संरक्षण या बिना प्रतिस्पर्धा वाली सब्सिडी उलटा असर डाल सकती है।
- **प्रतिस्पर्धा, विकेंद्रीकरण और बाजार प्रवेश:** नीतियों का उद्देश्य खुले और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार सुनिश्चित करना होना चाहिए। इसके तहत स्थापित कंपनियों को नए उद्यमों के प्रवेश में बाधा डालने से रोकना और स्टार्टअप्स व रचनात्मक फर्मों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करना आवश्यक है।
- **संस्थागत सुधार:** आर्थिक विकास उन संस्थाओं पर निर्भर करता है जो कानून के शासन, संपत्ति अधिकार, प्रतिभा प्रवाह के लिए खुलापन, शिक्षा और प्रयोग की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं।
- **विघटन और सामाजिक समानता में संतुलन:** रचनात्मक विनाश की प्रक्रिया में श्रमिक और कंपनियों का विस्थापन अनिवार्य है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा जाल, पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम और संक्रमणकालीन सहायता जैसी नीतियाँ आवश्यक हैं।
- **वैश्विक एकीकरण और खुलापन:** पुरस्कार विजेताओं ने संरक्षणवाद और वैश्वीकरण के उलट प्रवृत्तियों के प्रति चेतावनी दी। खंडित और अलग-अलग बाजार नवाचार के प्रसार को धीमा करते हैं और पैमाने की क्षमता को सीमित कर देते हैं।

निष्कर्ष:

2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने आधुनिक आर्थिक विकास को समझने का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल दिया है। उनके शोध से यह स्पष्ट हुआ कि आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ नवाचार, मजबूत संस्थाएँ और सक्रिय प्रतिस्पर्धा मिलकर विकास को सामान्य और सतत बनाते हैं। साथ ही, उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि विकास अपने आप स्थायी नहीं होता, इसे बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास और रणनीतियाँ आवश्यक हैं।

लीप्स पहल 2025

सन्दर्भ:

हाल ही में 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लीप्स 2025 (Logistics Excellence, Advancement, and Performance Shield) पहल को औपचारिक रूप से शुरू किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में प्रधानमंत्री गतिशक्ति (PM Gati Shakti) की चौथी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान प्रारंभ किया गया।

लीप्स पहल 2025 के बारे में:

- लीप्स 2025 एक राष्ट्रीय बेंचमार्किंग पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और नेतृत्व को मान्यता

देना और उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचाना है।

- लीप्स 2025, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy 2022) और प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की दृष्टि पर आधारित है। इसका लक्ष्य भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अधिक कुशल, एकीकृत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।
- यह पहल उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है।
- इसने सस्टेनेबिलिटी (ESG), ग्रीन लॉजिस्टिक्स, पारदर्शिता और लचीलापन (Resilience) को लॉजिस्टिक्स तंत्र का मुख्य आधार बताया है।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति (PM Gati Shakti) के बारे में:

- अक्टूबर 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना भारत की राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जिसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के माध्यम से बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और एकीकृत योजना के जरिए आर्थिक विकास को तेज करना है।
- यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (BISAG-N) ने विकसित किया है।
- इसमें 16 मंत्रालयों के डेटा को भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) टूल्स और इसरो की उपग्रह इमेजरी के माध्यम से एकीकृत किया गया है, जिससे विभागों के बीच समन्वय और रियल-टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग संभव होती है।

मुख्य उद्देश्य एवं विशेषताएँ:

- विभिन्न विभागों के बीच साइलो मानसिकता को तोड़कर परियोजनाओं का सामंजस्यपूर्ण और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के बीच निर्बाध संपर्क स्थापित करना।
- लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार कर लागत घटाना और भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- औद्योगिक कॉरिडोर, रक्षा कॉरिडोर, और टेक्सटाइल क्लस्टर जैसे आर्थिक क्षेत्रों का एकीकृत विकास।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति के छह स्तंभ (Six Pillars):

- **समग्रता (Comprehensiveness):** बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का 360° दृष्टिकोण।
- **प्राथमिकता (Prioritization):** मंत्रालयों के बीच समन्वय और रणनीतिक आवश्यकताओं के आधार पर प्राथमिकताएँ तय करना।
- **सर्वोत्तमकरण (Optimization):** सबसे लागत-प्रभावी मार्गों और तरीकों का चयन करना।
- **समन्वय (Synchronization):** समन्वित कार्रवाई के माध्यम से समयबद्ध निष्पादन।
- **विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण (Analytical):** स्थानिक और डेटा-आधारित निर्णय लेने वाले उपकरणों का उपयोग।
- **गतिशीलता (Dynamic):** रियल-टाइम अपडेट और बदलती आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन क्षमता।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के बारे में:

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP 2022) का शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 17 सितंबर 2022 को किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में एक एकीकृत, लागत-कुशल और सतत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
- भारत की लॉजिस्टिक्स लागत ऐतिहासिक रूप से जीडीपी का 14–18% रही है, जो वैश्विक औसत 8% से कहीं अधिक है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
  - » 2030 तक लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 8% तक लाना।
  - » विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (LPI) में भारत की रैंकिंग को 2030 तक शीर्ष 25 में लाना (2018 में 44वें से 2023 में 38वें स्थान पर सुधार हुआ)।
  - » डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली के माध्यम से लॉजिस्टिक्स दक्षता को बढ़ाना।
  - » निर्यात में वृद्धि के लिए लॉजिस्टिकल बाधाओं को कम करना।
  - » मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को तेज़ी से वस्तुओं की आवाजाही के माध्यम से सशक्त करना।

निष्कर्ष:

लीप्स 2025 पहल का शुभारंभ भारत सरकार द्वारा लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उत्कृष्टता को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल मान्यता, बेंचमार्किंग, ESG मानकों और नवाचार को एक साथ जोड़कर भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को रूपांतरित करने का लक्ष्य रखती है। इसकी सफलता राज्यों की सक्रिय भागीदारी, नीतिगत समन्वय, और दक्षता, पारदर्शिता व स्थायित्व में ठोस सुधारों पर निर्भर करेगी।

चीन ने भारत के खिलाफ डब्लूटीओ में शिकायत दर्ज कराई

संदर्भ:

हाल ही में चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की है। उसका कहना है कि भारत इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और बैटरी निर्माण उद्योग को जो सब्सिडी और प्रोत्साहन दे रहा है, वे वैश्विक व्यापार नियमों के विरुद्ध हैं।

पृष्ठभूमि:

- भारत ने पिछले कुछ वर्षों में घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग और हरित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए तेज़ी से कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
  - **फेम/फेम II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) योजना:** यह योजना उपभोक्ताओं की मांग बढ़ाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करती है।
  - **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना:** इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण में अधिक मूल्य संवर्धन और बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देना है।
  - **पीएम ई-ड्राइव कार्यक्रम:** यह योजना स्थानीयकरण मानकों को पूरा करने वाली ईवी और बैटरी निर्माण इकाइयों को सब्सिडी देने की दिशा में काम करती है।
  - **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज भंडार (NCMS) प्रस्ताव:** इसके तहत भारत रेयर अर्थ मेटल्स और बैटरी उत्पादन में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक भंडार तैयार करने पर विचार कर रहा है, ताकि घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जा सके।

चीन के आरोप:

- चीन की शिकायत मुख्य रूप से कई कानूनी दावों पर आधारित है:
  - **राष्ट्रीय उत्पादकों को समर्थन:** चीन का आरोप है कि भारत की सब्सिडी नीतियाँ घरेलू उत्पादकों को विदेशी उत्पादकों की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाती हैं, जो विश्व व्यापार संगठन के गैर-भेदभाव सिद्धांत के खिलाफ है।
  - **आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी:** चीन का तर्क है कि कुछ प्रोत्साहन "आयात प्रतिस्थापन" की प्रकृति के हैं, अर्थात ये आयात की तुलना में घरेलू स्रोतों का उपयोग बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत प्रतिबंधित हैं।
  - **निषिद्ध या व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी:** कुछ योजनाओं की संरचना ऐसी हो सकती है कि वे निषिद्ध सब्सिडी के दायरे में आती हैं, विशेषकर यदि वे निर्यात प्रदर्शन या आयात घटाने पर आधारित हों।

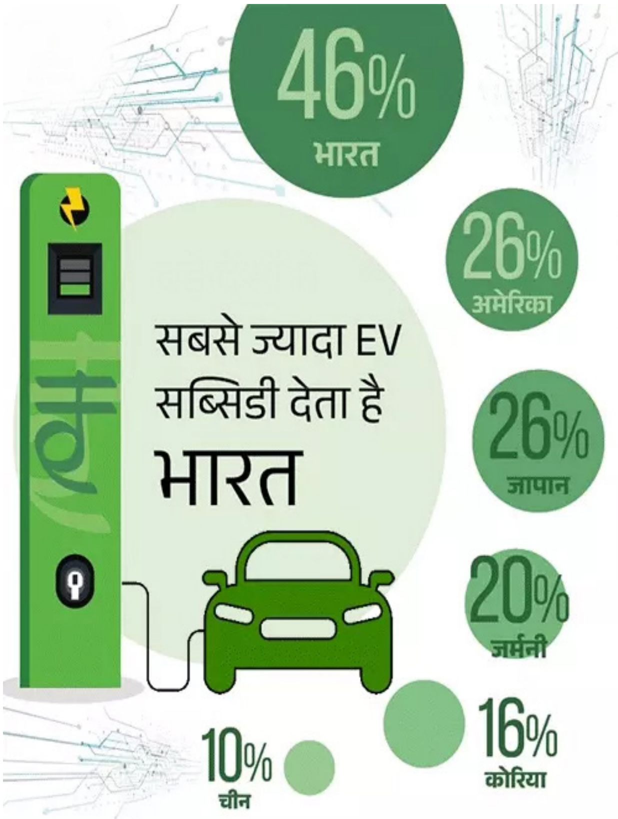

भारत की संभावित दलीलें:

- भारत अपने पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है:
  - **सुरक्षा और सार्वजनिक हित अपवाद:** शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) के अनुच्छेद XXI के तहत, यदि कोई उपाय राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण या पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, तो उसे वैध ठहराया जा सकता है।
  - **सब्सिडी और कानून संरचना:** भारत यह तर्क दे सकता है कि उसकी योजनाएँ विश्व व्यापार संगठन मानकों के अनुरूप

डिज़ाइन की गई हैं। ये सीधे आयात घटाने या निर्यात बढ़ाने पर आधारित नहीं हैं और घरेलू उद्योग को होने वाला लाभ केवल सहायक प्रभाव के रूप में है।

» **विकास और परिवर्तन का तर्क:** भारत यह भी कह सकता है कि नए हरित-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विकास के लिए सब्सिडी देना एक विकासशील देश के अधिकार में आता है और यह विश्व व्यापार संगठन के "विशेष और विभेदक व्यवहार (SDT)" प्रावधान के अंतर्गत वैध है।

विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान प्रक्रिया:

- **परामर्श चरण (60 दिन):** चीन ने आधिकारिक तौर पर परामर्श की मांग की है। यदि इस अवधि में कोई समाधान नहीं निकलता, तो चीन विवाद पैनल बनाने की मांग कर सकता है।
- **पैनल चरण:** इस चरण में पैनल दोनों देशों की दलीलें सुनेगा, साक्ष्यों की समीक्षा करेगा और निर्णय देगा।
- **अपील चरण:** निर्णय के बाद पक्ष डब्लूटीओ की अपीलीय संस्था में जा सकते हैं। हालांकि, 2019 से अपीलीय निकाय सक्रिय नहीं है, जिससे फैसले को लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

निष्कर्ष:

इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी को लेकर चीन द्वारा WTO में की गई शिकायत इस बात का संकेत है कि वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में प्रतिस्पर्धा तेज़ होती जा रही है। जैसे-जैसे यह विवाद आगे बढ़ेगा, इसका परिणाम न केवल भारत और चीन के रिश्तों पर, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा व्यापार और वैश्विक वाणिज्यिक नियमों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा की वरीयता पर जोर

संदर्भ:

वॉशिंगटन डी.सी. में आयोजित विश्व बैंक समूह (World Bank Group) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की वार्षिक बैठक के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने विश्वभर के केंद्रीय बैंकों से आग्रह किया कि वे सीमापार भुगतान (cross-border payments) के लिए स्टेबलकॉइन के बजाय केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं (CBDCs) को बढ़ावा दें।

केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा बनाम स्टेबलकॉइन के बारे में:

- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) किसी देश की आधिकारिक मुद्रा का डिजिटल रूप होती है, जिसे उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित (backed) किया जाता है।
- यह वैध मुद्रा (Legal Tender) होती है और इसकी कीमत भौतिक नकदी के बराबर होती है। जैसे: भारत का डिजिटल रुपया (Digital Rupee), चीन का e-CNY, नाइजीरिया का eNaira
- स्टेबलकॉइन वे क्रिप्टोकरेंसी हैं जिन्हें निजी कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है और जिनका मूल्य स्थिर बनाए रखने के लिए उन्हें फिएट मुद्रा (जैसे अमेरिकी डॉलर), वस्तुओं (जैसे सोना) या एल्गोरिदमिक तंत्रों से जोड़ा जाता है।

तुलना: सीबीडीसी बनाम स्टेबलकॉइन

विशेषता (Feature)	CBDC (जैसे भारत का डिजिटल रुपया)	Stablecoin (जैसे USDT, USDC)
जारीकर्ता (Issuer)	देश का केंद्रीय बैंक	निजी संस्थाएँ (कॉरपोरेशन, समूह आदि)
समर्थन / दायित्व (Backing / Liability)	सरकार या केंद्रीय बैंक की पूर्ण विश्वसनीयता और दायित्व	फिएट मुद्रा, वस्तुओं या अल्पकालिक प्रतिभूतियों जैसी आरक्षित परिसंपत्तियों या एल्गोरिदमिक तंत्रों से समर्थित
कानूनी स्थिति (Legal Status)	जारीकर्ता देश के भीतर वैध मुद्रा (legal tender)	वैध मुद्रा नहीं; केवल क्रिप्टो परिसंपत्ति या डिजिटल टोकन के रूप में मान्य
स्वभाव और नियंत्रण (Nature & Control)	केंद्रीकृत (या अनुमति-आधारित) प्रणाली, केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित	डिज़ाइन के अनुसार केंद्रीकृत (कॉर्पोरेट) या विकेंद्रीकृत (एल्गोरिदमिक/DAO आधारित) हो सकती है।

स्टेबलकॉइन को लेकर चिंताएँ:

- स्टेबलकॉइन अक्सर अमेरिकी डॉलर जैसी मुद्राओं से जुड़ी होती हैं और निजी संस्थाओं द्वारा जारी की जाती हैं, जिससे पारदर्शिता और नियामक निगरानी (regulatory oversight) पर सवाल उठते हैं।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने चेतावनी दी कि स्टेबलकॉइन का व्यापक उपयोग देशों की अर्थव्यवस्थाओं के डॉलरकरण

(dollarization) का कारण बन सकता है, जिससे राष्ट्रीय मौद्रिक नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

- उन्होंने यह भी कहा कि स्टेबलकॉइन से वित्तीय स्थिरता (financial stability) और पूंजी प्रवाह (capital account flows) से संबंधित जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं।

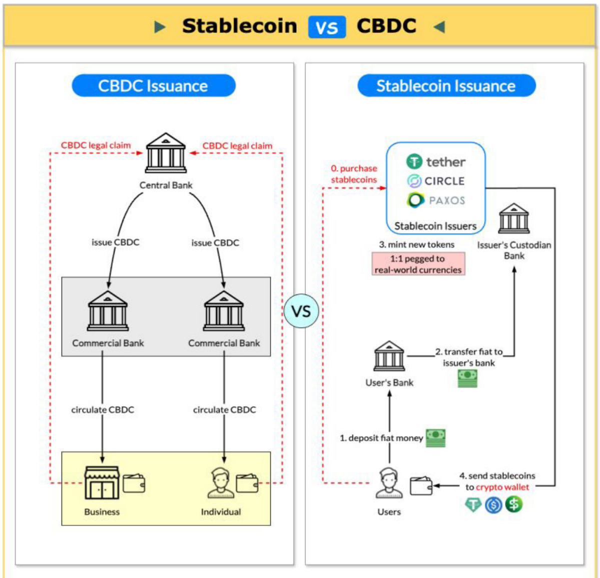

सीबीडीसी के स्टेबलकॉइन पर लाभ:

- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ (CBDCs) कई मामलों में स्टेबलकॉइन की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती हैं, जिससे वे सीमापार भुगतान और वित्तीय लेनदेन के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाती हैं।
- **सीबीडीसी के प्रमुख लाभ:**
  - » **फिएट समर्थन (Fiat Backing):** सीबीडीसी केंद्रीय बैंकों द्वारा समर्थित होती हैं, जिससे उनमें स्थिरता और विश्वास बना रहता है, जबकि स्टेबलकॉइन निजी संस्थाओं या एल्गोरिदम द्वारा समर्थित होती हैं।
  - » **मौद्रिक नीति पर नियंत्रण (Monetary Policy Control):** सीबीडीसी केंद्रीय बैंकों को मौद्रिक नीति पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देती हैं, जबकि स्टेबलकॉइन इससे जुड़े जोखिम उत्पन्न कर सकती हैं।
  - » **वित्तीय अखंडता (Financial Integrity):** सीबीडीसी धन की अखंडता को बनाए रखती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंकी वित्तपोषण से जुड़े जोखिमों को कम करती हैं।
  - » **सुरक्षा (Security):** सीबीडीसी केंद्रीय बैंकों के समर्थन और उन्नत क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों के कारण स्टेबलकॉइन की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं।
  - » **नियामक निगरानी (Regulatory Oversight):** सीबीडीसी पर नियामक संस्थाओं का नियंत्रण होता है, जिससे वे धन शोधन निरोधक (Anti-Money Laundering) और केवाईसी (Know Your Customer) नियमों का पालन सुनिश्चित करती हैं।

निष्कर्ष:

केंद्रीय बैंकों से सीबीडीसी को स्टेबलकॉइन पर प्राथमिकता देने का आह्वान भारत की वित्तीय संप्रभुता (financial sovereignty) और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसे-जैसे वैश्विक वित्तीय परिदृश्य तेजी से बदल रहा है, सीबीडीसी को अपनाना (adoption) अंतरराष्ट्रीय भुगतानों और मौद्रिक प्रणालियों के भविष्य को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

'प्रति बूंद अधिक फसल' (Per Drop More Crop) योजना

सन्दर्भ:

हाल ही में भारत सरकार ने 'प्रति बूंद अधिक फसल' (PDMC) योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। यह पहल प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का एक प्रमुख घटक है, जिसका उद्देश्य कृषि में जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है, विशेषकर ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से।

योजना में किए गए प्रमुख संशोधन:

- **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिक लचीलापन:**
  - » पहले, सूक्ष्म स्तर पर जल भंडारण और संरक्षण परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि की सीमा प्रत्येक राज्य के कुल आवंटन का 20% और पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर व लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 40% तक सीमित थी।
  - » नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर इन सीमाओं से अधिक खर्च करने की लचीलापन

(flexibility) प्रदान की गई है।

- **सूक्ष्म स्तर पर जल प्रबंधन पर जोर:**
  - संशोधित दिशा-निर्देशों में किसानों और समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप जल-संग्रह प्रणालियों और 'डिग्गियों' (छोटे जल भंडारण ढाँचे) के निर्माण को प्रोत्साहित किया गया है।

'प्रति बूंद अधिक फसल' (PDMC) योजना के बारे में:

- 'प्रति बूंद अधिक फसल' योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का एक घटक है। इसे वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य कृषि में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के उपयोग के माध्यम से जल उपयोग दक्षता (water use efficiency) को सुधारना है।
- **PDMC योजना के उद्देश्य:**
  - **जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना:** सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को अपनाने के माध्यम से कृषि में जल के उपयोग का अनुकूलन किया जाता है, जिससे जल की बर्बादी घटती है और फसलों को आवश्यक नमी मिलती है।
  - **किसानों की आय में वृद्धि:** जल प्रबंधन की दक्षता से बेहतर फसल उत्पादन और इनपुट लागत में कमी होती है, जिससे किसानों की आय में सीधी वृद्धि होती है।
  - **कृषि उत्पादकता में सुधार:** यह योजना आधुनिक सिंचाई तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करती है, जिससे अधिक स्थायी और उच्च गुणवत्ता वाला फसल उत्पादन संभव होता है।

PDMC योजना का प्रभाव:

- 'प्रति बूंद अधिक फसल' योजना ने भारत में कृषि पद्धतियों को रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्यों को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप जल संरक्षण परियोजनाएँ तैयार करने की स्वायत्तता देकर, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हस्तक्षेप अधिक प्रभावी और टिकाऊ हों।
- सूक्ष्म सिंचाई पर जोर देने से न केवल जल संरक्षण संभव हुआ है, बल्कि किसानों को नई तकनीकों और ज्ञान से सशक्त भी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र अधिक सुदृढ़ और किसानों की आजीविका अधिक स्थिर हुई है।

निष्कर्ष:

PDMC योजना में किए गए सुधार भारत में सतत कृषि (sustainable agriculture) की दिशा में एक रणनीतिक कदम हैं। जल के कुशल उपयोग और राज्यों को स्थानीय समाधान लागू करने की स्वतंत्रता देकर, सरकार एक अधिक उत्पादक और जल-संवेदनशील कृषि भविष्य की नींव रख रही है।

7 आंतरिक सुरक्षा

भारत का रक्षा रूपांतरण: आयात निर्भरता से स्वदेशी क्षमता तक

संदर्भ:

भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में हो रहे तीव्र परिवर्तन ने राष्ट्रीय सुरक्षा, औद्योगिक विकास और प्रौद्योगिकीय आत्मविश्वास को एक नई दिशा दी है। एचएएल के नासिक परिसर में पहला हल्का लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस एमके1ए के नए विमान उत्पादन लाइनों के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा ने बताया कि देश का रक्षा निर्यात अब 25,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है जो इस परिवर्तन की ठोस पुष्टि करता है। कुछ वर्ष पूर्व जहाँ रक्षा निर्यात मात्र 1,000 करोड़ रुपये के स्तर पर था, वहीं आज भारत न केवल आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर है, बल्कि वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है।

सरकार द्वारा 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपये के घरेलू रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपये के निर्यात का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह "आत्मनिर्भर भारत" की भावना को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। पिछले एक दशक में प्रमुख सुधारों, तकनीकी नवाचारों और नीतिगत परिवर्तनों ने भारत के रक्षा परिदृश्य को धीरे-धीरे बदल दिया है, जिससे देश दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक से उभरते वैश्विक निर्यातक की दिशा में अग्रसर हुआ है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- स्वतंत्रता के समय भारत को 16 आयुध कारखानों (Ordnance Factories) और एक प्रशिक्षित तकनीकी कार्यबल सहित एक मामूली लेकिन संरचित रक्षा औद्योगिक आधार विरासत में मिला था। हालांकि, इन इकाइयों का अधिकांश कार्य रखरखाव और असेंबली तक सीमित था, न कि नवाचार या अनुसंधान पर केंद्रित।
- 1958 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) की स्थापना स्वदेशी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी, लेकिन इसे सीमित वित्तपोषण और सशस्त्र बलों के साथ कमजोर समन्वय का सामना करना पड़ा।
- 1962 के चीन युद्ध के बाद भारत ने अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए भारी मात्रा में हथियार आयात, विशेषकर सोवियत संघ से, पर निर्भरता बढ़ा दी। यह आयात-आधारित दृष्टिकोण दशकों तक जारी रहा, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष हथियार आयातकों में शामिल रहा और तकनीकी निर्भरता की कमजोरियां उजागर हुईं।

आत्मनिर्भर रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- पिछले एक दशक में भारत की रक्षा नीति में बड़ा परिवर्तन हुआ है, जिसका उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अब ध्यान स्वदेशी डिजाइन, अनुसंधान और उत्पादन पर केंद्रित है, जिसे संस्थागत सुधारों, नई खरीद प्रक्रियाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी से समर्थन मिला है।
- **प्रमुख उपलब्धियां हैं:**
  - चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) की स्थापना, ताकि थलसेना, नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय को बढ़ावा दिया जा सके।
  - हाल की संयुक्त अभियानों, जैसे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने दिखाया है कि इन सुधारों ने समन्वय और परिचालन दक्षता में सुधार किया है।

संरचनात्मक सुधार:

- भारत की सुरक्षा संरचना को आधुनिक खतरों से निपटने और निर्णय-निर्माण को सुव्यवस्थित करने के लिए पुनर्गठित किया गया है। 2018 से 2019 के बीच तीन त्रि-सेवा एजेंसियां बनाई गईं:

» **डिफेंस साइबर एजेंसी:** सैन्य साइबर ऑपरेशनों और साइबर युद्ध को संभालती है।

» **डिफेंस स्पेस एजेंसी (DSA):** संचार, नेविगेशन और निगरानी के लिए अंतरिक्ष के सैन्य उपयोग पर केंद्रित है।

» **आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन (AFSOD):** विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक मिशनों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करती है।

- ये सभी इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तहत कार्य करती हैं और CDS को रिपोर्ट करती हैं। एक और प्रमुख सुधार इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की स्थापना है, जो संयुक्त अभियानों को और सशक्त बनाएगी।

रक्षा खरीद सुधार:

- डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर (DAP) 2020 ने 2016 की पुरानी व्यवस्था की जगह ली, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  » कई श्रेणियों में स्वदेशी सामग्री की आवश्यकता को 50% या उससे अधिक किया गया।
  » "निगेटिव इम्पोर्ट लिस्ट्स" की शुरुआत की गई, जिसमें 500 से अधिक रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया।
  » विदेशी विक्रेताओं को भारत में स्थानीय विनिर्माण या संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की आवश्यकता रखी गई।
- इसके परिणामस्वरूप, भारत का रक्षा उत्पादन 2023–24 में ₹1.27 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है।

मुख्य नीतिगत सुधार और रक्षा कॉरिडोर:

- 2021 में ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (OFB) का कॉर्पोरेटरण एक ऐतिहासिक सुधार था। 41 आयुध कारखानों को दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सात नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) में पुनर्गठित किया गया।
- इसके अलावा, सरकार ने दो रक्षा औद्योगिक गलियारे (Defence Industrial Corridors – DICs) उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए हैं, ताकि निवेश आकर्षित किया जा सके, नवाचार को बढ़ावा मिले और रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी मजबूत हो।
- अब तक ₹8,600 करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है, और अगले वर्षों में ₹50,000 करोड़ से अधिक आकर्षित करने की योजना है।

रक्षा निर्यातों में वृद्धि:

- भारत के रक्षा निर्यात पिछले दशक में लगभग 15 गुना बढ़े हैं 2016–17 में लगभग ₹1,500 करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹23,622 करोड़ तक पहुँच गए।
- निर्यात में रडार सिस्टम, मिसाइलें, तोपखाने की बंदूकें और गश्ती पोत शामिल हैं, जिन्हें वियतनाम, फिलीपींस और कई अफ्रीकी देशों को आपूर्ति किया गया है।
- यह परिवर्तन भारत की उस दृष्टि से मेल खाता है, जिसके तहत वह एक नेट डिफेंस एक्सपोर्टर और विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार बनना चाहता है, विशेषकर ग्लोबल साउथ में।
- सरकार का लक्ष्य 2028–29 तक रक्षा निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक पहुँचाने का है।

निजी क्षेत्र की भागीदारी और स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी:

- पहले राज्य-प्रभुत्व वाले रक्षा क्षेत्र में अब निजी कंपनियों और स्टार्ट-अप्स का स्वागत किया जा रहा है। टाटा, एलएंडटी, महिंद्रा डिफेंस, अडानी डिफेंस और भारत फोर्ज जैसी कंपनियों ने एयरोस्पेस, ड्रोन, बख्तरबंद वाहन और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में प्रवेश किया है।
- iDEX (Innovations for Defence Excellence) पहल ने 400 से अधिक स्टार्ट-अप्स को सहयोग दिया है, जो कृत्रिम

बुद्धिमत्ता (AI), रोबोटिक्स, स्मार्ट हथियारों और साइबर सुरक्षा जैसी अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहे हैं।

- इसकी उप-योजना ADITI (Acing Development of Innovative Technology with iDEX) महत्वपूर्ण और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के विकास पर केंद्रित है।

भारत की रक्षा वृद्धि को गति देने वाले तकनीकी नवाचार:

- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):** AI का उपयोग भविष्यवाणी आधारित रखरखाव, निर्णय-निर्माण और लक्ष्य पहचान में किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने 2022 में 75 AI-आधारित उत्पाद लॉन्च किए और हर वर्ष लगभग 12.6 मिलियन डॉलर की राशि एआई परियोजनाओं के लिए आवंटित की गई है।
- **स्वायत्त प्रणालियाँ और रोबोटिक्स:** भारत 'नेट्रा' UAV और DRDO के 'दक्ष' रोबोट जैसे मानवरहित प्रणालियों में प्रगति कर रहा है, जो निगरानी और बम निष्क्रिय करने में उपयोग होते हैं।
- **साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध:** रक्षा साइबर एजेंसी, NTRO और DIA साइबर सुरक्षा क्षमताओं का विकास कर रहे हैं। DRDO की 'शक्ति' इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली ने दुश्मन की संचार और रडार नेटवर्क बाधित करने की भारत की क्षमता को बढ़ाया है।
- **3D प्रिंटिंग और उन्नत विनिर्माण:** एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन को क्रांतिकारी बना रही है। HAL और Wipro3D की साझेदारी ने एयरो इंजन के धातु घटकों की 3D प्रिंटिंग को सक्षम किया है, जिससे उत्पादन समय और लागत दोनों में कमी आई है।
- **क्वांटम प्रौद्योगिकी:** DRDO के अधीन नवगठित क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (QTRC) अति-सुरक्षित संचार पर केंद्रित है। IIT दिल्ली के सहयोग से इसने 1 किमी दूरी तक क्वांटम सुरक्षित संचार का सफल परीक्षण किया है।
- **स्वदेशी रक्षा प्लेटफॉर्म:** INS विक्रांत, प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स, तेजस LCA Mk-1A और ATAGS तोपें जैसे प्लेटफॉर्म भारत की जटिल रक्षा प्रणालियों में बढ़ती घरेलू क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं।

स्थायी चुनौतियाँ:

- भारत की लगभग 36% रक्षा खरीद अभी भी आयात पर निर्भर है।
- जेट इंजन, रडार, मिसाइल सीकर और स्टील्थ सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण तकनीकें अभी विदेशी स्रोतों से आती हैं।
- साइबर सुरक्षा में अंतराल और कुशल पेशेवरों की कमी (लगभग 8 लाख विशेषज्ञों की आवश्यकता) डिजिटल रक्षा को कमजोर बनाती है।
- ब्यूरोक्रेसी और नियामक बाधाओं के कारण निजी क्षेत्र का एकीकरण धीमा है।
- रक्षा गलियारे सैन्य आवश्यकताओं में उतार-चढ़ाव और असंगत नीति कार्यान्वयन के कारण पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए हैं।
- भारत का वैश्विक रक्षा निर्यात में हिस्सा अभी भी सीमित है, जो समय पर आपूर्ति और बिक्री के बाद सहायता से संबंधित चिंताओं से प्रभावित है।

आगे की राह:

- **सार्वजनिक–निजी सहयोग को प्रोत्साहित करना:** DPSU और निजी कंपनियों के बीच संयुक्त उपक्रम नवाचार और उत्पादन दक्षता को बढ़ा सकते हैं।
- **तकनीकी हस्तांतरण और अनुसंधान पर ध्यान:** उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकियों जैसे इंजन और सेंसर में स्वदेशी अनुसंधान में निवेश बढ़ाना आवश्यक है।
- **रक्षा निर्यात को सुदृढ़ बनाना:** भारत को समय पर डिलीवरी और गुणवत्ता आश्वासन में विश्वसनीय प्रतिष्ठा बनानी होगी ताकि दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में निर्यात बाजार बढ़ सके।
- **रक्षा कौशल विकास:** रक्षा इंजीनियरिंग, AI और साइबर सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्थान और Defence Talent Academy स्थापित की जा सकती है।
- **इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स:** इनके कार्यान्वयन में तेजी लाने से सेवाओं के बीच समन्वय और संसाधन-साझेदारी में सुधार होगा।

निष्कर्ष:

भारत का रक्षा क्षेत्र एक आयातक राष्ट्र से उभरते वैश्विक रक्षा केंद्र की ओर, ऐतिहासिक रूपांतरण से गुजर रहा है । आत्मनिर्भर भारत पहल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वायत्तता के साथ पुनर्परिभाषित किया है। हालांकि पूर्ण तकनीकी स्वतंत्रता हासिल करना अभी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन भारत का नवाचार पारिस्थितिकी, निजी क्षेत्र की भागीदारी और निर्यात सफलता इसे एक आत्मविश्वासी, सक्षम और स्वावलंबी शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यदि निवेश, कौशल विकास और नीतिगत समर्थन निरंतर जारी रहे, तो भारत का "निर्माता राष्ट्र, न कि खरीदार बाजार" बनने का सपना शीघ्र ही वास्तविकता बन जाएगा।

'सक्षम' (SAKSHAM) अनमैन्ड एरियल सिस्टम ग्रिड

संदर्भ:

भारतीय सेना ने उभरते ड्रोन खतरों से अपनी सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए घरेलू स्तर पर विकसित काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (यूएएस) ग्रिड 'सक्षम' की खरीद शुरू कर दी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा विकसित, सक्षम को वास्तविक समय में शत्रुतापूर्ण मानवरहित हवाई प्रणालियों (Unmanned Aerial Systems) का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने, पहचानने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

पृष्ठभूमि:

- ड्रोन विरोधी मजबूत तंत्र की आवश्यकता विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान सामने आई, जब ड्रोन के झुंड (drone swarms) सीमाओं को पार कर गए जिससे ड्रोन का पता लगाने, प्रतिक्रिया की गति और वायुक्षेत्र नियंत्रण में मौजूद कमियों को उजागर किया।
- पारंपरिक युद्ध क्षेत्र की अवधारणा जो केवल भूमि और निम्न ऊँचाई वाले वायु क्षेत्र तक सीमित थी, अब पुनर्विचार के केंद्र में है।
- सेना ने "टैक्टिकल बैटल एरिया" (Tactical Battle Area – TBA) की अवधारणा से आगे बढ़कर "टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस" (Tactical Battlefield Space – TBS) की अवधारणा अपनाई है, जिसमें वायु लिटोरल (Air Littoral) अर्थात् भूमि से लगभग 3,000 मीटर (लगभग 10,000 फीट) ऊँचाई तक का वायुक्षेत्र शामिल है। 'सक्षम' का उद्देश्य इसी वायु क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सक्षम की प्रमुख विशेषताएँ:

विशेषता	विवरण
पूर्ण परिस्थितिजन्य जागरूकता	'सक्षम' विभिन्न सेंसरों (रडार, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड आदि) से प्राप्त सूचनाओं को एकीकृत करेगा, ताकि मित्र, तटस्थ और शत्रु हवाई इकाइयों का समग्र चित्र तैयार हो सके।
सॉफ्ट और हार्ड किल विकल्प	यह प्रणाली गैर-गतिज अवरोधन (जैमिंग/स्पूफिंग) और गतिज निष्क्रियकरण (विनाश), दोनों का समर्थन करती है, जो खतरे के प्रकार और दूरी पर निर्भर करता है।
कमांड और कंट्रोल नेटवर्क ग्रिड	यह एक ग्रिड प्रणाली है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित डिटेक्शन, ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइजेशन नोड्स को जोड़ा गया है। यह सेना के सुरक्षित डेटा नेटवर्क (Army Data Network – ADN) पर कार्य करती है, जिससे विभिन्न फॉर्मेशन और शाखाएँ रीयल-टाइम में वायु स्थिति साझा कर सकें।
एआई / स्वचालित निर्णय समर्थन प्रणाली	'सक्षम' में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आधारित उपकरण हैं, जो खतरों को वर्गीकृत करने, प्रतिक्रिया को प्राथमिकता देने और निर्णय-निर्माण की गति बढ़ाने में सहायता करते हैं। यह प्रणाली भविष्य में खतरों के विकसित रूप के अनुसार अपग्रेड या स्केल की जा सकेगी।
जीआईएस आधारित कॉमन ऑपरेटिंग पिक्चर	यह भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग कर युद्ध क्षेत्र के वायुक्षेत्र का दृश्य प्रस्तुत करती है, जिसमें शत्रु ड्रोन खतरों और मित्र संपत्तियों दोनों को दर्शाया जाता है।
मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकरण	'सक्षम' को 'आकाशतीर' (Akashteer) — भारत की स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि सभी वायु उपयोगकर्ताओं का समन्वय और प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

सक्षम के रणनीतिक निहितार्थ:

- **विस्तारित वायुक्षेत्र नियंत्रण (3,000 मीटर तक):**
  - » यह जमीनी बलों को निम्न और मध्यम ऊँचाई वाले वायुक्षेत्र पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है।
  - » आधुनिक युद्ध में यूएवी (UAVs) और ड्रोन स्वार्म से निपटने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है।
- **तेज़ प्रतिक्रिया और कम संवेदनशीलता:**
  - » यह प्रणाली डिटेक्शन, ट्रैकिंग, निर्णय-निर्माण और निष्क्रियकरण प्रक्रियाओं को एकीकृत करती है।
  - » इससे प्रतिक्रिया समय घटता है और शत्रु ड्रोन से उत्पन्न खतरे

में कमी आती है।

- **स्वदेशी अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा:**
  - 'सक्षम' पूरी तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा विकसित किया गया है।
  - यह आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat) मिशन और भारतीय सेना के परिवर्तन के दशक (2023–2032) के लक्ष्यों को सशक्त करता है।
- **मजबूत प्रतिरोध और सीमा सुरक्षा:**
  - यह भारत की ड्रोन घुसपैठ का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता को बढ़ाता है, विशेष रूप से पाकिस्तान सीमा के निकट।
  - इससे शत्रु के ड्रोन अभियानों को अधिक जोखिमपूर्ण और अप्रभावी बनाया जा सकता है।

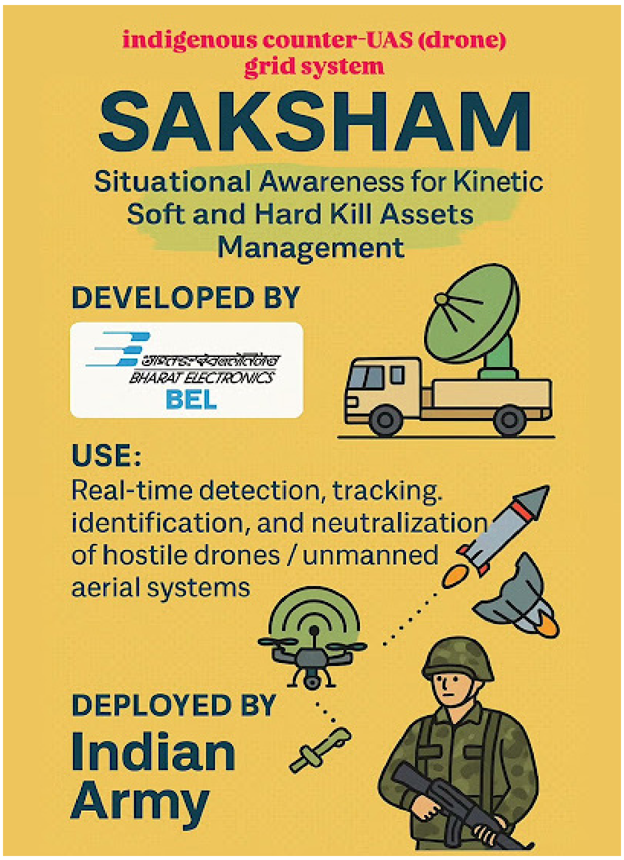

निष्कर्ष:

'सक्षम' भारत की वायु रक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रीयल-टाइम सेंसर फ्यूज़न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता समर्थन, और सॉफ्ट/हार्ड किल क्षमताओं के माध्यम से 3,000 मीटर तक के वायु क्षेत्र में ड्रोन खतरों से निपटने में सक्षम है। यदि इसे प्रभावी ढंग से तैनात, एकीकृत और निरंतर अद्यतन किया जाए, तो यह सीमावर्ती परिसंपत्तियों की रक्षा, शत्रु यूएवी को रोकने, और भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

आईसीजीएस अक्षर

संदर्भ:

हाल ही में अदम्य श्रेणी का दूसरा पोत, "आईसीजीएस अक्षर" पुदुचेरी के कराईकल में भारतीय तटरक्षक बल के पूर्वी समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया। "अक्षर" का अर्थ है "अविनाशी," जो तटरक्षक बल की समुद्र सुरक्षा में स्थायी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

पृष्ठभूमि:

- स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत, भारत सरकार ने मार्च 2022 में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) को भारतीय तटरक्षक बल के लिए आठ फास्ट पेट्रोल वेसल (FPV) बनाने का कार्य दिया गया। इसकी कुल अनुबंध की राशि 473 करोड़ रुपये है।
- इन जहाजों को अदम्य वर्ग फास्ट पेट्रोल वेसल कहा जाता है। इन्हें भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया जा रहा है, ताकि तटरक्षक बल की संचालन आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा किया जा सके। इन जहाजों में 60% से अधिक सामग्री भारतीय उद्योग से प्राप्त की गई है।

मुख्य विशेषताएँ और क्षमताएँ:

- **स्वदेशी प्रतिशत:** 60% से अधिक घटक भारतीय उद्योग से हैं, जो आत्मनिर्भर भारत / मेक इन इंडिया लक्ष्यों में योगदान देते हैं।
- **आयाम और प्रदर्शन:** विस्थापन लगभग 320–330 टन, लंबाई लगभग 51–52 मीटर, किरण लगभग 8 मीटर और ड्राफ्ट लगभग 2.5 मीटर। यह दो समुद्री डीज़ल इंजनों द्वारा संचालित है, जो CPP (कॉन्ट्रोल प्रोपेलर पिच) प्रणाली के माध्यम से नौका को चलाते हैं। अधिकतम गति लगभग 27 नॉट, और किफायती गति पर लगभग 1,500 समुद्री मील की दूरी तय करने की क्षमता।
- **हथियार और प्रणालियाँ:** 30 मिमी CRN 91 तोप, दो 12.7 मिमी स्थिर रिमोट नियंत्रित मशीन गन, और अग्नि नियंत्रण प्रणालियों से समर्थित। इसके अलावा, नौका में उन्नत ऑनबोर्ड सिस्टम लगे हैं,

जिनमें इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम (IBS), इंटीग्रेटेड प्लेटफ़ॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम (IPMS) और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम (APMS) शामिल हैं।

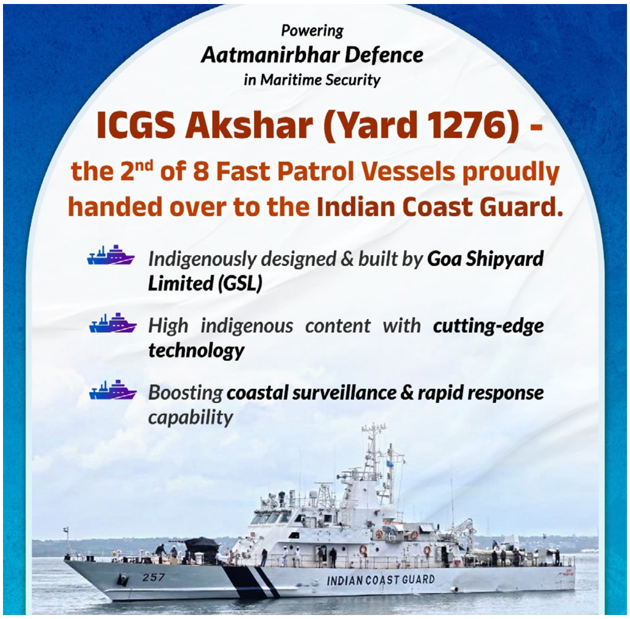

अपेक्षित लाभ:

- **समुद्री सुरक्षा में मजबूती:** अपनी उच्च गति, लंबी सहनशीलता और भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ), अपतटीय परिसंपत्तियों और द्वीप क्षेत्रों में गश्त करने की क्षमता के कारण, अक्षर निगरानी, तटीय सुरक्षा, तस्करी और समुद्री डकैती विरोधी अभियान, साथ ही खोज और बचाव कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएगा।
- **स्वदेशीकरण को बढ़ावा:** उच्च स्वदेशी सामग्री के कारण घरेलू निर्माण गतिविधियाँ बढ़ेंगी, आपूर्ति श्रृंखला (MSMEs सहित) मजबूत होगी, आयात पर निर्भरता कम होगी, और रखरखाव तथा भविष्य में उन्नयन पर नियंत्रण बेहतर होगा।
- **परिचालन क्षमता में वृद्धि:** प्रणोदन के लिए सीपीपी, आईपीएमएस, एपीएमएस आदि प्रणालियाँ गतिशीलता, दक्षता, स्वचालन और कम प्रतिक्रिया समय प्रदान करती हैं। ये आधुनिक खतरों जैसे तेज़ घुसपैठ, अवैध मछली पकड़ना, प्रदूषण आदि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **सामुद्रिक क्षेत्र जागरूकता (MDA):** अधिक जहाज होने से लंबी तटरेखा और द्वीप क्षेत्रों में बेहतर कवरेज संभव होता है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक चुनौतियों, गैर पारंपरिक खतरों और समुद्री व्यापार के महत्व से निपटने के लिए महत्वपूर्ण है।

चुनौतियाँ:

- **उन्नत प्रणालियों का रखरखाव:** आधुनिक तकनीक वाली प्रणालियों का निरंतर रखरखाव और संचालन तत्परता सुनिश्चित करना, जिसमें चालक दल का प्रशिक्षण और आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता शामिल है।
- **संगठित निगरानी:** समुद्री क्षेत्र जागरूकता में किसी भी प्रकार की खामी से बचने के लिए अन्य निगरानी और सूचना प्रणालियों के साथ समन्वित एकीकरण सुनिश्चित करना।
- **स्वदेशी सामग्री की गुणवत्ता:** यह सुनिश्चित करना कि स्वदेशी घटक केवल कागज़ पर ही न हों, बल्कि उनकी गुणवत्ता, विश्वसनीयता और प्रदर्शन वास्तविक संचालन में भी उत्कृष्ट हो।

निष्कर्ष:

आईसीजीएस अक्षर का जलावतरण भारत की समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। यह न केवल भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता और "मेक इन इंडिया" के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, बल्कि समुद्री क्षेत्रों की प्रभावी निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश की रणनीतिक दृष्टि को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

आईएनएस एंड्रोथ

संदर्भ:

हाल ही में, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में अपने दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान (ASW-SWC) आईएनएस एंड्रोथ को नौसेना में शामिल किया।

आईएनएस एंड्रोथ के बारे में:

- आईएनएस एंड्रोथ, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित अर्नाला-श्रेणी के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान (ASW-SWC) का दूसरा जहाज है।
- आईएनएस एंड्रोथ को विशेष रूप से तटीय और उथले जल में पानी के भीतर के खतरों का पता लगाने, उन पर नज़र रखने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पनडुब्बी रोधी अभियानों, समुद्री निगरानी, खोज और बचाव अभियानों और तटीय रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रमुख विशेषताएँ:

- **वर्ग और उद्देश्य:** आधुनिक अर्नाला-श्रेणी का एक हिस्सा, जो भारत

की तटीय ASW क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पुराने अभय-श्रेणी के कोरवेट की जगह लेगा।

- **आयाम:** 77.6 मीटर लंबाई और 900 टन विस्थापन, जो इसे चपलता और गतिशीलता प्रदान करता है।
- **गति और प्रणोदन:** तीन समुद्री डीज़ल इंजनों से जुड़ी एक जल-जेट प्रणोदन प्रणाली द्वारा संचालित, यह 25 समुद्री मील तक की गति प्राप्त कर सकता है—जो उथले पानी में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आदर्श है।
- **स्वदेशी सामग्री:** भारत के "आत्मनिर्भर भारत" दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, यह जहाज 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित है।
- **आयुध:** स्वदेशी हल्के टॉरपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट, नौसैनिक बारूदी सुरंगें, 30 मिमी सतह तोप और रिमोट-नियंत्रित 12.7 मिमी तोपों से सुसज्जित।
- **सेंसर:** इसमें डीआरडीओ और बीईएल द्वारा विकसित अभय पतवार-माउंटेड सोनार के साथ-साथ एक कम-आवृत्ति वाला परिवर्तनशील-गहराई वाला सोनार भी है, जो पानी के अन्दर पता लगाने की क्षमताओं को बढ़ाता है।

आईएनएस एंड्रोथ का सामरिक महत्व:

- **तटीय जलडमरूमध्य क्षमता में वृद्धि:** पनडुब्बियाँ हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) में, विशेष रूप से उथले तटीय क्षेत्रों में, एक बड़ा खतरा हैं। आईएनएस एंड्रोथ भारत की अपने तटों के निकट इन खतरों का पता लगाने, उन पर नज़र रखने और उन्हें बेअसर करने की क्षमता को मजबूत करता है तथा पुराने जहाजों द्वारा छोड़े गए परिचालन अंतराल को भरता है।
- **तटीय रक्षा और समुद्री क्षेत्र जागरूकता:** विकसित होती समुद्री चुनौतियों (अनधिकृत घुसपैठ, अपतटीय संपत्तियों के लिए खतरे, समुद्री मार्ग सुरक्षा) के साथ, एंड्रोथ जैसे जहाज तटीय जल में निरंतर उपस्थिति बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी चपलता और सेंसर प्रणालियाँ बेहतर निगरानी, पूर्व चेतावनी और गश्ती कार्यों को संभव बनाती हैं जो तटीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **स्वदेशी रक्षा निर्माण और आत्मनिर्भरता:** एंड्रोथ के निर्माण में उच्च स्वदेशी सामग्री भारत के जहाज निर्माण और रक्षा प्रणालियों में बढ़ती परिपक्वता का संकेत है। यह विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करता है, आपूर्ति श्रृंखलाओं को छोटा करता है, स्थानीय औद्योगिक क्षमता को बढ़ाता है और रक्षा खरीद एवं प्रौद्योगिकी में रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत करता है।

निष्कर्ष:

भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस एंड्रोथ का शामिल होना रक्षा निर्माण में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। व्यापक एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी श्रृंखला के एक भाग के रूप में, आईएनएस एंड्रोथ तटीय जल में पानी के भीतर के खतरों का मुकाबला करने की नौसेना की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में योगदान मिलता है।

विश्व वायु सेना रैंकिंग में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा

संदर्भ:

भारतीय वायु सेना (IAF) ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फ़ोर्स (PLAAF) को पीछे छोड़ते हुए 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। यह रैंकिंग आधुनिक सैन्य विमान विश्व निर्देशिका (WDMMA) में प्रकाशित हुई है।

आधुनिक सैन्य विमान विश्व निर्देशिका के बारे में:

- आधुनिक सैन्य विमान विश्व निर्देशिका (WDMMA) रैंकिंग 103 देशों की वायु सेनाओं का मूल्यांकन करती है, जिसमें 129 वायु सेवाएँ (सेना, नौसेना, और समुद्री विमानन घटक) शामिल हैं और वैश्विक स्तर पर कुल 48,082 विमानों का आंकलन करती है।
- मुख्य मापदंड ट्रूवैल रेटिंग (टीवीआर) है, जो मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों जैसे फ्लीट का आकार, आधुनिकीकरण का स्तर, परिचालन तत्परता, रसद व्यवस्था और मिशन लचीलापन आदि का मिश्रण दर्शाता है। 2025 में, शीर्ष रैंक वाली वायु सेनाओं के लिए टीवीआर स्कोर इस प्रकार हैं:
  - » संयुक्त राज्य अमेरिका : 242.9
  - » रूस : 114.2
  - » भारत : 69.4
  - » चीन : 63.8

भारत की रैंकिंग बढ़ने के कारण:

- **संतुलित फ्लीट संरचना:**
  - » भारतीय वायु सेना में 31.6% फाइटर, 29% हेलीकॉप्टर, और 21.8% ट्रेनर विमान हैं, जिससे यह बहु-भूमिका क्षमता वाली और संतुलित वायु सेना के विमान समूह बनती है।
  - » इसके विपरीत, चीन की फ्लीट अधिकतर फाइटर विमानों

(52.9%) और ट्रेनर (28.4%) में केंद्रित है। यह ताकतवर जरूर है, लेकिन मिशन की विविधता में लचीलापन कम देती है।

- **आधुनिकीकरण और बहु-पीढ़ी के प्लेटफ़ॉर्म:**
  - » भारतीय वायु सेना वर्तमान में 4.5 जेनरेशन फाइटर जैसे Su-30MKI, डसॉल्ट राफेल, तेजस Mk1 संचालित करती है, साथ ही पुराने विमानों मिग 29 और मिराज 2000 को अपग्रेड किया गया है।
  - » भविष्य में तेजस एमके1ए , तेजस एमके2 , एमआरएफए (मल्टी-रोल फाइटर एयरक्राफ्ट) और एएमसीए (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) शामिल होने से 5वीं पीढ़ी की क्षमता प्राप्त होगी।
- **ऑपरेशनल रेडीनेस और प्रशिक्षण:**
  - » मजबूत पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव प्रणाली, लॉजिस्टिक समर्थन और विभिन्न मिशन (एयर डिफेंस, ग्राउंड सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सर्विलांस) में तैनाती की क्षमता WDMMA के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण कारक हैं।

रणनीतिक महत्व:

- **भारत की सामरिक बढ़त:** तीसरा स्थान हासिल करने से भारत को क्षेत्रीय निवारक शक्ति में मजबूती मिली है और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ा है।
- **प्रतिष्ठा और कूटनीति:** यह रैंकिंग भारत की वायु शक्ति की विश्वसनीयता प्रदर्शित करने में मदद करेगी और रक्षा कूटनीति में सहायक सिद्ध होगी।
- **सतत सुधार का दबाव:** चीन को पीछे छोड़ना प्रतीकात्मक जीत है, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए निरंतर आधुनिकीकरण, अनुसंधान एवं विकास (R&D), पायलट प्रशिक्षण, वायु दल नवीनीकरण और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

भारतीय वायु सेना का विश्व में तीसरा स्थान हासिल करना वैश्विक सैन्य परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव है। ऑपरेशनल तत्परता, पायलट प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण पर जोर देने से भारत अब क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भविष्य में भी यह वायु सेना वैश्विक सुरक्षा में एक प्रमुख शक्ति बनी रहने की संभावना रखती है।

210 माओवादी कैडरों का ऐतिहासिक सामूहिक आत्मसमर्पण

संदर्भ:

हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर स्थित रिज़र्व पुलिस लाइन में कुल 210 माओवादी (जिनमें 110 महिलाएँ शामिल थीं) ने सामूहिक आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का संकल्प लिया।

'पुना मार्गेम' समारोह:

- इस आत्मसमर्पण कार्यक्रम को 'पुना मार्गेम' (पुनर्वास का मार्ग) नाम दिया गया, जो माओवादियों के मुख्यधारा में लौटने का प्रतीकात्मक आयोजन था। इस दौरान आत्मसमर्पण करने वाले हर व्यक्ति को भारतीय संविधान की एक प्रति और एक गुलाब का फूल दिया गया, जो शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी नई प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

आत्मसमर्पण के पीछे कारण:

- माओवादियों के आत्मसमर्पण के कई मुख्य कारण रहे:
  - » **आंतरिक मतभेद:** संगठन के शीर्ष नेतृत्व से बढ़ती असहमति, गुटबाजी और पारदर्शिता की कमी के कारण कई कैडर निराश और असंतुष्ट हो गए।
  - » **सुरक्षा दबाव:** हाल के महीनों में सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाइयों और अभियानों में भारी नुकसान से माओवादियों का मनोबल कमजोर हुआ।
  - » **शांति और सम्मानपूर्ण जीवन की आकांक्षा:** लंबे समय

तक हिंसा और कठिन जीवन के बाद अब सम्मानजनक और शांतिपूर्ण जीवन जीने की सामूहिक इच्छा बढ़ी।

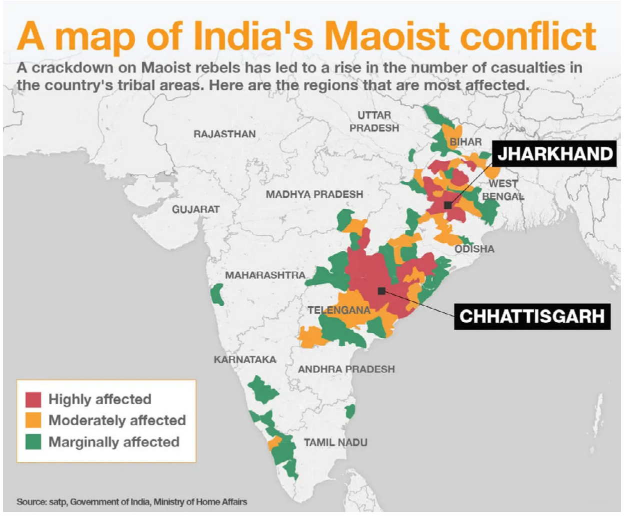

सामूहिक आत्मसमर्पण के प्रभाव:

- **नक्सल विरोधी रणनीति में बड़ा परिवर्तन:** यह सामूहिक आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ की नक्सल विरोधी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। राज्य अब केवल दंडात्मक अभियानों पर निर्भर रहने के बजाय संवाद, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन को प्राथमिकता दे रहा है। इस मानवीय दृष्टिकोण से अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में माओवादी गतिविधियाँ उल्लेखनीय रूप से घटी हैं। यह रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें मार्च 2026 तक माओवाद का पूर्ण उन्मूलन करने की बात कही गई है, बशर्ते माओवादी हिंसा का रास्ता त्याग दें।
- **समुदाय के साथ भरोसे और सहयोग में वृद्धि:** 'पुना मार्गेम' पहल ने सरकार और स्थानीय समुदायों के बीच विश्वास और संवाद की नई नींव रखी है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के इस प्रयास से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सरकार शांति, विकास और पुनर्वास के लिए गंभीरता से प्रतिबद्ध है। इस सकारात्मक वातावरण ने अन्य सक्रिय माओवादियों को भी हथियार छोड़कर समाज में लौटने की प्रेरणा दी है।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) के बारे में:

- वामपंथी उग्रवाद (Left-Wing Extremism - LWE) भारत में माओवादी विचारधारा पर आधारित राजनीतिक हिंसा का एक रूप है, जिसका लक्ष्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से राज्य को कमजोर करना है।
- यह समस्या मुख्य रूप से अविकसित और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में फैली है, जिन्हें "रेड कॉरिडोर" के नाम से जाना जाता है। माओवादी अक्सर सुरक्षा बलों, सरकारी ढाँचों और आम नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं।
- इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें न केवल सुरक्षा अभियान, बल्कि विकास योजनाएँ, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भी शामिल हैं।
- इस दृष्टिकोण का उद्देश्य केवल हिंसा को दबाना नहीं, बल्कि समाज के पीछे छिपी जड़ें और असमानताएँ दूर कर स्थायी शांति स्थापित करना भी है।

निष्कर्ष:

जगदलपुर में 210 माओवादी कैडरों का सामूहिक आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ के वामपंथी उग्रवाद (LWE) समाप्त करने के प्रयासों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि संवाद, पुनर्वास और शांति पहलें हिंसा की जड़ों को कम करने और स्थायी समाधान खोजने में कितनी प्रभावी हो सकती हैं। यह घटना न केवल राज्य की सुरक्षा रणनीति में नया दृष्टिकोण पेश करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सहनशीलता, सहयोग और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित नीतियाँ जटिल संघर्षों को सुलझाने में कितनी कारगर साबित होती हैं।

ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना

संदर्भ:

हाल ही में लखनऊ स्थित ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रवाना किया गया। यह अत्याधुनिक केंद्र उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का एक प्रमुख घटक है। इस सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन रक्षा मंत्री ने 11 मई 2025 को किया था।

ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में:

- ब्रह्मोस मिसाइल एक अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसे भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और रूस की एनपीओ माशिनोस्त्रोयेनीया (NPO Mashinostroyenia) के संयुक्त सहयोग से विकसित किया गया है।

- इसका नाम भारत की ब्रहमपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा (Moskva) नदी के नाम पर रखा गया है, जो भारत और रूस के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी और तकनीकी सहयोग का प्रतीक है।

तकनीकी विशेषताएं:

- **प्रकार:** सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल
- **गति:** मैक 2.8 (लगभग 3,400 किमी/घंटा)
- **मारक दूरी:** प्रारंभिक 290 किमी; अब 450 किमी; भविष्य में 800 किमी तक बढ़ाने की योजना
- **वजन:** लगभग 2,200–3,000 किलोग्राम
- **लंबाई:** लगभग 9 मीटर
- **प्रणोदन प्रणाली:** दो चरणों वाली "पहला ठोस ईंधन बूस्टर, उसके बाद तरल रैमजेट इंजन"
- **लॉन्च प्लेटफॉर्म:** भूमि, समुद्र, वायु और पनडुब्बी
- **मार्गदर्शन प्रणाली:** उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली (INS) जो GPS से जुड़ी होती है।
- **स्टेल्थ तकनीक:** कम रडार क्रॉस-सेक्शन डिज़ाइन जिससे इसे पहचानना कठिन होता है।
- **संचालन सिद्धांत:** "फायर एंड फॉरगेट" यानी एक बार छोड़े जाने के बाद खुद लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता

संस्करण और तैनाती:

- ब्रह्मोस मिसाइल को कई संस्करणों में विकसित किया गया है ताकि इसे अलग-अलग परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जा सके:
    - » **भूमि आधारित प्रणाली:** भारत की सीमाओं पर तैनात, जो सटीक लक्ष्य भेदने में सक्षम है।
    - » **समुद्र आधारित प्रणाली:** भारतीय नौसेना के युद्धपोतों में लगाई गई, जिससे समुद्री हमले संभव हैं।
    - » **वायु आधारित संस्करण:** सुखोई-30 एमकेआई जैसे लड़ाकू विमानों पर लगाया गया, जिससे हवाई हमले किए जा सकते हैं।
    - » **पनडुब्बी आधारित संस्करण**: पानी के अंदर से छोड़ा जा सकने वाला संस्करण, जो भारत की रणनीतिक ताकत को और बढ़ाता है।
- हर संस्करण को विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों और युद्ध स्थितियों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि भारत की रणनीतिक क्षमता और प्रभुत्व सुनिश्चित किया जा सके।

रणनीतिक महत्व:

- **प्रतिरोधक क्षमता:** ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा ताकत को और अधिक सशक्त बनाती है तथा शत्रु देशों के लिए एक प्रभावी रणनीतिक प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है।
- **सटीक प्रहार क्षमता:** इसकी अत्यधिक गति और उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली इसे बेहद सटीक बनाती है, जिससे लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया जा सकता है और अनावश्यक क्षति से बचा जा सकता है।
- **बहुआयामी उपयोगिता:** इसे भूमि, समुद्र, वायु और पनडुब्बी — सभी प्लेटफॉर्म से प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिससे युद्ध के हर परिदृश्य में इसका प्रभावी उपयोग संभव होता है।
- **स्वदेशी तकनीकी प्रगति:** ब्रह्मोस मिसाइल भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश की वैश्विक रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

लखनऊ से ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप का सफल प्रक्षेपण भारत की रक्षा निर्माण यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह उपलब्धि न केवल देश की तकनीकी स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करती है, बल्कि भारत की रणनीतिक तैयारी और रक्षा उद्योग की क्षमता को भी नई दिशा देती है। इससे देश की सुरक्षा, औद्योगिक प्रगति और वैश्विक रक्षा क्षमता में नया आत्मविश्वास जुड़ा है।

तेजस Mk1A और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर-40: रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता

सन्दर्भ:

हाल ही में 17 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के नासिक परिसर में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस Mk1A की तीसरी उत्पादन लाइन और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर-40 (HTT-40) की दूसरी उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया।

तेजस Mk1A के बारे में:

- तेजस Mk1A भारत में विकसित स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान (Light Combat Aircraft) का उन्नत संस्करण है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा विकसित और निर्मित किया गया है।
- **मुख्य विशेषताएँ और सुधार:**
    - » Mk1A संस्करण में मूल तेजस Mk1 की तुलना में कई

प्रमुख सुधार किए गए हैं, जिनमें नया एवियोनिक्स सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे (AESA) रडार, सुधारित इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) सिस्टम, और एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग क्षमता शामिल हैं।

» यह विमान GE F404-IN20 इंजन द्वारा संचालित है, जो अधिक थ्रस्ट प्रदान करता है और विमान को लगभग मैक 1.8 की गति तक पहुँचने और लगभग 1,700 किलोमीटर की फेरी रेंज तय करने में सक्षम बनाता है।

» यह एक बहुउद्देश्यीय (Multirole) विमान है, जो हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमला, टोही (reconnaissance) और समुद्री अभियानों में सक्षम है। यह बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (BVR) मिसाइलों और प्रेसिजन-गाइडेड म्यूनिशन (PGMs) सहित कई प्रकार के हथियारों का उपयोग कर सकता है।

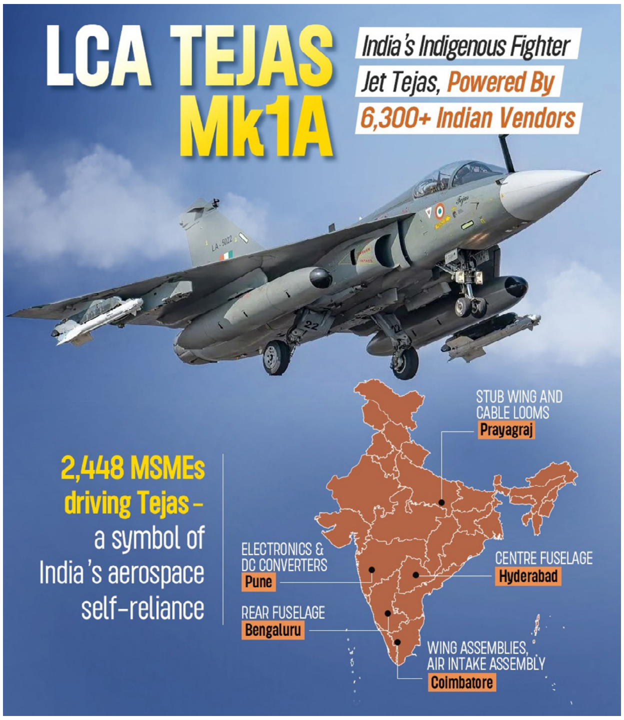

HTT-40 के बारे में:

- HTT-40 एक दो सीटों वाला टर्बोप्रॉप बेसिक ट्रेनर विमान है, जिसे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर (ARDC) द्वारा पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
- यह विमान भारतीय वायुसेना (IAF) और अन्य सशस्त्र बलों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण (ab-initio training) हेतु बनाया गया है, जिससे आयातित ट्रेनर विमानों पर निर्भरता कम हो सके।
- **मुख्य विशेषताएँ:**
  » **इंजन:** इसमें हनीवेल TPE331-12B टर्बोप्रॉप इंजन (या समकक्ष) लगाया गया है, जो लगभग 1,100 हॉर्सपावर की शक्ति प्रदान करता है (प्रशिक्षण संस्करण में लगभग 950 हॉर्सपावर तक सीमित)।
  » **प्रदर्शन:** अधिकतम गति लगभग 450 किमी/घं., और प्रशिक्षण भूमिका में सेवा ऊँचाई (Service Ceiling) लगभग 6,000 मीटर (6 किमी) है।
  » **स्वदेशी सामग्री:** प्रारंभ में लगभग 56% स्वदेशी घटक शामिल हैं, जिसे आगे 60% से अधिक तक बढ़ाने की योजना है, ताकि अधिक पुर्जे और उप-प्रणालियाँ देश में ही निर्मित की जा सकें।

रणनीतिक महत्व:

- **उत्पादन क्षमता में वृद्धि:** तेजस की तीसरी और HTT-40 की दूसरी उत्पादन लाइन शुरू होने से HAL की नासिक इकाई अब भारतीय वायुसेना की फाइटर और ट्रेनर विमानों की मांग को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम होगी।
- **निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करना:** नई उत्पादन लाइनों के माध्यम से रक्षा-विमानन क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर, असेंबली सिस्टम, मॉड्यूल्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग में निवेश को बढ़ावा मिला है।
- **रोजगार और औद्योगिक साझेदारी:** नासिक विस्तार से HAL ने लगभग 1,000 नए रोजगार सृजित किए हैं और क्षेत्र में 40 से अधिक औद्योगिक साझेदारों का विकास किया है।
- **स्वदेशी प्रगति का प्रतीक:** तेजस Mk1A और HTT-40 दोनों ही भारत की उस महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं, जिसके तहत देश आधुनिक एयरोस्पेस प्लेटफॉर्म्स के डिजाइन, विकास और उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है अर्थात आयात पर निर्भरता से मुक्ति।

निष्कर्ष:

LCA Mk1A की तीसरी और HTT-40 की दूसरी उत्पादन लाइन का HAL नासिक में उद्घाटन, भारत की रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस विकास के साथ, भारत अब अपनी रक्षा निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने, विदेशी आयात पर निर्भरता घटाने, और वैश्विक रक्षा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने की दिशा में अग्रसर है।

माहे-श्रेणी के एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट

संदर्भ:

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Ltd - CSL) ने आधिकारिक रूप से भारतीय नौसेना को आठ "एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट" (ASW SWC) में से पहला जहाज सौंप दिया है। ये सभी जहाज माहे श्रेणी (Mahe-class) के हैं।

माहे के बारे में:

- माहे-श्रेणी के आठ जहाजों के निर्माण हेतु रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच अनुबंध 30 अप्रैल 2019 को हस्ताक्षरित हुआ था।
- सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार, सभी आठ जहाजों की आपूर्ति अगस्त 2025 से जून 2028 के बीच पूरी होने की योजना है।

डिज़ाइन, भूमिका और विशेषताएँ:

- माहे-श्रेणी के जहाज भारतीय नौसेना के पुराने अभय श्रेणी एंटी-सबमरीन कॉर्वेट्स को प्रतिस्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य उथले या तटीय जलक्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी युद्ध (Anti-Submarine Warfare), माइन बिछाने, निगरानी, खोज और बचाव (Search & Rescue - SAR) तथा निम्न-तीव्रता समुद्री अभियानों (Low-Intensity Maritime Operations - LIMO) का संचालन करना है।
  - » **मुख्य विनिर्देश:** लंबाई लगभग 78 मीटर, विस्थापन लगभग 900 से 1,100 टन (स्रोत के अनुसार), गति लगभग 25 नॉट्स तक और सहनशीलता (Endurance) लगभग 1,800 नौटिकल मील (CSL के अनुसार)।
  - » **प्रणोदन (Propulsion):** डीज़ल इंजन और वॉटर-जेट के संयोजन का उपयोग, जो उथले जल में संचालन और गतिशीलता को बढ़ाता है।
  - » **स्वदेशीकरण स्तर:** माहे श्रेणी में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।

एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के बारे में:

- एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) श्रेणी भारतीय नौसेना के लिए विकसित एक नई उथले जल की कॉर्वेट श्रेणी है, जिसका निर्माण दो शिपयार्ड "कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (CSL) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE)" द्वारा किया जा रहा है।
  - » कुल 16 जहाजों का लक्ष्य है — 8 GRSE द्वारा और 8 CSL द्वारा निर्मित।
  - » **आयाम:** GRSE संस्करण ("अर्नाला-श्रेणी") की लंबाई लगभग 77–78 मीटर और चौड़ाई लगभग 10.5 मीटर है। CSL संस्करण ("माहे-श्रेणी") की माप लगभग समान है।
  - » **प्रणोदन:** डीज़ल इंजन और वॉटर-जेट का संयोजन, जो उथले जल में उत्कृष्ट प्रदर्शन और नियंत्रण प्रदान करता है।
  - » **गति:** लगभग 25 नॉट्स (शैलो/तटीय जलक्षेत्रों में)।

सामरिक महत्व:

- माहे-श्रेणी का निर्माण भारतीय नौसेना की तटीय और निकटवर्ती समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी क्षमता को सुदृढ़ करेगा, विशेष रूप से भारतीय महासागर क्षेत्र में, जहाँ प्रतिद्वंद्वी देशों की पनडुब्बी गतिविधियाँ लगातार बढ़ रही हैं।
  - » यह पुराने अभय श्रेणी प्लेटफॉर्म को आधुनिक, तेज़ और स्वदेशी जहाजों से प्रतिस्थापित करेगा।
  - » उच्च स्वदेशी सामग्री भारत की रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता (Self-Reliance) की नीति के अनुरूप है।
  - » यह जहाज केवल एंटी-सबमरीन वॉरफेयर ही नहीं, बल्कि माइन बिछाने, सतही और वायु रक्षा, तथा तटीय खोज एवं बचाव अभियानों को भी अंजाम दे सकते हैं।

निष्कर्ष:

माहे जहाज की सफल आपूर्ति से आने वाले सात और सडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों के समावेशन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रत्येक जहाज को उन्नत तकनीकों से सुसज्जित किया जा रहा है ताकि उभरती समुद्री चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। जैसे-जैसे भारत अपनी नौसैनिक क्षमता को सुदृढ़ कर रहा है, माहे और उसके समान जहाज देश की समुद्री रक्षा रणनीति की अग्रिम पंक्ति में रहेंगे।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप

- भारत ने 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई में अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया।
- भारतीय टीम की शेफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 87 रन बनाए और महत्वपूर्ण विकेट लेने के कारण उन्हें "प्लेयर ऑफ द मैच" चुना गया। वहीं, ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने फाइनल में 39 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और "प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट" बनीं।
- इस जीत के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूज़ीलैंड के बाद महिला विश्व कप जीतने वाला चौथा देश बन गया। भारत ने इससे पहले महिला वनडे विश्व कप 2005 और 2017 में फाइनल में प्रवेश किया था।
- टूर्नामेंट का 13वां संस्करण भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में आयोजित हुआ, जिसमें कुल आठ टीमें शामिल थीं। भारतीय टीम के कोच अमोल मजूमदार और कप्तान हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक सफलता मिली। भारत को इस जीत पर रिकॉर्ड 37.3 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिला।

अर्जेंटीना में राष्ट्रपति जेवियर मिली की मध्यावधि चुनावों में बड़ी जीत

- अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली ने मध्यावधि चुनावों में भारी जीत दर्ज की है। उनकी पार्टी ला लिबर्टाड अवांज़ा ने लगभग 41% राष्ट्रीय मत प्राप्त किए। पार्टी ने सीनेट की 24 सीटों में से 13 और निचले सदन की 127 सीटों में से 64 सीटें जीतीं, जो पिछली 7 और 37 सीटों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
- राष्ट्रपति मिली ने इस सफलता का श्रेय अपने आर्थिक सुधारों और सरकारी खर्च में कटौती के प्रयासों को दिया। वे 10 दिसंबर 2023 को पदभार ग्रहण कर चुके हैं, जब उन्होंने अल्बर्टो फर्नांडीज का स्थान लिया था। मिली की जीत उनके लिबर्टेरियन एजेंडा की जनता में बढ़ती स्वीकृति को दर्शाती है, जिसमें राज्य के आकार को घटाना, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और डॉलरकरण की दिशा में सुधार शामिल हैं। यह परिणाम अर्जेंटीना की राजनीतिक दिशा में एक निर्णायक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।

स्मृति मंधाना महिला वनडे बल्लेबाजी में विश्व की नंबर 1 बनीं

- भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 828 अंकों की रेटिंग हासिल की, जिससे वे ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर से लगभग 100 अंक आगे हैं।
- मंधाना के शानदार प्रदर्शन, न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 109 रन और बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 34 रन, ने उन्हें यह मुकाम दिलाया। उन्हें सितंबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया। उनकी सलामी जोड़ीदार प्रतीका रावल, चोट से पहले, 564 अंकों के साथ 27वें स्थान तक पहुंची थीं।
- गेंदबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन 747 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की अलाना किंग और एशले गार्डनर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। मंधाना की यह उपलब्धि भारतीय महिला क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जो वैश्विक स्तर पर टीम इंडिया की निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण का दूसरा चरण: 12 राज्यों में अभियान शुरू

- भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दूसरे चरण की शुरुआत की घोषणा की है। यह चरण 12

राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में आयोजित किया जाएगा।

- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूचियों की सटीकता, पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करना है। लगभग 51 करोड़ मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल होंगे।
- गणना गतिविधियाँ 4 नवंबर से शुरु होकर एक महीने तक चलेंगी, जिनमें मतदाता विवरणों का सत्यापन और अद्यतन किया जाएगा। मतदाता सूची का मसौदा 9 दिसंबर को प्रकाशित होगा, जबकि अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। आयोग ने बताया कि पहले चरण में कोई अपील दर्ज नहीं हुई, जिससे पारदर्शिता के प्रति जनता का भरोसा मजबूत हुआ है।

ईसीएमएस के तहत 7 परियोजनाओं को 5,532 करोड़ रुपये की मंज़ूरी

- भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना (ECMS) के तहत सात परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, जिनमें कुल ₹5,532 करोड़ का निवेश होगा। इन परियोजनाओं से ₹36,559 करोड़ मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक घटकों के उत्पादन और 5,100 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजन की संभावना है।
- इनका उद्देश्य उच्च-घनत्व इंटरकनेक्ट (HDI) पीसीबी, मल्टी-लेयर पीसीबी, कैमरा मॉड्यूल, कॉपर क्लैड लैमिनेट (CCL) और पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म जैसे घटकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। नई स्वीकृत इकाइयाँ तमिलनाडु (5), आंध्र प्रदेश (1) और मध्य प्रदेश (1) में स्थापित की जाएँगी।
- इन परियोजनाओं से भारत अपनी घरेलू पीसीबी माँग का 20% और कैमरा मॉड्यूल की आवश्यकताओं का 15% पूरा कर सकेगा। यह पहल भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) कार्यक्रम का पूरक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात क्षमता को सुदृढ़ करेगी।

तिमोर-लेस्ते आसियान का 11वाँ सदस्य बना

- तिमोर-लेस्ते दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) का 11वाँ सदस्य बन गया है। यह निर्णय मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वसम्मति से लिया गया। इस ऐतिहासिक क्षण पर तिमोर-लेस्ते के प्रधानमंत्री ज़ानाना गुस्माओ ने बैठक में भाग लिया।
- 1999 में कंबोडिया के शामिल होने के बाद यह आसियान का पहला विस्तार है। 1967 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से गठित आसियान के संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। बाद में ब्रुनेई (1984), वियतनाम (1995), लाओस और म्यांमार (1997) तथा कंबोडिया (1999) शामिल हुए।
- तिमोर-लेस्ते की सदस्यता न केवल क्षेत्रीय एकीकरण का प्रतीक है बल्कि इसे आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के नए अवसरों का सेतु भी माना जा रहा है, विशेषकर भारत और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के संदर्भ में।

राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 की घोषणा

- भारत सरकार ने 25 अक्टूबर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने हेतु राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार (RVP) 2025 की घोषणा की। इन पुरस्कारों को "विज्ञान जगत के पद्म सम्मान" कहा जाता है।
- इस वर्ष कुल 25 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे — जिनमें 24 व्यक्तिगत और एक टीम पुरस्कार शामिल है। दिवंगत भौतिक विज्ञानी प्रो. जयंत विष्णु नार्लीकर को आजीवन योगदान के लिए "विज्ञान रत्न" पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया।
- आठ वैज्ञानिकों को "विज्ञान श्री", जबकि 45 वर्ष से कम आयु के चौदह शोधकर्ताओं को "विज्ञान युवा पुरस्कार" दिया जाएगा। इसके

अतिरिक्त, सीएसआईआर अरोमा मिशन को वैज्ञानिक प्रगति में सामूहिक योगदान के लिए “विज्ञान टीम पुरस्कार” मिला है।
- यह पहल वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं को अनुसंधान में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है, जो भारत के “विज्ञान–प्रधान विकास” विज़न को सशक्त करती है।

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 702 अरब डॉलर के पार

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 24 अक्टूबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, 17 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर बढ़कर 702.3 अरब डॉलर तक पहुँच गया। यह अब तक का दूसरा सबसे ऊँचा स्तर है।
- इस वृद्धि का मुख्य कारण स्वर्ण भंडार में वृद्धि रहा, जो पहली बार 108.5 अरब डॉलर से अधिक हो गया। वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों में 2025 में लगभग 65% वृद्धि और आरबीआई की निरंतर खरीद नीति ने इसमें योगदान दिया। हालाँकि विदेशी मुद्रा आस्तियाँ 1.7 अरब डॉलर घटकर 570.4 अरब डॉलर रह गईं, परंतु कुल भंडार में सोने का अनुपात 15% तक पहुँच गया है, जो 1996–97 के बाद का सर्वाधिक स्तर है।
- मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने 2024 से अब तक लगभग 75 टन सोना जोड़ा है, जिससे कुल भंडार 880 टन हो गया। यह वृद्धि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की वित्तीय स्थिरता और भंडार विविधीकरण नीति की सफलता को दर्शाती है।

स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत ‘माहे’ भारतीय नौसेना में शामिल

- 23 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना में स्वदेश निर्मित एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC) ‘माहे’ को शामिल किया गया। इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि द्वारा बनाया गया है और यह आठ ASW-SWC श्रृंखला में पहला पोत है।
- ‘माहे’ भारत की आत्मनिर्भरता पहल (Aatmanirbhar Bharat) के तहत डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। पुडुचेरी के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर माहे के नाम पर रखा गया यह जहाज भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा का प्रतीक है।
- यह लगभग 78 मीटर लंबा और 1,100 टन वजनी पोत टॉरपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट, उन्नत सोनार और रडार प्रणालियों से लैस है। इसके 80% से अधिक घटक स्वदेशी हैं।
- ‘माहे’ तटीय रक्षा, पनडुब्बी निगरानी, खोज-बचाव और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों में सक्षम है। इसके शामिल होने से नौसेना की तटीय सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमताएँ उल्लेखनीय रुप से सशक्त हुई हैं।

भारतीय तटरक्षक बल ने ‘अजीत’ और ‘अपराजित’ को किया कमीशन

- भारतीय तटरक्षक बल (ICG) ने 24 अक्टूबर को दो स्वदेश निर्मित उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स (FPVs), ICGS अजीत और ICGS अपराजित को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में कमीशन किया। ये जहाज समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किए गए हैं।
- दोनों 52 मीटर लंबे पोत 320 टन वजनी हैं और इनमें कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर (CPP) प्रणाली लगी है, जो अपनी श्रेणी में पहली बार किसी भारतीय पोत में शामिल की गई है। इससे गतिशीलता और ईंधन दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- ये जहाज मत्स्य संरक्षण, तस्करी-रोधी, समुद्री डकैती-रोधी और खोज एवं बचाव अभियानों में कार्यरत रहेंगे। ये आठ FPV श्रृंखला के सातवें और आठवें पोत हैं, जिन्हें पूरी तरह भारतीय शिपयार्ड में निर्मित किया गया है।
- ‘अजीत’ और ‘अपराजित’ की तैनाती भारत की तटीय सुरक्षा ढाँचे में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और ठोस कदम है।

विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का निधन

- विज्ञापन जगत के महानायक और पद्मश्री सम्मानित पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ओगिल्वी इंडिया के कार्यकारी

अध्यक्ष और वर्ल्डवाइड मुख्य रचनात्मक अधिकारी थे। भारतीय विज्ञापन उद्योग में उन्होंने नई रचनात्मक भाषा गढ़ी, जिसने जनसंचार को आम लोगों से जोड़ दिया। पीयूष पांडे ने "हर घर कुछ कहता है" (एशियन पेंट्स), "कुछ खास है ज़िंदगी में" (कैडबरी डेयरी मिल्क) और "ज़ूज़ू" (वोडाफ़ोन) जैसे यादगार विज्ञापन दिए।

- उन्होंने "अब की बार, मोदी सरकार" जैसे राजनीतिक नारे के निर्माण में भी भूमिका निभाई। वर्ष 2004 में वे कान लायंस फेस्टिवल में जूरी अध्यक्ष बनने वाले पहले एशियाई बने। उन्हें 2016 में पद्मश्री और 2018 में अपने भाई प्रसून पांडे के साथ 'लायन ऑफ सेंट मार्क' आजीवन उपलब्धि पुरस्कार मिला।
- जनसेवा अभियानों में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा, जैसे अमिताभ बच्चन के साथ "दो बूंद ज़िंदगी के" पोलियो उन्मूलन अभियान। भारतीय विज्ञापन में उन्होंने रचनात्मकता को भारतीय संवेदना से जोड़ा, जिससे वे हमेशा प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

नॉमिनेशन प्रावधान लागू

- 1 नवंबर 2025 से बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नॉमिनेशन से संबंधित प्रावधान लागू हो गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इन बदलावों से जमाकर्ताओं को अधिक लचीलापन और पारदर्शिता मिलेगी। अब ग्राहक अपने बैंक जमा खातों के लिए अधिकतम चार नॉमिनी नामांकित कर सकेंगे।
- संशोधन का उद्देश्य दावे के निपटान की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाना है। इससे न केवल जमाकर्ता बल्कि उनके नामांकित व्यक्ति (nominees) दोनों को लाभ होगा। साथ ही, यह सुधार बैंकों में शासन प्रणाली और जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- अधिनियम भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्टिंग मानकों को एकरूप बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी क्षमता बढ़ेगी। सरकार का उद्देश्य है कि इससे जमाकर्ताओं की सुरक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट की गुणवत्ता और बैंकिंग प्रणाली में भरोसे का स्तर मजबूत हो।

नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि

- भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में मानद "लेफ्टिनेंट कर्नल" की उपाधि से सम्मानित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें यह रैंक चिन्ह प्रदान किया।
- नीरज चोपड़ा ने 2016 में नायब सूबेदार के रूप में भारतीय सेना में प्रवेश किया था। उनकी असाधारण खेल उपलब्धियों में टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक, 2018 का अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, और 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं, जो भारतीय सेना का सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान है।
- उन्हें 2022 में सूबेदार मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया था। नीरज चोपड़ा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। उनकी नियुक्ति न केवल भारतीय खेल जगत बल्कि सेना के गौरव और अनुशासन के प्रतीक के रूप में भी देखी जा रही है। उनका यह सम्मान देश के युवाओं को उत्कृष्टता, देशभक्ति और सेवा भावना के लिए प्रेरित करेगा।

भारत ने विकसित की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक 'नैफिथ्रोमाइसिन'

- भारत ने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अपनी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक 'नैफिथ्रोमाइसिन' विकसित की है। यह दवा-प्रतिरोधी श्वसन संक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी है और विशेष रूप से कैंसर व मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी है।
- नैफिथ्रोमाइसिन पूरी तरह भारत में परिकल्पित, विकसित और नैदानिक रूप से परीक्षण किया गया पहला अणु है। इसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और वॉकहार्ट फार्मा कंपनी ने संयुक्त रूप से तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इसे भारत की "उद्योग–अकादमिक

साझेदारी” का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

- कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हीमोफीलिया के लिए भारत के पहले स्वदेशी जीन थेरेपी ट्रायल की सफलता की भी घोषणा की, जिसमें 60–70% सुधार दर्ज हुआ। भारत पहले ही 10,000 मानव जीनोम का अनुक्रमण कर चुका है और इसे 10 लाख तक विस्तारित करने की योजना है — यह कदम भारत को बायोफार्मा नवाचार में अग्रणी बनाने की दिशा में मील का पत्थर है।

‘कपास क्रांति मिशन’: उच्च उपज वाली कपास के लिए नई पहल

- केंद्र सरकार ने कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपये के ‘कपास क्रांति मिशन’ की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य उच्च उपज वाली, लंबी रेशेदार कपास की खेती को तकनीकी नवाचार और अनुसंधान के माध्यम से प्रोत्साहित करना है।
- महाराष्ट्र के अकोला जिले में अपनाई गई उच्च घनत्व वृक्षारोपण (HDP) तकनीक ने उल्लेखनीय सफलता दिखाई है, जिसे अब तेलंगाना में दोहराया जाएगा। तेलंगाना के किसानों को अकोला में फसल-पश्चात प्रदर्शन यात्रा के लिए भेजा जाएगा, साथ ही उन्हें उपयुक्त बीज और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
- राज्य में 24 लाख किसान कपास की खेती में संलग्न हैं, जिससे यह भारत का शीर्ष कपास उत्पादक प्रदेश बन गया है। सरकार जल्द ही 122 खरीद केंद्र और “कपास किसान ऐप” लॉन्च करेगी, जिससे किसान ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकें और बिचौलियों से बचते हुए उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
- यह मिशन न केवल उत्पादन बढ़ाने बल्कि पारदर्शी विपणन और किसानों की आय वृद्धि की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

सनाए ताकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी

- सनाए ताकाइची ने 21 अक्टूबर 2025 को जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की वरिष्ठ नेता हैं। ताकाइची जापान की रुढ़िवादी राजनीति की प्रतिनिधि मानी जाती हैं और उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षमता सुदृढ़ीकरण और तकनीकी आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। वे पूर्व में आंतरिक मामलों और संचार मंत्री सहित कई प्रमुख मंत्रालयों का नेतृत्व कर चुकी हैं।
- उनके नेतृत्व में जापान क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में, अपनी भूमिका को और मज़बूत करेगा। ताकाइची का प्रधानमंत्री बनना जापान की लैंगिक समानता और राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की बढ़ती भूमिका का प्रतीक भी माना जा रहा है।

छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट

- छठा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (GFF 2025) 7 से 9 अक्टूबर, 2025 तक मुंबई में आयोजित किया गया। यह आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र (NMACC) में हुआ था। फेस्ट का मुख्य विषय (थीम) “एआई द्वारा संचालित एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त का सशक्तिकरण: संवर्धित बुद्धिमत्ता, नवाचार, समावेशन” था।
- पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल (FCC) ने मिलकर इसका आयोजन किया था।
- इसमें 75 से अधिक देशों के 1,00,000 से अधिक प्रतिभागियों और 7,500 कंपनियों ने भाग लिया, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े फिनटेक सम्मेलनों में से एक बन गया है और भारत को एक वैश्विक फिनटेक केंद्र के रूप में स्थापित करने में भी मदद कर रहा है।

मेडागास्कर में सैन्य तख्तापलट: कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना बने राष्ट्रपति

- अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर में व्यापक जनविद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता के बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। कर्नल माइकल रैंड्रियनिरिना को देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, जिन्हें उच्च संवैधानिक अदालत ने औपचारिक स्वीकृति दी है। इसके साथ ही सप्ताहभर से जारी संकट का अंत हुआ, जबकि पूर्व राष्ट्रपति आंद्रे राजोइलिना को देश से निर्वासित कर दिया गया।
- राजोइलिना के खिलाफ कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही के आरोप में महाभियोग चलाया गया था, जिसके बाद सेना ने हस्तक्षेप किया। हाल के सप्ताहों में बिजली और पानी की कमी को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 22 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए।
- संयुक्त राष्ट्र ने इस सैन्य हस्तक्षेप को "असंवैधानिक" करार देते हुए निंदा की है। अफ्रीकी संघ ने भी तख्तापलट के बाद मेडागास्कर की सदस्यता निलंबित कर दी है। यह घटनाक्रम अफ्रीका में बढ़ते सैन्य शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संकट की प्रवृत्ति को और गहरा करता है।

प्रसिद्ध गायिका रावू बालासरस्वती देवी का निधन

- तेलुगु सिनेमा की दिग्गज गायिका और अभिनेत्री रावू बालासरस्वती देवी का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग में पार्श्व गायन की अग्रणी मानी जाती हैं। उन्होंने 1943 की फिल्म भाग्य लक्ष्मी से पार्श्व गायन की शुरुआत की, जिसने तेलुगु फिल्मों में पार्श्व गायन की परंपरा की नींव रखी।
- बालासरस्वती देवी ऑल इंडिया रेडियो पर सुगम संगीत प्रस्तुत करने वाली पहली कलाकार भी थीं। उन्होंने भक्त कुचेला (1936), बालयोगिनी (1937) और थिरुनीलकान्तार (1939) जैसी तमिल क्लासिक फिल्मों में अभिनय किया और 1940 में तेलुगु फिल्म इलालु में प्रमुख भूमिका निभाई। उनका योगदान भारतीय सिनेमा के उस दौर से जुड़ा है जब गायन और अभिनय का संगम फिल्म संस्कृति की आत्मा था। उनकी कला ने न केवल तेलुगु बल्कि भारतीय संगीत परंपरा में अमिट छाप छोड़ी, जिससे वे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेंगी।

अभिनेता पंकज धीर का निधन

- टीवी और फिल्म जगत के प्रसिद्ध अभिनेता पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो गया। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरीज महाभारत (1988) में कर्ण की भूमिका निभाकर देशभर में पहचान बनाई थी। बाद में वे टीवी शो चंद्रकांता में राजा शिवदत्त के रुप में भी लोकप्रिय हुए।
- पंजाब में जन्मे पंकज धीर ने 1980 के दशक में फिल्मों में छोटे किरदारों से करियर शुरु किया और सड़क, सनम बेवफा, आशिक आवारा, बादशाह और ज़मीन जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने खलनायक और चरित्र भूमिकाओं दोनों में अपनी गहरी छाप छोड़ी।
- धीर ने अपने अभिनय से भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के बीच की सीमाओं को पाटने में अहम भूमिका निभाई। उनकी गहन संवाद अदायगी और गरिमामय व्यक्तित्व ने उन्हें यादगार कलाकारों की श्रेणी में शामिल किया। उनके पुत्र निकितिन धीर भी फिल्म उद्योग में सक्रिय हैं।

सोनाली घोष बनीं केन्टन आर. मिलर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की निदेशक सोनाली घोष ने प्रतिष्ठित केन्टन आर. मिलर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बनी हैं। यह पुरस्कार विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग (WCPA) द्वारा दिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) का हिस्सा है।
- यह पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में नवाचार को मान्यता देता है। घोष को उनके संरक्षण मॉडल के लिए सम्मानित किया गया जो पारंपरिक स्थानीय ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों का संयोजन करता है। समारोह 10 अक्टूबर को अबू धाबी में हुआ, जिसमें इक्वाडोर के रोके सिमोन सेविला लारिया को भी सतत विकास में योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

- 2006 में स्थापित यह पुरस्कार हर दो वर्ष में उन व्यक्तियों या टीमों को दिया जाता है जो पर्यावरणीय शासन, सामुदायिक सहभागिता और विज्ञान को जोड़कर प्रभावी संरक्षण मॉडल विकसित करते हैं। घोष की यह उपलब्धि भारत के संरक्षण प्रयासों की वैश्विक मान्यता को और सशक्त बनाती है।

अयोध्या में बनेगा एनएसजी का सातवाँ हब

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अक्टूबर को अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का सातवाँ हब स्थापित करने की घोषणा की। यह निर्णय एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर लिया गया और देश में आतंकवाद-रोधी क्षमताओं के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नया हब मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू के मौजूदा केंद्रों के बाद जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य उत्तर भारत में आतंकवादी हमलों की स्थिति में तेज़ प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।
- गृह मंत्री ने कहा कि यह हब एनएसजी और राज्य पुलिस इकाइयों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ करेगा तथा परिचालन क्षमता बढ़ाएगा।
- इसी अवसर पर ₹141 करोड़ की लागत से बने हरियाणा के मानेसर स्थित विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र (SOTC) का भी उद्घाटन किया गया। एनएसजी ने अब तक 770 से अधिक महत्वपूर्ण स्थलों का सर्वेक्षण किया है। नई पहलें भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना को और सशक्त बनाने की दिशा में मील का पत्थर हैं।

रक्षा मंत्री ने 'रेडी, रेलेवंट एंड रिसर्जेंट II' पुस्तक का विमोचन किया

- 14 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में 'रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट II: शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स' नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान द्वारा लिखी गई है, जिसमें भारत के सशस्त्र बलों को भविष्य की चुनौतियों के अनुरुप ढालने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है।
- पुस्तक में आधुनिक युद्ध के बदलते स्वरूप, जैसे साइबर, अंतरिक्ष और संज्ञानात्मक युद्ध का विश्लेषण किया गया है और बताया गया है कि तकनीक, नेतृत्व और संस्थागत मज़बूती कैसे सैन्य तैयारियों के लिए निर्णायक हैं।
- लेखक ने यह भी रेखांकित किया है कि पारंपरिक सैन्य सिद्धांतों को उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ संयोजित करना भारत की रक्षा रणनीति का भविष्य तय करेगा। यह प्रकाशन भारतीय सशस्त्र बलों की 'फ्यूचर-रेडी' विज़न को दिशा देता है और नीति-निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में देखा जा रहा है।

भारत 2026–28 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध चुना गया

- भारत को 14 अक्टूबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के लिए 2026–28 की अवधि हेतु निर्विरोध चुना गया। यह भारत का सातवाँ कार्यकाल होगा, जो 1 जनवरी 2026 से आरंभ होगा।
- भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने सभी देशों का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह चुनाव भारत की मानवाधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
- UNHRC में कुल 47 सदस्य देश होते हैं, जिन्हें भौगोलिक संतुलन के आधार पर तीन-वर्षीय कार्यकाल के लिए चुना जाता है। भारत की यह सफलता उसके लंबे समय से चले आ रहे मानवाधिकार कूटनीतिक प्रयासों की निरंतरता को दर्शाती है।
- 2006 में परिषद के गठन के बाद से भारत ने छह कार्यकाल पूरे किए हैं और सातवें कार्यकाल के लिए उसकी निर्विरोध जीत उसकी वैश्विक साख और विश्वसनीय साझेदारी को रेखांकित करती है। यह भारत की "वसुधैव कुटुम्बकम्" की भावना को अंतरराष्ट्रीय मंच पर और सशक्त करती है।

सेशेल्स में विपक्षी नेता पैट्रिक हर्मिनी बने नए राष्ट्रपति

- 12 अक्टूबर 2025 को सेशेल्स में हुए पुनर्मतदान के बाद विपक्षी नेता पैट्रिक हर्मिनी ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की। उन्हें 52.7% वोट मिले, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति वेवल रामकलावन को 47.3% वोट प्राप्त हुए।
- हर्मिनी यूनाइटेड सेशेल्स पार्टी के नेता हैं, जिसने 2020 में सत्ता खोने से पहले चार दशकों तक देश पर शासन किया था। यह चुनाव परिणाम सेशेल्स की राजनीति में सत्ता परिवर्तन का संकेत है और द्वीप राष्ट्र में लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की परिपक्वता को दर्शाता है।
- दोनों उम्मीदवारों के अभियान पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और नशे की लत जैसे सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहे।
- हर्मिनी की जीत से यह उम्मीद की जा रही है कि सेशेल्स क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के साथ अपने पर्यटन आधारित अर्थतंत्र को सशक्त करेगा और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में आगे बढ़ेगा।

महाराष्ट्र के पाँच समुद्र तटों को 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन प्राप्त

- महाराष्ट्र के पाँच समुद्र तटों रायगढ़ ज़िले के श्रीवर्धन और नागांव, पालघर का परनाका, तथा रत्नागिरी ज़िले के गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित 'ब्लू फ्लैग' प्रमाणन प्राप्त हुआ है।
- यह प्रमाणन डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंटल एजुकेशन (FEE) द्वारा दिया जाता है, जो समुद्र तटों को 33 अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के आधार पर परखता है। इन मानदंडों में जल गुणवत्ता, स्वच्छता, पर्यावरण शिक्षा, सुरक्षा, और सतत प्रबंधन जैसे पहलू शामिल हैं।
- इस उपलब्धि से महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणीय उत्कृष्टता और सतत पर्यटन के प्रतीक के रूप में उभरा है।
- राज्य सरकार के अनुसार, यह प्रमाणन स्थानीय समुदायों की भागीदारी, हरित प्रबंधन नीतियों और पर्यावरणीय संवेदनशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के सस्टेनेबल कोस्टल डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाता है।

ऑस्कर विजेता अभिनेत्री डायने कीटन का 79 वर्ष की आयु में निधन

- प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री डायने कीटन का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1970 के दशक में 'द गॉडफ़ादर' श्रृंखला में के एडम्स–कोरलियोन की भूमिका से वैश्विक पहचान प्राप्त की। 1978 में फिल्म 'एनी हॉल' के लिए उन्हें ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, और बाफ्टा पुरस्कार मिले, जो उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।
- कीटन ने अपने अभिनय जीवन में 'फ़ादर ऑफ़ द ब्राइड', 'द फ़र्स्ट वाइव्स क्लब' और 'समथिंग्स गॉट्टा गिव' जैसी कई चर्चित फ़िल्मों में काम किया तथा चार बार अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित हुईं। उन्होंने 1995 की फ़िल्म 'अनस्ट्रंग हीरोज़' का निर्देशन भी किया, जिसे कान फ़िल्म समारोह में अन सर्टेन रिगार्ड (Un Certain Regard) सेक्शन में प्रदर्शित किया गया था।
- डायने कीटन की विरासत हॉलीवुड में मौलिक अभिनय शैली, सूक्ष्म हास्य और स्त्री सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में सदैव याद की जाएगी।

शेरी सिंह बनीं भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स

- भारत की शेरी सिंह ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का ख़िताब जीता। यह उपलब्धि भारत की विवाहित महिलाओं की श्रेणी में पहली वैश्विक जीत है।
- प्रतियोगिता का 48वाँ संस्करण फिलीपींस की राजधानी मनीला स्थित ओकाडा में आयोजित हुआ, जहाँ 120 देशों की प्रतिभागियों ने भाग लिया। शेरी सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पहले यूएमबी पेजेंट्स द्वारा मिसेज इंडिया 2025 का खिताब जीता था।
- उनकी शालीनता, आत्मविश्वास, और महिला सशक्तिकरण व मानसिक स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता ने निर्णायकों को प्रभावित किया।
- मिसेज यूनिवर्स पेजेंट केवल सौंदर्य का मंच नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का उत्सव भी है।

- शेरी सिंह की यह जीत भारतीय महिलाओं की वैश्विक पहचान और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक मानी जा रही है।

दीपिका पादुकोण बनीं भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत

- 10 अक्टूबर 2025, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया। यह पहल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरु की गई है, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के प्रति राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता और संवाद को बढ़ावा देना है।
- दीपिका मंत्रालय के साथ मिलकर समान मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और समग्र कल्याण नीति पर कार्य करेंगी। उनकी यह नियुक्ति उनके गैर-लाभकारी संगठन 'द लिव लव लाफ फाउंडेशन' की दसवीं वर्षगाँठ के अवसर पर हुई, जिसकी स्थापना उन्होंने 2015 में अवसाद से अपने व्यक्तिगत संघर्ष के बाद की थी।
- फाउंडेशन ने भारत में मानसिक स्वास्थ्य को कलंक-मुक्त करने और परामर्श सेवाओं को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
- यह पहल भारत के राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP) और समानता आधारित स्वास्थ्य नीति को जनसहभागिता के माध्यम से सुदृढ़ करने की दिशा में एक नया अध्याय है।

गोवा में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन

- 9 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री डॉ. रामदास अठावले ने गोवा की राजधानी पणजी में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया।
- यह महोत्सव दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, समावेशिता और समान अवसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है।
- डॉ. अठावले ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में सभी वर्गों, विशेषकर दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, के विकास को प्राथमिकता दी है। मुख्य अतिथि डॉ. वीरेंद्र कुमार (केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री) ने गोवा सरकार के प्रयासों की सराहना की और दिव्यांगजनों की पूर्ण सामाजिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।
- फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नवाचार प्रदर्शनियों और सुलभ तकनीकी समाधानों का प्रदर्शन किया गया, जो "Accessible India, Inclusive India" दृष्टि को मूर्त रुप देते हैं। यह आयोजन भारत में समावेशी विकास और सामाजिक समानता के मूल्यों को सुदृढ़ करता है।

हंगेरियन लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को मिला 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार

- 9 अक्टूबर 2025 को हंगरी के प्रसिद्ध लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। स्वीडिश अकादमी की ओर से यह पुरस्कार उन्हें "सर्वनाशकारी यथार्थ के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करने वाली रचनाओं" के लिए दिया गया।
- क्रास्ज़नाहोरकाई अपने गहन, दार्शनिक और महाकाव्यात्मक लेखन के लिए जाने जाते हैं, जो मध्य यूरोपीय साहित्यिक परंपरा — काफ्का, बर्नहार्ड और कुंदेरा से प्रेरित है। वे 2002 में इमरे कर्टेज़ के बाद यह पुरस्कार पाने वाले दूसरे हंगेरियन लेखक बने।
- उन्हें लगभग 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। साहित्य में यह सम्मान विश्व स्तर पर उन लेखकों को दिया जाता है जो मानव अस्तित्व के जटिल पहलुओं को नई भाषा और दृष्टि प्रदान करते हैं।
- क्रास्ज़नाहोरकाई का यह सम्मान वैश्विक साहित्य में दार्शनिक यथार्थवाद और कलात्मक गहराई की पुनःस्थापना के रूप में देखा जा रहा है।

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला बने 'विकसित भारत बिल्डथॉन' के ब्रांड एंबेसडर

- भारतीय वायु सेना के अधिकारी और परीक्षण पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सरकार की नवाचार पहल "विकसित भारत बिल्डथॉन"

का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) का दौरा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने एक्सिओम-4 मिशन में भाग लिया था।

- "विकसित भारत बिल्डथॉन" एक राष्ट्रव्यापी छात्र नवाचार प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय और अटल नवाचार मिशन द्वारा किया जा रहा है।
- इसका उद्देश्य कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों में रचनात्मकता, तकनीकी सोच और समस्या-समाधान कौशल को बढ़ावा देना है।
- लगभग 1 करोड़ छात्र और 1.5 लाख स्कूल इसमें भाग ले रहे हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा स्कूल हैकाथॉन है।

गोवा की 'महाजे घर योजना' : मालिकाना हक़ की दिशा में बड़ा कदम

- गोवा सरकार ने 'महाजे घर योजना' के तहत सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने की पहल शुरू की है। इसका उद्घाटन 4 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से बसे परिवारों को कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है। पात्रता के अनुसार, केवल वे घर मान्य होंगे जो सरकारी भूमि पर 1972 से पहले या सामुदायिक भूमि पर 28 फरवरी 2014 से पहले बने हैं।
- योजना के तहत 50,000 से अधिक मकानों को नियमित करने का लक्ष्य है, जिससे हजारों परिवारों को बेदखली से सुरक्षा मिलेगी। आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि प्रमाणपत्र शीघ्र जारी किए जा सकें। इस योजना से राज्य की लगभग आधी आबादी को लाभ होने की उम्मीद है। यह पहल न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में कदम है, बल्कि गोवा में भूमि विवादों और अवैध निर्माणों की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास है।

राजस्थान के पहले 'नमो जैव विविधता पार्क' का उद्घाटन

- राजस्थान का पहला 'नमो जैव विविधता पार्क' 5 अक्टूबर 2025 को अलवर के प्रताप बंध क्षेत्र में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा उद्घाटित किया गया। 'नमो वन' के नाम से भी प्रसिद्ध यह पार्क अलवर क्षेत्र के लिए एक हरित फेफड़े की तरह कार्य करेगा। उद्घाटन के अवसर पर प्रतीकात्मक वृक्षारोपण समारोह आयोजित किया गया।
- इस पार्क का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और लोगों में पर्यावरण-जागरूकता फैलाना है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह पार्क न केवल स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देगा, बल्कि आगंतुकों को पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसे एक पारिस्थितिक परियोजना और सामुदायिक जागरूकता मंच दोनों के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह पहल राज्य में जैव विविधता संरक्षण और 'हरित भारत' दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती है। भविष्य में इस मॉडल के आधार पर राजस्थान के अन्य जिलों में भी ऐसे पार्क विकसित किए जाएंगे।

मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता

- भारत की स्टार भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने नॉर्वे के फोर्डे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने कुल 199 किलोग्राम (84 किग्रा स्नैच + 115 किग्रा क्लीन एंड जर्क) भार उठाया। यह उपलब्धि चानू की 2022 के बाद पहली विश्व चैंपियनशिप पदक जीत है। पेरिस 2024 ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहने के बाद यह उनकी वापसी प्रतियोगिता मानी जा रही है।
- इस वर्ग में दक्षिण कोरिया की री सोंग-गम ने कुल 213 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। चानू की यह उपलब्धि भारतीय भारोत्तोलन में लगातार उत्कृष्टता की परंपरा को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि यह पदक उनकी मेहनत और टीम के समर्थन का परिणाम है। यह जीत भारत में महिला खिलाड़ियों के लिए दृढ़ता और संकल्प का प्रतीक बन गई है।

वायुसेना प्रमुख ने 'विंग्स ऑफ वैलोर' पुस्तक का विमोचन किया

- भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए.पी. सिंह ने नई दिल्ली में "विंग्स ऑफ वैलोर" पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक स्वप्निल पांडे द्वारा लिखी गई है और हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक में भारतीय वायुसेना के सबसे साहसिक अभियानों का विवरण है, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर पर एक विशेष अध्याय शामिल है।
- ए.पी. सिंह ने कहा कि युद्ध में शामिल लोगों के साथ-साथ पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मियों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इन नायकों को अक्सर उचित पहचान नहीं मिलती, इसलिए ऐसी पुस्तकों से उनकी वीरता और समर्पण को सम्मान मिलता है। "विंग्स ऑफ वैलोर" भारतीय वायुसेना की परंपरागत वीरता, तकनीकी कौशल और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी निष्ठा का प्रेरणादायक दस्तावेज़ है।

खालिद अल-अनानी यूनेस्को के अगले महानिदेशक नामित

- यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने मिस्र के विद्वान और पूर्व मंत्री खालिद अल-अनानी को संगठन का अगला महानिदेशक नामित किया है। अगर दिसंबर 2025 में उज़्बेकिस्तान में होने वाली यूनेस्को महासभा उनकी नियुक्ति की पुष्टि करती है, तो वे अरब जगत के पहले महानिदेशक बन जाएंगे। 54 वर्षीय अल-अनानी एक प्रसिद्ध मिस्रविज्ञानी हैं और काहिरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने मिस्र के पुरावशेष मंत्री और बाद में पर्यटन एवं पुरावशेष मंत्री के रूप में कार्य करते हुए मिस्र की सभ्यता के राष्ट्रीय संग्रहालय और कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक परियोजनाओं का नेतृत्व किया।
- उन्होंने कांगो गणराज्य के अर्थशास्त्री फ़िरमिन एडौर्ड माटोको को मतदान में पराजित किया। यह नामांकन ऑड्रे अज़ोले के दो कार्यकालों के बाद हुआ है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़तह अल-सिसी ने इसे देश की "ऐतिहासिक उपलब्धि" बताया। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के बाहर निकलने से यूनेस्को वित्तीय संकट से जूझ रहा है।

विश्व बैंक ने भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.5% किया

- विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, यह वृद्धि मजबूत घरेलू खपत, ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार और जीएसटी सुधारों के सकारात्मक प्रभावों से प्रेरित है। भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। हालांकि, वित्त वर्ष 2027 के लिए अनुमान घटाकर 6.3% किया गया है, जो अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के संभावित नकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।
- दक्षिण एशिया के लिए 2025 में 6.6% और 2026 में 5.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, जो अप्रैल के पूर्वानुमान से कम है। रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, राजनीतिक अस्थिरता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न श्रम बाजार में व्यवधान क्षेत्र की विकास गति को प्रभावित कर सकते हैं।

भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में रिकॉर्ड 22 पदक जीते

- नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य सहित कुल 22 पदक जीते। इस उपलब्धि के साथ भारत 10वें स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में 104 देशों के 2000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। भारत की ओर से 73 सदस्यीय दल उतरा, जिसमें 54 पुरुष और 19 महिला खिलाड़ी शामिल थे।
- शैलेश कुमार ने पुरुषों की ऊँची कूद (टी63 वर्ग) में एशियाई रिकॉर्ड बनाकर पहला स्वर्ण जीता, जबकि सुमित अंतिल ने अपना तीसरा विश्व स्वर्ण पदक जीता, जो किसी भारतीय पैरा एथलीट द्वारा सर्वाधिक है। भारत ने इस दौरान तीन विश्व चैंपियनशिप रिकॉर्ड और सात एशियाई

रिकॉर्ड बनाए। अब भारत के कुल पदक 67 (19 स्वर्ण, 24 रजत, 24 कांस्य) हो गए हैं, जो पैरा खेलों में उसकी बढ़ती वैश्विक स्थिति को दर्शाते हैं।

भारत-ब्रिटेन नौसैनिक अभ्यास 'कोंकण-2025' संपन्न

- भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास 'कोंकण-2025' का आयोजन 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक भारत के पश्चिमी तट पर हुआ। यह पहली बार था जब दोनों देशों के विमानवाहक पोत, आईएनएस विक्रांत और एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स, एक साथ किसी अभ्यास में शामिल हुए। इस अभ्यास में हवाई रक्षा, पनडुब्बी रोधी अभियान, सतही युद्धाभ्यास और बियॉन्ड विज़ुअल रेंज (BVR) युद्ध जैसी जटिल गतिविधियाँ शामिल थीं।
- अभ्यास को दो चरणों — बंदरगाह और समुद्री चरण — में विभाजित किया गया था। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, सुरक्षित और नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इसके अंतर्गत रॉयल नेवी के F-35B विमानों और भारतीय वायुसेना के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास भी आयोजित हुआ, जिसने भारत-यूके रक्षा साझेदारी को नई गहराई प्रदान की।

11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित

- 1 अक्टूबर 2025 को दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन (WGES) का उद्घाटन हुआ। दो दिवसीय इस सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के 3,300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस वर्ष का विषय था – "प्रभाव के लिए नवाचार: हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति प्रदान करना"। यह आयोजन WETEX 2025 प्रदर्शनी के साथ संयुक्त रूप से हुआ, जिसमें जल, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण क्षेत्र की नवीन पहलों को प्रदर्शित किया गया। सत्रों में वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) की भूमिका पर विशेष बल दिया गया। अरब फाउंडेशन फोरम की सीईओ नैला फारूकी ने क्षेत्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता रेखांकित की। सम्मेलन में सरकार, उद्योग और अकादमिक जगत के 80 से अधिक अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं ने विचार साझा किए। इस मंच पर सदस्य देशों के लिए हरित अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण को प्रोत्साहित करने वाली कई पहलें प्रस्तुत की गईं।

पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन

- प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण सम्मानित पंडित छन्नूलाल मिश्र का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उनका देहांत हुआ। 1936 में आजमगढ़ में जन्मे मिश्र जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में असाधारण योगदान दिया। वे खयाल, ठुमरी, दादरा, चैती, कजरी और भजन जैसी शैलियों में अपनी विशिष्ट निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र से तथा आगे किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खान से मिला। बाद में उन्होंने संगीतज्ञ ठाकुर जयदेव सिंह से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्हें 2010 में पद्म भूषण और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनके निधन से भारतीय संगीत जगत ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया, जिसने शास्त्रीय परंपरा को लोक संवेदना से जोड़ा।

राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए

- आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2025 के राष्ट्रीय धन्वंतरि आयुर्वेद पुरस्कार तीन प्रतिष्ठित हस्तियों — प्रो. बनवारी लाल गौर, वैद्य नीलकंधन मूस ई.टी. और वैद्य भावना पाराशर — को प्रदान किए। प्रो. गौर को आयुर्वेदिक शिक्षा और संस्कृत विद्वत्ता में छह दशकों के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने 31 पुस्तकें और 300 से अधिक शोध प्रकाशित किए।
- वैद्य नीलकंधन मूस, वैद्यरत्नम समूह के प्रमुख हैं और उन्होंने केरल की पारंपरिक आयुर्वेद पद्धतियों को वैश्विक स्तर तक पहुँचाया। वहीं, वैद्य

भावना पाराशर को आयुर्जीनोमिक्स में अग्रणी शोध के लिए सम्मान मिला, जिसमें उन्होंने पारंपरिक आयुर्वेदिक अवधारणाओं को आधुनिक जीनोमिक विज्ञान से जोड़ा। उनके एआई आधारित प्रकृति विश्लेषण मॉडल को राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। तीनों पुरस्कार विजेता आयुर्वेद के शैक्षणिक, पारंपरिक और वैज्ञानिक आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स बने एनसीसी के नए महानिदेशक

- 1 अक्टूबर 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के महानिदेशक का पदभार संभाला। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह का स्थान लिया। वर्तमान में एनसीसी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 20 लाख से अधिक कैडेटों तक विस्तार कर रहा है। "एकता और अनुशासन" के आदर्श वाक्य के साथ, एनसीसी अब विकसित भारत@2047 के विज़न के अनुरूप डिजिटल कौशल, नवाचार और वैश्विक दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में अग्रसर है।
- लेफ्टिनेंट जनरल वत्स को 1988 में 19 कुमाऊँ रेजिमेंट में कमीशन मिला था। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर घाटी में उग्रवाद-रोधी अभियानों में सेवा की और संयुक्त राष्ट्र मिशन, कांगो में पैदल सेना ब्रिगेड का नेतृत्व किया। इससे पहले वे वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट थे। उनका नेतृत्व एनसीसी के आधुनिकीकरण और युवा सशक्तिकरण को नई दिशा देगा।

राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) में 9 नई कृषि वस्तुओं का समावेश

- भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) प्लेटफ़ॉर्म में 9 नई कृषि वस्तुओं को शामिल किया है, जिससे कुल वस्तुओं की संख्या बढ़कर 247 हो गई है। 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया e-NAM एक ऑनलाइन एकीकृत कृषि व्यापार पोर्टल है, जो देशभर की एपीएमसी मंडियों, निजी कृषि बाजारों और खरीदारों को जोड़ता है। इसका उद्देश्य कृषि विपणन को एकरूप, पारदर्शी और डिजिटल बनाना है।
- नई जोड़ी गई वस्तुओं में ग्रीन टी, अश्वगंधा की सूखी जड़ें, सरसों का तेल, लैवेंडर ऑयल, मेंथा ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल और टूटा चावल शामिल हैं। यह कदम किसानों को व्यापक राष्ट्रीय बाजार, गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण और बिचौलियों से मुक्त पारदर्शी व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा। विशेष रूप से मूल्य संवर्धित एवं औषधीय उत्पादों के उत्पादकों को इसका लाभ मिलेगा।
- e-NAM के विस्तार से कृषि विपणन का डिजिटलीकरण और किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया गया है।

प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता असरानी का निधन

- प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और निर्देशक गोवर्धन असरानी का 84 वर्ष की आयु में मुंबई में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उन्होंने पाँच दशकों से अधिक के करियर में 350 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया। वह मुख्य रूप से अपने हास्य एवं सहायक किरदारों के लिए जाने जाते हैं।
- उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1967 में फिल्म 'हरे कांच की चूड़ियां' से की थी। वह ऋषिकेश मुखर्जी और गुलज़ार जैसे निर्देशकों के पसंदीदा थे और 'चुपके चुपके', 'बावर्ची', 'नमक हराम', 'गुड्डी', 'अभिमान', 'भूल भुलैया' और 'धमाल' जैसी कई हिट फिल्मों में यादगार भूमिकाएँ निभाईं।
- हिंदी फिल्मों के अलावा, उन्होंने गुजराती, राजस्थानी और एक पंजाबी फिल्म में भी काम किया। वह 1988 से 1993 तक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे के निदेशक भी रहे। 2023 में रिलीज़ हुई फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' में उन्होने अभिनय किया था। उनके निधन के बाद भी उनकी दो फिल्में 'भूत बंगला' और 'हैवान' रिलीज होने वाली हैं।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्न में कौन-कौन से कार्यों के लिए जैविक विविधता अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) की पूर्व मंजूरी आवश्यक है?

1. भारत से जैविक संसाधनों को उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति (विदेशी / गैर-भारतीय)।
2. जैविक संसाधनों से प्राप्त अनुसंधान परिणामों को गैर-भारतीय संस्थाओं को स्थानांतरित करना।
3. भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों के आधार पर भारत के बाहर बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) के लिए आवेदन करना।
4. घरेलू नागरिकों द्वारा पारंपरिक कृषि के लिए जैविक संसाधनों का उपयोग।

सही विकल्प चुनें:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

2. निम्न में से निकाय जैविक विविधता अधिनियम, 2002के तहत वैधानिक (Statutory) हैं?

1. राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA)
2. राज्य जैव विविधता बोर्ड (SBBs)
3. जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMCs)

विकल्प चुनें:

A: केवल 1
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

3. RBI द्वारा गठित भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. इसने पूर्ववर्ती भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) का स्थान लिया।
2. इसमें पदेन और सरकार द्वारा नामित सदस्यों सहित छह सदस्य हैं।
3. इसमें राज्य सरकारों के नामित सदस्य शामिल हैं।
4. इसकी बैठक वर्ष में कम से कम दो बार होगी।

सही विकल्प चुनें:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

4. भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) में मतदान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. PRB के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है।
2. निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं।
3. मतों में बराबरी की स्थिति में, अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 1 और 3
D: 1, 2, और 3

5. भारत EFTA TEPA (व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता) के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. TEPA 1 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ।
2. TEPA के तहत, EFTA ने 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है।
3. भारत EFTA की 95% से अधिक टैरिफ लाइनों पर शुल्क रियायतें प्रदान करेगा।
4. संवेदनशील कृषि उत्पाद, डेयरी और कोयला TEPA के तहत शुल्क रियायतों से पूरी तरह बाहर हैं।

सही विकल्प चुनें:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 1,2 और 3
D: 1, 2, 3 और 4

6. भारत में एमएसपी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने हरित क्रांति काल के दौरान खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए 1966-67 में पहली बार एमएसपी (गेहूं के लिए) को अपनाया था।
2. स्वामीनाथन आयोग (2006) ने सिफारिश की थी कि एमएसपी उत्पादन लागत से 50% अधिक होनी चाहिए।
3. एमएसपी योजना वैधानिक है और निजी क्षेत्र के खरीदारों पर

बाध्यकारी है।

4. एमएसपी उद्देश्यों के लिए “उत्पादन लागत” में A2, A2+FL, C2 जैसी विभिन्न लागत अवधारणाएँ शामिल हो सकती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा सही है?

A: केवल 1

B: केवल 1 और 2

C: केवल 1,2 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

7. सितंबर 2025 में आईसीएओ परिषद में भारत के पुनर्निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

1. भारत को आईसीएओ परिषद के भाग II श्रेणी के अंतर्गत पुनर्निर्वाचित किया गया था।
2. यह चुनाव मॉन्ट्रियल में आयोजित 42वें आईसीएओ विधानसभा सत्र के दौरान हुआ था।
3. भारत को 2022 के चुनावों के समान ही वोट मिले।

सही विकल्प चुनें:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 1 और 3

D: 1, 2, और 3

8. भारत के दलहन मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह छह साल का मिशन है।
2. इसका उद्देश्य 2030-31 तक दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है।
3. यह सरकार द्वारा चार वर्षों के लिए सभी दालों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित खरीद प्रदान करता है।

इनमें से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

9. टाइफून ब्यूलोई, जिसने हाल ही में वियतनाम और फिलीपींस को प्रभावित किया, फिलीपींस में स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है?

A: ओपोंग

B: रागासा

C: मिताग

D: काजिकी

10. पीएम सेतु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका कुल परिव्यय ₹60,000 करोड़ है।
2. इसका उद्देश्य हब और स्पोक मॉडल (200 हब + 800 स्पोक) के माध्यम से 1,000 सरकारी आईटीआई का आधुनिकीकरण करना है।
3. हब आईटीआई में नवाचार केंद्र, उत्पादन इकाइयाँ, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेवाएँ उपलब्ध होंगी।
4. पूर्ण निजीकरण के तहत स्पोक आईटीआई को निजी संस्थानों में परिवर्तित किया जाएगा।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही नही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

11. आईसीजीएस अक्षर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे आदम्या श्रेणी के तीव्र गश्ती जहाजों (एफपीवी) में दूसरा जहाज है।
2. इसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) द्वारा किया गया था।
3. जहाज की अधिकतम गति लगभग 27 समुद्री मील है।
4. जहाज की क्षमता लगभग 1,500 समुद्री मील है।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

12. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई) के अंतर्गत चिन्हित आकांक्षी कृषि जिलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में कुल 100 जिलों की पहचान की गई है।
2. इन जिलों की पहचान तीन मानदंडों पर आधारित है: कम उत्पादकता, कम फसल सघनता और औसत से कम ऋण तक पहुँच।
3. प्रत्येक जिले को केंद्र की ओर से पीएमडीडीकेवाई के लिए विशेष रूप से एक अलग बजटीय आवंटन प्राप्त होगा।
4. यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एकीकृत करेगी।

उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं?

A: केवल एक

B: केवल दो

C: केवल तीन

D: सभी चार

13. 2025 के फिजियोलॉजी या चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह पुरस्कार मैरी ई. ब्रंकॉ, फ्रेड राम्सडेल, और शिमोन सकागुची को परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता (peripheral immune tolerance) से संबंधित खोजों के लिए दिया गया।
2. उनके शोध ने FOXP3 जीन को नियामक T कोशिकाओं (Tregs) के विकास और कार्य के लिए आवश्यक के रूप में पहचाना।
3. विजेताओं ने एक नई साइटोकाइन की खोज की जो T-कोशिका सक्रियण को दबाती है।

इनमें से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

14. INS एंड्रोथ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक प्रकार का पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है, जो "अर्नाला श्रेणी" का हिस्सा है।
2. यह GRSE द्वारा निर्मित है और इसके 80% से अधिक पुर्जे भारत में ही बने हैं।
3. यह डीजल इंजनों द्वारा संचालित जल-जेट प्रणालियों का उपयोग करके चलता है।
4. इस पोत का नाम अंडमान और निकोबार के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

15. नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
2. प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं।
3. इसके पास केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को धन आवंटित करने की शक्ति है।
4. यह नीतिगत विचार-विमर्श में राज्य सरकारों को शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है।

विकल्प:

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 2 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

16. नक्ष (राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण) योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के अंतर्गत लॉन्च किया गया है।
2. यह पायलट योजना कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 150 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को कवर करती है।
3. यह पूरी तरह से राज्यों द्वारा वित्त पोषित है, जिसमें केंद्रीय सहायता भी शामिल है।
4. यह भू-स्थानिक भूमि पार्सल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए हवाई सर्वेक्षण, GIS और जमीनी सत्यापन का उपयोग करता है।

विकल्प:

A: केवल 1

B: केवल 1,2 और 4

C: केवल 2,3 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

17. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की रिपोर्ट "सामाजिक न्याय की स्थिति: प्रगति पर कार्य" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक जनसंख्या का 50% से अधिक हिस्सा अब किसी न किसी प्रकार के सामाजिक संरक्षण के अंतर्गत आता है।
2. डिजिटल असमानता के कारण हाल के वर्षों में 5-14 वर्ष की आयु के बच्चों में बाल श्रम में वृद्धि हुई है।
3. यदि वर्तमान रुझान जारी रहे, तो अगले दो दशकों में लैंगिक वेतन अंतर बराबर होने का अनुमान है।
4. रिपोर्ट जनसांख्यिकीय बदलावों और पर्यावरणीय परिवर्तनों को श्रम बाजारों के लिए उभरती वैश्विक चुनौतियों के रूप में दर्शाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 4

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

18. 2025 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. यह पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस को दिया गया।
2. यह "विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए" दिया गया।
3. उनके प्रयोगों में क्वांटम प्रभावों को प्रदर्शित करने के लिए कमरे के तापमान पर संचालित अर्धचालक शामिल थे।

कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

19. स्लॉथ भालू (मेलुरसस उर्सिनस) के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. स्लॉथ भालू केवल भारत में पाए जाते हैं।
2. इन्हें IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
3. ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित हैं और CITES परिशिष्ट I में शामिल हैं।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

20. घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

1. घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप की गंगा और चंबल जैसी नदियों में पाए जाते हैं।
2. इन्हें IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
3. घड़ियाल वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम की अनुसूची I और CITES परिशिष्ट I में सूचीबद्ध हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

21. रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल पुरस्कार जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिकों को धातु-कार्बनिक ढाँचे (MOF) पर उनके शोध के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार विजेताओं में से नहीं है?

A: सुसुमु कितागावा
B: उमर एम. याघी
C: रिचर्ड रॉबसन
D: अकीरा योशिनो

22. भारत में औषधि निर्माण को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में औषधियों और सौंदर्य प्रसाधनों को विनियमित करने वाला प्राथमिक कानून औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 है।
2. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) भारत में सभी औषधि निर्माताओं के लाइसेंसिंग प्रदान करता है।
3. गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची एम में निर्धारित अनिवार्य मानक हैं।
4. भारतीय फार्माकोपिया (आईपी) भारत में औषधियों के गुणवत्ता मानकों को परिभाषित करता है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 2,3 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

23. ई-नाम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ई-नाम को 2016 में पूरे भारत में कृषि बाजारों को एकीकृत करने के लिए लॉन्च किया गया था।
2. यह प्लेटफ़ॉर्म केवल सरकारी मंडियों को ही व्यापार में भाग लेने की अनुमति देता है।
3. ई-नाम गुणवत्ता परीक्षण, ऑनलाइन भुगतान और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं को एकीकृत करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

24. सक्षम (SAKSHAM) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर

विचार करें:

1. SAKSHAM को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) द्वारा विकसित किया गया है।
2. सक्षम एक स्वदेशी मानवरहित हवाई प्रणाली (यूएएस) ग्रिड है।
3. यह प्रणाली आर्मी डेटा नेटवर्क (ADN) का उपयोग करके संचालित होती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

25. मारिया कोरिना मचाडो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वे नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वेनेज़ुएला निवासी हैं।
2. उन्होंने वेनेज़ुएला में चुनाव पारदर्शिता पर केंद्रित सुमाते संगठन की सह-स्थापना की।
3. वे 2024 में वेनेज़ुएला की राष्ट्रपति चुनी गईं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 2
C: केवल 1 और 2
D: 1, 2, और 3

26. भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय लाल सूची मूल्यांकन (एनआरएलए) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य भारत में केवल जीव-जंतुओं की प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का आकलन करना है।
2. यह मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आईयूसीएन दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
3. यह जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के तहत भारत के दायित्वों से जुड़ा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1
B: केवल 1 और 3
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

27. निम्नलिखित में से कौन सा/से जैव विविधता अभिसमय (CBD) का/के उद्देश्य है/हैं?

1. जैव विविधता का संरक्षण
2. सभी सदस्य देशों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
3. जैव विविधता घटकों का सतत उपयोग
4. आनुवंशिक संसाधनों से लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनें:

A: केवल 1 और 2
B: केवल 1,3 और 4
C: केवल 2,3 और 4
D: 1, 2, 3 और 4

28. निम्नलिखित 2025 के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उनके योगदानों के युग्मों पर विचार कीजिए:

विजेता	योगदान
1. जोएल मोक्यर	आर्थिक विकास और नवाचार का ऐतिहासिक विश्लेषण
2. फिलिप एजिओन	विकास में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन (रचनात्मक विनाश) का सैद्धांतिक मॉडल
3. पीटर होविट	वैश्वीकरण की राजनीतिक अर्थव्यवस्था

उपरोक्त में से कौन-से युग्म सही सुमेलित हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: 1, 2, और 3

29. मैत्री II के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अंटार्कटिका में भारत का तीसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र होगा।
2. इसे कठोर अंटार्कटिक जलवायु का सामना करने के लिए पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
3. यह स्टेशन मानवरहित होने पर भी दूरस्थ डेटा ट्रांसमिशन क्षमताओं से युक्त होगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2
B: केवल 2
C: केवल 2 और 3
D: केवल 3

30. अंटार्कटिका के गवर्नेंस के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अंटार्कटिक संधि रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए सैन्य उपस्थिति पर प्रतिबंध लगाती है।

2. मैड्रिड प्रोटोकॉल नए निर्माणों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) की आवश्यकता रखता है।
3. भारत अंटार्कटिक संधि का एक परामर्शदात्री पक्ष नहीं है।

निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: 1,2 और 3

D: कोई नहीं

31. LEAPS 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. LEAPS 2025 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
2. इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रदर्शन, नवाचार और नेतृत्व का मानकीकरण करना है।
3. LEAPS 2025 स्थिरता और हरित लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

32. पीएम गति शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे राष्ट्रीय रसद दिवस के अवसर पर अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया था।
2. यह वास्तविक समय परियोजना निगरानी के लिए जीआईएस और इसरो उपग्रह उपकरणों द्वारा संचालित है।
3. यह 20 से अधिक मंत्रालयों और विभागों के डेटा को एकीकृत करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

33. दुर्लभ मृदा तत्वों (आरईई) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दुर्लभ मृदा तत्व 17 रासायनिक रूप से समान तत्वों का एक समूह है, जिसमें स्कैंडियम और यिट्रियम के साथ 15 लैंथेनाइड शामिल हैं।
2. भारत में दुर्लभ मृदा तत्वों का कोई महत्वपूर्ण भंडार नहीं है और यह पूरी तरह से आयात पर निर्भर है।
3. दुर्लभ मृदा तत्व नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, जैसे पवन टर्बाइन और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
4. चीन दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा तत्वों का उत्पादक और निर्यातक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

34. अखिल भारतीय हाथी अनुमान (SAIEE) 2021-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत में डीएनए-आधारित विधियों का उपयोग करने वाला पहला हाथी जनसंख्या अनुमान है।
2. भारत में जंगली एशियाई हाथियों की कुल अनुमानित जनसंख्या 25,000 से अधिक है।
3. यह 2017 के अनुमान की तुलना में जनसंख्या में गिरावट दर्शाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

35. भारत में एशियाई हाथी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एशियाई हाथी को IUCN की लाल सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
2. यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत संरक्षित है।
3. यह CITES के परिशिष्ट II में शामिल है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 1,2 और 3

D: कोई नहीं

36. संविधान के अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की सीधी भर्ती पर सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक न्यायिक अधिकारी जो पहले अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका है, सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत पात्र हो सकता है, बशर्ते उसका संयुक्त अनुभव (वकील + न्यायाधीश के रूप में) कम से कम 7 वर्ष

का हो।

2. न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 233 के तहत पात्रता नियुक्ति के समय निर्धारित की जानी चाहिए, आवेदन के समय नहीं।
3. न्यायालय ने सभी सीधी भर्ती के उम्मीदवारों (चाहे वे बार से हों या सेवा से) के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

37. भारत में हालिया रक्षा परिवर्तन पहलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को आधिकारिक तौर पर "सुधारों का वर्ष" घोषित किया है, जिसमें एकीकृत थिएटर कमांड जैसी प्राथमिकताएँ शामिल हैं।
2. भारत की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की नीति का अर्थ है कि कुछ रक्षा उपकरण अब भारत में ही निर्मित किए जाने चाहिए।
3. हालिया सुधारों के तहत, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए 2024-25 में रक्षा पूंजी खरीद बजट का 30% भारतीय कंपनियों के लिए आरक्षित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 1,2 और 3

D: कोई नहीं

38. 2025 WDMMA वायु सेना रैंकिंग में भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वायु शक्ति क्षमता के मामले में भारत विश्व स्तर पर चीन से आगे तीसरे स्थान पर है।
2. भारत के 50% से अधिक विमान लड़ाकू जेट हैं।
3. WDMMA ट्रूवैल रेटिंग (TVR) नामक एक मीट्रिक का उपयोग करके वायु सेनाओं का मूल्यांकन करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

39. मर्सर सीएफए संस्थान द्वारा जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत को 43.8 के समग्र स्कोर के साथ डी ग्रेड प्राप्त हुआ।
2. यह सूचकांक पर्याप्तता, स्थिरता और समता के आधार पर पेंशन प्रणालियों का मूल्यांकन करता है।
3. सिंगापुर 2025 में पहली बार ए ग्रेड स्तर में प्रवेश कर गया, ऐसा करने वाला एकमात्र एशियाई देश बन गया।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 1,2 और 3

D: कोई नहीं

40. तेजस Mk1A के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. तेजस Mk1A भारत के पुराने मिग-21/23/27 बेड़े की जगह लेगा।
2. इसमें 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री है।
3. Mk1A विमानवाहक पोतों से संचालित हो सकता है।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

41. ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
2. इसकी वर्तमान परिचालन सीमा 450 किमी तक है, और भविष्य के संस्करणों की लक्ष्य सीमा 800 किमी है।
3. इसे भूमि, समुद्र, वायु और पनडुब्बी प्लेटफार्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है।
4. इसमें एकल-चरण ठोस प्रणोदक इंजन का उपयोग किया गया है।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

42. रोटावैक वैक्सीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारत में स्वदेशी रूप से विकसित एक मौखिक टीका है।
2. रोटावैक की प्रभावशीलता लगभग 54% है।
3. रोटावैक बच्चों को दो खुराक के कार्यक्रम में दिया जाता है।
4. यह टीका रोटावायरस-प्रेरित आंत्रशोथ को रोकने में मदद करता है।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 4

D: 1, 2, 3 और 4

43. वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 (GFRA 2025) में बताए गए वैश्विक वन विस्तार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वैश्विक वन लगभग 4.14 बिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं।
2. वन पृथ्वी के लगभग 32% भू-भाग पर फैले हैं।
3. दुनिया के लगभग आधे वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हैं।
4. प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत वन क्षेत्र लगभग 1 हेक्टेयर है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

44. जीएफआरए 2025 के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय निष्कर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कुल वन क्षेत्र की वैश्विक रैंकिंग में भारत 9वें स्थान पर है।
2. सबसे बड़ा वन क्षेत्र रखने वाले शीर्ष पाँच देश (क्रम में) हैं: रूस, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, चीन।
3. रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध वन वृद्धि दर्ज करने वाला एशिया एकमात्र महाद्वीप था।
4. जीएफआरए आकलन हर पाँच साल में प्रकाशित होता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है?

A: केवल 1,2 और 4

B: केवल 1 और 3

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

45. कफ़ाला व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस व्यवस्था के तहत, एक प्रवासी श्रमिक की कानूनी स्थिति (निवास और रोज़गार) एक स्थानीय नियोक्ता ("कफ़ील") से जुड़ी होती थी।
2. श्रमिकों को देश छोड़ने या नौकरी बदलने के लिए अक्सर नियोक्ता की सहमति की आवश्यकता होती थी।
3. यह व्यवस्था मूल रूप से 1950 के दशक में तेल-समृद्ध खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी श्रम प्रवाह को विनियमित करने के लिए डिज़ाइन की गई थी।
4. इस व्यवस्था ने शुरू से ही प्रवासी श्रमिकों को पूर्ण स्वतंत्रता और गतिशीलता प्रदान की।

इनमें से कौन से कथन सही हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 1,2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

46. स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर (SoGA) 2025 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है।
2. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 में वैश्विक स्तर पर लगभग 7.9 मिलियन मौतों के लिए वायु प्रदूषण जिम्मेदार था।
3. इनमें से 85% से अधिक मौतें गैर-संचारी रोगों (NCDs) से जुड़ी थीं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

47. भारतीय नौसेना के माहे-श्रेणी के जहाजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. माहे-श्रेणी का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा किया जा रहा है।
2. ये जहाज मुख्य रूप से गहरे समुद्र में पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
3. माहे-श्रेणी भारतीय नौसेना में पुराने अभय-श्रेणी के कोरवेट की जगह लेगी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

A: केवल 1

B: केवल 1 और 3

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

48. 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह 26-28 अक्टूबर 2025 तक मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था।
2. इसने आसियान के 11वें सदस्य के रूप में तिमोर-लेस्ते के

औपचारिक प्रवेश दिया।

3. भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 2

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, और 3

49. CMS-03 मिशन में प्रयुक्त LVM3 रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक तीन-चरणीय भारी-भरकम प्रक्षेपण यान है।
2. इसके क्रायोजेनिक चरण में स्वदेशी CE-20 इंजन का उपयोग किया गया है।
3. यह 8,000 किलोग्राम तक के पेलोड को भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा (GTO) में प्रक्षेपित कर सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1

B: केवल 2

C: केवल 1 और 2

D: 1, 2, और 3

50. भारत में चक्रवात मोन्था और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चक्रवात मोन्था को एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
2. उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात दक्षिणावर्त घूमते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, वे वामावर्त घूमते हैं।
3. चक्रवात अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से गर्म समुद्री जल पर नम हवा के संघनन के कारण गुप्त ऊष्मा की रिहाई से प्राप्त करते हैं।
4. चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड द्वारा दिया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A: केवल 1 और 2

B: केवल 1,3 और 4

C: केवल 2 और 3

D: 1, 2, 3 और 4

उत्तर

1	C	11	C	21	D	31	C	41	C
2	D	12	C	22	B	32	B	42	C
3	C	13	A	23	B	33	B	43	C
4	D	14	C	24	D	34	B	44	A
5	C	15	C	25	C	35	A	45	C
6	C	16	B	26	C	36	B	46	C
7	A	17	A	27	B	37	A	47	B
8	A	18	A	28	A	38	B	48	A
9	A	19	C	29	D	39	B	49	C
10	B	20	B	30	A	40	A	50	B

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Branch
Gomti Nagar

New Batch
UPSC (IAS)

Starting

13 Nov 2025

8:30 AM & 5:30 PM

☎ 7570009003, 7234000501

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Complete UP Special Book for
UPPSC Mains!

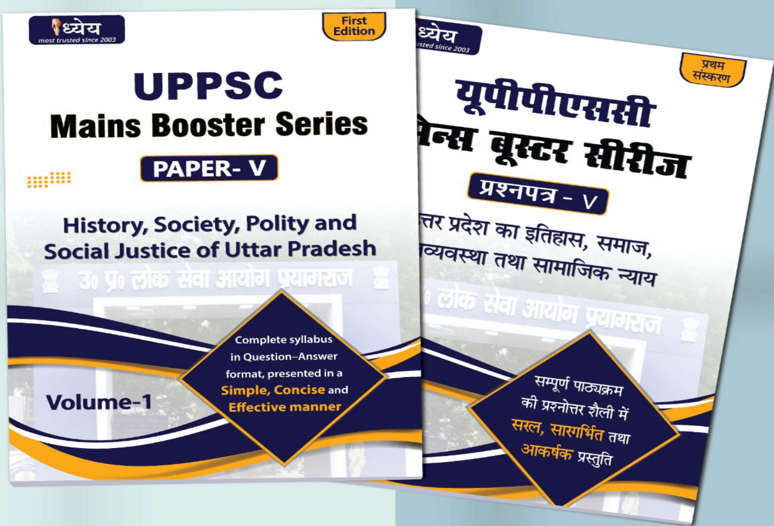

Price- Rs. 200
9506256789

ORDER NOW

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

CSAT
(Prelims 2nd Paper IAS/PCS)

Batch Starting From

24 NOV 2025

Aliganj
Time - 12:00 PM

Gomti Nagar
Time - 03:00 PM

LUCKNOW

9506256789 ☎ 7570009003